



योजनाएं / नीतियां

जनकल्याणकारी

स्वरोजगार/रोजगारपरक

कौशल विकास
प्रशिक्षणपरक

निवेशपरक



लाभ

पात्रता

आवेदन प्रक्रिया

चयन प्रक्रिया

संक्षिप्त विवरण

केन्द्र सरकार

के उत्तराखण्ड में स्थापित प्रतिष्ठानों की सेवाओं/योजनाओं/कार्यों का विवरण
कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन



“मेरी योजना”

‘केन्द्र सरकार’

“इस पुस्तक को प्रकाशित करने का मुख्य उद्देश्य, उत्तराखण्ड/देश की जनता को भारत सरकार के मुख्यतः उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित/कार्यरत विभागों, संस्थाओं, आयोगों, संगठनों, मंत्रालयों द्वारा किये जा रहे कार्यों एवं उनके द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं से जनसामान्य को अवगत कराना है, ताकि संस्थाओं द्वारा दिये जा रहे अमूल्य योगदान से जनता रूबरू हो सके। प्रथम बार, इस प्रकार की पुस्तक बनाने का समग्र प्रयास किया गया है। यह पुस्तक जहां पात्र लाभार्थी को योजनाओं/सेवाओं का लाभ प्राप्त करने में सहयोग करेगी, वहीं नीति निर्धारणकर्ताओं, शोधकर्ताओं, पाठकों के लिए रूचिकर एवं केन्द्र सरकार के राज्य में स्थापित प्रतिष्ठानों द्वारा किये जा रहे प्रयासों के प्रति सजग बनायेगी। इस पुस्तक में संशोधन/सुधार/सुझाव/आपत्ति, कृपया निम्न पते/ईमेल में प्रेषित करना चाहें ताकि आगामी संस्करण को सुधारों के साथ प्रस्तुत किया जा सके।”



कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय परिसर, सुभाष रोड, देहरादून
ई-मेल: sopi-1@uk.gov.in

संरक्षण एवं निर्देशन

ले.ज. गुरमीत सिंह, पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, वीएसएम (से.नि.)
मा. राज्यपाल उत्तराखण्ड
श्री पुष्कर सिंह धामी, मा. मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड
श्रीमती राधा रतूड़ी, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड
श्री दीपक कुमार, सचिव, कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

सम्पादक

श्री दीपक कुमार, सचिव, कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

सह-सम्पादक

श्री एन.एस. डुंगरियाल-संयुक्त सचिव, श्री जे.पी. मैखुरी-अनु सचिव, श्री प्रकाश पालीवाल-
अनुभाग अधिकारी, श्रीमती सरिता तोमर-विशेष कार्याधिकारी, श्रीमती रंजना-समीक्षा
अधिकारी, कार्यक्रम क्रियान्वयन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

विभागीय समन्वयन एवं सूचनाओं का संकलन तथा मीटिंग/वार्ता गतिविधियां

श्री एन.एस. डुंगरियाल-संयुक्त सचिव, श्री जे.पी. मैखुरी-अनु सचिव, श्रीमती सरिता तोमर,
श्रीमती वन्दना पाटनी, श्री रावेन्द्र चौहान, श्री ललित मोहन आर्य, श्री संजीव कुमार शर्मा-
डॉ. शैलेश कुमार पंत, श्री धर्मेन्द्र पयाल-विशेषकार्याधिकारी, श्री नन्दराम-पूर्व अनुभाग अधिकारी,
श्री प्रकाश पालीवाल-अनुभाग अधिकारी, श्रीमती रंजना-समीक्षा अधिकारी, श्री रमेश
कुमार-समीक्षा अधिकारी।

प्रूफ रीडिंग

श्री एन.एस. डुंगरियाल-संयुक्त सचिव, श्री जे.पी. मैखुरी-अनु सचिव, श्री प्रकाश
पालीवाल-अनुभाग अधिकारी, श्रीमती सरिता तोमर-विशेषकार्याधिकारी, श्रीमती
रंजना-समीक्षा अधिकारी।

कम्प्यूटर कम्पोजिंग, पेज डिजाइन एवं पुस्तक डाटा संरक्षण

श्रीमती रंजना-समीक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, श्री अजय सिंह भण्डारी-कम्प्यूटर
सहायक एवं श्री मुकेश चन्द्र देवरानी-कम्प्यूटर सहायक, श्री अमित वर्मा।

सहयोग

केन्द्र सरकार के राज्य में स्थापित उल्लिखित विभागों/संस्थानों के समस्त विभागीय
अधिकारी/ कार्मिक एवं एनआईसी टीम।

मुद्रण

(सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा मुद्रित तथा संबंधित पुस्तक आमजन
हेतु डिजिटल रूप में <https://uk.gov.in> पर उपलब्ध एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग,
उत्तराखण्ड शासन के सर्वाधिकार सुरक्षित)

ले ज गुरमीत सिंह

पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम
वीएसएम (से नि)
राज्यपाल, उत्तराखण्ड



राजभवन उत्तराखण्ड
देहरादून 248 003
दूरभाष: 0135-2757400
0135-2757403

20.11.2024



संदेश

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है कि उत्तराखण्ड शासन के कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा **"मेरी योजना"** पुस्तक का प्रथम संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। यह संस्करण राज्य में स्थापित केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों, संस्थानों, विश्वविद्यालयों, निगमों, प्राधिकरण, आयोगों एवं बैंकों द्वारा संचालित योजनाओं और सेवाओं की सरल और सुलभ जानकारी आमजन तक पहुंचाने का सराहनीय प्रयास है।

मेरी योजना का यह संस्करण विशेष रूप से केन्द्र सरकार से संबंधित विभागों और संस्थानों की जानकारी का पहला समर्पित प्रयास है, जो न केवल अभिनव पहल है, बल्कि राज्य की जनता के लिए उपयोगी भी सिद्ध होगा। अधिकांश लोग राज्य स्तरीय विभागों की योजनाओं से तो परिचित रहते हैं, लेकिन केन्द्र सरकार के विभागों/संस्थानों और उनकी योजनाओं की जानकारी के अभाव में, उनकी सेवाओं और योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। यह पुस्तक इस जानकारी के अभाव को दूर करेगी और अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक केन्द्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने में सहायक होगी।

मुझे विश्वास है कि इस पुस्तक के माध्यम से पाठकों को न केवल केन्द्रीय संस्थानों की जानकारी मिलेगी, बल्कि उनकी महत्वपूर्ण सेवाओं और योजनाओं का लाभ उठाने में भी सहायक होगी।

इस प्रयास के लिए मैं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के सचिव और उनकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई देता हूँ साथ ही इस पुस्तक के सफल प्रकाशन के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।

गुरमीत

ले ज गुरमीत सिंह
पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, वीएसएम (से नि)

पुष्कर सिंह धामी



मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सचिवालय
देहरादून-248001

फोन : 0135-2650433

0135-2716262

फैक्स : 0135-2712827

कैम्प कार्यालय

फोन : 0135-2750033

0135-2750344

फैक्स : 0135-2752144

संदेश

मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है कि कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के विभागों में संचालित योजनाओं के साथ-साथ प्रथम बार उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों/निदेशालयों/पी.एस.यू./निगमों/प्राधिकरणों/आयोगों/बैंकों आदि द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं/सेवाओं/कार्यों की व्यवहारिक भाषा में जानकारी आम जनमानस तक सुगमता से उपलब्ध कराये जाने हेतु "मेरी योजना" पुस्तक के प्रथम संस्करण में प्रकाशित की जा रही है, ताकि प्रदेशवासी इन महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के कार्यों/सेवाओं से भिड़ हो सकें एवं लाभ प्राप्त कर सकें।

मेरी ओर से "मेरी योजना" पुस्तक के प्रथम संस्करण के प्रकाशन पर कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मिकों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई।

(पुष्कर सिंह धामी)

राधा रतूड़ी, भा.प्र.से.



मुख्य सचिव

उत्तराखण्ड शासन
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस भवन
राज्य सचिवालय, देहरादून
फोन : (का.) 0135-2712100
2712200

फैक्स : 0135-2712500
ई-मेल : cs-uttarakhand@nic.in
chiefsecyuk@gmail.com

दिनांक : 22 नवम्बर 2024

संदेश

मुझे अति प्रसन्नता हो रही है कि कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा गत वर्ष जहां राज्य के महत्वपूर्ण विभागों की विभिन्न योजनाओं/सेवाओं का संकलन कर सरल भाषा में "मेरी योजना" पुस्तक प्रकाशित की गयी, वहीं इस वर्ष भारत सरकार के उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित विभिन्न विभागों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों/निदेशालयों/पी.एस.यू./निगमों/प्राधिकरणों/आयोगों/बैंकों आदि द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं/सेवाओं/कार्यों की जानकारी सरल हिन्दी भाषा में लिखकर "मेरी योजना" पुस्तक के प्रथम संस्करण में प्रकाशित की जा रही है, जो राज्य की समस्त जनता के लिए लाभकारी सिद्ध होगी।

इस पुस्तिका के सफल प्रकाशन हेतु कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग की पूरी टीम को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।


(राधा रतूड़ी)

दीपक कुमार
सचिव



उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड शासन
कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग,
4 सुभाष मार्ग,
देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2664127

सदेश

गतवर्ष, कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा उत्तराखण्ड सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी, योजनाओं की जानकारी को सरल भाषा में संकलित करते हुए “मेरी योजना” पुस्तक का प्रथम संस्करण प्रकाशित किया गया। पूर्व पुस्तक की सफलता के उपरान्त तथा इस प्रकार के अभिनव प्रयासों को देखकर मा. राज्यपाल एवं मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा केन्द्र सरकार के उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित विभिन्न प्रतिष्ठानों द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं/सेवाओं/कार्यों की जानकारी आम जनमानस तक पहुंचाये जाने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके एवज में “मेरी योजना” पुस्तक का केन्द्र सरकार का प्रथम संस्करण तैयार किया गया।

इस पुस्तक में केन्द्र सरकार के लगभग 80 प्रतिष्ठानों की जानकारी सरल हिन्दी भाषा में उल्लिखित की गयी है, जिसमें योजनाओं/सेवाओं का नाम, लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया का उल्लेख तथा जिन प्रतिष्ठानों की सूचना इस प्रारूप में नहीं है, का भी संक्षिप्त विवरण एवं उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों का विवरण उल्लिखित किया गया है, ताकि राज्य के नागरिक, राज्य में स्थापित केन्द्र सरकार के इन महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सेवाओं/कार्यों का लाभ एवं जानकारी प्राप्त कर सकें। राज्य की आमजन मुख्यतः राज्य के विभागों से ही जुड़ी होती है, जिससे केन्द्र सरकार के प्रतिष्ठानों की उन्हें कम जानकारी होती है।

इस पुस्तक को कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग की पूरी टीम के अपार सहयोग एवं अथक प्रयासों और कड़ी लगन के बिना मूर्त रूप देना असम्भव था, साथ ही केन्द्र सरकार के उपरोक्त प्रतिष्ठानों के प्रमुखों एवं उनके अधीनस्थ अन्य अधिकारीगणों जिनके द्वारा अपने विभागों से सम्बन्धित आवश्यक सेवाओं/योजनाओं/कार्यों का संकलन, संबंधित सूचनायें तथा विवरण उपलब्ध कराये जाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया, का भी आभार व्यक्त करता हूँ।

अन्त में, विशेष मार्गदर्शक के रूप में प्रेरणास्रोत रहे प्रदेश के मा. राज्यपाल एवं मा. मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव महोदय का “मेरी योजना” पुस्तक के ‘केन्द्र सरकार’ प्रथम संस्करण को मूर्त रूप दिये जाने में अभिप्रेरित/प्रोत्साहित किये जाने हेतु हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

(दीपक कुमार)

अनुक्रमणिका

उत्तराखण्ड में स्थापित केन्द्र सरकार के संस्थान/विश्वविद्यालय/विभाग/संगठनों की सेवाओं/कार्यों का विवरण

क्र. सं.	उत्तराखण्ड में स्थापित केन्द्र सरकार के संस्थान/ विश्वविद्यालय/ विभाग/ संगठनों का नाम	सेवायें/योजनाएं/कार्य/संक्षिप्त विवरण, जो पुस्तक में उल्लिखित है।	पृष्ठ संख्या
1	हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर पौड़ी (HNBGU)	- संक्षिप्त परिचय - इनोवेशन सेल - सेंट्रल लाइब्रेरी - डा० अम्बेडकर सेंटर फॉर एक्सीलेंसी - आउटरीच कार्यक्रम	23–25
2	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, देहरादून (IGNOU)	संक्षिप्त परिचय (1). अनुसूचित जाति/जनजातीय उपयोजना (2) अग्निवीरों के लिए 'अग्निपथ योजना' (3) कौशल विकास केन्द्रों पर इग्नू के विस्तारण केन्द्रों की स्थापना (4) नई शिक्षा नीति 2020 के तहत विभिन्न नये कौशल विकास कार्यक्रमों का संचालन (5). आई. टी.आई प्रशिक्षणार्थियों के लिए उच्च शिक्षा उन्नयन के कार्यक्रमों का संचालन	26–29
3	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, देहरादून (NIOS)	- संक्षिप्त परिचय - लक्ष्य समूह - प्रवेश - क्रेडिट स्थानांतरण (TOC) (1) कक्षा 10 (माध्यमिक पाठ्यक्रम) (31 जुलाई को 14 वर्ष आयु पूरे) (2) कक्षा 12 (उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम) (31 जुलाई को 15 वर्ष पूरे) (3). 100 से ज्यादा व्यावसायिक पाठ्यक्रम (4). मुक्त बेसिक शिक्षा कार्यक्रम (ओबीई) (5) एनएचएम के सहयोग से आशा परियोजना	30–33
4	केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, देहरादून (CBSE)	(1) द्वितीय शैक्षणिक दस्तावेज प्रणाली (DUPLICATE ACADMIC DOCUMENT SYSTEM) (अंक प्रमाणपत्र, सनद या उत्तीर्णता प्रमाणपत्र व प्रवास प्रमाणपत्र) (2) डिजिलॉकर (3) API SETU (4) बोर्ड के संबद्धता उप-नियम (5). अन्तर विद्यालय (Inter School) कक्षा 10वीं एवं 12वीं में सीधा प्रवेश (6). विषय परिवर्तन (7). कक्षा 10वीं एवं 12वीं का परीक्षा परिणाम (8). अंको के मूल्यांकन, मूल्यांकित उत्तरपुस्तिका की फोटोकॉपी एवं उत्तर (रों) का पुनर्मूल्यांकन (9) ई हरकारा e-HARKARA (10) शिकायत एवं सुझाव (11) छात्र/छात्रा के कक्षा 10वीं व 12वीं शैक्षणिक दस्तावेजों में विवरण संशोधन।	34–39
5	भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, देहरादून (IIRS)	(1) संक्षिप्त विवरण	40–41
6	भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून (IIP)	(1) संक्षिप्त परिचय (2) कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (3) विश्लेषणात्मक सीएसआईआर (AnalytiCSIR) पोर्टल (4) अपशिष्ट प्लास्टिक प्रौद्योगिकी (5) बायो- जेट ईंधन प्रौद्योगिकी (6) जनपद चम्पावत में आजीविका सृजन और महिला सशक्तिकरण के लिए 50 किलो/घंटा क्षमता का पिरुल से ब्रिकेट बनाने की इकाई प्रस्तावित।	42–44

7	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की (IIT)	■ संक्षिप्त परिचय (1) पूर्वस्नातक कोर्स (B.Tech/ Bachelor of Science/ B.Arch./ Dual Degree BS-MS/ Integrated M.Tech/ Integrated M.Sc) (2) स्नातकोत्तरकोर्स (M.Tech) M.Arch., MURP) (3). स्नातकोत्तरकोर्स— एम.टेक. बांध सुरक्षा एवं पुनर्वास (M.TECH. DAM SAFETY AND REHABILITATION) (4) स्नातकोत्तरकोर्स— एम.एस.सी. (M.Sc)(बायोटेक्नोलॉजी विषय को छोड़कर) (5) स्नातकोत्तरकोर्स—एम.एस.सी.— बायोटेक्नोलॉजी (M.Sc. - Biotechnology) (6) डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (Ph. D) (7) मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA) (8) कार्यकारी एम.बी.ए (Executive MBA) (9) इंडस्ट्री प्रोफेशनल के लिए एम.टेक (वी.एल.एस.आई.) M. Tech (VLSI)	45—49
8	केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की (CBRI)	•संक्षिप्त विवरण •दृष्टि (विजन) •उद्देश्य (मिशन) •प्रमुख गतिविधियाँ •प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण •आरएंडडी समूह •अनुसंधान एवं विकास प्रबंधन कार्यालय •अनुसंधान योजना और व्यवसाय विकास •आउटरीच और प्रसार सेवाएं •सीएसआईआर—सीबीआरआई संगठनात्मक आरेख •सीएसआईआर—सीबीआरआई — आउटरीच और प्रसार सेवाएँ •गतिविधियाँ • सीएसआईआर — एकीकृत कौशल पहल • सीएसआईआर समन्वित जिज्ञासा 2.0 •छात्र प्रशिक्षण •प्रौद्योगिकी/तकनीकी जानकारी प्रक्रिया — उद्योगों, गैर सरकारी संगठनों, जन साधारण के लिए •विभिन्न तकनीकों को वाणिज्यिक और आवास में सीधे कार्यान्वयन (प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से) •विशेष कार्यक्रम/यात्रा •व्याख्यान श्रृंखला •संस्थान प्रकाश •वैज्ञानिक एवं नवीन अनुसंधान अकादमी / Academy of Scientific & Innovative Research (AcSIR)	50—62

9	<u>भारतीय प्रबन्ध संस्थान, काशीपुर ऊधमसिंह नगर (IIM)</u>	• मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA) • मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन एनालिटिक्स (MBAA) • एकजीक्यूटिव मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (EMBA) • एकजीक्यूटिव मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन एनालिटिक्स (EMBA) • एकजीक्यूटिव मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन एनालिटिक्स (ईएमबीएए) • कार्यकारी विकास कार्यक्रम – ऑनलाइन प्रमाणपत्र कार्यक्रम • नवाचार-डिजाइन इनोवेशन सेंटर • डिजाइन नवाचार के लिए राष्ट्रीय पहल (NIDI) स्टार्टअप और नवाचार को प्रोत्साहित करती योजनाएं • फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्यूरशिप डेवलपमेंट (FIED) • आरकेवीवाई रफ्तार एग्री बिजनेस इनक्यूबेशन प्रोग्राम (RABI)– कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार • स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना – उद्योग और आंतरिक व्यापार विकास विभाग (DPIIT), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।	63–70
10	<u>सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, आईटी पार्क देहरादून। (STPI)</u>	• सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का संक्षिप्त परिचय • एसटीपीआई के उद्देश्य/कार्य इस प्रकार हैं : (1) एनजीआईएस चुनौती (NGIS CHUNAUTI) कार्यक्रम (2) ऊष्मायन सुविधाएं (Incubation facilities)	71–74
11	<u>अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (ऋषिकेश) (AIIMS)</u>	(1). बाह्य रोगी (OPD) सेवा (2). ऑनलाइन नियुक्ति (3) टेलीमेडिसिन सेवाएं (4) हेली आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं (5). एम्स, ऋषिकेश की एम्बुलेंस सेवाएं (6) रोबोटिक सर्जरी स्वास्थ्य सेवा में क्रांति (7) जन औषधि केंद्र स्टोर सेवाएँ (8) एम्स ऋषिकेश में अंग प्रत्यारोपण (9) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (10) आयुष्मान भारत योजना (11) आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (आभा कार्ड) (12) राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (13) राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम-निक्षय पोषण योजना (14) मरीज कल्याण प्रकोष्ठ (Patient Welfare Cell) (15) एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (AIDS control programme) (16) विभिन्न पाठ्यक्रमों का आयोजन।	75–80
12	<u>राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, देहरादून (NIESBUD)</u>	(1). संक्षिप्त विवरण (2). रोजगार/स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में (3). NIESBUD स्कूल, कॉलेजों और संस्थान के छात्रों को संस्थान दौरे की अनुमति देता है। संस्थान विजिट प्रक्रिया विधि	81–82

13	<u>केंद्रीय पेट्रोसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, देहरादून (CIPET)</u>	संक्षिप्त परिचय (1). डिप्लोमा कार्यक्रम 3 वर्षीय — प्लास्टिक टेक्नोलॉजी • प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी (2). उत्तराखंड रिकल डेवलपमेंट मिशन उत्तराखंड वर्क फोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (डोमेन एक्सपर्ट योजनान्तर्गत) (3). प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) (4). पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड (CSR योजनान्तर्गत) (5). सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय (MSJE), भारत सरकार के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (NSFDC) (PM&DAKSH योजनान्तर्गत) (6). तकनीकी सेवाये, प्लास्टिक उत्पादों को संस्थान में बनाकर, अपने क्षेत्र में बेचने की प्रक्रिया, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में जागरूकता। (7). सिपेट में भ्रमण करने हेतु प्रक्रिया।	83—86
14	<u>नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी (NIM)</u>	नेहरू पर्वतारोहण संस्थान संक्षिप्त परिचय (1). बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स (28 दिन) (2). एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स (28 दिन) (3). सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स (21 दिन) (4). मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन कोर्स (21 दिन) (5). एडवेंचर कोर्स (14 दिन) (6). बेसिक स्कीइंग कोर्स (14 दिन) (7). इंटरमीडिएट स्कीइंग कोर्स (14 दिन) (8). स्पोर्ट्स क्लाइम्बिंग कोर्स (11 दिन) (9). बेसिक माउंटेन टेरेन बाइक (बीएमटीबी) कोर्स (11 दिन) (10). एडवांस माउंटेन टेरेन बाइक (एएमटीबी) कोर्स (11 दिन) उक्त के अतिरिक्त संस्थान द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों, संगठनों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, स्कूलों और गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के लिए विशेष और अनुकूलित पाठ्यक्रम द्वारा आयोजित पाठ्यक्रम— (1). स्पेशल बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स (2). स्पेशल एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स (3). स्पेशल खोज एवं बचाव कोर्स (4). माउंटेन गाइड कोर्स (5). लो एल्टीट्यूड गाइड कोर्स (6). हाई एल्टीट्यूड गाइड कोर्स (7). स्पेशल एडवेंचर कोर्स (8). लीडरशिप और टीम बिल्डिंग कोर्स (9). ट्रेन द ट्रेनर (10) स्पेशल स्कीइंग कोर्स	87—97
15	<u>राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून (NIEPVD)</u>	- संक्षिप्त परिचय 1. दिव्यांग छात्रों के लिए कोचिंग योजना 2. क्रॉस डिसेबिलिटी शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र (सीडी— ईआईसी) 3. दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए सहायता (एडिप) 4. दृष्टिबाधित सिपडा (SIPDA) योजना के तहत सुलभ शिक्षण सामग्री के विकास के लिए वित्तीय सहायता पर परियोजना निपवेड द्वारा दी जा रही अन्य सेवाएं:— - मानव संसाधन विकास कार्यक्रम • बाल वाटिका - स्कूली शिक्षा आदर्श विद्यालय (प्री.-स्कूल स्टेज से लेकर सीनियर सेकेंडरी लेवल तक) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध • कौशल विकास एवं आर्थिक सशक्तिकरण • सुगम्यता स्थानन सेवाएं • ब्रेल उपकरणों व्यवस्था • सुगम्य पुस्तकालय • मीडिया उत्पादन इकाई	98—106

16	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, नैनीताल (IVRI)	(1). . अनुसूचित जाति उपयोजना (SCSP) (2). जनजातीय उपयोजना (TSP) (3). पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (एलएच और डीसीपी) के अंतर्गत बकरी प्लेग (PPR) उन्मूलन कार्यक्रम (4). पशु-चिकित्सा विज्ञान में डॉक्टरेट (PhD) कार्यक्रम (5). पशु-चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर (M-V-Sc) कार्यक्रम (6). स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम i- विषाणु टीका उत्पादन और गुणवत्ता मूल्यांकन ii- वैज्ञानिक विधि द्वारा शीतोष्ण क्षेत्र में पशु पालन (7). सर्टिफिकेट / व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रशिक्षण	107–112
17	आर्यभट्ट प्रेषण विज्ञान शोध संस्थान, नैनीताल (ARIES)	• एरीज का संक्षिप्त परिचय (1). वेधशाला (Observatory) क्या होती है? (ख) संगठन के अनुसंधान क्षेत्र: -खगोलविज्ञान, खगोल भौतिकी, वायुमंडलीय विज्ञान (ग) एरीज में विद्यमान प्रमुख राष्ट्रीय सुविधाएँ एवं उनकी उपयोगिता :- 3.6 मीटर देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप (2). अंतर्राष्ट्रीय तरल दर्पण टेलिस्कोप (आई एल एम टी) (3). समतापमंडल क्षोभमंडल रडार (Stratosphere Troposphere Radar, ST Radar) (4). आदित्य एल 1 विज्ञान सहायता केंद्र – (घ) अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ 1-पब्लिक आउटरीच 2-डॉक्टरेट (PHD) कार्यक्रम 3-पोस्टडॉक्टोरल कार्यक्रम 4-विजिटिंग स्टूडेंट्स कार्यक्रम	113–117
18	भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद-वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून (ICFRE-FRI)	(1). भ.वा.अ.शि.प.-वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में लघु अवधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम- 2024 (2). कम लागत वाले अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमकाष्ठ सेवाओं का वाणिज्यिक संशोधन (3). वन अनुसंधान संस्थान सम विश्वविद्यालय एम.एस. सी. प्रवेश परीक्षा (4). परीक्षण सेवाएँ (5). भौतिक एवं यांत्रिक परीक्षण (6). संरक्षण परीक्षण एवं परिरक्षक उपचार सेवाएँ	118–124
19	भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून (WLII)	• संक्षिप्त परिचय • हमारा उद्देश्य • वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता निर्माण • अनुसंधान कार्य • उत्तराखंड राज्य में भारतीय वन्यजीव संस्थान की मौजूदगी (1). नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत की जा रही गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण (2). नंदा देवी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र (NDBR), संक्रमण क्षेत्र Transition Zone को ध्यान में रखकर एक व्यापक जैव विविधता संरक्षण प्रबंधन योजना विकसित करना (3). केदारनाथ, हेमकुंड साहिब, गंगोत्री और यमुनोत्री क्षेत्रों में पर्यटकों/तीर्थयात्रियों के लिए उपलब्ध बुनियादी ढांचे का मूल्यांकन (4). हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन (National mission on Sustaining Himalayan Ecosystem)	125–128
20	विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोडा (VPKAS)	■ मक्का • सोयाबीन • जनजातीय उप योजना • कृषक गोष्ठी और कृषक – वैज्ञानिक संवाद • अनुसूचित जाति उपयोजना परियोजना • अन्य प्रशिक्षण	129–130

21	गोविन्द बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान, कोसी अल्मोड़ा (GBPIHD)	(1). राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन (एन.एम.एच.एस.) https://nmhs.org.in/ (2). समन्वित पारिस्थितिकीय विकास अनुसंधान कार्यक्रम (IERP) (3). ग्रामीण तकनीकी परिसर https://gbpihed.gov.in/RTC_hi.php (4). हरित कौशल विकास कार्यक्रम (5). संस्थान द्वारा प्रदूषण नियंत्रण संबंधी किये गये अध्ययन	131—133
22	वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान, देहरादून (WIHG)	(1).एस.पी. नौटियाल संग्रहालय (2). परामर्शी सेवाएं (3). AcSIR के अंतर्गत छात्र कार्यक्रम (4). कौशल विकास (5). आउटरीच कार्यक्रम (6). राष्ट्रीय संगोष्ठियां	134—136
23	राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की (NIH)	● संक्षिप्त परिचय	137
24	निदेशालय कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च, भीमताल नैनीताल (ICAR-DCFR)	● भारत में शीतजल मात्स्यिकी का विकास एवं अनुसंधान एक परिचय ● भारत सरकार की अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन की विधाओं में प्रशिक्षण ● भारत सरकार की अनुसूचित जनजाति उपयोजना (TSP) के अन्तर्गत मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन की विधाओं में प्रशिक्षण	138—140
25	सहकारी प्रबन्ध संस्थान—देहरादून (ICM)	(1). मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (रेगुलर) MBA (R) (2). बेचलर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (रेगुलर) BBA (R) (3). हायर डिप्लोमा इन कॉर्पोरेटिव मैनेजमेंट (रेगुलर) HDCM (R) (4). हायर डिप्लोमाईन कॉर्पोरेटिव मैनेजमेंट (पत्राचार) HDCM(C) (5). डी0जी0आर (DGR) (1) सेल्समैनेजमेंट में सर्टिफिकेट कोर्स (2) रिटेलमैनेजमेंट में सर्टिफिकेट कोर्स (3) इन्डिस्ट्रियल मैनेजमेंट में सर्टिफिकेट कोर्स उद्यमिता विकास में सर्टिफिकेट कोर्स (6). अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम (Short Term Courses) (7). नाबार्ड द्वारा कृषि एवम् सहकारिता क्षेत्र के समग्र विकास हेतु प्रायोजित कार्यक्रम	141—142
26	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी देहरादून (LBSNA)	● संक्षिप्त परिचय	143
27	केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान संस्थान, देहरादून। (IISWC)	● संक्षिप्त परिचय ● संस्थान का मुख्य उद्देश्य ● प्रमुख उपलब्धियां – अनुसंधान ● मानव संसाधन विकास/प्रशिक्षण कार्य ● परामर्श क्षेत्र ● नवीनतम अनुसंधान एवं विकास गतिविधियाँ	144—145
28	बीएसएफ इंस्टीट्यूट ऑफ एडवेंचर एण्ड एडवांस ट्रेनिंग, डोईवाला देहरादून। (BIAAT)	● संक्षिप्त परिचय	146

29	राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय , देहरादून। (NCC)	(अ) मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना (ब) राज्य/मुख्य मंत्री स्वर्ण/रजत पदक प्रोत्साहन पुरस्कार 1. राज्य/मुख्य मंत्री स्वर्ण/रजत पदक प्रोत्साहन पुरस्कार 2. एन०सी०सी० कैडेट बनने से लाभ	147—149
30	भारत तिब्बत सीमा पुलिस मुख्यालय देहरादून (ITBP)	(1). प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना (2). भा.ति.सी. पुलिस बल स्पेशल वैल्फेयर फण्ड से सहायता (3). भारत तिब्बत सीमा पुलिस में भर्ती की प्रक्रिया (4). भारत तिब्बत सीमा पुलिस की कैटीन में उत्तराखण्ड के स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किये गये सामान की बिक्री कैसे की जाती है, की प्रक्रिया।	150—152
31	भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून (IMA)	अधिकारियों का चयन • स्थायी कमीशन का अर्थ • भारतीय सैन्य अकादमी • विश्वविद्यालय प्रवेश योजना • आईसी (पुरुष) • अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, गया • शॉर्ट सर्विस कमीशन या लघु सेवा आयोग • पुरुष और महिला, दोनों के लिए मुख्य प्रविष्टि • शॉर्ट सर्विस कमीशन (जे ए जी)	153—156
32	सशस्त्र सीमा बल सीमांत मुख्यालय, अल्मोड़ा (SSB)	(1). निःशुल्क मानव चिकित्सा शिविर (2). निःशुल्क पशु चिकित्सा शिविर (3). सीमावर्ती विद्यालय के विद्यार्थियों हेतु भारत भ्रमण कार्यक्रम (4). केंद्रीय सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को सीमावर्ती ग्रामीणों को बताना तथा उसे प्राप्त करवाने में आवश्यक सहयोग देना। (5).मानव संसाधन कार्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न रोजगार परक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन (i) सिलाई प्रशिक्षण (ii) ब्यूटीशियन प्रशिक्षण (iii) आधुनिक कृषि तकनीकों के बारे में जानकारी (iv) आधुनिक कृषि प्रयोगों के बारे में जानकारी (v) उन्नत बीजों का वितरण (vi) बकरी के बच्चे/ मुर्गी के चूजे का वितरण (6). सामुदायिक केन्द्रों की मरम्मत, सोलर लाइट का वितरण, पानी के टैंक का वितरण इत्यादि (7). खेल संसाधनों का विकास (8). छात्र/छात्राओं हेतु कंप्यूटर प्रशिक्षण (9). विद्यालयी छात्र/छात्राओं को सेना केंद्रीय पुलिस बलों में भर्ती हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम	157—158
33	प्रादेशिक सेना एवं 127 प्रादेशिक सेना पर्यावरण बल, देहरादून।	• प्रादेशिक सेना का संक्षिप्त परिचय तथा कार्य • 127 प्रादेशिक सेना की स्थापना • यूनिट का कार्य क्षेत्र और उपलब्धियाँ (1). शाहजहांपुर पायलट प्रोजेक्ट (मोहण्ड) (2). क्यारकुली माइक्रो कैचमेंट ईको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (मसूरी) (3). अगलार वाटरसेड ईको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मुख्य क्षेत्र थत्यूड़ टिहरी गढवाल (4). बद्रीवन/माणा/मलारी परियोजना (5). जौनसार/भाबर इको डेवलपमेंट परियोजना (6). देवर खडोरा परियोजना (7).लखवाड परियोजना (8). कुरुड़ परियोजना (9). सहिया परियोजना (10). कुरुड़ परियोजना	159—163

34	छावनी परिषद, गढ़ी कैंट, देहरादून।	संक्षिप्त विवरण • कर्तव्य (1). पॉलिथीन कचरा बैंक (2). सामान्य खाद/वर्मी कम्पोस्ट खाद (3). जन्म व मृत्यु पंजीकरण व प्रमाणपत्र सेवा (4). ई-छावनी पोर्टल (जल संयोजन) (5). ई-छावनी पोर्टल ओ.बी.पी.एस. माड्यूल (ऑनलाइन बिलडिंग प्लान माड्यूल सिस्टम) (6). ई-छावनी पोर्टल (संपत्ति म्यूटेशन) (7). ई-छावनी पोर्टल (कर, गैर व इत्यादि शुल्क जमा करने हेतु सुविधा) (8). ई-छावनी पोर्टल (जन शिकायत निवारण पोर्टल) (9). ई-छावनी पोर्टल (ट्रेड लाइसेंस) (10). प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (11). 60 वर्ष से ऊपर वरिष्ठ नागरिकों हेतु स्वाभिमान केन्द्र नाम से डे-केयरसेंटर (12). आयुर्वेदिक अस्पताल (पंचकर्मा सेंटर)	164—170
35	ऑयल एण्ड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन लि०, देहरादून (ONGC)	(1). नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम (2). खेल छात्रवृत्ति योजना ONGC की छात्रवृत्ति:- (1). SC-ST श्रेणी के उत्कृष्ट छात्रों के लिए (2). OBC श्रेणी के उत्कृष्ट छात्रों के लिए (3). सामान्य श्रेणी के उत्कृष्ट छात्रों के लिए	171—172
36	टिहरी जल विकास निगम लि० ऋशिकेश, देहरादून (THDC)	संक्षिप्त विवरण	173—174
37	इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड एवं आयुध निर्माणी, रायपुर देहरादून। (IOL)	संक्षिप्त विवरण • ऑप्टेल, देहरादून के मुख्य प्रशिक्षण क्षेत्र 1. योगा केन्द्र, सीनियर क्लब इंडिया ऑप्टेल रायपुर देहरादून 2 लाइफ सेंटर	175—177
38	रक्षा इलेक्ट्रॉनिकी प्रयोगशाला (DEAL) एवं रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन (DRDO) देहरादून।	- रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स अनुप्रयोग प्रयोगशाला (DEAL) • सैटेलाइट—NATSAT के माध्यम से नेविगेशन हिमस्खलन चेतावनी और ट्रेकिंग • मानव संसाधन पहल • प्रयोगशाला का इतिहास - दूर-दर्शिता • उद्देश्य • कार्य-क्षेत्र • अकादमिक अनुसंधान एवं विकास हेतु • अकादमिक-अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना हेतु	178—180
39	उत्तर रेलवे, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद	(1). दिव्यांगजन कार्ड (2). कैंसर व अन्य बड़ी / लाइलाज बीमारियों में रियायत (3). खान पान यूनिट (4). एक स्टेशन एक उत्पाद (5). जन औषधि केंद्र (6). समाजसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित बुकस्टाल	181—186

40	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, देहरादून। (RPO)	1. नए पासपोर्ट जारी करना: ➤ यदि पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो आप नए पासपोर्ट(सामान्य/ सरकारी/डिप्लोमेटिक पासपोर्ट) के लिए आवेदन कर सकते हैं। 2. निम्न कारणों से पासपोर्ट पुनः जारी करना: ➤ वर्तमान व्यक्तिगत विवरण में परिवर्तन। • वैधता 3 वर्ष के भीतर समाप्त हो गई/एक वर्ष के भीतर समाप्त होने वाली है। • वैधता 3 वर्ष से अधिक समय पहले समाप्त हो गई। • पासपोर्ट में पन्नें पूरे भर गये हों। • पासपोर्ट क्षतिग्रस्त या पासपोर्ट खो गया। 3. विविध सेवायें : ➤ पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (PCC) जारी करना। ➤ ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम (GEP) के लिए पृष्ठभूमि सत्यापन: अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमासुरक्षा ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम (GEP) के साथ नामांकित भारतीय नागरिकों के लिए पृष्ठभूमि सत्यापन करना। समर्पण (सरेंडर) प्रमाणपत्र: भारतीय नागरिकता त्यागने और विदेशी राष्ट्रियता प्राप्त करने के लिए पासपोर्ट कार्यालयों में भारतीय पासपोर्ट धारक को भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करना।	187—188
41	विदेश मंत्रालय, भारत सरकार	(1). प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार (PBSA) (2). प्रवासी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम (SPDC) (3). भारतीय समुदाय कल्याण कोष (4). प्रस्थान-पूर्व अभिमुखीकरण प्रशिक्षण (PDOT) (5). प्रवासी भारतीय बीमा योजना (PBBY) (6). मदद पोर्टल (7). उत्प्रवास मंजूरी (EC) (8). उत्प्रवास में कल्याणकारी उपाय और ई-गवर्नेंस – ई-माइग्रेट (9). . प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र (PBSK) और क्षेत्रीय प्रवासी सहायता केंद्र (KPSK) (10). विदेश में मरने वाले भारतीयों के पार्थिव अवशेषों का परिवहन (11). पासपोर्ट सेवाएँ (12). दस्तावेजों का सत्यापन	189—194
42	केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, देहरादून। (CGST)	(1). उपभोक्ता कल्याण कोष (2). जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया (3). . यदि कोई जीएसटी कर चोरी करे, तो संबंधित सूचना कहां दी जा सकती है।	195—196
43	आयकर विभाग, देहरादून।	(1). आयकर सेवा केन्द्र (2). ई-फाइलिंग (3). 80 वर्ष से अधिक करदाता को आनलाईन ई-फाइलिंग में छूट (4). AIS App (5). CPC (6). Grievance Redressal (7). चेहरा रहित योजना	197—198
44	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून (NHAI)	(1). राष्ट्रीय राजमार्ग पर आम जनता के लिए टोल फ्री नंबर “1033” (2). टोल शुल्क में दी गयी छूट प्राप्त फास्टैग (3). देश भर में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों की प्रक्रिया	199—202

45	भारतीय विमानपतन प्राधिकरण (AAI), जॉलीग्रंट, देहरादून एवं, पंतनगर, ऊधमसिंह नगर	➤ भारतीय विमानपतन प्राधिकरण (AAI), जॉलीग्रंट, देहरादून (1).एस.एच.जी रिटेल शॉप (2). क्षेत्रीय उड़ान संपर्क योजना (3). सी.एस.आर.स्कीम (4). रिजर्वेशन काउंटर (5). टोलफ्री नंबर के संबंध में ➤ भारतीय विमानपतन प्राधिकरण (AAI), पंतनगर, उधमसिंह नगर (1).एयरपोर्ट विस्तारीकरण (2). क्षेत्रीय उड़ान सम्पर्क योजना (3). सी.एस.आर. स्कीम (4). समर विंटर सारणी	203–204
46	भारत संचार निगम लि0 देहरादून (BSNL)	(1). भारतनेट परियोजना (2). 4G संतृप्ति परियोजना • बीएसएनएल व्यापार मण्डल	205–207
47	दूरसंचार विभाग एवं बेतार अनुश्रवण केन्द्र देहरादून।	(1). तरंग संचार पोर्टल (2).संचार साथी पोर्टल (3). PM-WANI योजना (4).राज्यों को दूरसंचार आधारभूत संरचना हेतु विशेष सहायता योजना (5).मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सुविधा बेतार अनुश्रवण केन्द्र – सरल संचार पोर्टल	208–213
48	केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, कार्यालय कल्याण आयुक्त, देहरादून।	• संक्षिप्त विवरण	214
49	जनगणना निदेशालय, देहरादून	• संक्षिप्त विवरण • राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) • जन्म–मृत्यु पंजीकरण	215–216
50	खादी और ग्रामोद्योग आयोग, देहरादून (KVIC)	(1). खादी विकास योजना (क) संशोधित विपणन विकास सहायता (एमएमडीए) वित्तीय सहायता (ख) ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण पत्र योजना (आईसेक) (ग) खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड योजना (घ) मौजूदा कमजोर खादी संस्थाओं के बुनियादी ढांचे का सुदृढीकरण और विपणन बुनियादी ढांचे के लिए सहायता (ङ) बाज़ार संवर्धन (प्रदर्शनी) (ट) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एस एंड टी) योजना (2). ग्रामोद्योग विकास योजना (क) हनी मिशन कार्यक्रम (ख) कुम्हार सशक्तिकरण कार्यक्रम (ग) चर्मशिल्प कार्यक्रम (घ) ग्रामीण इंजीनियरिंग एवम् नवीन प्रौद्योगिकी उद्योग (RENTI) (3). सेवा उद्योग (SI) प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, मोबाइल रिपेयरिंग, एसी रिपेयरिंग तथा सिलाई मशीन ऑपरेटर योजना (4). प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना (5). परंपरागत उद्योगों के पुर्नसृजन हेतु निधि की योजना (स्फूरती) (6). क्षमता निर्माण और कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम KVIC	217–231

51	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, देहरादून (NHB)	(1). राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के बारे में (2). राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड योजनाओं के लक्ष्य और उद्देश्य (3). उत्तराखण्ड में बागवानी योजना सं .1 (क) बागवानी फसलों के उत्पादन और फसलकटाई उपरांत प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास, (ख) परियोजना मोड पर खुली क्षेत्र की परिस्थितियों में वाणिज्यिक बागवानी विकास परियोजना मोड पर संरक्षित कवर में वाणिज्यिक बागवानी विकास (ग) समेकित फसल उपरान्त कटाई प्रबंधन परियोजनाएं योजना सं 2 (क) बागवानी उत्पाद के लिए शीत संग्रहगार और संग्रहगारों के निर्माण आधुनिकीकरण/सब्सिडी योजना लिए पूंजी निवेश बागवानी को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी विकास और हस्तांतरण	232–240
52	केन्द्रीय रेशम बोर्ड प्रेमनगर, देहरादून। (CSB)	1. द्विपज संकर बीज का उत्पादन एवं आपूर्ति	241
53	भारतीय खान ब्यूरो, देहरादून (IBM)	संक्षिप्त परिचय	242
54	केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड/जल शक्ति मंत्रालय, देहरादून (CGWB)	(1). GWMR-Monitoring of Ground water level and quality across the State/ जीडब्ल्यूएमआर-राज्य भर में भूजल स्तर और गुणवत्ता की निगरानी। (2). GWMR-Ground water Resource Estimation of Uttarakhand State/ जीडब्ल्यूएमआर-उत्तराखण्ड राज्य का भूजल संसाधन अनुमान (3). GWMR-PMKSY-HKKPGW/डब्ल्यूएमआर-पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी-जीडब्ल्यू (4). GWMRIEC activities/ जीडब्ल्यूएमआर आईईसी गतिविधियाँ (5). GWMR Central Ground Water Authority/ जीडब्ल्यूएमआर केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण।	243–245
55	केन्द्रीय जल आयोग, देहरादून (CWC)	• संक्षिप्त विवरण • उत्तराखण्ड में केन्द्रीय जल आयोग के कार्यों का अवलोकन (1). जल-मौसम संबंधी प्रेषण (2). वास्तविक काल आंकड़ा अधिग्रहण प्रणाली (3). बाढ़ पूर्वानुमान (4). जल गुणवत्ता प्रयोगशाला (5). गंगा नदी पर ई-प्रवाह निगरानी (6). हिमनद झीलों और जलाशय की निगरानी (7). परियोजनाओं का मूल्यांकन और निगरानी (8) बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना (DRIP) केन्द्रीय जल आयोग के कार्य में सम्बंधित विभाग • केन्द्रीय जल आयोग के कार्य में सम्बंधित विभाग।	246–248
56	विकास आयुक्त हस्तशिल्प कार्यालय देहरादून।	(1). विपणन सहायता एवं सेवायें क) गांधी शिल्प बाजार ख) अन्य संगठनों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में निर्मित स्टॉल को किराए पर लिया जाना। ग) शिल्प प्रदर्शनी सह जागरूकता कार्यक्रम (2). डिजाइन एवं तकनीकी विकास कार्यक्रम (3). गुरु शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम (4). टूलकिट वितरण कार्यक्रम (5). कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ क. पेंशन ख. पुरस्कार:-1. शिल्प गुरु पुरस्कार 2. राष्ट्रीय पुरस्कार:-क. शिल्प श्रेणी ख. अभिनव डिजाइन पुरस्कार ग. स्टार्ट-अप उद्यम/उत्पादक कंपनी।	249–252

57	मौसम विज्ञान केन्द्र, देहरादून	संक्षिप्त विवरण (1). मौसम पूर्वानुमान और निगरानी सेवाएँ (2). कृषि मौसम परामर्श सेवा (3). जलवायु विज्ञान और डाटा आपूर्ति सेवाएँ (4). विमानन सेवाएँ।	253–255
58	प्रसार भारती दूरदर्शन केन्द्र, एवं आकाशवाणी केन्द्र, देहरादून।	(1). प्रसार भारती दूरदर्शन केन्द्र, देहरादून से प्रसारित कार्यक्रमों का विवरण (2). आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित कार्यक्रमों का विवरण।	256–258
59	भारतीय रिजर्व बैंक, वित्तीय समावेशन और विकास विभाग, देहरादून (RBI)	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं, के विरुद्ध शिकायतों का निवारण रिजर्व बैंक – एकीकृत लोकपाल योजना (RB-IOs) • अगर आपको शिकायत हो तो क्या करें • RBI लोकपाल से संपर्क कब करें • विनियमित संस्थाओं से 30 दिन के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने पर • विनियमित संस्थाओं से प्राप्त उत्तर असंतोषजनक है • RBI के पास शिकायत कैसे दर्ज करें? • RBI के पास शिकायत दर्ज करने के बारे में अधिक जानकारी कैसे प्राप्त करें।	259–260
60	भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, नई दिल्ली (SEBI)	(1). संक्षिप्त परिचय (2). गौरव योजना	261–262
61	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उत्तराखण्ड क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून (NABARD)	(1). MEDP (सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम) (2). LEDP (आजीविका उद्यमिता विकास कार्यक्रम) (3). भौतिक विपणन (4). ई-कामर्स, सोशल मीडिया प्लेटफार्म और ओएनडीसी पर आनलाइन/ डिजिटल मार्केटप्लेस पर उत्पादों के प्रशिक्षण एवं अनुदान योजना। (5). नेशनल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग फैसिलिटी (AIF) (6). कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम (7). ग्रामीण मार्ट (8). GI टैगिंग	263–267
62	हाऊसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून (HUDCO)	संक्षिप्त परिचय	268
63	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, देहरादून (SIDBI)	(1)एक्प्रेस (2)अराइज (3) स्थापन (4). (4 ई) (5) कार्यशील पूंजी (6). प्रोजेक्ट फंडिंग उत्पाद	269–272

64	चीफ पोस्ट मास्टर जनरल कार्यालय देहरादून। (CPMG)	(1)बचत खाता (SB) (2)राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र(NSC) (3)किसान विकास पत्र (KVP) (4)महिला सम्मान बचतपत्र (MSSC) (5)वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) (6)लोक भविष्य निधि (PPF) (7)सुकन्या समृद्धि खाता (SSA) (8)प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) (9).प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना(PMSBY) (10)अटल पेंशन योजना (APY) (11)नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) सिटीजन मंडल (12)डाक जीवन बीमा(PLI) योजनाएं (13)ग्रामीण डाक जीवन बीमा (RPLI) योजनाएं (14)गंगाजल प्रोजेक्ट (15)आधार नामांकन एवं अद्यतन (16)सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (17)माई स्टैम्प (18)ढाई आखर पत्र लेखन प्रतियोगिता (19)दीनदयाल स्पर्श योजना (20)कामन सर्विस सेंटर (सीएससी) (21)पासपोर्ट सेवा केंद्र (POPSK) (22)किसी ग्राम पंचायत में मिनी डाकघर खोलने की प्रक्रिया (23) डाकमित्र बनने की प्रक्रिया	273–278
65	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, देहरादून (SLBC)	• संक्षिप्त परिचय • उत्तराखण्ड में लीड बैंकों का विवरण	279–280
66	भारतीय खाद्य निगम, देहरादून (FCI)	• संक्षिप्त परिचय	281
67	भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारिता संघ, मर्यादित , देहरादून (NCCF)	1. मूल्य समर्थन योजना–रबी खरीद 2. मूल्य समर्थन योजना–खरीफ खरीद	282
68	भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित , ऊधमसिंह नगर (NAFED)	• संक्षिप्त परिचय (1). मूल्य समर्थन योजना–रबी खरीद (2). . मूल्य समर्थन योजना–खरीफ खरीद (3). . किसान उत्पादक संगठनों (FPO) का गठन और संवर्धन (4). किसान उत्पाद संगठन बनाने की प्रक्रिया एवं लाभ (5). भारत ब्रांड योजना (6). पीएसएफ के अंतर्गत खरीदे गए प्याज का रियाती दरों पर खुदरा बिक्री।	283–285
69	भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग, देहरादून (GSI)	• संक्षिप्त परिचय • भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग की विभिन्न मिशनों के तहत मुख्य गतिविधियाँ। • राज्य में आने वाली आपदाओं के समाधानों में जीएसआई का योगदान। • उत्तराखण्ड राज्य के विकास में जीएसआई का योगदान।	286–288
70	भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून (SOI)	(1). सर्वेक्षण एवं मानचित्रण (2). राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति (2022) (3). सी.ओ.आर.एस. (CORS) कन्टीन्युस ओपरेटिंग रिफरेंस स्टेशन (4). . एनएचपी (NHP): नेशनल हाईड्रोग्राफी प्रोजेक्ट (5). एनएमसीजी (NMCG) नेशनल मिशन फार क्लीन गंगा (6). . स्वामित्व	289–291
71	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, देहरादून (ASI)	• संक्षिप्त परिचय • विज्ञान शाखा • विज्ञान शाखा प्रयोगशालाएँ • किसी राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किये जाने की प्रक्रिया एवं विश्व विरासत सूची में किसी स्मारक/स्थल/सांस्कृतिक धरोहर को सूचीबद्ध करने की सूचना	292–293

72	भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग , देहरादून (BSI)	• संक्षिप्त परिचय (1). पादपालय, म्यूजियम उद्यान (2). इन हाउस प्रोजेक्ट झिलमिल कन्जर्वेशन रिजर्व एवं देहरादून की वनस्पति की पिक्टोरियल गाईड बुक (3). . स्कालर अण्डर फलोरा ऑफ इण्डिया	294—295
73	भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण विभाग , देहरादून (AnSI)	(1). क्षेत्रीय मानव विज्ञान संग्रहालय (2). अधिसदस्यता (वरिष्ठ अनुसंधान अधिसदस्य / कनिष्ठ अनुसंधान अधिसदस्य) (3). इन्टर्नशिप/ प्रशिक्षण (4). मानव जनसंख्या तथा अनुवांशिकी के अध्ययन तथा विशेष पुस्तकालय	296—297
74	भारतीय प्राणि सर्वेक्षण (ज्यूलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया) , देहरादून (ZSI)	• संस्थान का संक्षिप्त परिचय (1). प्राणि संग्रहालय एवं शोध-प्रयोगशाला (2). इन हाउस प्रोजेक्ट केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य तथा गंगोत्री नेशनल पार्क, उत्तराखण्ड (3). स्कालरो/ शोधकर्ताओं को फोना आफ इण्डिया कार्यक्रम के अर्न्तगत चयन करना। (4). संस्थान का उत्तराखण्ड में योगदान	298—299
75	राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय, देहरादून (NHO)	• संक्षिप्त विवरण	300—301
76	भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, देहरादून (FSI)	• संक्षिप्त विवरण • प्रशिक्षण • भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) के उद्देश्य:	302—303
77	प्रवर्तन निदेशालय, देहरादून (ED)	• संक्षिप्त इतिहास • प्रवर्तन निदेशालय का दायरा • अपराध दर्ज करने के लिए ईडी से संपर्क करने के लिए कुछ सामान्य मार्गदर्शन	304—305
78	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, देहरादून (CBI)	• संक्षिप्त परिचय	306
79	भारतीय मानक ब्यूरो शाखा, देहरादून (BIS)	• संक्षिप्त परिचय एवं कार्य विवरण।	307—309
80	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB)	• संक्षिप्त परिचय एवं कार्य विवरण।	310—311
81	नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जोनल यूनिट देहरादून (NCB)	• संक्षिप्त परिचय एवं कार्य विवरण।	312—313
82	आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस, किचनर लाइन्स, लैंसडाउन, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड	• अग्निवीर भर्ती के संबंध में।	314—315
आभार			316
उत्तराखण्ड में स्थापित केन्द्रीय संस्थान/विश्वविद्यालय/विभाग/संगठनों की सूची एवं पूरा पता, वैबसाइट एवं ईमेल आईडी			317—326

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर पौडी (HNBGU)



संक्षिप्त परिचय:— हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, वर्ष 1973 में एक राज्य विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया था तथा वर्ष 2009 से केंद्रीय विश्वविद्यालय बन चुका है। यह विश्वविद्यालय विभिन्न पाठ्यक्रमों में स्नातक/परास्नातक/पीएचडी, तकनीकी पाठ्यक्रम, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तथा अनुसंधान एजेंडा और अन्य आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन करता है। इस विश्वविद्यालय से कई कॉलेज भी सम्बद्ध हैं। विश्वविद्यालय वर्तमान में नई शिक्षा नीति की तर्ज पर कार्य कर रहा है। विश्वविद्यालय न्यूनतम शुल्क पर शिक्षा प्रदान कर रहा है तथा विश्वविद्यालय में कई प्रकार की सुविधाएं यथा पुस्तकालय, हॉस्टल, लैब आदि विद्यार्थियों हेतु उपलब्ध है।

इनोवेशन सेल— विश्वविद्यालय में इनोवेशन सेल की स्थापना शिक्षा मंत्रालय की पहल पर की गयी है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य युवा छात्रों को नए विचारों और प्रक्रियाओं से अवगत कराकर प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना और पोषण करना है, जिसके परिणामस्वरूप एचआईएलएस में इनोवेशन क्लबों के नेटवर्क के माध्यम से उनके प्रारंभिक वर्षों में नवीन गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है।

सेंट्रल लाइब्रेरी – सत्र 2022-23 में विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय ने पुस्तकालय उपयोगकर्ताओं (छात्रों, शोधकर्ताओं और संकाय सदस्यों) के लिए ई-संसाधन और मुद्रित पुस्तकें खरीदी हैं। वर्तमान में, पुस्तकालय के अनुसंधान अनुभाग में पांच लाख से अधिक मुद्रित पुस्तकें, 400+ई-जर्नल, 100+प्रिंट जर्नल, 15000+ई-पुस्तकें, 20+समाचार पत्र और 3500 से अधिक शोधपत्र उपलब्ध हैं और 800 + पूर्ण पाठ शोधपत्र शोधगंगा (भारतीय शोधपत्र का भंडार) में उपलब्ध हैं। सेंट्रल लाइब्रेरी ने तीन डेटाबेस यानी स्कोप की भी सदस्यता ली है। इन ई-संसाधनों को चौबीसों घंटे और दुनिया भर में मोबाइल ऐप (एम लाइब्रेरी) के माध्यम से भी एक्सेस किया जा सकता है। सेंट्रल लाइब्रेरी ने साहित्यिक चोरी विरोधी सॉफ्टवेयर यानी आईथेनटिकेट (टर्निटिन) और सीएफपी (चेक फॉर प्लेग) भी खरीदे हैं, जिनका उपयोग साहित्यिक चोरी को रोकने के लिए किया जाता है। इसके अलावा, केंद्रीय पुस्तकालय हर साल पुस्तकालय उपयोगकर्ताओं के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन करता है।

डॉ. अंबेडकर सेंटर फॉर एक्सीलेंस – डॉ. अंबेडकर सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना एक नई पहल है। यह केंद्र, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की योजना के तहत स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उम्मीदवारों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करना है।

आउटरीच कार्यक्रम – आउटरीच कार्यक्रम और स्थानीय समाज में अन्य योगदान – विश्वविद्यालय के समस्त विभागों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में जागरूकता संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। लैब टू लैंड कार्यक्रम, रक्तदान शिविर का आयोजन, विभिन्न रैलियों, वृक्षारोपण कार्यक्रमों, स्वच्छता अभियान, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं, पोस्टर प्रस्तुतियों और विस्तार कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उन्नत भारत अभियान के तहत पौड़ी जिले में 05 ग्राम पंचायतों के समूह के अंतर्गत गांवों को गोद लिया गया और विभिन्न गतिविधियां संचालित की गई।

एचएनबीजीयू ने विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, विस्तार संगठनों, एनजीओ के बीच मजबूत संबंध शुरू किए हैं और सरकार ने विस्तार गतिविधि में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विभाग डीबीटी-प्रायोजित परियोजना, खेती, कटाई के बाद के प्रसंस्करण के मानकीकरण का काम कर रहा है। डीबीटी-एचबीएम प्रायोजित परियोजना के तहत नीती घाटी के 12 गांवों में पारंपरिक रूप से मसालों के रूप में उपयोग की जाने वाली चयनित प्रजातियों की सूखी जड़/पत्तियां/बीज की खेती की जाती है। बीज विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने रागी के साथ मूंगफली की अंतरफल खेती शुरू की है। जंतु विज्ञान विभाग, का इरादा हैचरी में स्थानीय मछली महाशीर का बीज विकसित करना और छात्रों को यह कौशल प्रदान करना है ताकि वे मत्स्य पालन में उद्यम कर सकें और इसे अपने जीवन में एक व्यवसाय बना सकें। ग्रामीण प्रौद्योगिकी विभाग ने आत्मनिर्भर, कौशल-उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए ग्रामीण समुदाय के उद्यमियों की स्थायी आजीविका और विकास और वृद्धि की दिशा में काम करने वाली आउटरीच गतिविधियां शुरू कीं। उनका मुख्य लक्ष्य छात्रों और किसानों को मशरूम पालन, मधुमक्खी पालन और वर्मीकल्चर पर कौशल प्रदान करने पर है। इसके साथ-साथ विश्वविद्यालय में एक मशरूम स्पॉन लैब स्थापित की गई है। लोक कला एवं संस्कृति निष्पादन केन्द्र में मध्य हिमालय के लोक नृत्यों, लोक गीतों और लोक वाद्य संगीत पर 13 पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं। पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटक गाइडों के कौशल विकास हेतु कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। इतिहास एवं पुरातत्व विभाग की पहल से हिमालयन हैरिटेज वॉक का संचालन भी किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत स्नातक, स्नातकोत्तर, शोध छात्र के अतिरिक्त संकाय सदस्यों एवं स्थानीय लोगों को भी क्षेत्रीय विरासत का भ्रमण कराया जाता है।

विश्वविद्यालय द्वारा समस्त डिग्री, डिप्लोमा जांच कराये जाने हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप 'Digilocker' पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। जिसमें वर्ष 2016 से वर्ष-2023 तक का डाटा अपडेट है।

यदि किसी विद्यार्थी की स्नातक / स्नातकोत्तर, डिग्री/अंकतालिका खो जाती है तो वह पुलिस प्राथमिक सूचना रिपोर्ट, शपथ-पत्र, विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hnbgu.ac.in में उपलब्ध फॉर्म में उल्लिखित निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरान्त उपाधि/परीक्षा अनुभाग से प्राप्त कर सकता है।

डिग्री/अंकतालिका में नाम, माता-पिता का नाम संशोधन हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट में उपलब्ध फॉर्म में उल्लिखित निर्धारित शुल्क जमा करने एवं पूर्व निर्गत मूल डिग्री/अंकतालिका जमा करने के उपरान्त संशोधित उत्तीर्ण डिग्री/अंकतालिका की द्वितीय प्रति उपरोक्त अनुभाग से प्राप्त की जा सकती है।

स्नातक/ स्नातकोत्तर करने के उपरान्त परीक्षा परिणाम/अंक आदि डिजिटल रूप में प्राप्त किये जा सकते हैं। मूल अंकतालिका सम्बन्धित कॉलेजों / संस्थानों / महाविद्यालयों से सम्बन्धित छात्र उन्हें प्राप्त कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में सहभागिता करने के साथ-साथ मंत्रालयों हेतु विभिन्न शोध परियोजनाओं को भी संचालित करता है, जिसके फलस्वरूप नीतिगत दस्तावेज (Policy Document) भी तैयार करता है। इसका नवीन उदाहरण हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रयासों से 2020 में स्थापित IHCUC के अन्तर्गत भारतीय हिमालयी क्षेत्र में स्थित 14 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के संयुक्त प्रयास से 5 विभिन्न विषयों पर विस्तारित शोध कार्य किया गया, जिसकी आख्या नीति आयोग भारत सरकार को प्रेषित की गयी है। इसके अतिरिक्त भारतीय हिमालय क्षेत्र पर केन्द्रित एक महत्वपूर्ण नीतिगत दस्तावेज भी नीति आयोग भारत सरकार को प्रेषित किये गये हैं।

2015 में स्थापित विश्वविद्यालय का संकाय विकास केन्द्र (FDC), भारत सरकार के पं० मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक एवं शिक्षण मिशन योजना के तहत नियमित रूप से संकाय विकास कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जो उच्च शिक्षा में अकादमिक उत्कृष्टता और नवाचार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण है। केन्द्र बहु विषयक संगोष्ठीयों, लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों, प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रमों, अभिविन्यास और पुनश्चर्य पाठ्यक्रमों के रूप में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से देश भर के संकाय सदस्यों को निरन्तर प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।

**इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU),
क्षेत्रीय केन्द्र ननूरखेडा, तपोवन रायपुर रोड देहरादून 248008**



संक्षिप्त परिचय :- 1985 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने समावेशी शिक्षा के माध्यम से एक समावेशी समाज के निर्माण के लिए लगातार प्रयास किया है। इसने ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) मोड के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण की पेशकश करके सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) को बढ़ाने की कोशिश की है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और उपस्थिति के साथ मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के लिए राष्ट्रीय संसाधन केंद्र, नवीन प्रौद्योगिकियों और पद्धतियों का उपयोग करके सभी को टिकाऊ और शिक्षार्थी-केंद्रित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल उन्नयन और प्रशिक्षण तक निर्बाध पहुंच प्रदान करता है तथा मानव संसाधन विकास के लिए मौजूदा प्रणालियों का अभिसरण करता है। विश्वविद्यालय अपने द्वारा प्रदान किए जा रहे शैक्षिक अवसरों को बढ़ाने के लिए प्रतिष्ठित सार्वजनिक संस्थानों और निजी उद्यमों के साथ नेटवर्किंग कर रहा है। अब इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया और ऑनलाइन शिक्षण विकसित करने और एकीकृत दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षण के ढांचे के भीतर आधुनिक प्रौद्योगिकी-सक्षम शिक्षा के साथ पारंपरिक दूरस्थ शिक्षा वितरण मोड में मूल्य जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। इग्नू द्वारा देश भर के सभी जेल कैदियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। साथ ही देश के सशस्त्र और सुरक्षा बलों में काम करने वाले व्यक्तियों तक पहुंचने का भी प्रयास किया गया है।

इग्नू द्वारा संचालित किसी भी कोर्स/पाठ्यक्रम में प्रवेश करने हेतु अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है, परंतु कुछ कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष अनिवार्य है। इग्नू द्वारा प्रौढ शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु, प्रौढ शिक्षा में स्नातकोत्तर कार्यक्रम (MAAE) संचालित है। उत्तराखण्ड में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से समावेशी शिक्षा के विकास के लिए, उत्तराखण्ड में कुल 19 केन्द्र हैं, इन केन्द्रों की जानकारी <https://rcdehradun.ignou.ac.in/> इस वैबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं तथा संबंधित केन्द्रों में जाकर, इग्नू के समस्त पाठ्यक्रमों के संबंध में पूर्ण जानकारी ले सकते हैं। कतिपय योजनाओं/सेवाओं का विवरण निम्नवत है :-

क्रसं	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	अनुसूचित जाति/जनजातीय उपयोजना	संबंधित पाठ्यक्रमों में यदि अनुसूचित जाति/जनजाति का अभ्यर्थी आवेदन करना चाहता है तो मात्र रु. 300 पंजीकरण शुल्क एवं रु. 200 विकास शुल्क के साथ प्रवेश की सुविधा। 3. यदि कोई आवेदक अज्ञानतावशकार्यक्रम शुल्क का भुगतान कर देता है तो वह राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन करके भी छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकता है।	1. संबंधित विषयों के साथ 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 2. आवेदक के माता-पिता/अभिभावकों की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रु. 2.5 लाख से अधिक न हो। 3. अन्य स्रोतों से छात्रवृत्ति न मिलती हो। 4. किसी राजकीय सेवा में कार्यरत न हो।	1. आवेदक इग्नू की वेबसाइट www.ignou.ac.in से जनवरी एवं जुलाई दोनों सत्रों में आवेदन कर सकते हैं। 2. अनिवार्य शुल्क का भुगतान आवेदन के दौरान विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। 3. प्रवेश फार्म में आवेदक द्वारा अपलोड किये गये अनिवार्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के निरीक्षणोंपरांत उक्त कार्यक्रम के लिए नामांकन जारी किया जाता है।
2	अग्निवीरों के लिए 'अग्निपथ योजना'	सशस्त्र बलों द्वारा पेश किए जाने वाले कौशल पाठ्यक्रमों को कौशल शिक्षा के लिए नियामक संस्था, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.वी.ई.टी.) द्वारा अनुमोदित किया जाता है। कौशल शिक्षा के साथ उच्च शिक्षा के एकीकरण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश के साथ, इस पहल से अग्निवीरों को सेवा के दौरान स्नातक की डिग्री प्राप्त करने में मदद मिलेगी, और सेवा के बाद उनकी रोजगार क्षमता में सुधार होगा।	1. बी.ए.ए.एस.—बैचलर ऑफ आर्ट्स (एप्लाइड स्किल्स) 2. बी.ए.ए.एस.टी.एम.— बैचलर ऑफ आर्ट्स (एप्लाइड स्किल्स) पर्यटन प्रबंधन 3. बी.ए.ए.एस.एम.एस.एम.ई.—बैचलर ऑफ आर्ट्स (एप्लाइड स्किल्स) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम 4. बी.कॉम.ए.एस.—बैचलर ऑफ कॉमर्स (एप्लाइड स्किल्स) 5. बी.एस.सी.ए.एस.— बैचलर ऑफ साइंस (एप्लाइड स्किल्स) *बिन्दु 1 से 4 के लिए पात्रता 10+2 या समकक्ष एवं 5 के लिए 10+2 विज्ञान विषय के साथ।	आवेदक निम्नलिखित लिंक https:// ignou-defence. samarth. edu.in/ से जनवरी एवं जुलाई दोनों सत्रों में आवेदन कर सकते हैं। 2. अनिवार्य शुल्क का भुगतान आवेदन के दौरान विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। 3. प्रवेश फार्म में आवेदक द्वारा अपलोड किये गये अनिवार्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के निरीक्षणोंपरांत उक्त कार्यक्रम के लिए नामांकन जारी किया जाता है। 4. शिक्षार्थियों को भारत भर में चयनित क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से आवश्यक सहायता सेवाएं (जैसे परामर्श सत्र का आयोजन और असाइनमेंट जमा करने की सुविधा आदि) प्रदान की जाती हैं। वर्तमान में इग्नू क्षेत्रीय केंद्र देहरादून को BAAS कार्यक्रम के लिए नोडल केंद्र बनाया गया है।
3	कौशल विकास	1. प्रशिक्षणार्थियों में व्यावसायिक	कौशल विकास केन्द्रों के नियमित	1. आवेदक इग्नू की वेबसाइट www.ignou.ac.in

	केन्द्रों पर इग्नू के विस्तारण केन्द्रों की स्थापना	और तकनीकी प्रशिक्षण ढांचे को और मजबूत करना। 2. राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एन.एस.टी.आई.), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.), प्रधान मंत्री कौशल केंद्र (पी.एम.के.के.) और जन शिक्षण संस्थानों (जे.एस.एस.) से जुड़े प्रशिक्षणार्थियों, को इस कार्यक्रम से लाभ होगा।	प्रशिक्षणार्थी इन विस्तारण केन्द्रों पर इग्नू के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं।	ignou.ac.in से जनवरी एवं जुलाई दोनों सत्रों में आवेदन कर सकते हैं। 2. अनिवार्य शुल्क का भुगतान आवेदन के दौरान विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। 3. प्रवेश फार्म में आवेदक द्वारा अपलोड किये गये अनिवार्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के निरीक्षणोंपरांत उक्त कार्यक्रम के लिए नामांकन जारी किया जाता है।
4	नई शिक्षा नीति 2020 के तहत विभिन्न नये कौशल विकास कार्यक्रमों का संचालन	कौशल विकास आधारित कार्यक्रम प्रशिक्षणार्थियों में कौशल का विकास करके उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में उपयोगी साबित होगा।	1. सी.ओ.एफ— 10+2 या समकक्ष 2. डी.डी.टी.— 10+2 या समकक्ष 3. सी.पी.एफ— 8वीं पास 4. सी.आई.एस.—10वीं पास या जिनके पास रेशम उत्पादन के क्षेत्र में दो साल का अनुभव हो। अनुभव प्रमाण पत्र रेशम उत्पादन/ कृषि/विस्तार/मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संगठनों/उद्योग विभाग के विस्तार अधिकारियों द्वारा जारी होना चाहिए। 5. सी.आई.बी.— 8वीं पास या पेशेवर मधुमक्खी पालक 6. सी.बी.एस.— 10+2 या समकक्ष 7. सी.सी.आई.टी.एस.के.—अंग्रेजी विषय के साथ 10+2 8. सी.आई.टी.— 10वीं पास या माइक्रोसॉफ्ट से डिजिटल साक्षरता पाठ्यक्रम 9. सी.पी.एल.टी.— विज्ञान विषयों के साथ 10+2 या समकक्ष और	1. आवेदक इग्नू की वेबसाइट www.ignou.ac.in से जनवरी एवं जुलाई दोनों सत्रों में आवेदन कर सकते हैं। 2. अनिवार्य शुल्क का भुगतान आवेदन के दौरान विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। 3. प्रवेश फार्म में आवेदक द्वारा अपलोड किये गये अनिवार्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के निरीक्षणोंपरांत उक्त कार्यक्रम के लिए नामांकन जारी किया जाता है।

			स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय विज्ञानप्रयोगशाला में काम करने का एक वर्ष का अनुभव या विज्ञान विषयों के साथ 10वीं पास या समकक्ष और स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय विज्ञान प्रयोगशाला में काम करने का दो साल का अनुभव 10. सी.एफ.ई.-10+2 या समकक्ष 11. सी.टी.ई.- स्नातक या 3 साल का B.EL.ED या 2 साल का P.T.T., E.T.T. या 10+2 के साथ 2 साल का शिक्षण अनुभव	
5	आई.टी.आई प्रशिक्षणार्थियों के लिए उच्च शिक्षा उन्नयन के कार्यक्रमों का संचालन	1. बी.ए.वी.टी.एम.- यह कार्यक्रम यात्रा और पर्यटन क्षेत्र में एक समर्पित और कुशल कार्यबल तैयार करने के लिए है। 2. बी.ए.वी.एम.एस.एम.ई.- यह कार्यक्रम उभरते उद्यमियों की वर्तमान जरूरतों को पूरा करता है और व्यावसायिक उद्यम स्थापित करने के लिए ज्ञान और कौशल विकसित करने में सहायता करता है।	1. बी.ए.वी.टी.एम.-10+2 या समकक्ष (शुल्क-15500/-) 2. बी.ए.वी.एम.एस.एम.ई.- 10+2 या समकक्ष (शुल्क-15500/-)	1. आवेदक इग्नू की वेबसाइट www.ignou.ac.in से जनवरी एवं जुलाई दोनों सत्रों में आवेदन कर सकते हैं। 2. अनिवार्य शुल्क का भुगतान आवेदन के दौरान विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। 3. प्रवेश फार्म में आवेदक द्वारा अपलोड किये गये अनिवार्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के निरीक्षणोंपरांत उक्त कार्यक्रम के लिए नामांकन जारी किया जाता है।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) क्षेत्रीय केन्द्र, देहरादून।



संक्षिप्त परिचय :- राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) पहले राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय (रा.मु.वि.) के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना सन् 1979 में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई), नई दिल्ली की एक परियोजना के रूप में हुई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई-1986) के प्रावधानों के अनुपालन में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 23 नवंबर, 1989 को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय (रा.मु.वि.) को एक स्वायत्त संस्था के रूप में स्थापित किया गया। दिनांक 14 सितंबर, 1990 को भारत सरकार के एक संकल्प द्वारा इस संस्थान को पूर्व-स्नातक पाठ्यक्रमों में पंजीकृत शिक्षार्थियों की परीक्षा लेने और उत्तीर्ण शिक्षार्थियों को प्रमाणपत्र प्रदान करने का अधिकार दिया गया, जो 20 अक्तूबर, 1990 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य “शिक्षा वंचितों तक शिक्षा पहुंचाना” था। इसके दायरे और कार्यों को बढ़ाते हुए जुलाई, 2002 में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय (रा.मु.वि.) का पुनः नामकरण राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) के रूप में किया गया।

लक्ष्य समूह

एनआईओएस विश्व की सबसे बड़ी मुक्त विद्यालयी शिक्षा प्रणाली है, जो सामान्य शिक्षार्थियों के साथ-साथ, अपने प्राथमिकता प्राप्त लक्ष्य समूहों को भी शिक्षित करता है, जिनके अंतर्गत 6-14 वर्ष की आयु समूह के बच्चे तथा 14 वर्ष या उससे अधिक आयु के किशोर/प्रौढ़, बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले तथा दरकिनार किए गए ऐसे लोग शामिल हैं जैसे-गाँव के युवा, शहरी निर्धन, बालिकाएँ तथा महिलाएँ, कार्यरत पुरुष एवं महिलाएँ अनुसूचित जाति

और अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक एवं समाज के कमजोर वर्ग। इस समय, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान में दादर एवं नागर हवेली को छोड़कर भारत के सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों और विदेशों से लगभग 4.13 मिलियन शिक्षार्थियों सहित जिसमें डी.एल.एड. के उम्मीदवारों ने भी नामांकन कराया है— जो यह दर्शाता है कि मुक्त विद्यालयी शिक्षा समाज के एक बड़े वर्ग तक पहुँचने का अथक प्रयास कर रही है।

प्रवेश

विभिन्न समूहों के शिक्षार्थियों को शिक्षित करने के लिए एनआईओएस 10वीं (हाईस्कूल) एवं 12वीं (इंटर) के शैक्षिक पाठ्यक्रमों अर्थात् माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक में प्रवेश के लिए चार निम्न स्ट्रीम हैं।

(i) स्ट्रीम 1 में प्रवेश सभी शिक्षार्थियों के लिए ऑन लाइन (24x7) वर्ष भर खुला है।

प्रथम ब्लॉक : 16 मार्च से 15 सितंबर

द्वितीय ब्लॉक : 16 सितंबर से 15 मार्च

प्रथम ब्लॉक के शिक्षार्थी प्रवेश के अगले वर्ष की अप्रैल परीक्षा में तथा द्वितीय ब्लॉक के शिक्षार्थी अगले वर्ष की सितंबर परीक्षा में बैठ सकते हैं।

(ii) स्ट्रीम 2 में प्रवेश उन सभी शिक्षार्थियों के लिए वर्ष भर खुला है जो किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड की माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्तर की सार्वजनिक परीक्षा में बैठे तो थे, परन्तु परीक्षा पास नहीं कर पाये अथवा ऐसे उत्तीर्ण शिक्षार्थी जो माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं के अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए एक अथवा चार विषयों में आंशिक प्रवेश लेना चाहते हैं। प्रवेश मई से जून तक खुला रहता है, प्रवेश लिए हुए योग्य शिक्षार्थी उसी वर्ष की अक्तूबर-नवंबर परीक्षा में बैठ सकते हैं।

(iii) स्ट्रीम-3 में प्रवेश उन शिक्षार्थियों के लिए वर्ष भर खुला है जो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक स्तर की सार्वजनिक परीक्षा में बैठे तो थे परन्तु पास नहीं कर पाए या उन शिक्षार्थियों के लिए है जो अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए एक अथवा चार विषयों में आंशिक प्रवेश लेना चाहते हैं और एनआईओएस की 'जब चाहो तब परीक्षा' (ओड्स) प्रणाली द्वारा केवल माध्यमिक स्तर के लिए परीक्षा देना चाहते हैं।

(iv) स्ट्रीम 4 में प्रवेश उन शिक्षार्थियों के लिए वर्ष भर खुला है जो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक स्तर की सार्वजनिक परीक्षा में बैठे तो थे परन्तु पास नहीं कर पाए या उन शिक्षार्थियों के लिए है जो अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए एक अथवा चार विषयों में आंशिक प्रवेश लेना चाहते हैं और एनआईओएस को 'जब चाहो तब परीक्षा' प्रणाली द्वारा केवल उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए परीक्षा देना चाहते हैं।

क्रेडिट स्थानांतरण (टीओसीओ) : एनआईओएस में किसी मान्यता प्राप्त सरकारी बोर्ड से अनुत्तीर्ण विद्यार्थी अधिकतम किन्हीं दो पास विषयों में ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट (Transfer of Credit) ले सकते हैं, एवं एनआईओएस से कम से कम तीन विषय प्रमाण पत्र के लिए पास करने अनिवार्य हैं। अन्य सेवाओं/योजनाओं का विवरण निम्नवत है :-

क्र. सं.	सेवा/योजना	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	कक्षा 10 (माध्यमिक पाठ्यक्रम) (31 जुलाई को 14 वर्ष की आयु पूर्ण हो)	कक्षा 10 साक्षर होना	1. जन्म एवं मृत्यु के रजिस्ट्रार के जिला कार्यालय से जारी जन्म प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति उन सभी के लिए जिनका जन्म 26-01-1989 को अथवा उसके बाद हुआ हो । अथवा 2. भारत सरकार द्वारा पासपोर्ट की सत्यापित प्रति । अथवा 3. पिछले विद्यालय से प्राप्त विद्यालय छोड़ने का पत्र/स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जिसमें आवेदक की जन्म-तिथि लिखी हो । सरकारी विद्यालय के मामले में स्थानांतरण प्रमाण-पत्र/विद्यालय छोड़ने के प्रमाण-पत्र पर प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर होने चाहिए जबकि प्राइवेट विद्यालय होने पर उसे राज्य के सक्षम शिक्षा प्राधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए । अथवा 4. भारत सरकार की संबन्धित एजेंसी द्वारा जारी आधार कार्ड की सत्यापित प्रति ।	एनआईओएस की वेबसाइट https://sdmis.nios.ac.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें । संबंधित पाठ्यक्रम हेतु फीस विषयों के चयन तथा सामान्य वर्ग/ छूट प्राप्त वर्ग पर आधारित होती है । कक्षा 10 एवं 12 हेतु आवेदन पूरे वर्ष भर कभी भी ऑनलाइन किए जा सकते हैं । यदि किसी भी अभ्यर्थी को एनआईओएस परीक्षा के संबंध में जानकारी लेनी हो तो, हर जिले में बहुत सारे मान्यता प्राप्त/प्रत्यायित स्कूल हैं जिनसे समस्त जानकारी ली जा सकती है । प्रत्यायित स्कूलों की सूची आप एनआईओएस की वेबसाइट https://sdmis.nios.ac.in/ पर जाकर पूरे उत्तराखंड में स्थित स्कूल देख सकते हैं । परीक्षा सामान्यतः वर्ष में 02 बार—अप्रैल/मई तथा अक्टूबर व नवम्बर में होती है ।
2.	कक्षा 12 (उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम) (31 जुलाई को 15 वर्ष की आयु पूर्ण हो)	कक्षा 12 साक्षर होना	किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक/हाईस्कूल परीक्षा के प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति जिसमें जन्मतिथि अंकित हो । (उच्चतर माध्यमिक प्रवेश हेतु आयु का कोई भी अन्य प्रमाण मान्य नहीं होगा ।)	

3.	100 से ज्यादा व्यावसायिक पाठ्यक्रम	व्यावसायिक दक्षता	जन्म तिथि का वैध प्रमाण (जैसे आधार कार्ड पर जन्म तिथि। दिन, माह, वर्ष के प्रारूप में मुद्रित, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, चालन लाइसेंस तथा जन्म प्रमाणपत्र इत्यादि।	एनआईओएस की व्यावसायिक पाठ्यक्रम की वेबसाइट https://voc.nios.ac.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें। संबंधित पाठ्यक्रम के चयन पर, फीस एवं पाठ्यक्रम की अवधि आधारित होती है। किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु 14 वर्ष है। अधिकतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है। इन पाठ्यक्रमों की न्यूनतम अवधि 6 महीने तथा अधिकतम अवधि 2 साल की है।
4.	मुक्त बेसिक शिक्षा कार्यक्रम (ओबीई)	मुक्त बेसिक शिक्षा कार्यक्रम (ओबीई) स्तर A – कक्षा 3 के स्तर B – कक्षा 5 के समकक्ष स्तर C – कक्षा 8 के समकक्ष का प्रमाण पत्र मिलता है।	1. जन्म एवं मृत्यु के रजिस्ट्रार के जिला कार्यालय से जारी जन्म प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति उन सभी के लिए जिनका जन्म 26-01-1989 को अथवा उसके बाद हुआ हो। अथवा 2. भारत सरकार द्वारा पासपोर्ट की सत्यापित प्रति। अथवा 3. पिछले विद्यालय से प्राप्त विद्यालय छोड़ने का पत्र/स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जिसमें आवेदक की जन्म-तिथि लिखी हो। सरकारी विद्यालय के मामले में स्थानांतरण प्रमाण-पत्र/विद्यालय छोड़ने के प्रमाण-पत्र पर प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर होने चाहिए जबकि प्राइवेट विद्यालय होने पर उसे राज्य के सक्षम शिक्षा प्राधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए। अथवा 4. भारत सरकार की संबन्धित एजेंसी द्वारा जारी आधार कार्ड की सत्यापित प्रति।	एनआईओएस की वेबसाइट https://sdmis.nios.ac.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें। मुक्त बेसिक शिक्षा कार्यक्रम (ओबीई) की न्यूनतम फीस रुपये 300/- तथा अधिकतम फीस रुपये 800/- है। इन कक्षाओं में प्रतिभाग करने हेतु न्यूनतम आयु स्तर कक्षा A के लिए 6 वर्ष, स्तर B के लिए 6-14 वर्ष तथा स्तर C के लिए 14 वर्ष है। अधिकतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है।
5	एनएचएम के सहयोग से आशा परियोजना	एनएचएम के सहयोग से आशा परियोजना	8वीं पास तथा आभा कार्ड एवं आधार कार्ड	एनआईओएस की वेबसाइट https://voc.nios.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE)
क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून, उत्तराखण्ड



क्र. स	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	द्वितीय शैक्षणिक दस्तावेज प्रणाली (DUPLICATE ACADMIC DOCUMENT SYSTEM)	DADS से छात्र/छात्राएं कक्षा 10वीं एवं 12वीं की (द्वितीय) शैक्षणिक प्रमाणपत्र अपना पूरा विवरण यथा-क्रमांक, वर्ष, फीस (डाक शुल्क सहित), पूरा पता आदि भरकर अपने घर बैठे ही अपने वांछित दस्तावेजों को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रणाली से छात्र/छात्राओं का शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की द्वितीय प्रति प्राप्त करना काफी सुगम हो गया है।	विश्वभर में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से कक्षा 10वीं व 12वीं उत्तीर्ण सभी छात्र।	आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाईन है, जो कि निम्न लिंक के द्वारा किया जा सकता है – https://cbseit.in/cbse/web/dads/home.aspx प्रमाणपत्र का शुल्क ऑनलाईन जमा कराना होता है। वर्षवार प्रमाणपत्र के लिए शुल्क का ब्यौरा इस प्रकार है:- (क) उत्तीर्ण होने के वर्ष से 5 वर्ष तक शुल्क रु 250/- मात्र। (ख) उत्तीर्ण होने के वर्ष से 5 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक शुल्क रु 500/-। (ग) उत्तीर्ण होने के 10 वर्ष से अधिक और 20 वर्ष तक शुल्क रु 1000/- (घ) उत्तीर्ण होने के वर्ष से 20 वर्ष से अधिक तक शुल्क रु 2000/- 2. माइग्रेशन प्रमाणपत्र रु 250/- 3. द्वितीय शैक्षणिक दस्तावेज के लिए शुल्क के अतिरिक्त अत्यावश्यक/तत्काल शुल्क रु 500/- 4. डाक शुल्क अतिरिक्त। (अंक प्रमाणपत्र, सनद या उत्तीर्णता प्रमाणपत्र व प्रवास प्रमाणपत्र) मुख्य बेवसाइट https://cbseit.in/cbse/web/dads/home.aspx
2.	डिजिलॉकर	छात्र/छात्रों के बोर्ड से निर्गत शैक्षणिक दस्तावेजों (अंक प्रमाणपत्र व प्रवास प्रमाणपत्र) की डिजिटल प्रतियां संग्रहित हैं जिसे छात्र लॉगिन कर निशुल्क	केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से कक्षा 10वीं व 12वीं उत्तीर्ण सभी छात्र/छात्राएं।	https://www.digilocker.gov.in/cbse पर छात्र पंजीकृत कर आधार नम्बर से लिंक करके 10वीं व 12वीं के अंक प्रमाणपत्र व प्रवास प्रमाणपत्र की डिजिटल प्रति डाउनलोड कर सकते हैं।

		डाउनलोड कर सकता है।		
3.	API SETU	केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से उत्तीर्ण कक्षा 10वीं व कक्षा 12वीं के परीक्षार्थियों के अंकतालिका का सत्यापन विभिन्न विभागों (सरकारी व निजी संस्थान) द्वारा इस प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है।	देश के सभी सरकारी व निजी संस्थान जोकि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं व 12वीं उत्तीर्ण छात्र/छात्रायें के शैक्षणिक दस्तावेजों का सत्यापन कराना चाहते हों।	विभाग/संस्था (सरकारी व निजी संस्थान) को सबसे पहले पोर्टल https://apisetu.gov.in/ पर पंजीकृत करना होगा और निर्धारित शुल्क ऑनलाईन जमा कराना होगा। एक बार विभाग द्वारा अपने को इस प्रणाली/पोर्टल में पंजीकृत करने के उपरान्त वह केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं व 12वीं उत्तीर्ण सभी छात्रों के शैक्षणिक दस्तावेजों का ऑनलाईन सत्यापन अपने स्तर पर कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिये बोर्ड द्वारा परिपत्र https://www.cbse.gov.in/cbsenew/documents//Verification Educational documents CBSE 13012023.pdf दिनांक 13.01.2023 जारी किया गया है।
4.	बोर्ड के संबद्धता उप-नियम	संबद्धता प्राप्त करना एवं नए विद्यालयों को संबद्धता उप-नियम की जानकारी उपलब्ध कराना।	राज्य सरकार के विद्यालयों एवं अन्य बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों का Switch Over श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त करना।	राज्य सरकार के अंतर्गत सभी विद्यालय एवं अन्य बोर्ड से संबद्धता प्राप्त करने हेतु https://saras.cbse.gov.in/SARAS/Home/landingnew# पर लॉगिन कर सशुल्क आवेदन कर सकते हैं। संबद्धता उप-नियम की जानकारी https://saras.cbse.gov.in/cbse_aff/attachment/onlineservices/affiliation-Bye-Laws.pdf पर उपलब्ध है। कोई विद्यालय सी0बी0एस0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त है या नहीं, इसकी जांच कोई अभिभावक/आमजन/विद्यार्थी द्वारा निम्न लिंक https://saras.cbse.gov.in/SARAS/AffiliatedList/ListOfSchdirReport से की जा सकती है।

5.	अर्न्तविद्यालय (Inter School) कक्षा 10वीं एवं 12वीं में सीधा प्रवेश	कक्षा 10वीं/12वीं में सीधे प्रवेश की प्रोसेसिंग शुल्क रु. 5,000/- का छूट का प्रावधान।	राज्य सरकार, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति द्वारा संचालित विद्यालय में प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थी।	बोर्ड मुख्यालय के पत्र No. COORD/LOC/2020 दिनांक 09.10.2020 के अनुसार राज्य सरकार, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति द्वारा संचालित विद्यालय को कक्षा 10वीं/12वीं में केवल सीधे प्रवेश की प्रोसेसिंग शुल्क रु.5,000/-में छूट का प्रावधान है।
6	विषय परिवर्तन	कक्षा 9वीं/11वीं में विद्यार्थी को कक्षा 10वीं/12वीं में विषय परिवर्तन।	बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी।	परीक्षा उप-नियम के संख्या 26 के अनुसार किसी भी परीक्षार्थी को कक्षा 09वीं अथवा कक्षा 11वीं, जैसा भी मामला हो, उत्तीर्ण करने के बाद अध्ययन के विषय में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाती परंतु फिर भी अभ्यर्थी को व्यर्थ कठिनाई से बचाने के लिए एवं उसके हित को देखते हुए कक्षा 10वीं / कक्षा 12वीं में विषय परिवर्तन की अनुमति प्रोसेसिंग शुल्क रु. 1,000/- लेते हुए प्रदान कर दी जाती है
7	कक्षा 10वीं एवं 12वीं का परीक्षा परिणाम	कक्षा 10वीं एवं 12वीं के वर्तमान व पूर्व वर्षों का परीक्षा परिणाम।	सभी विद्यालय/ विश्वविद्यालय/ विद्यार्थी/सरकारी-गैर सरकारी संस्थान।	कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं के वर्तमान एवं पूर्व वर्ष का परीक्षा परिणाम बोर्ड की वेबसाइट https://results.cbse.nic.in/ पर उपलब्ध है।
8	अंको के मूल्यांकन, मूल्यांकित उत्तरपुस्तिका की फोटोकॉपी एवं उत्तर (रों) का पुनर्मूल्यांकन	कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंको से असंतुष्ट विद्यार्थियों के लिए पुनर्मूल्यांकन की सुविधा।	बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत सभी विद्यार्थी।	यदि 10वीं व 12वीं के परीक्षा परिणाम के अंको से छात्र/ छात्रायें संतुष्ट नहीं हैं तो प्रत्येक वर्ष परीक्षा परिणाम जारी होने के पश्चात बोर्ड द्वारा प्रत्येक छात्र/छात्रा को अंको से संबंधित संशय को स्पष्ट करने के लिए एक निश्चित अवधि में अंको के सत्यापन, उत्तर पुस्तिका की प्रतिलिपि प्राप्त करने एवं प्रश्नगत उत्तरों को पुनर्मूल्यांकन करवाने का अवसर दिया जाता है। इसके लिए छात्र/छात्रा को उक्त निश्चित अवधि में CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर अपने अनुक्रमांक के द्वारा आवेदन करना होता है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा परिणाम

				घोषित होने के उपरान्त उनके अंको के मूल्यांकन, मूल्यांकित उत्तरपुस्तिका की फोटोकॉपी एवं उत्तर (रों) के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा प्रदान की जाती है जिसका नोटिफिकेशन प्रत्येक वर्ष मुख्य व पूरकपरीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरान्त बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है जोकि बोर्ड के वेबसाइट www.cbse.gov.in पर भी देखी जा सकती है।
9	ई हरकारा e-HARKARA	प्रकरणों का त्वरित प्रेषण व बोर्ड द्वारा निष्पादन।	बोर्ड से संबद्धता प्राप्त समस्त विद्यालय।	बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त सभी विद्यालय अपने विभिन्न प्रकरणों को बोर्ड को त्वरित निष्पादन हेतु इलेक्ट्रॉनिक मोड https:// cbseit.in/cbse/web/Nirakaran/Split /Split (e-HARKARA) के माध्यम से अपने अनुरोध भेजना, विद्यालयों के लिए रेपिड कम्युनिकेशन सिस्टम है (इस माध्यम से पेपरलेस काम काज को सक्षम करने के लिए, फाईल के निर्माण, संदर्भ, पत्राचार संलग्नक, अनुमोदन और अंत में फाइलों के साथ – साथ रसीदों की आवाजाही और ट्रेकिंग के साथ पत्राचार को करना, दर्ज करना और रूट करना आदि इसमें शामिल है।)
10	शिकायत एवं सुझाव	शिकायत/सुझाव हेतु हेल्पलाइन	सभी विद्यालय/विद्यार्थी/सरकारी – गैर सरकारी संस्थान/आम नागरिक।	क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के अंतर्गत आने वाले किसी भी संबद्धता प्राप्त विद्यालय से संबंधित शिकायत/सुझाव हेतु आवेदक/शिकायतकर्ता हेल्पलाइन 0135-2757744, 0135-2557766 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा बोर्ड की वेबसाइट https://www.cbse.gov.in/cbsenew/contact-us.html#_reg पर उपलब्ध सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के दूरभाष नंबर या ई-मेल आई.डी. पर भी संपर्क किया जा सकता है।
11	छात्र/छात्रा के कक्षा 10वीं व 12वीं शैक्षणिक दस्तावेजों में विवरण संशोधन।	केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं व कक्षा 12वीं में छात्र/छात्रा के विवरण जैसे कि छात्र/छात्रा के नाम, माता का नाम, पिता का नाम एवं जन्म तिथि में संशोधन करवाने का प्रावधान	केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से कक्षा 10वीं व 12वीं उत्तीर्ण सभी छात्र।	यदि किसी छात्र/छात्रा को 10वीं, 12वीं परीक्षा के अंकपत्रों एवं प्रमाण पत्रों में उल्लिखित विवरण में संशोधन करना हो तो, छात्र/छात्रा की कक्षा 10वीं व 12वीं में छात्र के नाम व माता-पिता के नाम में संशोधन हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित परीक्षा उप-नियम 69.1 के अनुसार परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद निश्चित समय अवधि 10 वर्ष व छात्र की जन्मतिथि में संशोधन हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित परीक्षा उपनियम 69.2 के अनुसार निश्चित समय अवधि 5 वर्ष के भीतर ही विचार किया जाता है और संशोधन हेतु सभी दस्तावेज विद्यालय द्वारा भेजे जाते हैं, जिनकी सूची परीक्षा उप-नियम 69.1 और 69.2 में दी गई है।

		है।	विद्यालय द्वारा संशोधन हेतु आवेदन करने के लिए कोई समय अवधि नहीं है। और बोर्ड द्वारा कोई भी फीस निर्धारित नहीं है। फिर भी यहां यह बताना उचित होगा कि सुधार हेतु अनुमति मिलने के उपरांत बोर्ड द्वारा विद्यालय से रु 1000/- संशोधन शुल्क व रु 250/- प्रति दस्तावेज़ (कक्षा 10वीं व संबंधित आवेदन हेतु कोई 12वीं का अलग-अलग) लिया जाता है (पोस्ट शुल्क रु 50/- अलग से)। छात्र संशोधन हेतु अनुरोध संबद्ध विद्यालय के द्वारा अपेक्षित दस्तावेजों सहित, बोर्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित कर सकते हैं। बोर्ड के परीक्षा उप नियम मुख्य बेवसाइट https:// www.cbse.gov.in/cbsenew/examinationbyelaws.html में उल्लिखित है।
--	--	-----	--

भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, (IIRS) कालिदास रोड, देहरादून



संक्षिप्त परिचय :- भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान (आईआईआरएस) – भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार की एक घटक इकाई है। आईआईआरएस दक्षिण पूर्व एशिया में प्रशिक्षण, शिक्षा और अनुसंधान के माध्यम से भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी और इसके अनुप्रयोगों में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाता है। संस्थान के प्रशिक्षण, शिक्षा और क्षमता निर्माण कार्यक्रम कामकाजी स्तर के पेशेवरों, नए स्नातकों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और निर्णय निर्माताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। आईआईआरएस पृथ्वी अवलोकन (ईओ) डेटा के प्रभावी उपयोग के लिए केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रालयों और हितधारक विभागों के अधिकारियों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए पाठ्यक्रम संचालित करने वाले सबसे अधिक मांग वाले संस्थानों में से एक है। आईआईआरएस को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम के तहत भी सूचीबद्ध किया गया है, जो 2001 से आईटीईसी सदस्य देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों को अल्पकालिक नियमित और विशेष पाठ्यक्रम प्रदान करता है। अपनी पहुंच को व्यापक बनाने के लिए, आईआईआरएस ने 2007 से लाइव और इंटरैक्टिव डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम (डीएलपी) शुरू किया है। आईआईआरएस ने अगस्त, 2014 से रिमोट सेंसिंग और भू-सूचना

विज्ञान पर ई-लर्निंग पाठ्यक्रम भी शुरू किया है। विभिन्न कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी (पात्रता/ आवेदन प्रक्रिया इत्यादि), संस्थान की वेबसाइट (www.iirs.gov.in; hindi.iirs.gov.in; <https://admissions.iirs.gov.in/coursecalender>) पर उपलब्ध है।

संस्थान द्वारा पी.जी डिप्लोमा कोर्सों का भी आयोजन किया जाता है। पी.जी. डिप्लोमा कोर्स में उत्तराखंड के साथ-साथ अन्य राज्य के विद्यार्थी भी भाग लेते हैं। प्रत्येक वर्ष संस्थान अपना कोर्स कैलेंडर अपनी वेबसाइट पर अपडेट करता है। जिसके माध्यम से सभी उत्तराखंड तथा अन्य राज्यों के विद्यार्थी प्रवेश <https://admissions.iirs.gov.in/coursecalender> लेते हैं। विभिन्न ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी (पाठ्यक्रम शुल्क/धनराशि /पात्रता/आवेदन प्रक्रिया इत्यादि), हमारे संस्थान की वेबसाइट (<https://elearning.iirs.gov.in>, <https://www.iirs.gov.in/EDUSAT-News>) पर उपलब्ध है एवं समय समय पर अपडेट की जाती है। इन सभी शैक्षणिक कार्यक्रमों में पुरुष एवं महिलाएँ पात्रता के आधार पर भाग ले सकती हैं।

राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन से जुड़े विभागों के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए, आपदा प्रबंधन विज्ञान विभाग लघु पाठ्यक्रम और एनडीएमए द्वारा प्रायोजित पाठ्यक्रम में प्रतिभागी प्रदान करता है, जो राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए खुले होते हैं। एनडीएमए द्वारा प्रायोजित पाठ्यक्रम में प्रतिभागी एनडीएमए द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त इनपुट के आधार पर नामित किए जाते हैं, जबकि आईआईआरएस द्वारा सीधे प्रदान किए गए आपदा प्रबंधन पाठ्यक्रम उन सभी प्रतिभागियों के लिए खुले होते हैं जिनके पास न्यूनतम आवश्यक योग्यता होती है। यदि राज्य सरकार अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी द्वारा आपदा प्रबंधन के किसी विशेष क्षेत्र में अपने कर्मचारियों की क्षमता निर्माण करना चाहता है, तो आईआईआरएस राज्य के कर्मचारियों के लिए एक कस्टम पाठ्यक्रम आयोजित कर सकता है। इस मामले में, पाठ्यक्रम का खर्च राज्य सरकार को वहन करना होगा, जो प्रति प्रतिभागी लगभग INR 16,000/- है, और इसमें न्यूनतम 20 प्रतिभागियों की आवश्यकता होती है।

यदि राज्य सरकार का कोई विभाग राष्ट्रीय हित के लिए मानचित्र/डेटाबेस तैयार करवाना चाहता हो तो, संस्थान मानचित्र तथा डेटाबेस तैयार कर सकता है, परंतु इस हेतु संबंधित विभाग, निदेशक, भा.सु.सं.सं. को पत्र/ईमेल भेज कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में हो रहे अवैध निर्माण को रोकने, नियोजन करने हेतु आईआईआरएस का शहरी अध्ययन विभाग (यूआरएसडी) शहरी अध्ययनों में रिमोट सेंसिंग डेटा के अनुप्रयोगों पर कोर्स आयोजित करता है। किसी भी विशेष कोर्स के लिए संबंधित विभाग द्वारा आईआईआरएस के निदेशक को अनुरोध भेजा जा सकता है।

यदि संस्थान में स्कूली छात्र-छात्राओं का भ्रमण कराना हो तो, स्कूल/कॉलेज/यूनिवर्सिटी के छात्र/छात्राएं शैक्षणिक भ्रमण के लिए हमारे संस्थान में आ सकते हैं। इसके लिए स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय के प्रमुख/ प्रिंसिपल/डीन/निदेशक द्वारा शैक्षणिक भ्रमण के निवेदन एवं इच्छुक छात्रों और शिक्षकों की सूची को समूहाध्यक्ष, का.नि.मू.स. की ईमेल आईडी: ppeg@iirs.gov.in पर भेजा जा सकता है। भ्रमण की तारीख और समय को आईआईआरएस द्वारा उपलब्धता के आधार पर अनुमोदित किया जाता है। भ्रमण के समय आगंतुकों को भारत सरकार द्वारा जारी एक वैध फोटो पहचान पत्र एवं स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र अपने साथ लाना अनिवार्य होता है।

भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, (IIP) देहरादून



भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) की छत्रछाया में घटक प्रयोगशालाओं में से एक, 14 अप्रैल, 1960 को स्थापित किया गया था। संस्थान हाइड्रोकार्बन और संबंधित उद्योगों के डाउनस्ट्रीम क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के बहु-विषयक क्षेत्रों के लिए समर्पित है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के पास प्रक्रिया और उत्पाद विकास (प्रयोगशाला/बेंच/पायलट स्केल) में अनुभव और विशेषज्ञता है। संस्थान तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन, प्रौद्योगिकी मूल्यांकन, ऊर्जा ऑडिट और रासायनिक संयंत्रों में संरक्षण, वाहन प्रदूषण उन्मूलन, आईसी इंजनों में वैकल्पिक ईंधन के उपयोग और उत्पाद लक्षण वर्णन में भी शामिल है। संस्थान ने बड़ी संख्या में प्रक्रियाएं और प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं और उनमें से कई को उद्योग में स्थानांतरित कर दिया गया है। देश की लगभग हर रिफाइनरी के पास संस्थान द्वारा लाइसेंस प्राप्त उत्पाद/प्रौद्योगिकी है। बीआईएस विनिर्देशों के साथ पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यांकन के लिए परीक्षण तकनीकें भी विकसित की गई हैं। संस्थान ने अनुबंध अनुसंधान और तकनीकी सेवाओं के लिए वैश्विक गठजोड़ भी स्थापित किया है और भारत और विदेशों में पेटेंट दायर/अनुदान किया है।

सीएसआईआर-भारतीय पेट्रोलियम संस्थान वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी (एसीआईआर) के तत्वावधान में रासायनिक, जैविक, भौतिक और इंजीनियरिंग विज्ञान में पीएचडी कार्यक्रम संचालन करता है। पीएचडी प्रवेश वर्ष में दो बार जनवरी और अगस्त सत्र के लिए आयोजित किया जाता है। इसके लिए आवेदन निम्नलिखित वेबसाइटों पर आमंत्रण किया जाता है। www.iip.res.in or www.acsir.res.in

संस्थान में स्कूली बच्चों का भ्रमण जिज्ञासा कार्यक्रम के अन्तर्गत कराया जाता है इसके लिये निदेशक भारतीय पेट्रोलियम संस्थान या डॉ० आरती प्रधान वैज्ञानिक, जोकि जिज्ञासा की समन्वयक है उनको ईमेल के माध्यम से सम्पर्क किया जा सकता है। director@iip.res.in, aarti@iip.res.in

संस्थान द्वारा किये जा रहे अन्य कार्य निम्नवत हैं :-

क्र सं	योजना / सेवा का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयनप्रक्रिया
1	कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम।	ये उच्च स्तरीय कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम स्नातकोत्तर छात्रों/संकायों के लिए वैज्ञानिक क्षेत्र में उनके ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी हैं।	प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम की अपनी अलग पात्रता होती है जो आमतौर पर कार्यक्रम के अनुसार विज्ञान के क्षेत्र में स्नातक/ स्नातकोत्तर होती है।	प्रशिक्षण का कार्यक्रम समय- समय पर जारी किया जाता है। कोई भी व्यक्ति आईआईपी वेबसाइट www.iip.res.in से आवेदन पत्र डाउनलोड कर आवेदन कर सकता है। आवेदक को बाद में इस पर और मार्गदर्शन दिया जाता है। कार्यक्रम की विषय-वस्तु के आधार पर अलग-अलग कार्यक्रमों की अवधि और शुल्क अलग-अलग होते हैं। वर्तमान में मौजूदा कार्यक्रमों की अवधि 2 से 8 सप्ताह तक है। इस प्रशिक्षण के लिए धनराशि का भुगतान - छात्रों / बेरोजगार युवाओं के लिए के यह 1000/- प्रति सप्ताह है और नियोजित/ प्रायोजित/ छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए यह 2500/- प्रति सप्ताह है।
2	विश्लेषणात्मक सीएसआईआर (AnalytiCSIR) पोर्टल	प्राप्त नमूनों को विश्लेषणात्मक/ लक्षणीकरण सहायता प्रदान करना। हमारी विशेषज्ञता हाइड्रोकार्बन विश्लेषण समरूप और विषम नमूनों के भौतिक गुणों के साथ-साथ तत्व विश्लेषण के लिए है।	शैक्षणिक संस्थानों/ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए	सीएसआईआर (AnalytiCSIR) पोर्टल www.analyticsir.in के माध्यम से प्राप्त नमूनों का परीक्षण करना।
3	अपशिष्ट प्लास्टिक प्रौद्योगिकी	सीएसआईआर-आईआईपी द्वारा विकसित अपशिष्ट प्लास्टिक प्रौद्योगिकी से विभिन्न उत्पादों में से किसी एक का विशिष्ट उत्पादन जैसे कि एलपीजी के साथ-साथ गैसोलीन या डीजल या एरोमेटिक्स प्राप्त होता है। शोध कार्य के लिए अपशिष्ट	अपशिष्ट प्लास्टिक	शोध कार्य हेतु जो संस्थान, उद्योग अपशिष्ट प्लास्टिक उपलब्ध करा सके। संबंधित कार्य हेतु प्लास्टिक नगर निगमों से प्राप्त किया जा सकता है। केवल

		प्लास्टिक देहरादून में एनजीओ के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।		पॉलीथीलीन और पॉलीप्रोपाइलीन, प्रकार के अपशिष्ट प्लास्टिक की आवश्यकता होती है। सीएसआईआर भारतीय पेट्रोलियम संस्थान इस इकाई के लिए अपशिष्ट प्लास्टिक प्राप्त करने के लिए कोई धनराशि भुगतान नहीं करता है। वर्तमान में एक गैर सरकारी संगठन अपशिष्ट प्लास्टिक की मुफ्त आपूर्ति कर रहा है।
4	बायो- जेट ईंधन प्रौद्योगिकी	सीएसआईआर-आईआईपी द्वारा विकसित बायो-जेट ईंधन प्रौद्योगिकी द्वारा अखाद्य तेल से जैव- ईंधन का उत्पादन होता है।	अखाद्य तेल	शोध कार्य हेतु जो संस्थान अखाद्य तेल उपलब्ध करा सकें।
5	आजीविका सृजन और महिला सशक्तिकरण के लिए 50 किलो/ घंटा क्षमता का पिरुल से ब्रिकेट बनाने की इकाई की चंपावत में स्थापना।	आदर्श चम्पावत परियोजना के तहत भारतीय पेट्रोलियम संस्थान एवं यूकास्ट, चंपावत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित दो प्रमुख तकनीकों को जमीनी स्तर पर लागू करेगा जिसमें पिरुल आधारित 50 किलो प्रति घंटा की क्षमता वाली एक ब्रिकेटिंग यूनिट की स्थापना की जायेगी और इससे चलाने वाले 500 उन्नत चूल्हों का ग्रामीण घरों में ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण की दृष्टि से एक नवीन प्रयोग किया जायेगा। इस ब्रिकेटिंग यूनिट को महिला सशक्तिकरण परियोजना के अंतर्गत चंपावत में बनने वाले एनर्जी पार्क में स्थापित किया जायेगा और इससे बनने वाले ब्रिकेट का इस्तेमाल ईंधन के रूप में घरों में तथा स्थानीय उद्योगों में किया जायेगा।	उत्तराखंड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त महिला समूह	यूकास्ट एवम भारतीय पेट्रोलियम संस्थान द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार। यह इकाई व्यावसायिक रूप से शुरू हो जाएगी। इस प्रकार की यह पहली इकाई है, भविष्य में ऐसी अन्य इकाई उत्तराखण्ड राज्य में अन्य स्थानों पर भी लगाई जाएगी। इस यूनिट को पिरुल स्थानीय ग्रामीण जन उपलब्ध कराएंगे। लोग यूनिट पर आकर पिरुल बेचेंगे। यूनिट पर स्थानीय पिरुल का ही उपयोग किया जाएगा।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) रूड़की



संक्षिप्त परिचय :- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रूड़की उच्च तकनीकी शिक्षा और इंजीनियरिंग, बुनियादी और व्यावहारिक अनुसंधान में राष्ट्रीय महत्व के अग्रणी संस्थानों में से एक है। अपनी स्थापना के बाद से, संस्थान ने देश को तकनीकी जनशक्ति और जानकारी प्रदान करने और अनुसंधान को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संस्थान दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तकनीकी संस्थानों में शुमार है और इसने तकनीकी विकास के सभी क्षेत्रों में योगदान दिया है। इसे विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में एक ट्रेड-सेंटर भी माना गया है। संस्थान इंजीनियरिंग और वास्तुकला के 10 विषयों में स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम और इंजीनियरिंग, एप्लाइड साइंस, वास्तुकला और योजना के 55 विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान करता है। संस्थान के सभी विभागों और अनुसंधान केंद्रों में डॉक्टरेट कार्य की सुविधा है। संस्थान में प्रवेश करने हेतु आईआईटी जेईई एवं गेट की परीक्षाएं राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिवर्ष किसी एक आईआईटी द्वारा आयोजित करायी जाती है। परीक्षाओं की जानकारी वैबसाइट में भी दी जाती है। वर्तमान में ए.आई. की बढ़ती डिमांड के अनुसार, संस्थान के अनवरत शिक्षा केन्द्र द्वारा विभिन्न सरकारी/अर्धसरकारी संगठनों/सार्वजनिक और निजी उपक्रमों और उद्योगों में सेवारत और पेशेवर व्यक्तियों के लिए विशेष पाठ्यक्रम जिसमें विभिन्न एजेंसियों व संगठनों द्वारा प्रायोजित कोर्स भी आयोजित किये जाते हैं। विगत तीन वर्षों में लगभग 50 ओपन कोर्स, 70 लघु अवधि के पाठ्यक्रम इस केन्द्र द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डेटा विज्ञान एवं मशीन लर्निंग, डेटा विज्ञान एवं प्रबंधको के लिए AI इत्यादि विषयों पर अनुकूलित पाठ्यक्रम तैयार कर, संबंधित फैकल्टी की उपलब्धतानुसार कराये गए हैं।

1. संस्थान के नियमित स्नातक/स्नातकोत्तर/डॉक्टर ऑफ फिलोसफी शैक्षणिक पाठ्यक्रमों का विवरण निम्नवत है :-

क्र० सं०	योजना/सेवा का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	पूर्वस्नातक कोर्स (B.Tech/ Bachelor of Science/ B.Arch./ Dual Degree BS-MS/ Integrated M.Tech/ Integrated M.Sc)*	छात्रों को उनकी वैश्विक आकांक्षाओं के साथ भविष्य के लिए तैयार करना।	- उम्मीदवार को अनिवार्य विषयों के रूप में भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित के साथ बारहवीं कक्षा (या समकक्ष) परीक्षा में उपस्थित/उत्तीर्ण होना चाहिए। - उम्मीदवारों को जेईई (मेन) के बी.ई./बी.टेक पेपर में शीर्ष 2,50,000 सफल उम्मीदवारों (सभी श्रेणियों सहित) में से एक होना चाहिए। - कक्षा XII (या समकक्ष) बोर्ड परीक्षा में कम से कम 75% कुल अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए कम से कम 65% कुल अंक। या कक्षा 12वीं (या समकक्ष) बोर्ड परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की श्रेणीवार शीर्ष 20 प्रतिशतता में शामिल होना चाहिए।	प्रत्येक वर्ष मार्च-अप्रैल माह में जेईई एडवान्सड का विज्ञापन पूर्व में एन0टी0ए0 द्वारा आयोजित जेईई मुख्य परीक्षा के रिजल्ट के पश्चात्, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु विज्ञापित होता है। JEE Advanced द्वारा चयनित एवं B. Arch के लिए अतिरिक्त परीक्षा आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट (AAT) उत्तीर्ण उम्मीदवारों को संयुक्त सीट आवंटन प्राधिकरण (Joint Seat Allocation Authority or JoSAA) द्वारा।

*सिविल इंजीनियरिंग, रासायनिक इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग, विद्युत इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग, धातुकर्म और सामग्री इंजीनियरिंग, वास्तुकला, डेटा विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भौतिकी, रसायनिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूवैज्ञानिक प्रौद्योगिकी इत्यादि।

2	स्नातकोत्तरकोर्स (M.Tech) M.Arch., MURP)**	एम.टेक कार्यक्रम प्रासंगिक क्षेत्रों में इंजीनियरिंग के उन्नत अध्ययन के पश्चात् उद्योग एवं रिसर्च के लिये तैयार करना।	- स्नातक की डिग्री उत्तीर्ण उम्मीदवार - गेट (GATE) योग्य उम्मीदवार सामान्य, ई0डब्ल्यू0एस0 एवं ओ0बी0सी0 श्रेणी के उम्मीदवारों को योग्यता डिग्री स्तर पर 10 अंक के पैमाने पर कम से कम 60% अंक या 6.00 का सीजीपीए प्राप्त किया होना चाहिए, तथा एस.सी0/एस0टी0/पी0डी0 श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए, यह प्रतिशत 10 अंक के पैमाने पर 55% या 5.50 सीजीपीए है। - आई0आई0टी0 स्नातकों को गेट परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना सीधे प्रवेश हेतु 10 अंको के पैमाने पर न्यूनतम 8.00 सीजीपीए होना चाहिए।	सामूहिक प्रस्ताव स्वीकृति पोर्टल (Common Offer Acceptance Portal or COAP) द्वारा
---	--	---	--	--

3	स्नातकोत्तरकोर्स – एम.टेक. बांध सुरक्षा एवं पुनर्वास (M.TECH. DAM SAFETY AND REHABILITATION)	विश्लेषणात्मक, परिचालनात्मक और क्षेत्रीय समझ विकसित करने के लिए एम.टेक. छात्रों को बांध सुरक्षा से संबंधित पाठ्यक्रमों से अवगत कराकर उचित समाधान खोजने के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान पद्धति, नीतिगत पहलुओं और कौशल प्रदान करना।	1. गेट (GATE) योग्य उम्मीदवारों को सिविल इंजीनियरिंग में बी.ई./बी.टेक डिग्री/समकक्ष, मान्य गेट स्कोर के साथ योग्य उम्मीदवार। 2. प्रायोजित उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग पात्रता मानदंड।	GATE उत्तीर्ण उम्मीदवार आई0आई0टी0रूड़की के PG पोर्टल के निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध information brochure https://iitr.ac.in/Academics/Admission.html से विस्तृत जानकारी ले सकते हैं।
4	स्नातकोत्तरकोर्स – एम.एस.सी. (M.Sc) # (बायोटेक्नोलॉजी विषय को छोड़कर)	बुनियादी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के अग्रणी क्षेत्रों के साथ-साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतःविषय क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए।	स्नातक डिग्री उत्तीर्ण उम्मीदवार या वर्तमान में स्नातक कार्यक्रम के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत उम्मीदवार।	मास्टर्स के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा (Joint Admission Test for Masters or JAM)

** रासायनिक इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, भूकंप इंजीनियरिंग, विद्युत अभियांत्रिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग, यांत्रिक और औद्योगिक इंजीनियरिंग, जल विज्ञान, वास्तुकला, धातुकर्म और सामग्री इंजीनियरिंग, शहरी और ग्रामीण नियोजन में स्नातकोत्तर (M.U.R.P.) इत्यादि।

रसायन, अर्थशास्त्र, गणित, अनुप्रयुक्त भूविज्ञान।

5	स्नातकोत्तरकोर्स – एम.एस.सी. – बायोटेक्नोलॉजी (M.Sc. Biotechnology)	एम.एस.सी. बायोटेक्नोलॉजी कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षण और अभ्यास की अंतःविषय प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञान लाभ, रचनात्मकता और बायोटेक कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक आकर्षक वातावरण प्रदान करना है।	जीवविज्ञान/जैवप्रौद्योगिकी/कृषि, संबद्ध के किसी भी प्रासंगिक क्षेत्र में स्नातक की डिग्री (3/4/5 वर्ष)	आई0आई0टी0रूड़की प्रवेश पोर्टल पर प्रत्येक वर्ष प्रवेश सूचना जारी होने के पश्चात विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी जाती है।
6	डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (Ph. D)	अध्ययन के चुने हुए क्षेत्र में, रचनात्मकता, नवाचार और ज्ञान की सीमाओं के बीच तालमेल	संस्थान के पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु पात्र होने के लिए आवेदक के पास उपयुक्त क्षेत्र में विभागवार कोई एक	आई0आई0टी0रूड़की प्रवेश पोर्टल पर प्रत्येक वर्ष प्रवेश सूचना जारी होने के पश्चात विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी

		विकसित करना।	निम्नलिखित योग्यताओं में से एक शैक्षणिक योग्यता पूरी करनी होगी। 1. मास्टर डिग्री व सामान्य, ई0डब्ल्यू0एस0 और ओ0बी0सी0 श्रेणी आवेदकों के लिए सीजीपीए 6.0 या 60% अंक व एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी श्रेणी हेतु न्यूनतम 5.50 या 55% अंक। - राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा जैसे—GATE/CEED/JEST/UGC-NET/CSIR-NET उत्तीर्ण जिसमें लेक्चरशिप (सहायक प्रोफेसरशिप) या समकक्ष या राष्ट्रीय स्तर की कोई फेलोशिप धारक। 1. स्नातक की डिग्री (4 साल) व सभी श्रेणियों के आवेदकों के लिए सीजीपीए 7.50 या 75% अंक। 2. सभी श्रेणियों के आवेदक जिनके पास आई0आई0टी0 से स्नातक या मास्टर डिग्री हो व सीजीपीए 8.0 या उससे अधिक हो। 3. एम.बी.बी.एस./बी.ए.एम.एस./बी.एच.एम.एस/बी.डी.एस. डिग्री धारकों के लिए सीजीपीए 6 या 60% अंक। 4. मास्टर ऑफ सर्जरी (एम.एस.) /डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (एम.डी.) डिग्री वाले आवेदकों को न्यूनतम सीजीपीए से छूट दी गई है।	जाती है। सामान्य न्यूनतम पात्रता मानदंड के लिए नीचे दिए लिंक का प्रयोग करें : https://iitr.ac.in/Academics/static/Admission/PhD/Rolling/2024/Ph.D._Rolling_IB_A_2024.pdf
7	मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA)	पाठ्यक्रम संरचना को मुख्य प्रबंधन अवधारणाओं का ज्ञान प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है।	1. CAT स्कोर के साथ स्नातक 2. आई.आई.टी.स्नातक, दस अंक पैमाने पर सीजीपीए 7 या उससे अधिक के साथ (IIT-JEE के माध्यम से प्रवेशित) को कैट स्कोर की आवश्यकता से छूट दी गई है।	आई.आई.टी. रुड़की प्रवेश पोर्टल पर प्रत्येक वर्ष जनवरी— फरवरी माह में प्रवेश सूचना जारी होने के पश्चात् विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। छात्रों का चयन कैट स्कोर साक्षात्कार इत्यादि आधारित होता है।

8	कार्यकारी एम.बी.ए (Executive MBA)	उद्योगों के साथ विभाग का मजबूत संबंध प्रदान करना। पाठ्यक्रम को "डिग्री" के रूप में पेश करना ताकि इसका उपयोग प्रतिभागियों द्वारा भविष्य की पढ़ाई के लिए किया जा सके।	उम्मीदवार के पास 65% अंको या समकक्ष ग्रेड अंको (एस.सी./एस.टी. के लिए 60% अंको या समकक्ष ग्रेड अंको) के साथ स्नातक की डिग्री एवं स्नातक के बाद चार साल का प्रासंगिक कार्य अनुभव होना चाहिए। प्रवेश की विस्तृत जानकारी एवं योग्यता संस्थान के प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध रहती हैं।	छात्रों का चयन व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर।
9	इंडस्ट्री प्रोफेशनल के लिए एम.टेक (वी.एल.एस.आई.) M. Tech (VLSI)	प्रारंभिक/मध्य कैरियर प्रोफेशनल के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करने के लिए संरचना विकसित करना।	1. बी.टेक. (ई.सी.ई./ई.ई./ई. आई.) या समकक्ष, एम.एस.सी. (भौतिकी /इलेक्ट्रॉनिक्स) 2. 10 पॉइंट स्केल पर कम से कम 6.00 का सीजीपीए या 60% अंक।	प्रवेश परीक्षा एवं ऑनलाइन साक्षात्कार।

आई0 आई0 टी0 रुड़की में रुचि रखने वाले सभी जनमानस को यह भी सूचनीय है कि इस संस्थान द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के विकास के लिए उपरोक्त सेवाओं के अतिरिक्त, समय-समय पर विभिन्न परियोजनाओं का संचालन भी किया जा रहा है।

वर्तमान में कुछ मुख्य योजनाएँ निम्न प्रकार हैं:-

1. उत्तराखण्ड की वनस्पतियों से प्राप्त बायोमास का जैव ईंधन जैसे उच्च मूल्य वाले उत्पादों में रूपांतरण।
2. उत्तराखण्ड के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण करते हुए स्वच्छ खाना पकाने की ईंधन ऊर्जा।
3. उत्तराखण्ड के पहाड़ी क्षेत्र में, यूएवी और उपग्रह डेटा का उपयोग करके, मिलेट (ज्वार, बाजरा आदि) की वृद्धि की निगरानी और भविष्यवाणी।
4. भौगोलिक संकेतों के माध्यम से कारीगरों और ग्रामीण समुदाय का सामाजिक सशक्तिकरण।
5. डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ बायो-एनर्जी रिसर्च (डी आई बी ई आर), डी.आर.डी.ओ., हल्द्वानी, उत्तराखण्ड द्वारा वित्त पोषित, बायोगैस को बायो सीएनजी में अपग्रेड करने के लिए असेंबली का डिजाइन और विकास।
6. भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित, उत्तराखण्ड में महत्वपूर्ण जल स्रोतों का पारिस्थितिक स्वास्थ्य संकेतक मूल्यांकन।



सी.एस.आई.आर. - केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की (उत्तराखंड) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार

CSIR – Central Building Research Institute, Roorkee(Uttarakhand)
Ministry of Science and Technology, Government of India



संक्षिप्त विवरण— सीएसआईआर—केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की, को भारत की सेवा में भवन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सृजन और संवर्धन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 1947 में अपनी स्थापना के बाद से, संस्थान भवन निर्माण और निर्माण सामग्री उद्योगों को निर्माण सामग्री, स्वास्थ्य निगरानी और संरचनाओं के पुनर्वास, आपदा न्यूनीकरण, अग्नि सुरक्षा और ऊर्जा, कुशल ग्रामीण और शहरी आवास की समस्याओं के लिए समय पर, उचित और किफायती समाधान खोजने में सहायता कर रहा है। संस्थान विकास प्रक्रिया में अनुसंधान और विकास के माध्यम से लोगों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है और अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क बनाए रखता है। सभी विस्तृत जानकारी सीएसआईआर—सीबीआरआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

दृष्टि (विजन)

सीएसआईआर-सीबीआरआई भवन निर्माण/आवास योजना और निर्माण के रूप में काम करना, जिसमें भवन निर्माण सामग्री, प्रौद्योगिकी, अग्नि इंजीनियरिंग और आपदा न्यूनीकरण शामिल है।

उद्देश्य (मिशन)

भवन और आवास के सभी पहलुओं पर अनुसंधान और विकास करना और सभी प्रकार की इमारतों में आपदा न्यूनीकरण सहित नियोजन, डिजाइनिंग, निर्माण, सामग्री और निर्माण की समस्याओं को हल करने में भवन उद्योग की सहायता करना।

प्रमुख गतिविधियाँ

- भवन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सभी पहलुओं पर बुनियादी और अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं विकास का अनुसरण
- अनुबंध अनुसंधान एवं विकास
- सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की एजेंसियों से प्रायोजित अनुसंधान
- परामर्श सेवाएँ

प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण

- ज्ञान/सूचना का प्रसार
- कोड और शिक्षण मैनुअल
- प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार और कार्यशाला

आरएंडडी (R&D) समूह

1. वास्तुकला और योजना एवं ऊर्जा दक्षता (एपीईई)
1. भू-तकनीकी इंजीनियरिंग और भू-खतरे (जीईजीएच)
2. संरचनात्मक इंजीनियरिंग (एसई)
3. भवन सामग्री और पर्यावरण स्थिरता (बीएमईएस)
4. उन्नत कंक्रीट, स्टील और कम्पोजिट (एसीएससी)
5. निर्माण स्वचालन और रोबोटिक्स (सीएएंडआर)
6. अग्नि सुरक्षा इंजीनियरिंग (एफएसई)



7. विरासत और विशेष संरचनाएं (एचएसएस)
8. सीबीआरआई दिल्ली केंद्र (सीडीसी)

अनुसंधान एवं विकास प्रबंधन कार्यालय अनुसंधान योजना और व्यवसाय विकास

- परियोजना निगरानी और मूल्यांकन
- परियोजनाएं और तकनीकी सेवाएं
- बौद्धिक संपदा
- अनुसंधान परिषद की गतिविधियां
- व्यवसाय विकास समूह
- प्रौद्योगिकी हस्तांतरण
- एमओयू/एमओए, सहयोग और सह-नवाचार
- संस्थान डेटा प्रबंधन

आउटरीच और प्रसार सेवाएं

- छात्र प्रशिक्षण प्रकोष्ठ
- कौशल विकास प्रकोष्ठ
- कार्यक्रम और व्याख्यान प्रकोष्ठ
- प्रकाशन, मीडिया और पीआर प्रकोष्ठ

निदेशक का अनुसंधान प्रकोष्ठ

- आरएंडडी विंग
- डेटा और एडमिन विंग

प्रशासनिक कार्यालय

प्रशासन

वित्त एवं लेखा

भंडार एवं क्रय

ज्ञान संसाधन केंद्र

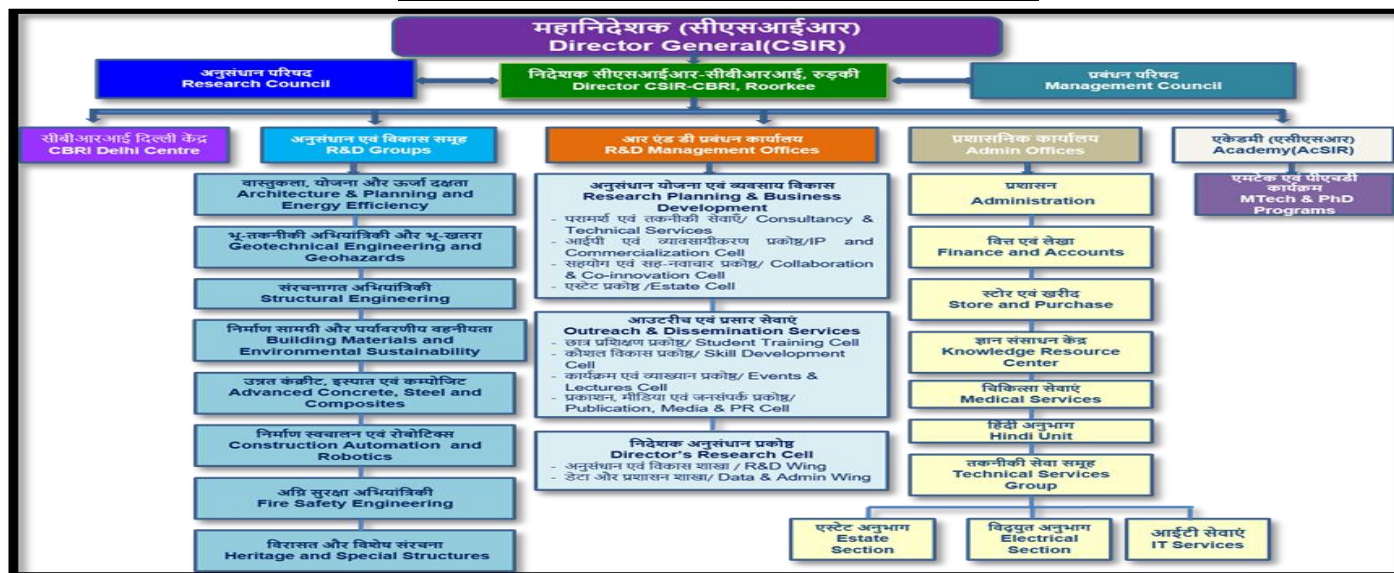
चिकित्सा सेवाएं

इकाई तकनीकी सेवा समूह (एस्टेट, विद्युत)

अकादमी (एसीएसआईआर) – एमटेक एवं पीएचडी कार्यक्रम



सीएसआईआर-सीबीआरआई संगठनात्मक आरेख



सीएसआईआर-सीबीआरआई – आउटरीच और प्रसार सेवाएँ

छात्र प्रशिक्षण सत्र, प्रदर्शनियाँ, विशेषज्ञ व्याख्यान और विशेष आयोजनों सहित कौशल वृद्धि और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की एक व्यापक श्रृंखला प्रदान करता है। संस्थान संस्थागत प्रकाशनों का प्रबंधन भी करता है और निर्माण क्षेत्र में नवीनतम ज्ञान, सूचना और व्यावहारिक कौशल का प्रसार करने के लिए मीडिया कवरेज सुनिश्चित करता है। इन प्रयासों का उद्देश्य संस्थान की वैज्ञानिक और सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा करना, रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना और पूरे देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है, जिससे निर्माण उद्योग की समग्र उन्नति में योगदान मिलता है।



गतिविधियाँ

सीएसआईआर — एकीकृत कौशल पहल	उन्नत भवन निर्माण प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों के क्षेत्र में कौशल को बढ़ाकर और उन्नत करके विभिन्न व्यावसायिक स्तरों पर उच्च गुणवत्ता वाले मानव संसाधन पूल का निर्माण करना। इस पहल का उद्देश्य आधुनिक निर्माण प्रथाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक नवीनतम ज्ञान, उपकरण और कार्यप्रणाली से व्यक्तियों को लैस करना है, जिससे भवन उद्योग में नवाचार और दक्षता को बढ़ावा मिले। उद्देश्य एवं लक्ष्य: - कार्यान्वयन एजेंसियों की नवीनतम भवन प्रणालियों एवं प्रौद्योगिकियों पर ज्ञान का उन्नयन। - भवन निर्माण उद्योगों के लिए कुशल मानव संसाधन का एक समूह तैयार करना। - सीएसआईआर-सीबीआरआई के मुख्य योग्यता क्षेत्रों में रोजगारोन्मुखी कौशल कार्यक्रम विकसित करना। - राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सीएसआईआर एकीकृत कौशल पहल, राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद और क्षेत्रीय परिषदों के साथ कौशल कार्यक्रमों को संरेखित करना। - व्यावहारिक शिक्षा पर जोर देते हुए बाजार/उद्योग संचालित पाठ्यक्रम विकसित करना। सीएसआईआर-सीबीआरआई निम्नलिखित विषयों पर कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है: - बहु-खतरा प्रतिरोधी निर्माण प्रणालियाँ - इमारतों का पुनर्वास/रेट्रोफिटिंग - विरासत भवन - इमारतों के लिए अग्नि सुरक्षा और निकासी डिज़ाइन - इमारतों में जलरोधक उपचार - निर्माण सामग्री के रूप में बांस का उपयोग - आंशिक रूप से पूर्वनिर्मित भवन निर्माण - सुधारित ग्रामीण आवास और स्वच्छता - आपदा सुरक्षित भवन निर्माण अभ्यास - कम लागत वाली आवास और स्वच्छता प्रणाली - पूर्वनिर्मित और पूर्वनिर्मित भवन घटक - पर्यावरण अनुकूल नई निर्माण सामग्री का उत्पादन और उपयोग - भूस्खलन नियंत्रण उपाय - संरचनात्मक कीट प्रबंधन
---	---

	● व्यावसायिक प्रशिक्षण पात्रता / लाभार्थी संस्थान नियमित रूप से आवास, ग्री फ़ैब निर्माण, आपदा प्रतिरोधी और ऊर्जा कुशल इमारतों, और विभिन्न हित धारकों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के निर्माण के क्षेत्रों में कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिससे समाज और पूरे देश को लाभ मिल रहा है। उल्लेखनीय योगदान देने वालों में इंजीनियर, ठेकेदार, ग्रामीण, छात्र, कुशल और अर्ध-कुशल जनशक्ति आदि शामिल हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत इंजीनियरों, ठेकेदारों और निर्माण पेशेवरों के माध्यम से गुणवत्ता, सुरक्षा, स्थायित्व, आपदा प्रतिरोधी और तकनीकी रूप से उन्नत आवास स्टॉक के साथ लागत प्रभावी आवास योजनाओं के निर्माण के लिए कुशल जनशक्ति विकसित करना। आवेदन एवं चयन प्रक्रिया ● प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरणिका संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है जिसकी सहायता से इच्छुक प्रतिभागी आवेदन करते हैं। ● प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुल्क ऑनलाइन माध्यम से लिया जाता है। ● प्रशिक्षण कार्यक्रम कोई अवधि निर्धारित नहीं है, कुछ एक दिवसीय एवं कुछ बहुदिवसीय। ● प्रतिभाग करने के लिए सर्वप्रथम गूगल फॉर्म के माध्यम से आवेदन मांगे जाते हैं। ऑफलाइन माध्यम में आयोजित कार्यक्रमों में आयोजन स्थल के आसपास के कॉलेजों के छात्र तथा आमजन कार्यक्रम में प्रतिभाग ले सकते हैं। नोडल अधिकारी: इंजी. आशीष पिप्पल, वरिष्ठ वैज्ञानिक, ईमेल: ashish [at] cbri-res-in] फ़ोन: 01332–283219 सह-नोडल अधिकारी: डॉ. ताबिश आलम, वरिष्ठ वैज्ञानिक, ईमेल: tabishalam [at] cbri-res-in] फ़ोन: 01332–283226
सीएसआईआर समन्वित जिज्ञासा 2.0	सीएसआईआर-सीबीआरआई राज्य सरकार के स्कूलों के सहयोग से और वर्चुअल लैब के एकीकरण के साथ जिज्ञासा 2.0 पहल के तहत सक्रिय रूप से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए, प्रगतिशील भारत के निर्माण के दृष्टिकोण और "वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व (एसएसआर)" की अवधारणा से प्रेरित हैं। इस पहल का उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक जिज्ञासा जगाना और समाज में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इन प्रयासों के माध्यम से, कार्यक्रम का उद्देश्य विज्ञान की गहरी समझ और प्रशंसा विकसित करना है, छात्रों को रोजमर्रा की जिंदगी और भविष्य की प्रगति पर इसके प्रभाव का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है। जिज्ञासा का उद्देश्य ● केवीएस, एनवीएस, राज्य सरकार और अन्य स्कूलों को सीएसआईआर की प्रयोगशालाओं से जोड़ना। ● छात्रों को सीएसआईआर प्रयोगशालाओं में जाकर विज्ञान में सिखाई गई सैद्धांतिक अवधारणाओं को व्यावहारिक रूप से जीने में सक्षम बनाना। ● विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से स्कूली छात्रों में जिज्ञासा और वैज्ञानिक सोच की संस्कृति को विकसित करना।

- शिक्षा में प्रयोग और नवीनता को प्रोत्साहित करना
- प्रारंभिक स्तर पर छात्रों की छिपी हुई संभावित प्रतिभा को पोषित करके विज्ञान को बढ़ावा देना।
- उभरते वैश्विक/राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- वंचित समुदायों में वैज्ञानिक सोच पैदा करना

जिज्ञासा सहभागिता के मॉडल

- सीएसआईआर स्थापना दिवस और प्रयोगशाला स्थापना दिवस समारोह
- महत्वपूर्ण जागरूकता दिवस
- शिक्षक के रूप में वैज्ञानिक
- प्रयोगशाला विशिष्ट गतिविधियाँ /ऑनसाइट प्रयोग
- वैज्ञानिकों का स्कूलों में दौरा /आउटरीच कार्यक्रम
- स्कूलों में लोकप्रिय व्याख्यान श्रृंखला/प्रदर्शन कार्यक्रम
- विज्ञान प्रदर्शनी
- छात्र आवासीय कार्यक्रम
- शिक्षक को सलाह देना और मार्गदर्शन करना
- छात्रों और शिक्षकों में वैज्ञानिक सोच पैदा करना।

पात्रता /लाभार्थी

कक्षा 12 तक के स्कूली छात्र (लड़के और लड़कियाँ)।

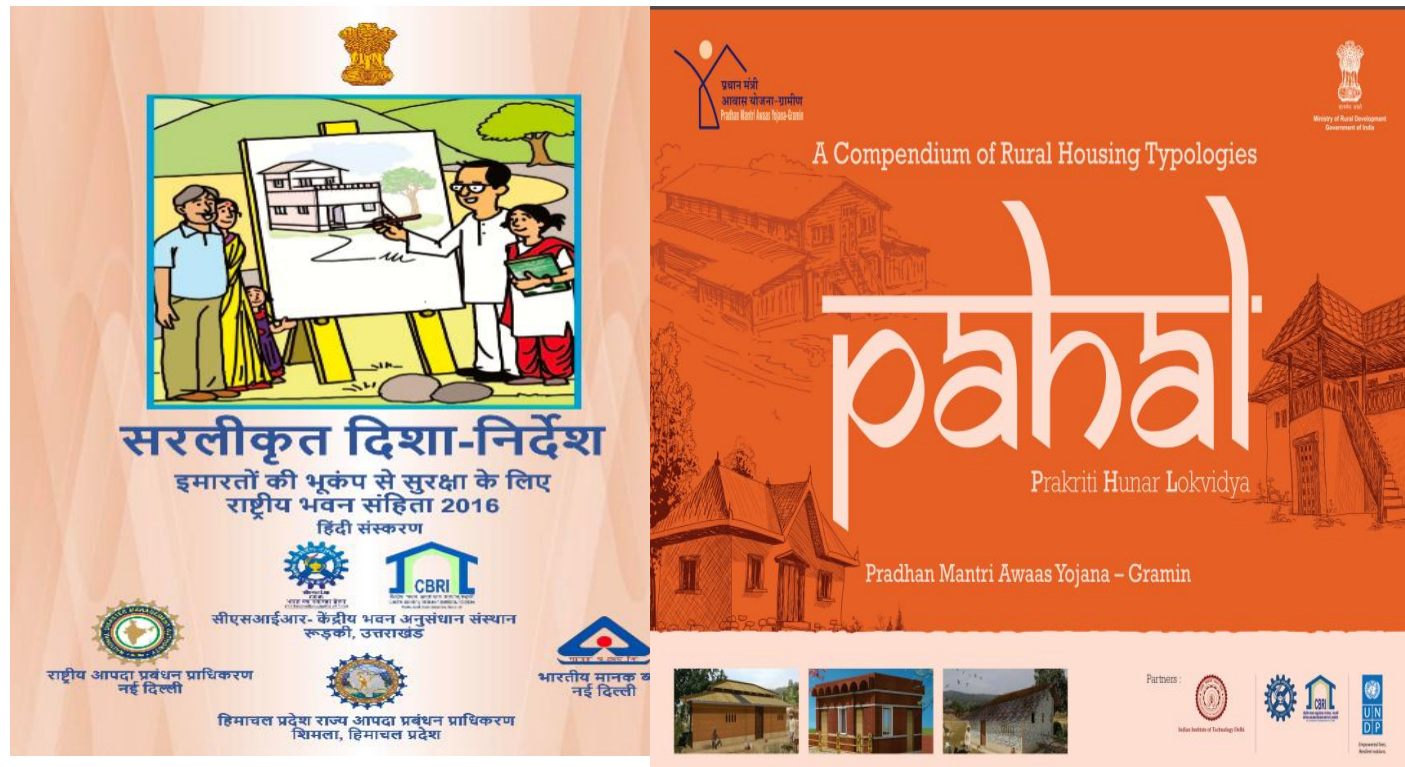
आवेदन एवं चयन प्रक्रिया

सीएसआईआर-सीबीआरआई जिज्ञासा छात्र-वैज्ञानिक संपर्क कार्यक्रम के नोडल अधिकारी:
 श्री नदीम अहमद, मुख्य वैज्ञानिक, ओडीएस कार्यालय, सीएसआईआर-सीबीआरआई, रुड़की
 ईमेल: nasrrlj @ cbri.res.in फोन: 1332-283241, मोबाइल नंबर 98973 14949

छात्र प्रशिक्षण	तीन वर्षीय डिप्लोमा कार्यक्रम, तीसरे और चौथे वर्ष के बी.टेक., बी.ई., और बी.आर्क. डिग्री, साथ ही एम.एससी., एम.टेक., एम.ई., एम.आर्क. और एमयूआरपी पाठ्यक्रमों में नामांकित स्नातकोत्तर छात्रों सहित विभिन्न शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों के लिए अल्पकालिक इंटरनशिप/प्रशिक्षण, शोध कार्य के अवसर और शोध प्रबंध/परियोजना कार्य को डिजाइन और कार्यान्वित करना। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य छात्रों को व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना, तकनीकी कौशल को बढ़ाना और उनके शैक्षणिक और व्यावसायिक विकास में योगदान देना है। पात्रता/लाभार्थी इंटरनशिप की अवधि: डिप्लोमा: न्यूनतम 2 महीने से अधिकतम 6 महीने बी.ई./बी.टेक/बी.आर्क— न्यूनतम 2 महीने से अधिकतम 6 महीने एम.ई./एम.टेक/एम.आर्क/एमयूआरपी : न्यूनतम 3 महीने से अधिकतम 1 वर्ष एम.एससी./एमसीए— न्यूनतम 3 महीने से अधिकतम 6 महीने सीएसआईआर—सीबीआरआई सीमित संख्या में प्रशिक्षुओं को स्वीकार करता है। प्रशिक्षण के लिए अनुरोध ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से किया जा सकता है। शुल्क संरचना स्तर के अनुसार उम्मीदवार द्वारा एक बार भुगतान किया जाने वाला शुल्क: तीन वर्षीय डिप्लोमा छात्र : रु. 500/— बी.टेक./बी.ई./बी.आर्क./एम.एससी./एमसीए/एम.टेक/एम.ई. / एम.आर्क./एमयूआरपी छात्र: रु. 1,000/— आवेदन एवं चयन प्रक्रिया इच्छुक छात्र निम्नलिखित वेबसाइट पर जाकर अपने रुचि के क्षेत्र का उल्लेख करते हुए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं: https://cbri.res.in चयनित उम्मीदवारों को अलग से ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा, जिसके बाद उन्हें सीएसआईआर—सीबीआरआई में पंजीकरण के समय प्रशिक्षण शुल्क जमा करना होगा। उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने संस्थान से प्राप्त पाठ्यक्रम कार्य की मांग को प्रमाणित करने वाले पत्र की स्कैन की हुई प्रति अपलोड करें। सीटों की उपलब्धता और आपके अनुरोध के आधार पर, संस्थान उम्मीदवार को प्रतिक्रिया देगा। उम्मीदवार द्वारा भेजा गया आवेदन उसके अनुरोध की पुष्टि के रूप में माना जाएगा। प्रशिक्षु का चयन उम्मीदवार की उपयुक्तता और संस्थान में आवश्यकताओं/प्रयोगशाला स्थान पर निर्भर करेगा समन्वयक छात्र प्रशिक्षण अधिक विशिष्ट प्रश्न – कृपया saturn.cell@cbri.res.in पर ईमेल भेजें।
-----------------	---

प्रौद्योगिकी/तकनीकी जानकारी प्रक्रिया – उद्योगों, गैर सरकारी संगठनों, जन साधारण के लिए

सीएसआईआर-सीबीआरआई व्यावसायिक गतिविधियों का समन्वय कर के संस्थान के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए सेवाएँ भी प्रदान करता है। संस्थान सिद्ध प्रौद्योगिकियों के मौजूदा क्षेत्रों में सहायता करके और तकनीकी विकास की ओर नई कंपनियों को आकर्षित कर के संस्थान और बाहरी एजेंसियों के बीच एक पुल का काम करता है। संस्थान सार्वजनिक क्षेत्र और निजी उद्यमियों के लिए प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण के लिए योजनाबद्ध और व्यवस्थित तरीके से व्यवसाय के नए क्षेत्रों की पहचान और विश्लेषण करता है। संस्थान उद्योगों, गैरसरकारी संगठनों, एमएसएमई, जन/समाज को प्रौद्योगिकी, जानकारी और तकनीक भी प्रदान करता है।



विभिन्न तकनीकों को वाणिज्यिक और आवास में सीधे कार्यान्वयन (प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से)	सीएसआईआर-सीबीआरआई, रुड़की में प्रसार के लिए निम्नलिखित प्रौद्योगिकियाँ उपलब्ध हैं: • भूमिगत क्षैतिज बोरिंग मशीन • स्वायत्त चढ़ाई रोबोट • सी-ब्रिकमशीन (अपग्रेडेड वर्जन) • कोटास्टोन वेस्ट से बिल्डिंग उत्पाद • ज़िग-ज़ैगसेटिंग के साथ हाईड्राफ्ट ईट भट्टों का डिज़ाइन • सीमेंट आधारित वर्मी क्यू लाइट टाइलें • कंक्रीट ब्लॉक बनाने की मशीन • पत्थरों की चुपचाप दरार के लिए विशाल मोर्टार का विकास • अग्नि रोधी जल विकर्षक कैनवास • जिप्सम-वर्मी क्यूलाइट-पलाई ऐश हल्के वजन का प्लास्टर • आरसी बीम-कॉलम जोड़ों में यांत्रिक एंकरेज सिस्टम के रूप में हेडेड बार • ईंटों को जलाने के लिए हाईड्राफ्ट भट्टी • हाईवॉल्यूम पलाईऐश-जिप्सम कम्पोजिट प्लास्टर • हाइ ब्रिडरी बार कपलर • आरसी संरचनाओं की सुरक्षा के लिए आईपीएन कोटिंग • अल्ट्रा सोनिक पल्स वेलो सिटी का उपयोग करके कंक्रीट और पत्थर की चिनाई संरचनाओं में छिपी विसंगतियों की इमेजिंग • अस्पतालों, आवास और अन्य उद्देश्यों के लिए अस्थायी इमारतें। • पेवर ब्लॉक और अन्य बिल्डिंग घटकों का निर्माण, सी एंड डी कचरे से टाइलें/ईंटें • नैनो लाइम का निर्माण • सिलिका नैनोकणों का निर्माण • आंतरिक ईंधन आधारित पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा कुशल जली हुई मिट्टी की ईंटों का निर्माण • मिनी क्लाइम्बिंग क्रेन • एक्स टूडे डक्ले उत्पादों के लिए अर्ध-स्वचालित कटिंग टेबल • स्थिर कंक्रीट ब्लॉक निर्माता, और अन्य इन तकनीकों का उपयोग कर के भवन निर्माण की गुणवत्ता और स्थायित्व में सुधार किया जा सकता है। पात्रता/लाभार्थी
--	---

	इस योजना के लिए पात्रता में भारतीय नागरिक, भवन निर्माण और संबंधित क्षेत्रों में रुचि रखने वाले उद्योग और व्यक्ति, और वे व्यक्ति शामिल हैं जो तकनीकी और वैज्ञानिक ज्ञान रखते हैं और जो निर्माण और आवास से संबंधित अनुसंधान और विकास में योगदान देना चाहते हैं। आवेदन एवं चयन प्रक्रिया आप संपर्क कर सकते हैं: प्रमुख योजना और व्यवसाय विकास फ़ोन: +91.1332.283287 फ़ैक्स: +91.1332.272272 ईमेल: dpkanungo @ cbri.res.in
विशेष कार्यक्रम/यात्रा	प्रतिनिधियों, छात्रों और अन्य विशिष्ट अतिथियों के लिए विशेष कार्यक्रमों और यात्राओं के आयोजन में समन्वय और सुविधा प्रदान करना, साथ ही प्रभावी जनसंपर्क प्रबंधन सुनिश्चित करना। इसके अतिरिक्त, इन गतिविधियों की दृश्यता और संचार को बढ़ाने के लिए प्रेस और मीडिया कवरेज की देखरेख करना।
व्याख्यान श्रृंखला	भवन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रमुख विशेषज्ञों की विशेष व्याख्यान श्रृंखला आयोजित करना, जिसका लक्ष्य ज्ञान के आदान-प्रदान, नवाचार और अनुशासन में प्रगति को बढ़ावा देना है।
संस्थान प्रकाशन	संस्थान के प्रकाशन, जिनमें वार्षिक रिपोर्ट, भावना और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज शामिल हैं जो संस्थान की उपलब्धियों और पहलों पर प्रकाश डालते हैं।

वैज्ञानिक एवं नवीन अनुसंधान अकादमी / Academy of Scientific & Innovative Research (AcSIR)

भारत सरकार द्वारा ढांचागत सुविधाओं के निर्माण की पहल के साथ निर्माण क्षेत्र में बड़ी राशि का निवेश किया जा रहा है। सभी आर्थिक क्षेत्रों में आवास की भारी कमी और देश में आवास क्षेत्र के विकास और वृद्धि को दिए जाने वाले महत्व के साथ यह उम्मीद की जाती है कि देश निकट भविष्य में आवास उद्योग में एक नया क्षितिज देखेगा। मेक इन इंडिया, इनोवेट इन इंडिया, स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट विलेज, स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा और किफायती आवास की अवधारणाएँ देश में तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं।

देश के विकास के लिए आवश्यक प्रमुख अवसरचनाओं में से एक, आवास के महत्व को पहचानते हुए, CSIR – केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की (CBRI), CSIR की प्रमुख प्रयोगशालाओं में से एक, “बिल्डिंग इंजीनियरिंग और आपदा न्यूनीकरण (BEDM)” में मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी (MTech) और इंजीनियरिंग और विज्ञान में PhD की ओर ले जाने वाला एक एकीकृत कार्यक्रम पेश कर रहा है। एकीकृत कार्यक्रम इस तरह से डिज़ाइन किया गया है

कि सफल उम्मीदवार को कार्यक्रम पूरा होने पर एमटेक और पीएचडी दोनों डिग्री प्राप्त होंगी, जबकि उन उम्मीदवारों के लिए अवसर मौजूद है जो दो साल के सफल समापन के बाद कार्यक्रम छोड़ना चाहते हैं और बीईडीएम में एमटेक की डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं।

आपदा न्यूनीकरण का विषय भूकंप, भूस्खलन और आग के जोखिम को कम करने की आवश्यकता को पर्याप्त रूप से पूरा करता है जो अक्सर बुनियादी ढांचे को नष्ट कर देते हैं और तबाही मचाते हैं। देश ने अतीत में ऐसी कई आपदाएँ देखी हैं। आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक बहु-विषयक विशेषज्ञता संस्थान में उपलब्ध है और पाठ्यक्रम इन विषयों पर छात्रों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस प्रकार पाठ्यक्रम सिद्धांत और व्यवहार दोनों का एक आदर्श मिश्रण है। इस प्रयोगशाला में काम करने वाले वैज्ञानिकों के समृद्ध अनुभव से आकर्षित होकर, पाठ्यक्रम प्रतिभागियों को ठोस सैद्धांतिक ज्ञान और व्यावहारिक साइट अनुभव प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ऐसा अनूठा अवसर देश में कहीं और उपलब्ध नहीं है। साथ ही यह कार्यक्रम अपने आप में अनूठा है।

कार्यक्रम में सीटों की संख्या

एकीकृत कार्यक्रम के लिए उपलब्ध सीटों की कुल संख्या 10 (दस) है।

प्रवेश प्रक्रिया और प्रवेश के लिए पात्रता

इंजीनियरिंग स्नातक जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग/निर्माण इंजीनियरिंग/भवन विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बी.टेक/बी.ई /बी.एससी (इंजीनियरिंग) पूरा कर लिया है, वे कार्यक्रम के लिए पात्र हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया सीएसआईआर की वेबसाइट <https://acsir.res.in/> देखें।

फेलोशिप कृपया वेबसाइट <http://www.acsir.res.in/> देखें।

वैज्ञानिक एवं नवीन अनुसंधान अकादमी (पीएचडी कार्यक्रम)

भारत सरकार की उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की पहल के साथ, निर्माण उद्योग में उछाल इस देश में आया है। पिछले कुछ वर्षों में देश ने सड़क क्षेत्र में स्वर्णिम चतुर्भुज का निर्माण और आवास क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विकास देखा है। सड़क क्षेत्र में पूर्व-पश्चिम गलियारा देश के एक छोर से दूसरे छोर तक यातायात और माल की आवाजाही को और सुविधाजनक बना रहा है। सभी आर्थिक क्षेत्रों में आवास की भारी कमी और देश में आवास क्षेत्र के विकास और वृद्धि को दिए जाने वाले महत्व के साथ यह उम्मीद की जाती है कि देश निकट भविष्य में आवास उद्योग में एक नया क्षितिज देखने जा रहा है। किफायती आवास की अवधारणा देश में तेजी से लोकप्रिय हो रही है।

आवास और सड़क दोनों के महत्व को पहचानते हुए, सीएसआईआर की प्रमुख प्रयोगशालाओं में से एक केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की (सीबीआरआई) संरचनात्मक इंजीनियरिंग, भू-तकनीकी इंजीनियरिंग, रासायनिक विज्ञान और पर्यावरण इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में इंजीनियरिंग विज्ञान में पीएचडी कार्यक्रम की पेशकश कर रहा है। प्रयोगशाला में काम करने वाले वैज्ञानिकों के समृद्ध अनुभव से आकर्षित होकर, पाठ्यक्रम कार्य को शोध विद्वानों को ठोस सैद्धांतिक ज्ञान और व्यावहारिक साइट अनुभव प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ऐसा अनूठा अवसर देश में शायद ही कभी उपलब्ध हो। परिसर में लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए पर्याप्त छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है।

कार्यक्रम में सीटों की संख्या

उपलब्ध सीटों की कुल संख्या 5 (पांच) है।

प्रवेश के लिए पात्रता

पीएचडी (विज्ञान): पृथ्वी विज्ञान (भूविज्ञान/भूभौतिकी) या रसायन विज्ञान (अकार्बनिक/कार्बनिक/बहुलक) में मास्टर डिग्री या संक्षारण विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ सामग्री विज्ञान में मास्टर डिग्री, एक वैध राष्ट्रीय स्तर की फ़ैलोशिप (विभिन्न वित्त पोषण एजेंसियों, जैसे सीएसआईआर, यूजीसी, डीबीटी, डीएसटी आदि के जेआरएफ/एसआरएफ), इंस्पायर या अन्य समकक्ष फ़ैलोशिप।

पीएचडी (इंजीनियरिंग): इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी (सिविल-स्ट्रक्चरल, जियोटेक्निकल) में मास्टर डिग्री या इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी (केमिकल/मेटलर्जिकल) में बैचलर डिग्री के साथ कोरोजन साइंस/इंजीनियरिंग में एम.टेक. वैध गेट स्कोर या यूजीसी/सीएसआईआर नेट/एनबीएचएम या वैध सीएसआईआर-एसआरएफ या समकक्ष फ़ैलोशिप।

सेमेस्टर के दौरान अंकों का वेटेज : एक मिड-सेमेस्टर और एक एंड सेमेस्टर परीक्षा होगी। मिड-सेमेस्टर परीक्षा से पहले और बाद में दो क्लास टेस्ट होंगे। एंड सेमेस्टर परीक्षा का वेटेज 40% होगा। मिड सेमेस्टर परीक्षा का वेटेज 30% होगा और दोनों क्लास टेस्ट का वेटेज 10% होगा। शेष 10% वेटेज संबंधित विषयों में सेमिनार, ट्यूटोरियल, सामान्य अनुशासन आदि को दिया जाएगा।

क्रेडिट की आवश्यकता: पीएचडी के लिए न्यूनतम क्रेडिट की आवश्यकता 16 है। कोर्स वर्क के माध्यम से 12 क्रेडिट अर्जित करने होंगे। कम से कम एक कोर्स 700 लेवल का होना चाहिए। कोर्स वर्क के अलावा, उम्मीदवार को सीएसआईआर 800 परियोजना योजना के दर्शन के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में छह से आठ सप्ताह की अवधि की परियोजना पूरी करनी होगी। परियोजना में 2 क्रेडिट होंगे। इसके अतिरिक्त उम्मीदवार को दो परियोजना प्रस्ताव लिखने होंगे।

भारतीय प्रबंध संस्थान, काशीपुर, (IIM) ऊधमसिंहनगर



संक्षिप्त परिचय :- भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011 में स्थापित किया गया है। यह संस्थान नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान को बढ़ावा देने और स्थायी नेतृत्व का अभ्यास करके प्रबंधन शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करने की आकांक्षा रखता है। संस्थान द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जाता है –

- मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए)

पाठ्यक्रम का नाम	मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए)
नियामक परिषद	भारतीय प्रबंधन संस्थान, काशीपुर उत्तराखण्ड
पाठ्यक्रम अवधि	द्विवर्षीय
चयन मापदंड	कृपया क्लिक करें —> https://www.iimkashipur.ac.in/academics/mba/mba-admission
शैक्षिक योग्यता/अर्हता	कृपया क्लिक करें —> https://www.iimkashipur.ac.in/academics/mba/mba-admission

वर्तमान में संचालित संस्थान	भारतीय प्रबन्ध संस्थान, काशीपुर उत्तराखण्ड
शिक्षण शुल्क	कृपया क्लिक करें —> https://www.iimkashipur.ac.in/academics/mba/mba-admission
सम्बद्ध संस्थान का पता ई-मेल आई.डी.	भारतीय प्रबन्ध संस्थान, कुण्डेश्वरी काशीपुर उत्तराखण्ड-244713, Email:- info@iimkashipur.ac.in , Website:- www.iimkashipur.ac.in

● मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन एनालिटिक्स (एमबीएए)

पाठ्यक्रम का नाम	मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन एनालिटिक्स (एमबीएए)
नियामक परिषद	भारतीय प्रबन्ध संस्थान, काशीपुर उत्तराखण्ड
पाठ्यक्रम अवधि	द्विवर्षीय
चयन मापदंड	कृपया क्लिक करें —> https://iimkashipur.ac.in/academics/mba-analytics/mba-analytics-admission
शैक्षिक योग्यता/अर्हता	कृपया क्लिक करें —> https://iimkashipur.ac.in/academics/mba-analytics/mba-analytics-admission
वर्तमान में संचालित संस्थान	भारतीय प्रबन्ध संस्थान, काशीपुर उत्तराखण्ड
शिक्षण शुल्क	कृपया क्लिक करें —> https://iimkashipur.ac.in/academics/mba-analytics/mba-analytics-admission
सम्बद्ध संस्थान का पता ई-मेल आई.डी.	भारतीय प्रबन्ध संस्थान, कुण्डेश्वरी काशीपुर उत्तराखण्ड-244713, info@iimkashipur.ac.in , www.iimkashipur.ac.in Email:- Website:-

● एकजीक्यूटिव मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (ईएमबीए)

पाठ्यक्रम का नाम	एकजीक्यूटिव मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (ईएमबीए)
नियामक परिषद	भारतीय प्रबन्ध संस्थान, काशीपुर उत्तराखण्ड
पाठ्यक्रम अवधि	द्विवर्षीय
चयन मापदंड	कृपया क्लिक करें —> https://iimkashipur.ac.in/academics/executive-mba/eligibility
शैक्षिक योग्यता/अर्हता	कृपया क्लिक करें —> https://iimkashipur.ac.in/academics/executive-mba/eligibility
वर्तमान में संचालित संस्थान	भारतीय प्रबन्ध संस्थान, काशीपुर उत्तराखण्ड, देहरादून परिसर।
शिक्षण शुल्क	कृपया क्लिक करें —> https://iimkashipur.ac.in/academics/executive-mba/fee-structure
सम्बद्ध संस्थान का पता ई-मेल आई.डी.	भारतीय प्रबन्ध संस्थान, कुण्डेश्वरी काशीपुर उत्तराखण्ड-244713, info@iimkashipur.ac.in , Email:- Website:-

• एकजीक्यूटिव मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन एनालिटिक्स (ईएमबीएए)

पाठ्यक्रम का नाम	एकजीक्यूटिव मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन एनालिटिक्स (ईएमबीएए)
नियामक परिषद	भारतीय प्रबन्ध संस्थान, काशीपुर उत्तराखण्ड
पाठ्यक्रम अवधि	द्विवर्षीय
चयन मापदंड	कृपया क्लिक करें —> https://iimkashipur.ac.in/academics/executive-mba-analytics
शैक्षिक योग्यता/अर्हता	कृपया क्लिक करें —> https://iimkashipur.ac.in/academics/executive-mba-analytics
वर्तमान में संचालित संस्थान	भारतीय प्रबन्ध संस्थान, काशीपुर उत्तराखण्ड
शिक्षण शुल्क	कृपया क्लिक करें —> https://iimkashipur.ac.in/academics/executive-mba-analytics
सम्बद्ध संस्थान का पता ई-मेल आई.डी.	भारतीय प्रबन्ध संस्थान, कुण्डेश्वरी काशीपुर उत्तराखण्ड-244713, Email:- info@iimkashipur.ac.in, Website:- www.iimkashipur.ac.in

• डॉक्टरेट कार्यक्रम (पीएचडी)

पाठ्यक्रम का नाम	डॉक्टरेट कार्यक्रम (पीएचडी)
नियामक परिषद	भारतीय प्रबन्ध संस्थान, काशीपुर उत्तराखण्ड
पाठ्यक्रम अवधि	चतुर्थ वर्षीय
चयन मापदंड	कृपया क्लिक करें —> https://iimkashipur.ac.in/academics/doctoral-programme/admission-procedure
शैक्षिक योग्यता/अर्हता	कृपया क्लिक करें —> https://iimkashipur.ac.in/academics/doctoral-programme/admission-procedure
वर्तमान में संचालित संस्थान	भारतीय प्रबन्ध संस्थान, काशीपुर उत्तराखण्ड
शिक्षण शुल्क	कृपया क्लिक करें —> https://iimkashipur.ac.in/academics/doctoral-programme/admission-procedure
सम्बद्ध संस्थान का पता ई-मेल आई.डी.	भारतीय प्रबन्ध संस्थान, कुण्डेश्वरी काशीपुर उत्तराखण्ड-244713, Email:- info@iimkashipur.ac.in, Website:- www.iimkashipur.ac.in

• कार्यकारी विकास कार्यक्रम – ऑनलाइन प्रमाणपत्र कार्यक्रम

उक्त पाठ्यक्रमों के संबंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट में उपलब्ध है।

<https://iimkashipur.ac.in/executive-education/management-development-programmes/about-management-development-programmes>

<https://iimkashipur.ac.in/executive-education/online-certificate-programme>

एमबीए और एमबीए (एनालिटिक्स) संस्थान के पूर्णकालिक दो वर्षीय आवासीय प्रमुख कार्यक्रम हैं। आईआईएम काशीपुर द्वारा कार्यकारी शिक्षा भी प्रदान की जाती है। कार्यकारी शिक्षा के अंतर्गत एमबीए फॉर वर्किंग एक्जीक्यूटिव्स (ईएमबीए) एक विशेष दो-वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम है जो आईआईएम काशीपुर, देहरादून परिसर में सप्ताहांत के दौरान आयोजित किया जाता है, जो विशेष रूप से मध्यम और वरिष्ठ स्तर के पेशेवरों के लिए डिज़ाइन बनाया गया है। संस्थान द्वारा प्रस्तुत एमबीए कार्यक्रम में प्रवेश अखिल भारतीय स्तर पर सामान्य प्रवेश अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षा (CAT) के माध्यम से होता है और पात्रता मानदंड CAT के लिए समान हैं।

संस्थान विशेष अल्पकालिक प्रबंधन विकास कार्यक्रम भी प्रदान करता है। संस्थान ने विभिन्न महत्वपूर्ण संगठनों के साथ साझेदारी भी की है। भारत का ए आई और मशीन लर्निंग में इसका स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र कार्यक्रम और विभिन्न कार्यकारी विकास कार्यक्रम जैसे एप्लाइड वित्तीय जोखिम प्रबंधन, वित्तीय डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग और एनालिटिक्स, उत्पादों और ब्रांडिंग का प्रबंधन, लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन एनालिटिक्स, रणनीतिक प्रबंधन और रणनीति और नेतृत्व, प्रबंधकों को चुस्त बनने और प्रासंगिक बने रहने के लिए आवश्यक कौशल से परिपूर्ण है।

प्रबंधन में डॉक्टरेट कार्यक्रम एक पूर्णकालिक आवासीय कार्यक्रम है जिसे अनुसंधान, शिक्षण और शैक्षणिक करियर के लिए पेशेवरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन तैयार किया गया है। संस्थान ने क्षमता निर्माण के उद्देश्य से कई प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए, जिससे कर्मचारियों को अपने ज्ञान में सुधार करने और संस्थान के भीतर बढ़ने के अवसर प्रदान किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए : जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, इंटरपर्सनल रिलेशन्स/कौशल विकास इत्यादि । आईआईएम काशीपुर, द्वारा नवाचारों को गांव तक पहुंचाने का कार्य नवाचार द्वारा किया जाता है । हालांकि इस हेतु केन्द्र सरकार के योजनाओं के समर्थन की आवश्यकता है। संस्थान ने उत्कृष्टता के तीन केंद्र स्थापित किए हैं, उत्कृष्टता के ये केंद्र अंतःविषय कार्यक्रमों और अनुसंधान की सुविधा प्रदान करते हैं। वर्तमान में, उत्कृष्टता के तीन केंद्र हैं : सार्वजनिक नीति और सरकार पर उत्कृष्टता केंद्र (सीओईपीपीजी), डिजाइन इनोवेशन सेंटर (डीआईसी), फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट (एफआईडी)।

नवाशय-डिजाइन इनोवेशन सेंटर <http://www.navaashay.in/>

भारतीय प्रबंध संस्थान काशीपुर का डिजाइन इनोवेशन सेंटर नवाशय, हिमालयन एजुकेशन लर्निंग प्रोग्राम (HELP) के माध्यम से स्कूली छात्रों और शिक्षकों के लिए दौरे आयोजित करता है। इस पहल का उद्देश्य भविष्य के इंजीनियरों, डिजाइनरों, प्रबंधकों और उद्यमियों को व्यावहारिक अनुभवों के माध्यम से उनकी डिजाइन सोच और नवाचार ज्ञान को बढ़ाने के अवसर प्रदान करके प्रेरित करना है। संस्थान छात्रों, शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों, प्रबंधकों और सरकारी अधिकारियों को इंजीनियरिंग, कृषि, प्रबंधन, सार्वजनिक नीति और अर्थशास्त्र में आवश्यक प्रबंधकीय कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए कार्यशालाएं, अतिथि वक्ता और कैम्पस दौरे हेतु आमंत्रित किया जाता है। अपनी स्थापना के आठ वर्ष बाद 2019 से केन्द्र ने डिजाइन थिंकिंग इनोवेशन पर विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन किया है जिसमें कुल 2616 प्रशिक्षण घंटों के साथ 654 छात्रों को प्रशिक्षित किया गया है। इन कार्यशालाओं में 10 से अधिक स्कूलों ने भाग लिया है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के तीन शहरों के आठ स्कूल और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के दो शहरों के दो स्कूल उपरोक्त कार्यशालाओं से लाभान्वित हुए हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्र ने इस पहल को आगे समर्थन देने के लिए एक स्कूल में अटल टिकरिंग लैब के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह केंद्र उत्तराखंड के स्कूलों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने के लिए भी सुसज्जित है। ये कार्यक्रम डिजाइन सोच और नवाचार में शिक्षकों के कौशल को बढ़ाएंगे, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करेंगे

और छात्रों के बीच रचनात्मकता और समस्या समाधान की संस्कृति को बढ़ावा देंगे। यदि कोई भी अपने संस्थान को शामिल करने में रुचि रखते हैं, तो कृपया आईआईएम काशीपुर से dic@iimkashipur.ac.in पर संपर्क किया जा सकता है। अनुरोध प्राप्त होने पर, संस्थान अपने संसाधन व्यक्तियों की उपलब्धता के आधार पर कार्यशालाओं और परिसर के दौरे का कार्यक्रम तय करेंगे। विवरण निम्नवत है :-

क्र. सं.	योजना/ सेवा का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1-	डिजाइन नवाचार के लिए राष्ट्रीय पहल (एनआईडी आई)	- डिजाइन-संबंधित क्षेत्रों में नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है। - नवप्रवर्तकों को वित्तीय सहायता, बुनियादी ढाँचा समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करता है। - शिक्षा जगत, उद्योग और सरकारी निकायों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। - सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने वाले नवीन उत्पादों और समाधानों के विकास की सुविधा प्रदान करता है। - देश में डिजाइन पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को बढ़ावा देता है।	- शैक्षणिक संस्थान और अनुसंधान संगठन आवेदन करने के पात्र हैं। - आवेदकों को डिजाइन से संबंधित क्षेत्रों जैसे उत्पाद डिजाइन, औद्योगिक डिजाइन, फैशन डिजाइन आदि में नवीन विचारों या परियोजनाओं का प्रदर्शन करना चाहिए। - कई हितधारकों (शिक्षा, उद्योग, सरकार) से जुड़े सहयोगात्मक प्रस्तावों को प्रोत्साहित किया जाता है।	- इच्छुक आवेदक योजना के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रदान किए गए ऑनलाइन पोर्टल या निर्दिष्ट आवेदन पत्र के माध्यम से अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। - आवेदन में प्रस्तावित परियोजना, उसके उद्देश्यों, कार्यप्रणाली, अपेक्षित परिणामों, बजट आवश्यकताओं आदि के बारे में विस्तृत जानकारी शामिल होनी चाहिए। - विशेषज्ञों का एक दल, जिसमें डिजाइन, नवाचार, उद्यमिता और प्रौद्योगिकी जैसे प्रासंगिक क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल हैं, पूर्वनिर्धारित मानदंडों के आधार पर प्रस्तावों का मूल्यांकन करेंगे। - शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदकों को आगे के मूल्यांकन के लिए चयन समिति के सामने अपने प्रस्ताव पेश करने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। - अंतिम चयन प्रस्ताव की योग्यता, संभावित प्रभाव, व्यवहार्यता और एनआईडीआई योजना के उद्देश्यों के साथ संरेखण पर आधारित होगा। - चयनित आवेदकों को योजना के नियमों और शर्तों के अनुसार वित्तीय सहायता, तकनीकी सहायता, सुविधाओं तक पहुंच और अन्य संसाधन प्राप्त होंगे।

स्टार्टअप और नवाचार को प्रोत्साहित करती योजनाएं

फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्यूरशिप डेवलपमेंट (एफआईडीआई) <https://fied.in/>

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट काशीपुर के इन्क्यूबेशन सेंटर एफआईडीआई का उद्देश्य भारत के उद्यमिता पारिस्थितिकी को मजबूत करना है। एफआईडीआई भारत के कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला, हरित ऊर्जा, कचरा प्रबंधन, पर्यटन और आतिथ्य, सामाजिक उद्यमिता और संवेदनशील विकास लक्ष्यों आदि क्षेत्रों में कार्य कर रहे स्टार्टअप्स को इन्क्यूबेशन सुविधा प्रदान करता है। यह व्यापार आईडिया को अधिक बेहतर बनाने, मिनिमम न्यूनतम खरीद योग्य उत्पाद विकसित करने, लंबे और छोटे समय के व्यापार की योजना बनाने, उत्पाद/सेवाओं को बाजार से

जोड़ने, सीड कैपिटल के लिए एंजेल निवेशकों/ वेंचर कैपिटल कंपनियों से जुड़ने, एवं सीड स्तर से सीरीज स्तर तक की वित्तीय व्यवस्था करने में सहयोग करता है।

क्र. सं.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन एवं चयन प्रक्रिया
1.	आरकेवीवाई रफ्तार एग्री बिजनेस इनक्यूबेशन प्रोग्राम (RABI)— कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार	- चयनित सीड स्टेज/प्री सीड स्टेज स्टार्टअप के लिए कृषि उद्यमिता पर ओरिएंटेशन। - चयनित सीड स्टेज स्टार्टअप को अधिकतम रु. 25 लाख की अनुदान सहायता प्रदान की जाएगी। - चयनित प्री सीड/ आइडिया स्टेज स्टार्टअप को योजना के तहत रु. 5 लाख की अनुदान सहायता प्रदान की जाएगी। - आर के वी वाई रफ्तार योजना के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में कार्य कर रहे मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को अपने नवीन उत्पादों अथवा अभिनव प्रयासों के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा चुने गए इन्क्यूबेशन सेंटर्स के माध्यम से रु. 5 लाख से रु. 25 लाख तक अनुदान सहायता प्रदान किया जाता है। इस सहायता के लिए स्टार्टअप को कहीं से ऋण लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर उद्यमी अपना पूंजी लगाना चाहे तो भी वह	- कृषि क्षेत्र में कार्य कर रहे स्टार्टअप जिन्होंने प्रोडक्ट, प्रोसेस या बिजनेस मॉडल में नवीनता का प्रदर्शन किया हो - स्टार्टअप को डीपीआईआईटी द्वारा परिभाषित स्टार्टअप के मानदंडों को पूरा करना चाहिए - प्री सीड स्टेज स्टार्टअप को उत्पाद या सेवा को विकसित करने के लिए एक बिजनेस आईडिया होना चाहिए जिसमें मार्केट फिट/प्रूफ ऑफ कांसेप्ट/प्रोटोटाइप मौजूद हो। - प्राप्तकर्ता को समय-समय पर डीपीआईआईटी की अधिसूचना के अनुसार एक भारतीय स्टार्टअप होना चाहिए। यह समर्थन एमएनसी / विदेशी कंपनियों की भारतीय सहायक कंपनियों के लिए नहीं है। - स्टार्टअप के पास मार्केट फिट, व्यावसायिकीकरण, आगे बढ़ने के अवसर के साथ मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट/सर्विस की मौजूदगी हो। - स्टार्टअप को अपने मूल प्रोडक्ट या सर्विसेज या बिजनेस मॉडल में नवीनता/स्थानीय पहुँच का उपयोग करना चाहिए।	- स्टार्टअप्स के चयन हेतु आईआईएम काशीपुर FIED द्वारा आवेदन मंगाई जाएँगी जिसका प्रचार-प्रसार उनकी वेबसाइट्स और अन्य चैनलों के माध्यम से किया जाएगा। - इस कार्यक्रम के लिए सभी आवेदक निर्धारित प्रारूप के अनुसार आवेदन करेंगे। - आवेदक अपने स्टार्टअप के पात्रता मानदंड के आधार पर एक समय में प्री-सीड अथवा सीड फंडिंग दोनों में से किसी एक के लिए आवेदन कर सकता है। - आईआईएम काशीपुर FIED स्टार्टअप्स को रीजनल इन्क्यूबेशन समिति को प्रस्तुत करने से पहले अपने स्तर पर प्रारंभिक स्क्रीनिंग कर सकता है। कृषि में नवाचार करने वाले स्टार्टअप्स जिनकी किसानों और मौजूदा कृषि प्रणाली में बेहतर पहुँच और प्रभाव हो को प्राथमिकता दी जाएगी। - सेंट्रल इन्क्यूबेशन समिति (सीआईसी) जो की नॉलेज पार्टनर के स्तर पर गठित की जाती है रीजनल इन्क्यूबेशन समिति (आरआईसी) की

		इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान किये जाने वाले अनुदान का लाभ ले सकता है।		सिफारिश पर स्टार्टअप का मूल्यांकन करते हुए अनुदान की मात्रा और माइलस्टोन को लेकर फैसला करेगी।
2.	स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना – उद्योग और आंतरिक व्यापार विकास विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।	- स्टार्टअप के प्रूफ ऑफ कांसेप्ट वेलिडेशन, प्रोटोटाइप विकास, या उत्पाद परीक्षण के लिए अधिकतम रुपये 20 लाख के रूप में अनुदान। यह अनुदान माइलस्टोन आधारित किस्तों में वितरित किया जाएगा। इन माइलस्टोन्स का सम्बन्ध उत्पाद प्रोटोटाइप, उत्पाद परीक्षण, मार्केट लॉन्च के लिए तैयार उत्पाद का निर्माण, आदि से हो सकता है। - स्टार्टअप को मार्केट एंट्री, व्यवसायीकरण अथवा स्केलिंग के लिए 50 लाख रुपये कनवर्टिबल डिबेंचर, डेब्ट अथवा डेब्ट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट के रूप में मिल सकता है। - एक स्टार्टअप आवेदक योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार एक बार ग्रांट और डेब्ट/कनवर्टिबल डिबेंचर्स के रूप में सीड फंडिंग का लाभ उठा सकता है।	- ऐसे स्टार्टअप, जिसे डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त हो, आवेदन के समय दो वर्ष से पुराना न हो। - स्टार्टअप के पास उत्पाद या सेवा विकसित करने का एक बिजनेस आईडिया होना चाहिए जो मार्केट फिट, व्यावसायीकरण एवं स्केलिंग के आधार पर अनुकूल हो। - स्टार्टअप को लक्षित समस्या को हल करने के लिए अपने मुख्य उत्पाद या सेवा, या व्यवसाय मॉडल, या वितरण मॉडल, या कार्यप्रणाली में प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहिए। - सोशल इम्पैक्ट, कचरा प्रबंधन, जल प्रबंधन, वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, जैव प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवाएं, ऊर्जा, गति, रक्षा, अंतरिक्ष, रेलवे, तेल और गैस, वस्त्रोद्योग, आदि जैसे क्षेत्रों में नवाचारी हल बनाने वाले स्टार्टअप्स को अधिकतम प्राथमिकता दी जाएगी। - कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2018 के अनुसार, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना के लिए इनक्यूबेटर में आवेदन	- स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर निरंतर आधार पर स्टार्टअप्स को आवेदनों के लिए ऑनलाइन कॉल की जाती है। डीपीआईआईटी- मान्यता प्राप्त स्टार्टअप योजना के लिए आवेदन करने के लिए स्टार्टअप मान्यता प्रक्रिया के दौरान उपयोग किए गए क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं। आवेदन जमा करना पूरी तरह से ऑनलाइन है, और दस्तावेजों को भौतिक रूप से जमा करने की आवश्यकता नहीं है। - प्रत्येक स्टार्टअप के आवेदन की समीक्षा स्टार्टअप द्वारा आवेदन किए गए चुने गए इनक्यूबेटर्स द्वारा गठित एक इनक्यूबेटर सीड प्रबंधन समिति (आईएसएमसी) द्वारा की जाएगी। समिति भविष्य में स्टार्टअप के प्रदर्शन के मूल्यांकन और आगे की किस्तों के वितरण के लिए भी जिम्मेदार होगी। - स्टार्टअप के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित पैरामीटर शामिल हैं :व्यवहार्यता, संभावित प्रभाव, नयापन, स्टार्टअप की टीम, फंड

		• किसी भी नवाचारी स्टार्टअप में कार्य कर रहे महिला अथवा पुरुष उद्यमी को प्रोत्साहन अथवा इन्क्यूबेशन सहायता के लिए आई आई एम काशीपुर स्थित इन्क्यूबेशन सेंटर फीड द्वारा किसी भी प्रकार का कोई शुल्क अथवा न्यूनतम धनराशि नहीं लिया जाता है।	• के समय स्टार्टअप में भारतीय प्रमोटरों की हिस्सेदारी कम से कम 51% होनी चाहिए। • एक स्टार्टअप आवेदक स्टार्टअप इंडिया सीड फण्ड योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार ग्रांट और डेब्ट/कनवर्टिबल डिबेंचर के रूप में एक बार ही सहायता प्राप्त कर सकता है।	यूटिलाइजेशन प्लान, प्रेजेंटेशन कोई अतिरिक्त पैरामीटर।
--	--	--	---	---

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (STPI)—देहरादून।



संक्षिप्त परिचय :- सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक प्रमुख साइंस एवं टेक्नोलॉजी संगठन है, 1991 में अपनी स्थापना के बाद से एसटीपीआई राष्ट्रीय स्तर पर समान और समावेशी आईटी विकास की दिशा में काम कर रहा है जिससे सॉफ्टवेयर निर्यात, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) और सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास को बढ़ावा देने में मदद की है। 11 क्षेत्राधिकार निदेशालयों और 65 केंद्रों के साथ, एसटीपीआई ने आईटी/आईटीईएस उद्योग का समर्थन करने के लिए अपनी सेवाओं का पूरे देश में विस्तार किया है।

एसटीपीआई के उद्देश्य/कार्य इस प्रकार हैं :

- क) सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) समर्थित सेवाएं जैव-आई टी सहित सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर सेवाओं के विकास और निर्यात को बढ़ावा देना।
- ख) सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (एसटीपी)/इलेक्ट्रॉनिकी और हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (ईएचटीपी) योजनाओं तथा इनके जैसी अन्य योजनाओं, जोकि सरकार द्वारा समय-समय पर निरूपित करके सौंपी जाती हैं, को कार्यान्वित करके निर्यातकों को संवैधानिक तथा संवर्धन सेवाएं उपलब्ध कराना।
- ग) आईटी/आईटी समर्थित सेवाओं (आईटीईएस) सम्बद्ध उद्योगों को मूल्य संवर्धित सेवाओं सहित डेटा संचार सेवाएं उपलब्ध करना।
- घ) आईटी/आईटीईएस के क्षेत्र में उद्यमशीलता के लिए सहायक वातावरण सृजित करके छोटे, लघु व मझोले उद्यमियों को बढ़ावा देना।

उपरोक्त उद्देश्यों के अलावा एसटीपीआई, इन्टरनेट ऑफ चिप्स (IoT), ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग (ML), कंप्यूटर विज्ञान, रोबोटिक्स, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन (RPA), ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी, एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट, गेमिंग के लिए विभिन्न डोमेन के लिए डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स, फिनटेक, एग्रीटेक, मेडटेक, ऑटोनॉमस कनेक्टेड इलेक्ट्रिक एंड शेयर्ड मोबिलिटी (एसीईएस), ईएसडीएम, साइबर सिक्योरिटी, इंडस्ट्री 4.0, ड्रोन, एफिशिएंसी ऑगमेंटेशन आदि जैसे उभरती हुई तकनीकी के क्षेत्र में IT/ITES उद्योग, नवाचार, रिसर्च एवं डेवलपमेंट, स्टार्टअप्स, उत्पाद आईपी निर्माण को बढ़ावा देने में लगा हुआ है।

उपरोक्त प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में भारत के नेतृत्व स्थापित करने के लिए एसटीपीआई सहयोगात्मक तरीके से देश भर में सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप/टेक्नोलॉजी (CoE/Technology) इन्क्यूबेटर्स की स्थापना कर रहा है। अब तक, एसटीपीआई ने 24 सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप (CoE) लॉन्च किए हैं।

एसटीपीआई ने अगली पीढ़ी की उष्मायन योजना (एनजीआईएस) शुरू की है, जो स्टार्टअप्स को व्यापक समर्थन और सेवाओं की पेशकश करने के लिए एक फ्यूचरिस्टिक इन्क्यूबेशन योजना है और राष्ट्रीय स्तर पर एसटीपीआई इस योजना के अंतर्गत 12 स्थानों (देहरादून सहित) से स्टार्टअप शुरू करने के लिए सीड फंडिंग एवं स्टार्टअप की भी सहायता दी जा रही है।

क्र० स०	योजना/सेवा का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	एनजीआईएस चुनौती (NGIS CHUNAUTI) कार्यक्रम	1. स्टार्टअप सीड फंडिंग राशि रु 25.00 लाख रुपये तक। 2. स्टार्टअप राशि रु 10,000/ प्रति इर्न (अधिकतम 03 के लिए)/ प्रति स्टार्टअप (अधिकतम 06 माह तक) 3. बुनियादी ढांचा सुविधा तत्काल जैसे कार्यशील प्लग एंड प्ले स्थान, उच्च गति इंटरनेट सुविधा। 4. मेंटरशिप 5. सॉफ्टवेयर उत्पाद सुरक्षा परीक्षण के लिए पूर्ण विकसित सुरक्षा और भेद्यता परीक्षण सुविधा	1—यह चुनौती भारतीय स्टार्ट—अप्स से प्रस्ताव/ आवेदन आमंत्रित करती है जो सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास से संबंधित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। 2— स्टार्ट—अप इंडिया कार्यक्रम के तहत DPIIT के साथ पंजीकृत स्टार्ट—अप्स को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। 3—व्यक्तिगत शिक्षाविद, शोधकर्ता, शिक्षक, उद्यमी, साझेदारी फर्म,	चुनौती (CHUNAUTI) कार्यक्रम में, एक व्यक्ति या एक स्टार्टअप सीड फंड प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है, जिसकी राशि 25.00 लाख रुपये तक हो सकती है। इस कार्यक्रम में, स्टार्टअप लगातार आवेदन कर सकता है। उन्हें टीम, विचार, एमवीपी, राजस्व विवरण आदि के बारे में विवरण भरना होगा। एक बार आवेदन पूरा होता है, तो यह तीन चरणों के चयन प्रक्रिया से गुजरता है। Stage 1: पूर्व छानबीन समिति (PSC) संभावित स्टार्टअप को शॉर्टलिस्ट करती है। पीएससी में कम से कम 5 सदस्य होते हैं। प्रत्येक पीएससी में कम से कम एक एनजीआईएस संस्थान से एसटीपीआई अधिकारी और दो मेंटर/बाहरी सदस्य (उस स्थान के एनजीआईएस मेंटर पूल/केपीसे) होते हैं। Stage 2: एक बार, पीएससी की सिफारिश के बाद, शॉर्ट लिस्टेड स्टार्टअप को पूर्ण—प्रस्तावना अवसर

			LLP भी भाग ले सकते हैं, हालांकि, यदि उन्हें चुना जाता है तो उन्हें एक निर्धारित समय (अधिमानत: 3 महीने के भीतर) में निजी लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकरण करना होगा।	प्रदान किया जाता है जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधन समिति (RMC) की उपस्थिति होती है। RMC प्रस्तुती की गुणवत्ता के आधार पर सीड या स्टार्टअप या छूट के लिए सिफारिश कर सकती है। स्टार्टअप के लिए, आरएमसी तीन महीने बाद प्रगति का अवलोकन करती है और प्रगति के आधार पर सीड के लिए सिफारिश कर सकती है। Stage 3: एक बार, स्टार्टअप को सीड के लिए सिफारिश की जाती है, तो निवेश प्रबंधक द्वारा विस्तार से विजिलेंस की जाती है। यदि यह मानदंड रखता है और निवेश समिति को विचार या कंपनी में मान्यता मिलती है, तो वह इक्विटी वित्तीय के तौर पर रुपये 25.00 लाख तक की राशि जारी कर सकती है। एनजीआईएस योजना के तहत चुनौती (CHUNAUTI) कार्यक्रम में आवेदन एसटीपीआई के स्टार्टअप कम्युनिटी नेटवर्क पोर्टल https://sayuj.stpi.in/ के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। एनजीआईएस योजना के अलावा एसटीपीआई के देश में स्थित अन्य उद्यमशीलता केन्द्रों (COE) के माध्यम से समय-समय पर संचालित ओपन चैलेंज प्रोग्राम में भी उक्त पोर्टल से आवेदन किया जा सकता है।
2	ऊष्मायन सुविधाएं (Incubation facilities)	i) उत्पाद विकास या अनुसंधान एवं विकास में लगी कंपनियों को किराये में 40% तक की छूट मिलती है। ii) जो कंपनियां उत्पाद विकास या अनुसंधान एवं विकास में शामिल नहीं हैं, उन्हें किराये में 20% तक की छूट	आईटी/आईटीईएस एवं इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के उद्यमी	आवेदन प्रक्रिया: 1. चेकलिस्ट के आधार पर इन्क्यूबेटी को आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन भरना होगा। ऑनलाइन आवेदन का लिंक इस प्रकार है: https://stpiworkspace.stpi.in/

	मिलती है। iii) उत्पाद विकास या अनुसंधान एवं विकास में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के नेतृत्व वाली कंपनियों को किराये में 50% तक की छूट मिलती है। iv) उत्पाद विकास या अनुसंधान एवं विकास में शामिल न होने वाली एससी/एसटी नेतृत्व वाली कंपनियों को किराये में 40% तक की छूट मिलती है। v) महिला नेतृत्व वाले उद्यमियों को अतिरिक्त 5% की छूट मिलती है। vi) दिव्यांगजन उद्यमियों को अतिरिक्त 5% की छूट मिलती है। 2. रियायती कीमतों पर विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान की जाती है। 3. उपयोग के आधार पर संबंधित सुविधाएं जैसे रिसेप्शन, कॉन्फ्रेंस / मीटिंग रूम, पर्याप्त पार्किंग स्थान, 24X7 इन्क्यूबेशन सेवा समर्थन और एनओसी (नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर) और 24X7 पावर बैकअप (DG & UPS) की सुविधा प्रदान की जाती है।		चयन प्रक्रिया: इनक्यूबेशन स्थान का विज्ञापन वेब-साइटों और अन्य विपणन चैनलों के माध्यम से किया जाएगा। संभावित इनक्यूबेटर्स के प्रस्तावों का विश्लेषण संबंधित केंद्र द्वारा विभिन्न मापदंडों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है। 2. विश्लेषित प्रस्ताव सलाहकार बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा, जो उसके बाद कंपनी/व्यक्ति आदि को स्थान देने का निर्णय लेगा। 3. सलाहकार बोर्ड विभिन्न मापदंडों जैसे कर्मचारियों की संख्या, प्रस्ताव की कुल लागत, अनुसंधान एवं विकास घटक का प्रतिशत आदि के आधार पर प्रस्ताव की जांच करेगा।
--	---	--	--

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) ऋषिकेश देहरादून



क्र.सं.	सेवा/कार्यक्रम का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया/चयन प्रक्रिया
1	बाह्य रोगी (ओपीडी) सेवा	रोग का निदान	समस्त रोगी	सर्वप्रथम गेट नंबर 03 से मरीज का प्रवेश (सुरक्षा कर्मी मरीज को सेवावीर से आभा टोकन लेने के लिए मार्गदर्शन करते हैं यानी ओपीडी पंजीकरण के बाहर सेवावीर काउंटर से। मरीज के परिचारक को सेवावीर टीम द्वारा आभा टोकन जारी किया जाता है। रजिस्ट्रेशन स्टाफ मरीज से उसकी बीमारी/समस्या के बारे में पूछता है। मरीज ओ.पी.डी पर्ची लेता है और संबंधित विभाग में जाता है और अपने इलाज करने वाले डॉक्टर से परामर्श करते हैं। यदि डॉक्टर ने किसी जांच/भर्ती का सुझाव दिया है तो मरीज पंजीकरण क्षेत्र में वापस आ जाते हैं। बिलिंग काउंटर से बिल लेने के बाद मरीज जांच/वार्ड के लिए वापस जाते हैं। रोगी संबंधी सभी पूछताछ के लिए संपर्क नंबर— 8475000144, 24 घंटे उपलब्ध है।
2	ऑनलाइन नियुक्ति/अपॉइंटमेंट	स्वास्थ्य सेवाओं तक मरीजों की पहुंच हेतु ऑनलाइन अपॉइंटमेंट प्रणाली है।	समस्त रोगी	एम्स ऋषिकेश की वेबसाइट www.aiimsrishikesh.edu.in पर जाएं। रोगी देखभाल, टैब पर क्लिक करें और ओपीडी सेवाएं चुनें। ओपीडी सेवा अनुभाग के तहत, आप उस विभाग का चयन कर सकते हैं जिसके लिए आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं। फिर आपको

				एक नए पृष्ठ पर निर्देशित किया जाएगा जहां आप अपनी नियुक्ति के लिए तारीख और समय का चयन कर सकते हैं। अपनी सुविधा और उपलब्धता के अनुसार पसंदीदा स्लॉट चुनें। एक बार जब आप स्लॉट चुन लेते हैं, तो आपको कुछ बुनियादी विवरण भरने होंगे जैसे कि आपका नाम, पता, संपर्क नंबर और ईमेल पता। यदि लागू हो तो आपको अपने डॉक्टर के नुस्खे या रेफरल पत्र की स्कैन की हुई प्रति भी अपलोड करनी होगी। सभी आवश्यक विवरण भरने के बाद, अपनी नियुक्ति बुक करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें। आपकी अपॉइंटमेंट की सफल बुकिंग के बाद आपको एक पुष्टिकरण संदेश और एक अपॉइंटमेंट आईडी प्राप्त होगी।
3	टेलीमेडिसिन सेवाएं	मरीज निम्नलिखित तरीकों से एम्स ऋषिकेश में टेलीमेडिसिन सेवाओं तक पहुंच सकते हैं : 1. हब और स्पोक मॉडल के माध्यम से टेलीपरामर्श (ई-संजीवनी) 2. फोन कॉल के माध्यम से टेली फॉलो – अप (7302895044) टेलीपरामर्श सेवा	समस्त रोगी	टेलीपरामर्श सेवा का उपयोग करने के लिए, मरीज निकटतम स्पोक केंटर में जाता है और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की सहायता से ई-संजीवनी पोर्टल पर पंजीकरण कराता है। • पंजीकरण और परामर्श: पंजीकरण के बाद, स्पोक केंटर एम्स ऋषिकेश में हब कंप्यूटर से संपर्क करता है। इसके बाद मरीज इस प्रणाली के माध्यम से एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श प्राप्त कर सकता है। यह प्रक्रिया ई-संजीवनी के हब और स्पोक मॉडल का उपयोग करके मरीजों को दूर से ही विशेषज्ञ चिकित्सा सलाह प्राप्त करना सुनिश्चित करती है। टेली फॉलो-अप सेवा टेली फॉलो-अप के लिए, एम्स ऋषिकेश निम्नलिखित प्रदान करता है:- • पात्रता : केवल वे मरीज जो पहले एम्स ऋषिकेश में इलाज करा चुके हैं और एम्स ओपीडी नेटवर्क पर पंजीकृत हैं, इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं। • अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग :- मरीजों को उनके फॉलो-अप कॉल के लिए एक तारीख और समय आवंटित किया जाता है, जिसे संबंधित विभाग के संकाय को सूचित किया जाता है। • फॉलो-अप कॉल विभाग मरीजों की निरंतर देखभाल और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए फॉलो-अप परामर्श आयोजित करने के लिए स्मार्टफोन का उपयोग करता है।

4	हेली आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं	गंभीर रूप से बीमार या घायल रोगियों को त्वरित चिकित्सा सहायता और परिवहन प्रदान करने के लिए हेली आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं प्रदान करता है। हेली सेवाएं चिकित्सा उपकरणों तथा प्रशिक्षित स्वास्थ्य पेशेवरों से सुसज्जित है।	गंभीर रूप से बीमार या घायल रोगी। विशेष रूप से दूरदराज या दुर्गम क्षेत्रों में लोगों के लिए।	सर्वप्रथम टोल-फ्री नंबर : 18001804278 पर अथवा ईमेल: heli@aiimsrishikesh.edu.in पर अवगत कराया जा सकता है तथा चिकित्सा प्रयोजनों के लिए, रोगी को एम्स ऋषिकेश में स्थानांतरित करने के लिए निकटतम पीएचसी/सीएचसी के सीएमओ से संपर्क किया जाना चाहिए। सीएमओ द्वारा आगे अनुरोध किया जाना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए, आप ट्रॉमा टेलीमेडिसिन टीम से traumatelemedicine@aiimsrishikesh.edu.in पर संपर्क कर सकते हैं।
5	एम्स, ऋषिकेश की एम्बुलेंस सेवाएं	एम्स ऋषिकेश मरीजों को अस्पताल लाने-ले जाने के लिए 24 घंटे एम्बुलेंस सेवाएं प्रदान करता है।	समस्त मरीज जो आपातकाल में अस्पताल में आना चाहते हैं या अस्पताल से जाना चाहते हैं।	एम्स ऋषिकेश में कुल पांच एम्बुलेंस हैं :- ● 2 बेसिक लाइफ सपोर्ट (बी.एल.एस) एम्बुलेंस ● 2 उन्नत कार्डियोवास्कुलर लाइफ सपोर्ट (एसीएलएस) एम्बुलेंस ● 1 बेसिक एम्बुलेंस (केवल रोगी परिवहन के लिए) एम्बुलेंस सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया – एम्स से भर्ती मरीजों या परिवहन के लिए 1. एम्बुलेंस सेवाओं की आवश्यकता वाले मरीजों को आपातकालीन चिकित्सा विभाग में ट्राइएज काउंटर से संपर्क करना चाहिए। ट्राइएज अधिकारी एक मूल फॉर्म भरने के बाद मरीज की स्थिति और आवश्यकताओं के आधार पर एम्बुलेंस सेवा प्रदान करेगा। 2. शुल्क एक राउंड ट्रिप के लिए दर ₹14 प्रति किमी है, जिससे 70 किमी तक की दूरी तय की जा सकती है। ● 70 किमी से अधिक दूरी के लिए चिकित्सा अधीक्षक से अनुमति आवश्यक है। एम्बुलेंस सेवा के लिए संपर्क जानकारी— ● ट्राइएज अधिकारी— 7060005868, एम्बुलेंस चालक— 8126787624
6	रोबोटिक सर्जरी स्वास्थ्य सेवा में क्रांति	एम्स ऋषिकेश रोबोट— असिस्टेड सर्जरी करता है। मरीज को तत्काल	समस्त मरीज	2018 में रोबोटिक सर्जरी शुरू करने के बाद से एम्स ऋषिकेश ने लगातार यूरोलॉजी, स्त्री रोग, बाल चिकित्सा सर्जरी, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और सामान्य सर्जरी जैसे विभागों में उन्नत रोबोट-सहायक प्रक्रियाएं प्रदान की हैं, और 1500 से अधिक

		राहत दिलाने में सहायक।		सर्जरी सफलतापूर्वक की हैं।
7	जन औषधि केंद्र स्टोर सेवाएँ,	ओपीडी और आईपीडी रोगियों के लिए सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं और सर्जिकल आइटम उपलब्ध कराना और रोगियों की जेब से होने वाले खर्च को कम करना।	समस्त मरीज	अस्पताल के परिसर में जन औषधि केंद्र है। डॉक्टर द्वारा लिखी गयी दवाईयां/ सर्जिकल आइटम यहां से खरीदे जा सकते हैं।
8	एम्स ऋषिकेश में अंग प्रत्यारोपण	एम्स ऋषिकेश में अंग प्रत्यारोपण सेवाएं उपलब्ध हैं।	संबंधित मरीज	नेत्र व किडनी ट्रांसप्लांट वर्तमान में चल रहे हैं। लिवर प्रत्यारोपण, ब्रेन डेथ डिक्लेरेशन और कैडवेरिक ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांटेशन की अनुमति राज्य सरकार से प्राप्त हो गयी है यह सुविधा भी भविष्य में प्रारम्भ हो जाएगी।
9	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम	मानसिक रोग का उपचार,	आंतरिक रोगी सुविधा सहित सभी मानसिक रोगी	एम्स ऋषिकेश में पंजीकरण के उपरांत डॉक्टरों द्वारा परामर्श एवं काउंसलिंग की जाती है।
10	आयुष्मान भारत योजना	आयुष्मान भारत योजना में पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज किया जाता है।	आयुष्मान कार्ड धारक मरीज।	आयुष्मान कार्ड धारक मरीज यदि चिकित्सालय में भर्ती होता है तो उसका 05 लाख तक का निशुल्क इलाज कराया जाता है। यदि आयुष्मान कार्ड न बना हो तो उसके लिए राशन कार्ड एवं आधार कार्ड की आवश्यकता होती है, जो अस्पताल में भी बनाया जा सकता है।
11	आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (आभा कार्ड)	आभा कार्ड बनाने से मरीज के सारे इलाज के डाक्यूमेंट्स इसमें सुरक्षित हो जाते हैं और मरीज को अस्पताल में रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ता क्यू आर स्कैन	समस्त नागरिक/ मरीज	आभा कार्ड बनाने के लिए आधार कार्ड और मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक हो उसकी आवश्यकता होती है। अस्पताल में मरीज के ओपीडी पंजीकरण या आईपीडी पंजीकरण दोनों में आभा कार्ड का लाभ ले सकते हैं। आभा में पंजीकरण कोई भी नागरिक स्वयं भी कर सकता है।

		करके टोकन जेनरेट हो जाता है।		
12	राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम	उत्तराखण्ड राज्य के 0 से 18 साल तक के बच्चे का MoU के अनुसार आर.बी.एस.के अंतर्गत आने वाली विभिन्न सर्जरी का निशुल्क इलाज किया जाता है।	उत्तराखण्ड के डी.ई. आई.सी (District Early Intervention Centre) से सन्दर्भित किये गए 0 से 18 साल तक के बच्चे। अथवा एम्स ऋषिकेश में सीधे पहुँचने वाले रोगी।	राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में दी गयी दिशा-निर्देश के अनुसार विभिन्न सर्जरी का निशुल्क इलाज (Neural tube Defects] Cleft lip and Cleft Palate] Talipes (club foot), Developmental Dysplasia of the Hip (DDH), Congenital Heart Disease (CHD), Retinopathy of Prematurity] Otitis Media] Rheumatic Heart Disease] Dental Caries] Vision Impairment (न्यूरल ट्यूब दोष, कटे होंठ और कटे तालु, टैलिप्स (क्लब फुट), कूल्हे का विकासत्मक डिसप्लेसिया (डीडीएच), जन्मजात हृदय रोग (सीएचडी), प्रीमैच्योरिटी की रेटिनोपैथी, ओटिटिस मीडिया, आमवाती हृदय रोग, दंत क्षय, दृष्टि हानि) आदि।
13	राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम- निक्षय पोषण योजना	रु. 500 प्रति माह, टी. बी. का उपचार चलने तक की अवधि तक (राज्य द्वारा)	टी. बी. के सभी नये मरीजों के लिए	जहां से मरीज अपना उपचार ले रहा है जैसे कि -जिला टीबी केंद्र (डीटीसी), क्षय रोग इकाई (टीयू) स्तर, PHI (पेरिफेरल हेल्थ इंस्टीट्यूट) से संपर्क करें। एम्स में भी उपचार करा सकते हैं।
14	मरीज कल्याण प्रकोष्ठ (Patient Welfare Cell)	विभिन्न निकायों और स्रोतों से मरीजों को निःशुल्क उपचार है। इस योजना से 03 हजार के करीब लोगों को फायदा हुआ है	ऐसे गरीब मरीज, जो इलाज का पूर्ण खर्च नहीं उठा पाते हैं।	इसके तहत चार स्तर से राहत प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री राहत कोष (केंद्रीय स्तर), मुख्यमंत्री राहत कोष (राज्य स्तर), ग्राम्य विकास अभिकरण (जिला स्तर), स्वैच्छिक गैर सरकारी संगठन, अन्य निकायों से मरीजों को निःशुल्क उपचार प्रदान किया जाता है। सर्वप्रथम मरीज इलाज के लिए डॉक्टर से संपर्क करता है। निदान और उपचार योजना के बाद, यदि मरीज गरीब है, तो डॉक्टर मरीज को कल्याणकारी योजनाओं के बारे में मार्गदर्शन करते हैं। डॉक्टर उपचार अनुमान फॉर्म भरते हैं और चिकित्सा अधीक्षक (MS) से अनुमोदन प्राप्त करते हैं। अनुमोदित अनुमान फॉर्म संबंधित कल्याणकारी निकायों को अग्रसारित किया जाता है और राशि AIIMS मरीज कल्याण खाते में प्राप्त होती है। विभिन्न उद्देश्यों (दवाइयाँ/इम्प्लांट/आदि) के लिए राशि वितरित की जाती है और अंतिम निपटान फॉर्म मरीज को दिया जाता है। मरीज स्वीकृत विक्रेताओं से आवश्यक वस्तुएं अंतिम निपटान फॉर्म का उपयोग करके खरीदता है। मरीज/विक्रेता सत्यापित बिल को मरीज

				कल्याण डेस्क पर जमा करता है और राशि का श्रेय दिया जाता है। अतिरिक्त राशि को निधि एजेंसी को वापस कर दिया जाता है।
15	एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (AIDS control programme)	एचआईवी पॉजिटिव मरीज को मुफ्त इलाज और जांच की सुविधा उपलब्ध है	एचआईवी पॉजिटिव रोगी।	उन सभी रोगियों को जिनकी एचआईवी पॉजिटिव रिपोर्ट ICTCC (एकीकृत परामर्श एवं परीक्षण केंद्र) द्वारा अनुमोदित है। उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश में रोगी का पंजीकरण कराना होगा।
16	विभिन्न पाठ्यक्रमों का आयोजन।	न्यूनतम शुल्क में संबंधित कोर्सों की शिक्षा प्रदान की जाती है।	विभिन्न परीक्षाओं के माध्यम से।	एम्स ऋषिकेश द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों का आयोजन कराया जाता है सीटों की संख्या निम्न है: 1- एम.बी.बी.एस- 125 प्रति वर्ष 2- एम.डी/एम.एस-388 प्रति वर्ष 3- डी.एम/एम.सी.एच-260 प्रति वर्ष 4- बी.एस.सी नर्सिंग -100 प्रति वर्ष 5- एम.एस.सी नर्सिंग -25 प्रति वर्ष 6- ऐलाइड हेल्थ सर्विसिज़-50 प्रति वर्ष उक्त से संबंधित समस्त सूचनाओं का विवरण एम्स ऋषिकेश की वेबसाइट www.aiimsrishikesh.edu.in पर उपलब्ध है। पाठ्यक्रमानुसार नीट/अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा/एम्स द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के आधार पर चयन होता है।

राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय संस्थान (NIESBUD)
क्षेत्रीय कार्यालय: एनएसटीआई परिसर, ग्रीनपार्क कॉलोनी, माजरा, निरंजनपुर,
देहरादून, उत्तराखंड।



संक्षिप्त परिचय :- राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (भारत सरकार) प्रशिक्षणार्थियों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, उद्यमशील माहौल बनाने, मौजूदा आजीविका गतिविधियों को फिर से शुरू करने और मौजूदा उद्यमों को समर्थन देने हेतु कौशल विकास संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों का आयोजन, सलाहकार की भूमिका एवं शोध संबंधी कार्य पूरे देश में कर रहा है। इसकी एक शाखा वर्ष 2005 से जनपद देहरादून में भी है। यह संस्थान परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के साथ ही उद्यमिता क्षेत्र में मार्गदर्शन का कार्य भी करता है। अद्यतन देहरादून की शाखा द्वारा 93800 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है तथा 152 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

उत्तराखण्ड सरकार के विभिन्न विभाग, जो अपने लाभार्थियों को उद्यमिता विकास से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करना चाहते हैं, इस संस्थान से समन्वय स्थापित कर, प्रशिक्षणों का आयोजन कर सकते हैं। संस्थान क्लस्टर आधार पर भी उद्यमिता को बढ़ावा देता है तथा प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को उद्यम पोर्टल पर पंजीकरण करने, जैम पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं के विपणन करने, विभिन्न मंत्रालयों के साथ ट्रेड फेयर में प्रतिभाग करने, हेतु प्रतिभागियों को प्रशिक्षित करता है। संस्थान द्वारा प्रशिक्षणार्थियों के माध्यम से कॉटन बैग, जूट बैग, फोल्डर तैयार करवाकर, विभागों का ऑर्डर पूरा किया गया। जिससे एक ओर प्रशिक्षणार्थियों को सीखने का मौका मिला वहीं दूसरी ओर विभाग को न्यूनतम दरों में उक्त सामान तैयार हो गया। इस तरह संस्थान उद्यमिता गतिविधियों को पूरे राज्य के समस्त जनपदों में आगे बढ़ाने हेतु प्रयासरत है।

रोजगार/स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में – पंजीकरण प्रक्रिया (भुगतान/अवैतनिक प्रशिक्षण)

राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, उत्तराखंड ने छात्रों, बेरोजगार युवाओं, महिलाओं, एसएचजी और डिफेंसपर्सनल और ऑनलाइन टीओटी के लिए उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम (ईएपी), उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) और उद्यमिता-सह-कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) जैसी प्रशिक्षण गतिविधियों का भी आयोजन किया। एमएसवाई और आईआईबीएफ बीसी प्रशिक्षण आदि के तहत ईडीपी

प्रशिक्षण। इसके अलावा, संस्थान आईटीआई प्रशिक्षकों, एनएसडीसी प्रशिक्षण भागीदारों और विश्वविद्यालय / संस्थानों के संकायों आदि के लिए प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) और प्रबंधन विकास कार्यक्रम आदि का आयोजन करता है।

पंजीकरण प्रक्रिया— प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने से पहले संस्थान हमेशा समाचार पत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम का विज्ञापन देता था। प्रशिक्षु प्रशिक्षण स्थल या संस्थान में जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। प्रशिक्षु पंजीकरण के लिए या कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी के लिए कार्यक्रम के पाठ्यक्रम निदेशक/समन्वयक को कॉल या संपर्क भी कर सकते हैं।

- संस्थानों के प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम (ऑनलाइन और ऑफलाइन) अखिल भारतीय स्तर पर प्रशिक्षुओं के लिए निःशुल्क हैं।
- संस्थान ऑनलाइन और ऑफलाइन कुछ सशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

संस्थान केवल प्रशिक्षण प्रदान करता है या मार्केटिंग/मेंटरिंग और हैंडहोल्डिंग सहायता भी प्रदान करता है :-

संस्थान की मुख्य गतिविधियाँ प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है, इसके अलावा संस्थान उभरते और मौजूदा उद्यमियों को सलाह और सहायता भी प्रदान करता है।

- NIESBUD प्रतिभागियों के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में प्रशिक्षुओं की मदद करता है।
- प्रशिक्षित प्रतिभागियों को विभिन्न वित्तीय सहायता से जोड़ा जाता है। एमएसवाई नैनो, एमएसवाई, एमएसएसवाई, पीएमईजीपी, मुद्रा योजना और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना आदि जैसी योजनाएं
- ऋण के लिए बैंकों के साथ गठजोड़
- संस्थान प्रशिक्षुओं को स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनियों और व्यापार मेलों में स्थान प्रदान करके उनके उत्पादों के विपणन में भी मदद करता है।
- NIESBUD ने NIESBUD प्रशिक्षुओं के लिए उद्यमकार्ट को एक विपणन मंच बनाया है। जहां प्रशिक्षु अपने उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री कर सकते हैं। संस्थान प्रशिक्षुओं को सिखाता है कि प्रतिभागी उन्हें ऑनलाइन मार्केटिंग पोर्टल में कैसे पंजीकृत कर सकते हैं।
- प्रशिक्षु सलाह और सहायता के लिए NIESBUD वेबसाइट पर खुद को पंजीकृत कर सकते हैं।

NIESBUD स्कूल, कॉलेजों और संस्थान के छात्रों को संस्थान दौरे की अनुमति देता है।

संस्थान विजिट प्रक्रिया विधि:-

1. NIESBUD का दौरा करने के लिए स्कूल, कॉलेज और संस्थान को NIESBUD का दौरा करने से पहले संस्थान को मेल या पत्र द्वारा सूचित करना होगा। आने वाले संस्थान को उद्देश्य, उद्देश्य और यात्रा कार्यक्रम सहित संस्थान, छात्रों का विवरण देना होगा।
2. NIESBUD क्षेत्रीय कार्यालय प्रधान कार्यालय, नोएडा से अनुमोदन और मंजूरी लेगा।
3. NIESBUD प्रधान कार्यालय की मंजूरी के बाद, संस्थान NIESBUD का दौरा कर सकता है।

केंद्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (CIPET) डोईवाला, देहरादून

संक्षिप्त परिचय :- केंद्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट) (पहले सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट) के नाम से जाना जाता था) की स्थापना 1968 में चेन्नई में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की सहायता से भारत सरकार द्वारा की गई थी। इस विशिष्ट संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के विभिन्न विषयों में जनशक्ति विकसित करना था क्योंकि देश में ऐसा कोई संस्थान अस्तित्व में नहीं था। आज CIPET भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत उच्च और तकनीकी शिक्षा के लिए एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है जो डिजाइन, कैड/कैम/सीआई, टूलींग और मोल्ड विनिर्माण, उत्पादन इंजीनियरिंग, परीक्षण और गुणवत्ता आश्वासन जैसे प्लास्टिक्स के सभी पहलुओं में भारत के प्लास्टिक के सभी क्षेत्रों में पूरी तरह से समर्पित हैं। पॉलिमर और संबद्ध उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सिपेट देश भर में फैले विभिन्न स्थानों से संचालित होता है।

प्लास्टिक और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के प्रति पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने के निरंतर प्रयास को उद्योग द्वारा बहुत अच्छी तरह से स्वीकार किया गया है। सिपेट विशेष रूप से बेरोजगार और अल्प-रोजगार वाले युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उद्यमियों को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुख्य पाठ्यक्रमों / तकनीकी सेवाओं का विवरण निम्नवत है :-



क्र.सं.	योजना /सेवा का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1-	3 वर्षीय डिप्लोमा कार्यक्रम - प्लास्टिक टेक्नोलोजी - प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलोजी	डिप्लोमा उपरान्त प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार प्रदान कराया जाता है तथा प्रशिक्षणार्थी किसी अन्य कम्पनी/उद्यम में जाकर भी कार्य कर सकते हैं ।	1 10वीं पास 2 द्वितीय वर्ष में सीधा प्रवेश AICTE, भौतिकी/ गणित/ रसायन विज्ञान/ कंप्यूटरविज्ञान/ इलेक्ट्रॉनिक्स /सूचनाप्रौद्योगिकी/ जीवविज्ञान/सूचना विज्ञान अभ्यास/जैव प्रौद्योगिकी/ तकनीकी व्यावसायिक विषय/ कृषि/ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स/व्यावसायिक अध्ययन/उद्यमिता के साथ 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण या 10वीं तथा 2 वर्षीय आईटीआई इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी की किसी भी शाखा में द्वितीय वर्ष के डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र।	1. अखिल भारतीय बेसिस पर कंप्यूटर आधारित टेस्ट। आवेदन हेतु वेबसाइट www.cipet.gov.in पर उपलब्ध लिंक को खोलें। 2. केंद्र लेटरल एंट्री से पात्र उम्मीदवारों के प्रवेश को तीन सदस्यीय आंतरिक समिति का गठन करके साक्षात्कार या प्रवेश परीक्षा आयोजित कर सकता है।
2	उत्तराखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन। उत्तराखंड वर्क फोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट	NSQF लेवल – 4 (960 घंटे) के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत निम्न कार्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया जाता है – 1. मशीन ऑपरेटर एंड प्रोग्रामर – CNC	उत्तराखंड राज्य के बेरोजगार 10वीं/12वीं/आईटीआई उत्तीर्ण युवा (उम्र सीमा- 18 वर्ष से 35 वर्ष)	अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए स्किल इंडिया पोर्टल पर पंजीकरण करना होता है। तदपश्चात पाठ्यक्रम में नामांकन के

	(डोमेन एक्सपर्ट योजनान्तर्गत)	लेथ (MO&P & CNC-L) 2. मशीन ऑपरेटर एंड प्रोग्रामर – CNC मिलिंग (MO&P & CNC&M) 2. मशीन ऑपरेटर –प्लास्टिक प्रोसेसिंग (MO&PP) 4. मशीन ऑपरेटर –इंजेक्शन मोल्डिंग (MO&IM) प्रशिक्षण के दौरान छात्रावास, पाठ्यक्रम सामग्री तथा ट्रेस आदि निःशुल्क प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण के पश्चात् रोजगार देने में सहायता प्रदान की जाती है।		लिए पंजीयन होता है।
3	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)	मशीन ऑपरेटर – इंजेक्शन मोल्डिंग प्लास्टिक (MO&IMP) तथा NSQF लेवल – 4 (510 घंटे) तथा मशीन ऑपरेटर एंड प्रोग्रामर – CNC लेथ तथा मिलिंग (MO_&_CNC&L&M) NSQF लेवल – 4 (540घंटे) के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण दिया जाता है। छात्रावास ,पाठ्यक्रम सामग्री तथा ट्रेस आदि निःशुल्क प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण के पश्चात् रोजगार देनेमें सहायता प्रदान की जाती है।	10वीं / 12वीं / आईटीआई उत्तीर्ण युवा (उम्र सीमा- 18 वर्ष से 45 वर्ष)	अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए स्किल इंडिया पोर्टल पर पंजीकरण करना होता है। तदपश्चात पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए पंजीयन होता है।
4	पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड (CSR योजनान्तर्गत)	मशीन ऑपरेटर –प्लास्टिक प्रोसेसिंग तथा इंजेक्शन मोल्डिंग (MO-PP & MO-IM) NSQF लेवल –4 (960 घंटे) के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण दिया जाता है। छात्रावास, पाठ्यक्रम सामग्री	10वीं / 12वीं / आईटीआई उत्तीर्ण युवा (उम्र सीमा – 18 वर्ष से 28 वर्ष, उम्र सीमा में नियमानुसार छूट)	पहले आओ – पहले पाओ कि तर्ज पर सिपेट में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में पंजीयन किया जाता है। साक्षात्कार समिति द्वारा चयन

		तथा ड्रेस आदि निःशुल्क प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण के पश्चात् रोजगार देने में सहायता प्रदान की जाती है।		प्रक्रिया का आयोजन किया जाता है, जिसमें साक्षात्कार समिति द्वारा चयनित करने के बाद नामांकन किया जाता है।
5	सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय (MSJE), भारत सरकार के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (NSFDC) (PM&DAKSH योजनान्तर्गत)	मशीन ऑपरेटर –प्लास्टिक प्रोसेसिंग (MO-PP), NSQF लेवल – 4 (960 घंटे) के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण दिया जाता है। छात्रावास, पाठ्यक्रम सामग्री तथा ड्रेस आदि निःशुल्क प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण के पश्चात् रोजगार देने में सहायता प्रदान की जाती है।	10वीं/12वीं/आईटीआई उत्तीर्ण अनुसूचित युवा (उम्र सीमा– 18 वर्ष से 45 वर्ष)	अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए PM & DAKSH पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा उसके बाद साइकोमेट्रिक टेस्ट देना होता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट उत्तीर्ण होने के बाद साक्षात्कार समिति द्वारा चयन प्रक्रिया का आयोजन किया जाता है। साक्षात्कार समिति द्वारा चयनित होने के बाद नामांकन किया जाता है।

नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, (NIM) उत्तरकाशी



संक्षिप्त परिचय :- उत्तराखंड, अपनी प्राकृतिक सुंदरता और साहसिक गतिविधियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। राज्य में एडवेंचर पर्यटन का क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है और यह 12वीं पास छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। संस्थान जो कि पर्वतारोहण और साहसिक गतिविधियों के प्रशिक्षण के लिए भारत का प्रमुख संस्थान है, 12वीं पास छात्रों के लिए विभिन्न एडवेंचर पाठ्यक्रमों का संचालन करता है। इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से छात्र न केवल साहसिक खेलों में पारंगत हो सकते हैं, बल्कि उन्हें पेशेवर करियर के रूप में भी अपना सकते हैं। संस्थान के द्वारा प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रमों में बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स, एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स, खोज एवं बचाव कोर्स, मेथड ऑफ इन्सट्रक्शन कोर्स, एडवेंचर कोर्स, स्कीइंग कोर्स, स्पोर्ट क्लाइम्बिंग कोर्स, माउंटेन टर्रेन बाइकिंग कोर्स, माउंटेन योग कोर्स और रॉक क्लाइम्बिंग कोर्स आदि पाठ्यक्रम सम्मिलित हैं। उत्तराखंड के एडवेंचर टूरिज्म में करियर बनाने के इच्छुक छात्रों के लिए यह एक बेहतरीन अवसर है। संस्थान से प्रशिक्षण के पश्चात, वे गाइड, ट्रेनर या यहां तक कि साहसिक पर्यटन उद्यमी के रूप में अपनी पहचान बना सकते हैं। राज्य सरकार और संस्थान का प्रयास है कि अधिक से अधिक युवाओं को इस क्षेत्र में प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जाएं। इस प्रकार 12वीं पास छात्रों के लिए संस्थान का प्रशिक्षण न केवल उन्हें व्यक्तिगत और पेशेवर रूप से विकसित करता है, बल्कि उन्हें उत्तराखंड के एडवेंचर पर्यटन उद्योग में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाने में भी मदद करता है।

संस्थान द्वारा उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद तथा विभिन्न शासकीय, अर्द्धशासकीय, शिक्षण संस्थानों व कॉर्पोरेट ग्रुप के लिए भी विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाता है, जिसमें उक्त संस्थानों से चयनित अभ्यर्थी प्रतिभाग करते हैं। संस्थान द्वारा विभिन्न शासकीय, अर्द्धशासकीय, शिक्षण संस्थानों व कॉर्पोरेट ग्रुप के अनुरोध पर स्पेशल बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स, लीडरशिप एण्ड टीम बिल्डिंग कोर्स, स्पेशल सर्व एण्ड रेस्क्यू कोर्स तथा स्पेशल एडवेंचर कैम्पों का भी संचालन किया जाता है। संस्थान विशेषकर महिलाओं के लिए वर्ष भर में एक बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स तथा एक एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स का संचालन भी करता है। इसके अतिरिक्त संस्थान द्वारा संचालित सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महिला प्रशिक्षणार्थी प्रतिभाग करती है। समस्त कोर्सों का विवरण निम्नवत है :-

क्र. सं०	योजना/सेवा का नाम	योग्यता	लाभ	पाठ्यक्रम शुल्क	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
01	बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स (28 दिन)	16 से 40 वर्ष के योग्य रिक्त आवंटित कोर्स सीट के उम्मीदवार। - मानसिक व शारीरिक रूप से सक्षम।	यह कोर्स शारीरिक स्वास्थ्य और आत्म-विश्वास को बढ़ाता है। यह नेतृत्व कौशल, साहस और प्राकृतिक वातावरण के साथ संवाद क्षमताओं को भी विकसित करता है।	- वर्ष 2024 के लिए रु0 22,550 प्रति व्यक्ति प्रति कोर्स फीस है। - प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि। <u>आवश्यक अभिलेख</u> - आवेदन पत्र - मेडिकल फॉर्म - क्षतिपूर्ति बांड (Indemnity Bond) - आधार कार्ड - जन्म तिथि प्रमाण पत्र	रिक्त आवंटित कोर्स सीट के सापेक्ष ऑफलाइन व ऑनलाइन माध्यम से 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर किया जाता है। आवेदित कोर्स में सीट उपलब्ध न होने की स्थिति में अगले उपलब्ध कोर्स में आवंटन किया जाता है। इच्छुक प्रशिक्षणार्थी वर्ष भर आवेदन कर सकते हैं।
02	एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स (28 दिन)	18 से 42 वर्ष के योग्य उम्मीदवार। - एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स केवल NIM उत्तरकाशी, दार्जिलिंग, पहलगाम (J&K), गुलमर्ग (J&K), AMI,	यह कोर्स पर्वतारोहण के क्षेत्र में निपुण अभ्यर्थियों की तकनीकी क्षमताओं में वृद्धि करता है, जिससे व्यक्ति पर्वतारोहण में पूर्णतः सक्षम हो जाता है।	- वर्ष 2024 के लिए रु0 22,550 प्रति व्यक्ति प्रति कोर्स फीस है। - प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि।	

		सियाचिन (J&K) ITBP ट्रेनिंग सेंटर औली, जोशीमठ(चमोली). ए०बी०वी०आई० एम० और ए०एस०. मनाली, एस०जी०एम०आई० गंगटोक और निमास, दिरांग से बेसिक माउंटैनियरिंग कोर्स में 'ए' ग्रेड प्राप्त प्रशिक्षुओं के लिए है।		आवश्यक अभिलेख • आवेदन पत्र • मेडिकल फॉर्म • क्षतिपूर्ति बांड (Indemnity Bond) • आधार कार्ड • जन्म तिथि प्रमाण पत्र • BMC Report	
03	सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स (21 दिन)	• 19 से 45 वर्ष के योग्य उम्मीदवार। • अभ्यर्थी जिन्होंने एडवांस माउंटैनियरिंग कोर्स में 'ए' ग्रेड प्राप्त किया हो।	यह पाठ्यक्रम अभ्यर्थियों को आपात स्थितियों में स्थानीय लोगों की मदद करने के लिए सक्षम बनाता है और सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाता है। संस्थान द्वारा एस०डी०आर०एफ० और एन०डी०आर०एफ० को भी सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाता है।	• वर्ष 2024 के लिए रु0 22,550 प्रति व्यक्ति प्रति कोर्स फीस है। • प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि। आवश्यक अभिलेख • आवेदन पत्र • मेडिकल फॉर्म • क्षतिपूर्ति बांड (Indemnity Bond) • आधार कार्ड • जन्म तिथि प्रमाण पत्र • AMC Report	रिक्त आवंटित कोर्स सीट के सापेक्ष ऑफलाइन व ऑनलाइन माध्यम से 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर किया जाता है। आवेदित कोर्स में सीट उपलब्ध न होने की स्थिति में अगले उपलब्ध कोर्स में आवंटन किया जाता है। इच्छुक प्रशिक्षणार्थी वर्ष भर आवेदन कर सकते हैं।
04	मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन कोर्स (21 दिन)	• 19 से 45 वर्ष के योग्य उम्मीदवार। • अभ्यर्थी जिन्होंने एडवांस माउंटैनियरिंग कोर्स में 'ए' ग्रेड से किया हो।	यह कोर्स माउंटैनियरिंग क्षेत्र में शिक्षण कौशल को विकसित करता है। इसके माध्यम से व्यक्ति पर्वतारोहण में संचार और शिक्षण कौशल	• वर्ष 2024 के लिए रु0 22,550 प्रति व्यक्ति प्रति कोर्स फीस है। • प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि।	

			को समझते हैं, जो अभ्यर्थियों को अन्य लोगों को सिखाने और प्रशिक्षित करने में सक्षम बनाता है।	आवश्यक अभिलेख • आवेदन पत्र • मेडिकल फॉर्म • क्षतिपूर्ति बांड (Indemnity Bond) • आधार कार्ड • जन्म तिथि प्रमाण पत्र • AMC Report	
05	एडवेंचर कोर्स (14 दिन)	• 14 से 20 वर्ष के योग्य उम्मीदवार। • 20 से 50 वर्ष के योग्य उम्मीदवार।	एडवेंचर कोर्स एक रोमांचक अनुभव और सीखने का उत्कृष्ट माध्यम है।	• वर्ष 2024 के लिए रु0 12,080 प्रति व्यक्ति प्रति कोर्स। • प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि। आवश्यक अभिलेख • आवेदन पत्र • मेडिकल फॉर्म • क्षतिपूर्ति बांड (Indemnity Bond) • आधार कार्ड • जन्म तिथि प्रमाण पत्र	रिक्त आवंटित कोर्स सीट के सापेक्ष ऑफलाइन व ऑनलाइन माध्यम से 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर किया जाता है। आवेदित कोर्स में सीट उपलब्ध न होने की स्थिति में अगले उपलब्ध कोर्स में आवंटन किया जाता है। इच्छुक प्रशिक्षणार्थी वर्ष भर आवेदन कर सकते हैं।
06	बेसिक स्कीइंग कोर्स (14 दिन)	16 से 40 वर्ष के योग्य उम्मीदवार।	बेसिक स्कीइंग कोर्स एक रोमांचक अनुभव प्रदान करता है। इसके माध्यम से अभ्यर्थी न केवल स्कीइंग की तकनीकी कौशल सीखते हैं, बल्कि यह शारीरिक स्वास्थ्य को भी बढ़ाता है।	• वर्ष 2024 के लिए रु0 22,550 प्रति व्यक्ति प्रति कोर्स फीस है। • प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि। आवश्यक अभिलेख • आवेदन पत्र • मेडिकल फॉर्म • क्षतिपूर्ति बांड (Indemnity Bond) • आधार कार्ड • जन्म तिथि प्रमाण पत्र	

07	इंटरमीडिएट स्कीइंग कोर्स (14 दिन)	• 16 से 40 वर्ष के योग्य उम्मीदवार। • अभ्यर्थी जिन्होंने बेसिक स्कीइंग कोर्स में 'ए' ग्रेड प्राप्त किया हो।	इंटरमीडिएट स्कीइंग कोर्स अभ्यर्थियों के स्कीइंग कौशल को सुधारने और उन्नत बनाने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। यह कोर्स अभ्यर्थियों को नई तकनीकों को सीखने का अवसर प्रदान करता है और उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाता है।	• वर्ष 2024 के लिए रू0 22,550 प्रति व्यक्ति प्रति कोर्स फीस है। • प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि। आवश्यक अभिलेख • आवेदन पत्र • मेडिकल फॉर्म • क्षतिपूर्ति बांड (Indemnity Bond) • आधार कार्ड • जन्म तिथि प्रमाण पत्र • बेसिक स्कीइंग कोर्स रिपोर्ट	रिक्त आवंटित कोर्स सीट के सापेक्ष ऑफलाइन व ऑनलाइन माध्यम से 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर किया जाता है। आवेदित कोर्स में सीट उपलब्ध न होने की स्थिति में अगले उपलब्ध कोर्स में आवंटन किया जाता है।
08	स्पोर्ट्स क्लाइम्बिंग कोर्स (11 दिन)	कोर्स 16 से 40 वर्ष के योग्य प्रदान उम्मीदवार।	स्पोर्ट्स क्लाइम्बिंग कोर्स एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है जो अभ्यर्थियों को पर्वतारोहण तथा शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को विकसित करने में मदद करता है।	• वर्ष 2024 के लिए रू0 21,780 प्रति व्यक्ति प्रति कोर्स। • प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि। आवश्यक अभिलेख • आवेदन पत्र • मेडिकल फॉर्म • क्षतिपूर्ति बांड (Indemnity Bond) • आधार कार्ड • जन्म तिथि प्रमाण पत्र	इच्छुक प्रशिक्षणार्थी वर्ष भर आवेदन कर सकते हैं।
09	बेसिक माउंटेन टेरेन बाइक (बीएमटीबी) कोर्स (11 दिन)	16 से 45 वर्ष के योग्य उम्मीदवार।	इस कोर्स के माध्यम से अभ्यर्थियों को प्राकृतिक वातावरण में बाइकिंग कौशलों को सीखने का अवसर प्रदान करता है।	• वर्ष 2024 के लिए रू0 21,780 प्रति व्यक्ति प्रति कोर्स। • प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि।	रिक्त आवंटित कोर्स सीट के सापेक्ष ऑफलाइन व ऑनलाइन माध्यम से 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर किया जाता है। आवेदित कोर्स में

				आवश्यक अभिलेख - आवेदन पत्र - मेडिकल फॉर्म - क्षतिपूर्ति बांड (Indemnity Bond) - आधार कार्ड - जन्म तिथि प्रमाण पत्र	सीट उपलब्ध न होने की स्थिति में अगले उपलब्ध कोर्स में आवंटन किया जाता है। इच्छुक प्रशिक्षणार्थी वर्ष भर आवेदन कर सकते हैं।
10	एडवांस माउंटेन टेरेन बाइक (एएमटीबी) कोर्स (11 दिन)	16 से 45 वर्ष के योग्य उम्मीदवार। - अभ्यर्थी जिन्होंने बेसिक माउंटेन टेरेन बाइक (बीएमटीबी) कोर्स में 'ए' ग्रेड प्राप्त किया हो।	यह कोर्स अभ्यर्थियों को प्रोफेशनल रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में बाइकिंग के कौशलों को सीखने का अवसर देता है। इसके माध्यम से, अभ्यर्थी अधिक चुनौतीपूर्ण टेरेन में बाइकिंग करने में समर्थ होते हैं और अधिक उन्नत तकनीकों को सीखते हैं।	- वर्ष 2024 के लिए ₹0 26,620 प्रति व्यक्ति प्रति कोर्स। - प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि। आवश्यक अभिलेख - आवेदन पत्र - मेडिकल फॉर्म - क्षतिपूर्ति बांड (Indemnity Bond) - आधार कार्ड - जन्म तिथि प्रमाण पत्र - बेसिक माउंटेन टेरेन बाइक रिपोर्ट	

उक्त के अतिरिक्त संस्थान विभिन्न सरकारी विभागों, संगठनों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, स्कूलों और गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के लिए विशेष और अनुकूलित पाठ्यक्रम भी आयोजित करता है, ताकि चयनित युवाओं को पर्वतारोहण (mountaineering), जीवित रहने की कला (survival skills), खोज एवं बचाव (search & rescue), पर्वत मार्गदर्शक (mountain guides), उच्च ऊंचाई मार्गदर्शक (high altitude guide), नेतृत्व और टीम निर्माण (leadership and team building) कौशल में सशक्त बनाया जा सके। कुछ ऐसे पाठ्यक्रम जो आयोजित किए जा रहे हैं, निम्नलिखित हैं:-

क्र. सं०	योजना/सेवा का नाम	संगठन/संस्थान	पाठ्यक्रम अवधि	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया	लाभ
01	स्पेशल बेसिक माउंटेनियरिंग	राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF), उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद (UTDB), राज्य	28 दिन	संगठन/संस्थान से चयनित अभ्यर्थी। लो एल्टीट्यूड के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन ₹0 2396.00 तथा हाई	यह कोर्स शारीरिक स्वास्थ्य और आत्म-विश्वास को बढ़ाता है। यह नेतृत्व कौशल, साहस और प्राकृ

	कोर्स	आपदा मोचन बल (SDRF), गार्जियन गिरिप्रेमी पर्वतारोहण संस्थान (GGIM), जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA)		एल्टीट्यूड के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन रु0 3194.00 शुल्क। आवश्यक अभिलेख • आवेदन पत्र • मेडिकल फॉर्म • क्षतिपूर्ति बांड (Indemnity Bond) • आधार कार्ड • जन्म तिथि प्रमाण पत्र	तिक वातावरण के साथ संवाद क्षमताओं को भी विकसित करता है।
02	स्पेशल एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स	राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF), उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद (UTDB), राज्य आपदा मोचन बल (SDRF), गार्जियन गिरिप्रेमी पर्वतारोहण संस्थान (GGIM), जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA)	28 दिन	संगठन/संस्थान से चयनित अभ्यर्थी। लो एल्टीट्यूड के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन रु0 2396.00 तथा हाई एल्टीट्यूड के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन रु0 3194.00 शुल्क। आवश्यक अभिलेख • आवेदन पत्र • मेडिकल फॉर्म • क्षतिपूर्ति बांड (Indemnity Bond) • आधार कार्ड • जन्म तिथि प्रमाण पत्र • Special BMC Report	यह कोर्स पर्वतारोहण के क्षेत्र में निपुण अभ्यर्थियों की तकनीकी क्षमताओं में वृद्धि करता है, जिससे व्यक्ति पर्वतारोहण में पूर्णतः सक्षम हो जाता है।
03	स्पेशल खोज एवं बचाव कोर्स	उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद (UTDB), राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF), राज्य आपदा मोचन बल (SDRF), जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA), वन विभाग (Forest Department) व अन्य विभाग	21 दिन	उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद (UTDB), राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF), राज्य आपदा मोचन बल (SDRF), जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA), वन विभाग (Forest Department) व अन्य विभाग से चयनित अभ्यर्थी। लो एल्टीट्यूड के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन रु0 2396.00 तथा हाई एल्टीट्यूड के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन रु0 3194.00 शुल्क।	यह विशेष कोर्स उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद (UTDB), राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF), राज्य आपदा मोचन बल (SDRF), जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA), वन विभाग (Forest Department) व अन्य विभाग के सौजन्य से संचालित किया जाता है। जिसमें प्रदेश तथा देश के युवक तथा युवतियों को प्रोफेशनल

				आवश्यक अभिलेख • आवेदन पत्र • मेडिकल फॉर्म • क्षतिपूर्ति बांड (Indemnity Bond) • आधार कार्ड • जन्म तिथि प्रमाण पत्र	रूप में कार्य करने के लिए अवसर प्रदान करता है।
04	माउंटेन गाइड कोर्स	उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद (UTDB)	21 दिन	उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद (UTDB) से चयनित अभ्यर्थी। लो एल्टीट्यूड के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन रु0 2396.00 शुल्क। आवश्यक अभिलेख • आवेदन पत्र • मेडिकल फॉर्म • क्षतिपूर्ति बांड (Indemnity Bond) • आधार कार्ड • जन्म तिथि प्रमाण पत्र	यह विशेष कोर्स उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के सौजन्य से संचालित किया जाता है। जिसमें उत्तराखण्ड के युवक तथा युवतियों को प्रोफेशनल रूप में कार्य करने के लिए अवसर प्रदान करता है।
05	लो एल्टीट्यूड गाइड कोर्स	उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद (UTDB)	07 दिन	उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद (UTDB) से चयनित अभ्यर्थी। लो एल्टीट्यूड के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन रु0 2396.00 शुल्क। आवश्यक अभिलेख • आवेदन पत्र • मेडिकल फॉर्म • क्षतिपूर्ति बांड (Indemnity Bond) • आधार कार्ड • जन्म तिथि प्रमाण पत्र	यह विशेष कोर्स उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के सौजन्य से संचालित किया जाता है। जिसमें उत्तराखण्ड के युवक तथा युवतियों को प्रोफेशनल रूप में कार्य करने के लिए अवसर प्रदान करता है।

06	हाई एल्टीट्यूड गाइड कोर्स	उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद (UTDB)	20 से 28 दिन	उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद (UTDB) से चयनित अभ्यर्थी। लो एल्टीट्यूड के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन रु0 2396.00 तथा हाई एल्टीट्यूड के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन रु0 3194.00 शुल्क।	यह विशेष कोर्स उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के सौजन्य से संचालित किया जाता है। जिसमें उत्तराखण्ड के युवक तथा युवतियों को प्रोफेशनल रूप में कार्य करने के लिए अवसर प्रदान करता है।
				<u>आवश्यक अभिलेख</u> • आवेदन पत्र • मेडिकल फॉर्म • क्षतिपूर्ति बांड (Indemnity Bond) • आधार कार्ड • जन्म तिथि प्रमाण पत्र	
07	स्पेशल एडवेंचर कोर्स	वेलहम स्कूल, सिंधिया स्कूल, यूनिसन स्कूल, राष्ट्रीय इण्डियन मिलिट्री व अन्य शैक्षणिक संस्थान	07 से 10 दिन	उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद (UTDB) से चयनित अभ्यर्थी। लो एल्टीट्यूड के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन रु0 2396.00 शुल्क।	एडवेंचर कोर्स एक रोमांचक अनुभव और सीखने का उत्कृष्ट माध्यम है।
				<u>आवश्यक अभिलेख</u> • आवेदन पत्र • मेडिकल फॉर्म • क्षतिपूर्ति बांड (Indemnity Bond) • आधार कार्ड • जन्म तिथि प्रमाण पत्र	

08	लीडरशिप और टीम बिल्डिंग कोर्स	राष्ट्रीय दूरसंचार संस्थान (NTIPRIT), राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी (NSSTA), तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ONGC), राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी (NADT), भारतीय सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India), वन विभाग (Forest Department), भारतीय सैन्य अकादमी (Indian Military Academy) व अन्य संस्थान	07 से 12 दिन	राष्ट्रीय दूरसंचार संस्थान (NTIPRIT), राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी (NSSTA), तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ONGC), राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी (NADT), भारतीय सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India), वन विभाग (Forest Department), भारतीय सैन्य अकादमी (Indian Military Academy) व अन्य संस्थान से चयनित अभ्यर्थी। लो एल्टीट्यूड के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन रु0 2396.00 तथा हाई एल्टीट्यूड के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन रु0 3194.00 शुल्क। आवश्यक अभिलेख • आवेदन पत्र • मेडिकल फॉर्म • क्षतिपूर्ति बांड (Indemnity Bond) • आधार कार्ड • जन्म तिथि प्रमाण पत्र	निर्णय लेने, संवाद और सहयोग कौशल को मजबूत करता है, जिससे व्यक्तियों को प्रभावी नेतृत्व और एकजुट टीम बनाने की क्षमता मिलती है।
09	ट्रेन द ट्रेनर	उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद (UTDB)	12 दिन	उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद (UTDB) से चयनित अभ्यर्थी। लो एल्टीट्यूड के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन रु0 2396.00 शुल्क। आवश्यक अभिलेख • आवेदन पत्र • मेडिकल फॉर्म • क्षतिपूर्ति बांड (Indemnity Bond) • आधार कार्ड • जन्म तिथि प्रमाण पत्र	यह विशेष कोर्स उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के सौजन्य से संचालित किया जाता है। जिसमें उत्तराखण्ड के युवक तथा युवतियों को प्रोफेशनल रूप में कार्य करने के लिए अवसर प्रदान करता है।

10	स्पेशल स्कीइंग कोर्स	उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद (UTDB)		उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद (UTDB) से चयनित अभ्यर्थी। लो एल्टीट्यूड के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन ₹0 2396.00 तथा हाई एल्टीट्यूड के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन ₹0 3194.00 शुल्क। आवश्यक अभिलेख • आवेदन पत्र • मेडिकल फॉर्म • क्षतिपूर्ति बांड (Indemnity Bond) • आधार कार्ड • जन्म तिथि प्रमाण पत्र	यह विशेष कोर्स उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के सौजन्य से संचालित किया जाता है। जिसमें उत्तराखण्ड के युवक तथा युवतियों को प्रोफेशनल रूप में कार्य करने के लिए अवसर प्रदान करता है।
----	----------------------	-------------------------------------	--	--	--

राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, (NIEPVD)
116 राजपुर रोड, देहरादून



संक्षिप्त परिचय :- राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (निपवेड), 116 राजपुर रोड, देहरादून, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यरत नौ राष्ट्रीय संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध में दृष्टिहीन हुए सैनिकों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए सेंट डंस्टन हॉस्टल के रूप में की गई थी। वर्ष 1950 में भारत सरकार ने सेंट डंस्टन छात्रावास को अपने नियंत्रण में लिया और दृष्टिहीन व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु व्यापक स्तर पर सेवाएं विकसित करने का उत्तरदायित्व शिक्षा मंत्रालय को सौंपा। तदन्तर दृष्टिहीनों हेतु सेवाओं का उल्लेखनीय विस्तार हुआ। इसी वर्ष सरकार ने कार्य के क्षेत्र में दृष्टिहीन सैनिकों एवं अन्य व्यक्तियों के एकीकरण के लिए प्रौढ़ान्ध प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की। सरकार ने 1951 में दृष्टिहीन व्यक्तियों हेतु सेंट्रल ब्रेल प्रेस (सीबीपी), 1952 में ब्रेल उपकरणों के निर्माण के लिए कार्यशाला (एमबीए), 1957 में वयस्क दृष्टिहीन महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र (टीसीएबी), 1959 में दृष्टिबाधितार्थ आदर्श विद्यालय और 1963 में राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ पुस्तकालय की स्थापना की गई। वर्ष 1967 में सभी इकाईयों के एकीकरण के पश्चात् सरकार ने राष्ट्रीय दृष्टिहीनार्थ केन्द्र (एनसीबी) की स्थापना की। इस केन्द्र को वर्ष 1979 में राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान के रूप में पुनः समुन्नत किया गया और अन्ततः वर्ष 1982 में इसका संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकरण कराया गया और इसे स्वायत्त निकाय का दर्जा प्राप्त हुआ। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में अपने मन की बात कार्यक्रम में विकलांगजन के स्थान पर **दिव्यांगजन**

शब्द का उपयोग करने का सुझाव दिया। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने दिव्यांगजन शब्द को अपने मूल में शामिल किया। तदनुसार इसके अंतर्गत कार्यरत सभी राष्ट्रीय संस्थानों के नामकरण में परिवर्तन किया गया और उनके वास्तविक नामों के साथ दिव्यांगजन शब्द जोड़ा गया। तदनुसार 2016 में संस्थान का नाम भी राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान (एनआईवीएच) से बदलकर **राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (निपवेड)** कर दिया गया। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान वर्ष 1943 से दृष्टि दिव्यांगजनों की शिक्षा, प्रशिक्षण एवं पुनर्वास सेवाओं के लिए कार्यरत है।

राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (निपवेड), देहरादून द्वारा चलाई जा रही भारत सरकार की योजनाएँ एवं सेवाएँ निम्न प्रकार हैं।

क्र स	योजना/ सेवा का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन/चयन प्रक्रिया
	भारत सरकार की योजनाएँ (निपवेड द्वारा संचालित)			
1	दिव्यांग छात्रों के लिए कोचिंग योजना	-निपवेड, देहरादून द्वारा इस योजना के तहत दिव्यांग छात्रों को सरकारी नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे – एसएससी/आरआरबी, बैंकिंग/ बीमा/ पीएसयू द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सक्षम बनाने हेतु निःशुल्क कोचिंग दी जाती है। -सरकार द्वारा अभ्यर्थियों को कोचिंग शुल्क, वजीफ़ा/भरण-पोषण भत्ता, दिव्यांगता भत्ता, पुस्तक भत्ता आदि सुविधाएं उपलब्ध निःशुल्क करवाई जाती है।	- आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 में परिभाषित बेंचमार्क दिव्यांगता यानी 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले छात्र और जिनके पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता का वैध प्रमाण पत्र है। - आधार संख्या या आधार नामांकन संख्या अनिवार्य है। - दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ विशिष्ट दिव्यांगता पहचान संख्या (यूडीआईडी) - परिवार की कुल आय प्रति वर्ष 8 लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए। आय प्रमाण पत्र— स्व-नियोजित (self employed) माता-पिता/ अभिभावकों के लिए ✓ राजस्व अधिकारी (तहसीलदार/ नायब तहसीलदार रैंक से नीचे न हो) द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र नौकरी पेशा (employed) माता-पिता/अभिभावकों के लिए . ✓ नियोक्ता (Employer) से आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद	उम्मीदवार निम्नलिखित लिंक पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं: ऑनलाइन आवेदन फॉर्म: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKNwhS-U9zGHNRRzwpW8XUmjD3MgUUEq1faabeEi3Hwv5Hw/viewform वेबसाइट: niepvd.nic.in टेलीफोन नंबर - 0135-2736651, 2734016 tcab-niepvd@nivh.gov.in

			राजस्व अधिकारी द्वारा समेकित आय प्रमाण पत्र। • इस आशय की घोषणा कि उम्मीदवार केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य कोचिंग योजना के तहत लाभ नहीं उठा रहा है। • एक ही माता-पिता के दो से अधिक दिव्यांग बच्चों योजना का लाभ पाने के हकदार नहीं होंगे। • यदि दूसरा बच्चा जुड़वा है तो योजनाओं के तहत लाभ जुड़वा होने पर भी स्वीकार्य होगा। • (योजनाओं के तहत लाभ एक से अधिक बार नहीं लिया जा सकता है।)	
2	क्रॉस डिसेबिलिटी शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र (सीडी-ईआईसी)	इस योजना के तहत निपवेड देहरादून में क्रॉस डिसेबिलिटी शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र (सीडी-ईआईसी) के माध्यम से दिव्यांग बच्चों के लिए विभिन्न चिकित्सा सेवाएँ निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। इन सेवाओं में शारीरिक चिकित्सा, व्यावसायिक चिकित्सा, विकासात्मक चिकित्सा, पोषण संबंधी सेवाएँ और पारिवारिक परामर्श शामिल हैं। इन सेवाओं का मुख्य उद्देश्य बच्चों को उनकी दिव्यांगता के प्रारंभिक स्तर पर सहायता प्रदान करना है। ताकि उनका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास समग्र रूप से हो सके।	पंजीकरण के समय बच्चे का दिव्यांगता प्रमाणपत्र, UDID/ आधार कार्ड, चिकित्सा प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र और अभिभावक का आधार कार्ड आदि दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है।	आप राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के क्रॉस डिसेबिलिटी शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं— • फोन नंबर— 9412056597 (सीडी-ईआईसी स्वागत कक्ष) • टेलीफोन नंबर - 0135-2744491 • अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे संस्थान की वेबसाइट— niepvd.nic.in पर जाएँ।
3	दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों	NIEPVD देहरादून द्वारा एडिप-(Assistance to Disabled Persons for Purchase/ Fitting of Aids and Appliances) योजना के	-लाभार्थी का आधार कार्ड, दिव्यांग प्रमाण पत्र, यूडीआईडी प्रमाण पत्र एवं अभिभावक का आय प्रमाण पत्र एवं किस कक्षा में पढ़	राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में एडिप अनुभाग पर जाएँ। niepvd.nic.in

	की खरीद/फिटिंग के लिए सहायता (एडिप)	अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तियों को निःशुल्क सहायक उपकरण प्रदान किए जाते हैं। इन उपकरणों की विस्तृत सूची निम्नलिखित है: दृष्टि दिव्यांगता: • ब्रेल किट (Braille Kit) • डेजी प्लेयर (Daisy Player) • अपवर्तक चश्मा (Refractive Mirror) • गतिशीलता केन (Mobility Cane) • स्मार्ट फोन (Smart Phone) श्रवण दिव्यांगता : • श्रवण यंत्र (Hearing Aid) शारीरिक (locomotor) दिव्यांगता • व्हीलचेयर (Wheel Chair) • ट्राइसाइकिल (Tricycle) • वॉकिंग स्टिक (Walking Sticks) • कैलिपर (Calipers) और बैसाखी (Crutches) मानसिक दिव्यांगता के लिए: • एमआर किट (MR Kit)	रहा है उसका प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है। -एडिप योजना के तहत दिव्यांग व्यक्ति के अभिभावक की आय अगर रु. 22,500/- तक है तो दिव्यांग व्यक्ति को उपकरण निःशुल्क दिया जाता है और यदि आय रु. 22,501/- से रु. 30,000/- तक है तो उन्हें उपकरण हेतु 50% का खर्च स्वयं करना होगा। -12 वर्ष तक के दृष्टि दिव्यांग बच्चे एडिप योजना के तहत, ब्रेल किट के लिये निःशुल्क हर वर्ष आवेदन कर सकते हैं। -स्मार्ट फोन को छोड़ कर दृष्टि दिव्यांग बच्चे एडिप योजना के तहत, अन्य उपकरण एक बार मिलने बाद दुबारा प्राप्त करना चाहते हैं तो कम से कम 03 वर्ष के अन्तराल में बाद ही आवेदन कर सकते हैं। -स्मार्ट फोन एक बार मिलने के बाद दुबारा 05 वर्ष के बाद ही आवेदन कर सकते हैं।	दिव्यांगजनों के आवेदन करने के पश्चात विभाग द्वारा दिव्यांगता परिक्षण एवं डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन (Disability & Assessment Verification) औपचारिकता के तुरंत बाद ही दिव्यांगजनों को उपकरण प्रदान किये जाते हैं।
4	दृष्टिबाधित सिपडा (SIPDA) योजना के तहत सुलभ शिक्षण सामग्री के विकास के लिए वित्तीय सहायता पर	• योजना के तहत, दृष्टिबाधित स्कूल जाने वाले बच्चों और उच्च शिक्षा प्राप्त लेने वाले दृष्टिबाधित छात्रों को निःशुल्क सुलभ शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए अनुमोदित और कार्यात्मक कार्यान्वयन एजेंसियों को आवर्ती अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है निम्नलिखित की स्थापना के लिए गैर. आवर्ती अनुदान सहायता :	व्यक्तिगत/ संस्थागत लाभार्थी -लाभार्थी का विशिष्ट दिव्यांगता पहचान संख्या (यूडीआईडी) -अभिभावक का टेलीफोन नंबर - जन्म तिथि -स्कूल की विवरण	वे संगठन (कार्यान्वयन एजेंसियां) जो परियोजना के तहत सुलभ शिक्षण सामग्री के विकास और उत्पादन में सीधे तौर पर शामिल हैं और आवर्ती और गैर-आवर्ती व्यय के लिए जीआईए प्राप्त करते हैं। कार्यान्वयन एजेंसियों के पते आप संस्थान की वेबसाइट में जा कर देख सकते हैं : वेबसाइट- niepvd.nic.in टेलीफोन नंबर -7579278149

	परियोजना	● नई ब्रेल प्रेस, मौजूदा ब्रेल प्रेस की क्षमता वृद्धि, और आधुनिकीकरण हेतु ● मौजूदा टॉकिंग बुक स्टूडियो की क्षमता वृद्धि और आधुनिकीकरण। ● नया डिजिटल पुस्तक उत्पादन केंद्र, मौजूदा डिजिटल पुस्तक उत्पादन केंद्र की क्षमता वृद्धि और आधुनिकीकरण हेतु ● नए लार्ज प्रिंट उत्पादन केन्द्र की स्थापना, मौजूदा लार्ज प्रिंट की क्षमता वृद्धि और आधुनिकीकरण हेतु		
2	निपेड द्वारा दी जा रही अन्य सेवाएं			
1	मानव संसाधन विकास कार्यक्रम	संस्थान भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त निम्नलिखित पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहा है :- एम.एड विशेष शिक्षा (दृ.बा.); बी.एड विशेष शिक्षा (दृ.बा.), (एमडी) और (डीबी); डी.एड विशेष शिक्षा (दृ.बा.), (डीबी) और (आईडीडी)। इसके अलावा, संस्थान मनोविज्ञान पाठ्यक्रम जैसे एम. फिल (पुनर्वास मनोविज्ञान); एम. फिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी; एमएससी इंटीग्रेटेड एप्लाइड साइकोलॉजी और पुनर्वास मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। (उपरोक्त सभी पाठ्यक्रम दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क है।)	आवेदन के समय बच्चे का दिव्यांगता प्रमाणपत्र, UDID कार्ड, शैक्षिक प्रमाण-पत्र, अंक तालिका, चिकित्सा प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म-प्रमाणपत्र, दिव्यांग बच्चे एवं अभिभावक का आधार कार्ड एवं आय प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है।	संस्थान में प्रवेश सम्बन्धित अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे संस्थान की वेबसाइट: niepvd.nic.in पर जाएं। टेलीफोन नंबर- 0135-2744491
2	बाल वाटिका	बाल वाटिका कक्षा बचपन की एक अनूठी प्रारंभिक शिक्षा पहल है जो भारत में नई शिक्षा नीति, 2020 के साथ जुड़ी हुई है। इन कक्षाओं को पूर्व-प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। बाल वाटिका सुनिश्चित करती है कि बच्चे कक्षा 1 में प्रवेश करने तक औपचारिक स्कूल के माहौल के लिए तैयार हों। प्रारंभिक भाषा कौशल संख्या बोध और समस्या-समाधान प्रमुख फोकस क्षेत्र हैं क्योंकि ये मूलभूत कौशल अकादमिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण हैं।	आवेदन के समय छात्रों का दिव्यांगता प्रमाणपत्र, UDID कार्ड, चिकित्सा प्रमाणपत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म-प्रमाणपत्र, दिव्यांग छात्रों एवं अभिभावक का आधार कार्ड एवं आय प्रमाण	स्कूल में प्रवेश के आवेदन के लिए संस्थान की वेबसाइट niepvd.nic.in में जा कर पूरी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर — 0135.2738060 —

			पत्र आदि दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है।	0135.2744491 मोबाइल – 9045453985
3	स्कूली शिक्षा आदर्श विद्यालय (प्री.-स्कूल स्टेज से लेकर सीनियर सेकेंडरी लेवल तक) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध	जो छात्र स्कूल शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उन्हें संस्थान द्वारा निशुल्क भोजन और आवास, वर्दी, पुस्तकालय सुविधाएँ, चिकित्सा सुविधाएँ, सुलभ शिक्षण सामग्री, सहायक उपकरण और परीक्षाओं के लिए लिखने हेतु लेखक की सुविधा प्रदान की जाती है। साथ ही सीनियर स्टूडेंट्स को स्मार्ट फोन (smart phone) और लैपटॉप्स (laptops) आदि की सुविधा प्रदान की जाती है जिससे वो अपने पढ़ाई को आधुनिक और सुगम्यता के साथ कर सकें।	दृष्टि दिव्यांग बच्चों के नये प्रवेश के आवेदन के समय बच्चे का दिव्यांगता प्रमाण पत्र, UDID कार्ड शैक्षिक प्रमाण पत्र, अंक तालिका, चिकित्सा प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, दिव्यांग बच्चे एवं अभिभावक का आधार कार्ड एवं आय प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है।	दृष्टि दिव्यांग बच्चों के नये प्रवेश के आवेदन के लिए आदर्श विद्यालय द्वारा प्रत्येक वर्ष की फरवरी के द्वितीय सप्ताह आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। नियमानुसार रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से भर्ती प्रक्रिया पूर्ण किया जाता है। स्कूल में प्रवेश के आवेदन के लिए संस्थान की वेबसाइट niepvd.nic.in में जा कर पूरी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर - 0135. 2738060 मोबाइल- 9045453985
4	कौशल विकास एवं आर्थिक सशक्तिकरण	कौशल विकास और आर्थिक सशक्तिकरण विभाग विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान कर रहा है। जैसे-कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक, स्टेनोग्राफर और सचिवीय सहायक, मशरूम उत्पादक, रेडियो जॉकी, संगीत, सहायक तकनीक का उपयोग, डेटा एंट्री ऑपरेटर, रिफ्लेक्सोलॉजी और गार्डनर आदि। व्यावसायिक विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के अलावा, उम्मीदवारों को ब्रेल अभिविन्यास और गतिशीलता, कंप्यूटर टाइपिंग, हिंदी और अंग्रेजी और गृह प्रबंधन कौशल का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों जो विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें संस्थान द्वारा निशुल्क भोजन और आवास, कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आने-जाने का भत्ता, वर्दी, पुस्तकालय सुविधाएँ, चिकित्सा सुविधाएँ, सुलभ शिक्षण सामग्री, सहायक उपकरण	आवेदन के समय बच्चे का दिव्यांगता प्रमाण पत्र, UDID कार्ड, शैक्षिक प्रमाण पत्र, अंक तालिका, चिकित्सा प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, दिव्यांग बच्चे एवं अभिभावक का आधार कार्ड एवं आय प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है।	संस्थान में प्रशिक्षण प्रवेश सम्बन्धित अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे संस्थान की वेबसाइट: niepvd.nic.in पर जाएँ। टेलीफोन नंबर - 0135. 2744491

		और परीक्षाओं के लिए लिखने हेतु लेखक(writer) की सुविधा प्रदान की जाती है। साथ ही सीनियर स्टूडेंट्स को स्मार्ट स्मार्ट फोन एवं लैपटॉप्स आदि की सुविधा प्रधान की जाती है जिससे वो अपने पढ़ाई को आधुनिक और सुगम्यता के साथ कर सकें।		
5	सुगम्यता स्थानन सेवाएं	स्थानन अनुभाग द्वारा बेरोजगार दृष्टि दिव्यांग तथा अल्प दृष्टि वाले व्यक्तियों को पंजीकृत कर उपयुक्त रोजगार अवसर प्रदान करता है और साथ ही दृष्टि दिव्यांग उम्मीदवारों को सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी एजेंसियों के विभिन्न रिक्तियों हेतु रोजगार दिलाने में मदद करता है।	पंजीकरण के समय दृष्टि दिव्यांगजनों का दिव्यांगता प्रमाणपत्र, UDID कार्ड/ आधार कार्ड, शैक्षिक प्रमाण पत्र, व्यावसायिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाणपत्र आदि दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है।	अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे संस्थान की वेबसाइट: niepvd.nic.in पर जाएं। टेलीफोन नंबर - 0135-2736712
6	ब्रेल उपकरणों की व्यवस्था	संस्थान द्वारा दृष्टि दिव्यांगजनों को लिखने, कंप्यूटिंग, अभिविन्यास और गतिशीलता, मनोरंजन और उनके दैनिक जीवन की नियमित गतिविधियों को पूरा करने के लिए ब्रेल उपकरणों के निर्माण एवं ब्रेल उपकरण प्रदान करने के लिए कार्यशाला (एमबीए) की स्थापना की गई थी। यह प्रोटोटाइप डिजाइन और बड़े पैमाने पर ब्रेल उपकरणों के उत्पादन कर दिव्यांगजनों एवं विशेष स्कूलों और संस्थाओं को सब्सिडी दरों पर उपलब्ध करता है।	ब्रेल उपकरणों को विक्रय करने हेतु दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाणपत्र, UDID कार्ड/आधार कार्ड आदि दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है।	अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे संस्थान की वेबसाइट: niepvd.nic.in पर जाएं। टेलीफोन नंबर- 0135-2742145, 2744491

7	सुगम्य पुस्तकालय	राष्ट्रीय सुगम्य पुस्तकालय संस्थान का राष्ट्रीय सुगम्य पुस्तकालय देश में अपनी तरह का एकमात्र पुस्तकालय है, जो दृष्टि दिव्यांगजनों और अल्पदृष्टिवान व्यक्तियों को पठन सामग्री सुगम्य रूपों में उपलब्ध कराता है। यह पुस्तकालय ब्रेल पुस्तकें, श्रव्य ऑडियो पुस्तकें, लार्ज प्रिंट पुस्तकें, ऑडियो मैगजीन और मुद्रित पुस्तकें प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, पुस्तकालय ऑडियो पुस्तकें, डिजिटल और e-books भी उपलब्ध कराता है, ताकि दृष्टि दिव्यांगजनों और अल्पदृष्टि वाले व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न प्रारूपों में सामग्री का लाभ उठा सकें। यह पुस्तकालय दृष्टि दिव्यांगजनों के लिए	राष्ट्रीय सुगम्य पुस्तकालय की सदस्यता दो प्रकार से ली जा सकती है जो इस प्रकार है: 1. व्यक्तिगत सदस्यता: यह दृष्टि दिव्यांगजनों के लिए आजीवन निःशुल्क है। व्यक्तिगत सदस्यता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:	अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे संस्थान की वेबसाइट: https://niepvd.nic.in/national-accessible-library/ पर जाएं। सुगम्य राष्ट्रीय सुगम्य पुस्तकालय
---	-------------------------	--	---	---

		शैक्षणिक, साहित्य और अन्य ज्ञानवर्धक सामग्री को सुलभ बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में कार्य करता है। Home Sugamya Pustakalaya ब्रेल पुस्तकालय-सुगम्य पुस्तकालय संस्थान एक ब्रेल पुस्तकालय.सुगम्य पुस्तकालय भी संचालित कर रहा है जिसका उद्देश्य दृष्टिबाधित और अल्पदृष्टिवान व्यक्तियों को सुगम पठन सामग्री उपलब्ध कराना है। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, उपयोगकर्ता ब्रेल पुस्तकें, ऑडियो पुस्तकें, और डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध अन्य साहित्य को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। यह पहल दृष्टिबाधित व्यक्तियों को शिक्षा और ज्ञान के संसाधनों तक सुलभता से पहुंच प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनने में मदद करता है	● दिव्यांगता प्रमाणपत्र ● UDID कार्ड ● आधार कार्ड आदि 2. संस्थागत सदस्यता: इस सदस्यता के लिए संस्थान को एकमुश्त पंजीकरण जो की 3 वर्षों के लिए सदस्यता शुल्क भी होगा रुपये 5000/- भुगतान करना होगा, जिससे पुस्तकालय की सुविधाएं प्राप्त की जा सकेंगी। सदस्यता को जारी रखने के लिए वार्षिक 2000/- रुपये का शुल्क जमा करना होगा। संस्थागत सदस्यता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है: ● सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्थागत लेटरहेड पर पुस्तकालय सदस्यता के लिए आवेदन ● पंजीकृत सोसायटी अधिनियम के तहत संस्थान का प्रमाण पत्र	टेलीफोन नंबर - 9027429610
8	मीडिया उत्पादन इकाई	एफ.एम सामुदायिक रेडियो स्टेशन (NIVH Hello Doon 91.2) एफ.एम सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सीआरएस) से प्रतिदिन प्रातः 7:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक और पुनः सायं 5:00 बजे से रात 8:00 बजे तक कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। इस रेडियो स्टेशन द्वारा प्रसारित		अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे संस्थान की वेबसाइट: niepvd.nic.in पर

	कार्यक्रमों की विषय-वस्तु को शिक्षा, मनोरंजन, और सशक्तिकरण को बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त, सीआरएस समय-समय पर भारत सरकार की विभिन्न परियोजनाओं और नीतियों के प्रचार के लिए जिंगल्स और अन्य जागरूकता कार्यक्रमों का भी प्रसारण करता है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य श्रोताओं को जागरूक करना और उन्हें जानकारी प्रदान करना है जिससे वे विभिन्न सरकारी योजनाओं और नीतियों का लाभ उठा सकें। टॉकिंग बुक लाइब्रेरी संस्थान के देहरादून स्थित मुख्यालय में टॉकिंग बुक लाइब्रेरी वर्ष 1984 से दृष्टि दिव्यांगजनों के लिए पठन सामग्री ध्वन्यांकित कर उसे ऑडियो प्रारूप में उपलब्ध कराता है। इस स्टूडियो में दृष्टि दिव्यांगजनों के लिए पाठ्य सामग्री को डेजी (DAISY) डिजिटल एक्सेसेबल इनफॉर्मेशन सिस्टम) प्रारूप में रिकॉर्ड किया जाता है। डेजी प्रारूप दृष्टि दिव्यांगजनों के लिए एक उपयोगी तकनीक है, जिससे वे सुगम्यता और सुलभता के साथ अध्ययन कर सकते हैं।		जाएँ। टेलीफोन नंबर – 0135-2744491
--	---	--	---

भाकृअनुप- भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, (IVRI)
मुक्तेश्वर, नैनीताल



क्र सं	सेवा/योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया/चयन प्रक्रिया
1	अनुसूचित जाति उपयोजना (SCSP)	गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों/परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ सुनिश्चित करना। अनुसूचित जाति की 40 प्रतिशत से अधिक आबादी वाले गांवों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए कृषि और पशुपालन से संबंधित क्षेत्र उन्मुख योजनाओं का कार्यान्वयन करना। अनुसूचित जाति के बीपीएल व्यक्तियों के लिए वैतनिक-रोजगार या स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली आय सृजन योजनाओं को लागू करना तथा कौशल-विकास हेतु प्रशिक्षण, विधि-प्रदर्शन तथा कार्यशालाओं का आयोजन करना। अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत संस्थान द्वारा कृषि एवम पशुपालन सम्बंधित सामग्री वितरण जैसे कि खनिज मिश्रण, पशुओं तथा मुर्गियों का दाना, फीड सप्लीमेंट, फलों एवम सब्जियों के उच्च नस्ल के पौधे एवम बीज, कृषि एवम पशुपालन सम्बंधित उपकरण इत्यादि वितरित किए जाते हैं, साथ ही समय-समय पर पशुचिकित्सा	अनुसूचित जाति के परिवार, जो कि गरीबी रेखा से नीचे (BPL) हो।	एससीएसपी के लिए विकास कार्य योजना के तहत कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए आईसीएआर द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों का पालन करते हुए जिन गाँवों में अनुसूचित जाति की 40 प्रतिशत से अधिक आबादी है, उन्हें भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर परिसर द्वारा अंगीकृत (गोद लेना) किया जाता है तथा उन गाँवों में अनुसूचित जाति के बीपीएल किसानों/पशुपालकों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए कृषि और पशुपालन से संबंधित क्षेत्र उन्मुख योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है।

		शिविरों का आयोजन कर पशुओं की होने वाली विभिन्न संक्रामक एवम असंक्रामक बीमारियों का निदान किया जाता है। पशु पशुपालन हेतु अभी तक इस योजना के अंतर्गत कुक्कुट वितरित किए गए हैं।		
2	जनजातीय उपयोगना (TSP)	गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जनजाति/आदिवासी के व्यक्तियों/परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ सुनिश्चित करना जनजाति/आदिवासी की 40 प्रतिशत से अधिक आबादी वाले गांवों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए कृषि और पशुपालन से संबंधित क्षेत्र उन्मुख योजनाओं का कार्यान्वयन करना। जनजाति/ आदिवासी के बीपीएल व्यक्तियों के लिए वैतनिक-रोजगार या स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली आय सृजन योजनाओं को लागू करना तथा कौशल-विकास हेतु प्रशिक्षण, विधि-प्रदर्शन तथा कार्यशालाओं का आयोजन करना।	आदिवासी/जनजाति के परिवार, जो कि गरीबी रेखा से नीचे (BPL) हो।	टीएसपी के लिए विकास कार्य योजना के तहत कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए आईसीएआर द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों का पालन करते हुए जिन गाँवों में आदिवासी/जनजाति की 40 प्रतिशत से अधिक आबादी है, उन्हें भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर परिसर द्वारा अंगीकृत (गोद लेना) किया जाता है तथा उन गाँवों में आदिवासी/जनजाति के बीपीएल किसानों/पशुपालकों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए कृषि और पशुपालन से संबंधित क्षेत्र उन्मुख योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है। गाँवों को सीधे आर्थिक लाभ उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से अनुसूचित जनजाति उपयोगना में अभी तक कुल चार गाँव (सरोंजा, कौंदाखेड़ा, झनकट, एवं सुनखरीकला) गोद लिए गये हैं। गोद लेने के उपरांत इन गाँवों में पशुपालकों की आमदनी पशुधन उत्पादन के क्षेत्र में लगभग दुगना हो गयी है।
3	पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (एलएच और डीसीपी) के अंतर्गत बकरी प्लेग (PPR)	पीपीआर रोग के टीकाकरण की तकनीक (PPR Sungri/96) का सरकारी/निजी जैविक उत्पादन इकाइयों को हस्तांतरण पीपीआर रोग के विभिन्न राज्य/निजी जैविक उत्पादन	पशु-पालन से संबंधित विभिन्न हित-धारक (पशु-पालक/कि सान, पशु पालन	पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (एलएच और डीसीपी) योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जो पशु रोगों के नियंत्रण और निवारण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके पशुपालन के विकास में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को पूरित करती है। यह 10 वीं पंचवर्षीय योजनावधि से जारी है। इस कार्यक्रम

	उन्मूलन कार्यक्रम	इकाइयों द्वारा निर्मित टीकों की गुणवत्ता की जाँच पीपीआर रोग की निगरानी हेतु सभी जैविक उत्पादों का उत्पादन एवं प्रेषण विभिन्न हितधारकों के कौशल-विकास हेतु प्रशिक्षण।	एवं डेरी विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत विभिन्न संस्थान, राज्य/निजी जैविक उत्पादन इकाइयों)	को वर्तमान में सभी अतिसंवेदनशील भेड़ और बकरियों का टीकाकरण करके पूरे देश में लागू किया गया है, जिसके लिए टीकाकरण (तकनीक हस्तांतरित) और निगरानी हेतु सभी जैविक उत्पाद भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर परिसर द्वारा प्रेषित किए जाते हैं। पीपीआर रोग के विभिन्न राज्य/निजी जैविक उत्पादन इकाइयों द्वारा निर्मित टीकों की गुणवत्ता की जाँच भी भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर द्वारा की जाती है।
4	पशु-चिकित्सा विज्ञान में डॉक्टरेट (PhD) कार्यक्रम	पशु-चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में विषय-विशेष अति-कुशल मानव संसाधन का निर्माण	पशु-चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर (M-V-Sc) उपाधि प्राप्त छात्र/छात्रायेँ	डॉक्टरेट (पीएचडी) कार्यक्रम के लिए प्रवेश दो माध्यमों से मिलता है। i- राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, नई दिल्ली के माध्यम से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए प्रायोजित (सेवारत) सहित सभी उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। ii- छात्रों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा आयोजित आईसीएआर जेआरएफ/एसआरएफ (पीएचडी) के प्रवेश और पुरस्कार के लिए संयुक्त परीक्षा के आधार पर भी प्रवेश दिया जाता है। योग्यता के आधार पर और काउंसलिंग के बाद, आईसीएआर 17 विषयों में आईसीएआर-आईवीआरआई सम- विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट कार्यक्रम (पीएचडी) के लिए छात्रों का चयन करता है।
5	पशु-चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर (M-V-Sc) कार्यक्रम	पशु-चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में विषय-विशेष कुशल मानव संसाधन का निर्माण	पशु-चिकित्सा विज्ञान में स्नातक (B-V-Sc) उपाधि प्राप्त	पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर (M-V-Sc) में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, नई दिल्ली के माध्यम से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए प्रायोजित (सेवारत) सहित सभी उम्मीदवारों को

			छात्र/छात्रायें	लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। स्नातकोत्तर कार्यक्रम में छात्रों का चयन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा आयोजित आईसीएआर पीजी छात्रवृत्ति के प्रवेश/पुरस्कार हेतु संयुक्त परीक्षा के आधार पर किया जाता है। योग्यता के आधार पर और ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद, आईसीएआर 19 विषयों में आईसीएआर-आईवीआरआई डीम्ड यूनिवर्सिटी में पोस्ट-ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम (एमवीएससी) के लिए छात्र/छात्राओं का चयन करता है।
6	स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम i- विषाणु टीका उत्पादन और गुणवत्ता मूल्यांकन ii-वैज्ञानिक विधि द्वारा शीतोष्ण क्षेत्र में पशु पालन	पशु-चिकित्सा एवं पशुपालन विज्ञान के क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन का निर्माण	पशु-चिकित्सा विज्ञान में स्नातक (B-V-Sc) उपाधि प्राप्त छात्र/छात्रायें	पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर (M-V-Sc) में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, नई दिल्ली के माध्यम से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए प्रायोजित (सेवारत) सहित सभी उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। स्नातकोत्तर कार्यक्रम में छात्रों का चयन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा आयोजित आईसीएआर पीजी छात्रवृत्ति के प्रवेश/पुरस्कार हेतु संयुक्त परीक्षा के आधार पर किया जाता है। योग्यता के आधार पर और ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद, आईसीएआर 19 विषयों में आईसीएआर-आईवीआरआई डीम्ड यूनिवर्सिटी में पोस्ट-ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम (एमवीएससी) के लिए छात्र/छात्राओं का चयन करता है। स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु आवेदन करने के लिए संस्थान की वेबसाइट में समय समय पर सूचना दी जाती है। उत्तराखंड राज्य हेतु विशेष आरक्षण नहीं दिया जाता है। देश के विभिन्न राज्यों से इच्छुक प्रतिभागी आवेदन कर सकते हैं।

7	सर्टिफिकेट / व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रशिक्षण	पशुपालन विज्ञान के क्षेत्र में रोजगार-परक पाठ्यक्रमों द्वारा विभिन्न हित-धारक का कौशल-विकास	पशु-चिकित्सक/ पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक (B-V-Sc) उपाधि प्राप्त छात्र/ छात्रायें/पशु-पालक (पाठ्यक्रम के अनुसार)	विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे छोटे और बड़े जुगाली करने वाले पशुओं में बेहतर प्रजनन प्रबंधन के लिए प्रजनन अल्ट्रासोनोग्राफी का प्रशिक्षण, पशु कोशिका समवर्धन तकनीक का प्रशिक्षण, विषाणु जनित रोगों के निदान का प्रशिक्षण, शीतोष्ण क्षेत्र में पशु पालन/चारा प्रबंधन इत्यादि पाठ्यक्रम हेतु इच्छुक लाभार्थी आवेदन कर सकते हैं। इस हेतु प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए निदेशक, भाकृअनुप-भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान directorivri@gmail.com अथवा संयुक्त निदेशक (विस्तार शिक्षा) jdeeivri@gmail.com अथवा संयुक्त निदेशक, मुक्तेश्वर परिसर jointdirectorivrim1@gmail.com से संपर्क किया जा सकता है। यदि राज्य सरकार, राज्य की महिला पशुपालकों हेतु कौशल विकास सम्बन्धी प्रशिक्षणों का आयोजन करवाना चाहती है तो प्रशिक्षणों के आयोजन, माँग होने पर कराया जा सकता है। उत्तराखंड में अधिक दूध देने वाली देशी नस्लों को बढ़ावा देने हेतु आई0वी0आर0आई0, इज्जतनगर द्वारा एच0 एफ0, ज़र्सी, हरियाणा तथा ब्राउन स्विस गायों के संकर से वृंदावनी नामक एक सिन्थेटिक क्रॉस ब्रीड विकसित की गयी है। वृंदावनी गाय को ही आई0वी0आर0आई0, मुक्तेश्वर संस्थान के शीतोष्ण वातावरण में पाला जा रहा है। साथ ही वर्तमान में उत्तराखंड की बद्री नस्ल की गौ प्रजाति का भी संरक्षण संस्थान द्वारा किया जा रहा है।
---	---	---	--	--

आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान (ARIES) नैनीताल

एरीज का संक्षिप्त परिचय :- आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, एरीज ,खगोल विज्ञान (एस्ट्रोनॉमी), खगोल भौतिकी और वायुमंडलीय विज्ञान के क्षेत्रों में भारत का एक अग्रणी शोध संस्थान है, जो उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में भारत वर्ष के सबसे बड़े 3.6 मीटर दूरबीन सहित कई ऑप्टिकल टेलीस्कोप संचालित करता है। एरीज के वैज्ञानिक, अभियंता और शोधार्थी खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी और वायुमंडलीय विज्ञान के क्षेत्रों में सतत अनुसंधान और विकास के कार्यों में लगे हुए हैं। एरीज, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है | 2004 में एरीज के गठन से पूर्व इस संस्थान को राजकीय वैधशाला (Observatory) नाम से जाना जाता था |

वर्तमान में एरीज के दो परिसर हैं, पहला नैनीताल मुख्यालय से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मनोरा पीक पर अवस्थित है तथा दूसरा परिसर नैनीताल जिले में देवस्थल नामक स्थान पर समुद्र सतह से लगभग 2500 मीटर ऊँचाई पर स्थित है |

एरीज मनोरापीक परिसर, नैनीताल |





एरीज, देवस्थल परिसर में स्थापित 03 दूरबीनों का समग्र चित्र।

(क) वेधशाला (Observatory) क्या होती है?

वेधशाला उस स्थान को कहा जाता है जहां पर तारों व नक्षत्रों को देखने तथा उनकी दूरी जानने के यंत्र हों। खगोलीय वेधशाला का मुख्य कार्य ब्रह्माण्ड का अवलोकन करना और आकाश से आने वाले डेटा को इकट्ठा करना और उनका विश्लेषण करना है। हमारे पूर्वजों ने जब आकाश की ओर देखा होगा, तो वह ब्रह्माण्ड के रहस्यों के बारे में जानने को उत्सुक हुए होंगे। यह सदैव एक प्रश्न रहा है? ब्रह्माण्ड किससे बना है ? तारे, आकाशगंगाएँ और अन्य सभी खगोलीय वस्तुएँ कितनी दूर तक मौजूद हैं? हम अपने निकट के ग्रहों तक कैसे पहुंच सकते हैं ? हम सबसे दूर जिस बिंदु तक पहुंच सकते हैं, वहां जाने में कितना समय लगता है? क्या आकाश में गहराई तक यात्रा करना संभव है? अंतरिक्ष क्या है? ब्रह्माण्ड की रचना कैसे हुई ? क्या ब्लैकहोल मौजूद हैं ? सितारे कैसे पैदा होते हैं और उनकी आयु कितनी होती है, क्या तारे मरते हैं? सूर्य कितने समय तक चमक सकता है? तारे, ग्रह और धूमकेतु किससे बने होते हैं? और ऐसे अनगिनत, अनसुलझे सवाल आज भी हमारे सामने हैं..... ?? इन सवालों का जवाब देने के लिए, हमारे पूर्वजों ने आकाश को देखने, खगोलीय पिंडों को खोजने के लिए उपकरणों, दूरबीनों और खगोलीय सुविधाओं का आविष्कार और निर्माण किया। जनता के लिए अंतरिक्ष के सुरम्य दृश्यों को देखने और आनंद लेने के लिए तथा कलाकारों और लेखकों को प्रेरित करने के लिए, तस्वीरें सुंदर वीडियो बनाए जाते हैं। वेधशाला के शैक्षिक और प्रशिक्षण पहलू, विशाल और दिलचस्प हैं और निश्चित रूप से ऐसे संस्थानों और केंद्रों को अपनी उपलब्धियों के प्रबंधन और सुधार के लिए विशेषज्ञ व्यक्तियों और टीमों की आवश्यकता होती है, इसलिए कई योजनाएं, वैज्ञानिकों और शैक्षणिक संस्थानों के शोधकर्ताओं, छात्रों और संकायों के लिए उपलब्ध हैं।

(ख) संगठन के अनुसंधान क्षेत्र: खगोलविज्ञान, खगोल भौतिकी, वायुमंडलीय विज्ञान

- 1—**सौर भौतिकी**: सौर प्लेयर्स, जेट्स, स्पिक्यूल्स, कोरोनल मास इजेक्शन और अन्य सौर विस्फोटक घटनाओं जैसे क्षणिक घटनाओं का अवलोकन और मॉडलिंग सौर वायुमंडल में मैग्नेटो-हाइड्रोडायनामिक तरंगें, अंतरिक्ष मौसम की घटनाएं और अंतरग्रहीय अंतरिक्ष पर सौर क्षणिक प्रभाव।
- 2—**गैलेक्टिक खगोल विज्ञान** : बाह्य-ग्रहीय प्रणालियों का अध्ययन, तारों और तारा समूहों का निर्माण और विकास, तारकीय स्पंदन और परिवर्तनशीलता, अंतरतारकीय पदार्थ और आणविक बादलों का लक्षण वर्णन, तारों से एक्स-रे उत्सर्जन, एक्स-रे बायनेरिज।

3—**एक्स्ट्रागैलेक्टिक खगोल विज्ञान:** निकटवर्ती आकाशगंगाएँ, वुल्फ—रेयेट आकाशगंगाएँ, सक्रिय आकाशगंगाएँ, बड़ी रेडियो आकाशगंगाएँ, गामा—किरण विस्फोटों का ऑप्टिकल अनुवर्ती, सुपरनोवा और सक्रिय गैलेक्टिक नाभिकीय क्वासर चमक परिवर्तनशीलताय रेडियो खगोल विज्ञान।

4—**वायुमंडलीय विज्ञान:** वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन पर अनुसंधान, ट्रेस गैसों का अवलोकन, एरोसोल का लक्षण—वर्णन, मौसम विज्ञान / गतिशीलता की भूमिका, बायोमास जलने और लंबी दूरी के परिवहन, विकिरण बजट, उपग्रह डेटा विश्लेषण और हिमालयी क्षेत्र और सिन्धु—गंगा के मैदानों पर विशेष जोर के साथ निचले क्षोभमंडल घटना का मॉडलिंग।

5—**उपकरण और प्रमुख सुविधाएं विकसित करना:** खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी और वायुमंडलीय विज्ञान के क्षेत्रों में अग्रणी अनुसंधान करने के लिए अत्याधुनिक अनुसंधान सुविधाओं का निर्माण और संचालन करना हमारा लक्ष्य है। ऑप्टिकल और निकट—अवरक्त खगोल विज्ञान में देवस्थल, नैनीताल में राष्ट्रीय अवलोकन सुविधा का विकास और संचालन, गतिशीलता, एरोसोल अध्ययन, स्ट्रेटोस्फियर ट्रोपोस्फीयर, एसटी रडार, लिडार सुविधाएं और सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष और जमीन—आधारित मिशनों के लिए कार्य करना।

(ग) **एरीज में विद्यमान प्रमुख राष्ट्रीय सुविधाएँ एवं उनकी उपयोगिता :-** 104 सेमी डॉ.संपूर्णानंद दूरबीन—वेधशाला ने 1972 में मनोरा पीक पर 104 सेमी ऑप्टिकल दूरबीन की स्थापना की। अतीत में, वैज्ञानिकों द्वारा फोटोग्राफिक फिल्म का उपयोग कर प्रेक्षण किये जाते थे। 1990 के बाद, प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील उपकरण, जिसे चार्ज कपल्ड डिवाइस (सीसीडी) कहा जाता है, से प्रेक्षण किए जा रहे हैं। इस उपकरण से वैज्ञानिकों को सुदूर उपस्थित तारों, आकाश गंगाओं इत्यादि का अध्ययन करने में सहायता मिली।

यह दूरबीन अत्यंत मंद आकाशीय पिंडों का पता लगा सकती है। यह इतनी सक्षम है कि आकाश में दूर एक उस पिंड का पता लगा सकती है जो रात में हमारी आंखों की तुलना में लगभग 40 मिलियन/4 करोड़ गुणा अधिक धुंधला है। इस दूरबीन ने यूरेनस और शनि के चारों ओर छल्ले खोजने में भी मदद की। इस दूरबीन का उपयोग करके हैली धूमकेतु का भी प्रेक्षण किया गया। पूर्व में, दूरबीन का उपयोग धूमकेतु, ग्रहों और आसपास के चमकीले तारों का अध्ययन करने के लिए किया जाता रहा है। 2000 के बाद से, इस दूरबीन ने अत्यधिक ऊर्जावान आकाशीय विस्फोटों के प्रेक्षण में बहुत योगदान दिया है, जिन्हें गामा रे विस्फोट के रूप में जाना जाता है।

ब्लैक होल भौतिकी को समझने में इस दूरबीन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वर्तमान में दूरबीन का उपयोग सुपरनोवा, गामा—रे विस्फोट, सक्रिय तारों, ब्लैक होल, स्टार क्लस्टर और आकाशगंगाओं के अध्ययन में किया जाता है। इस दूरबीन का उपयोग करके नवोदित सितारों, आकाशगंगाओं और अन्य वस्तुओं के सुंदर चित्र लिए गए हैं। पिछले पचास स्वर्णिम वर्षों की सफल विज्ञान यात्रा में 104 सेमी दूरबीन से किए गए प्रेक्षणों के परिणाम स्वरूप 63 पीएचडी थीसिस और लगभग 400 शोध पत्र विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं।

(दाई ओरगुम्बद वाली इमारत के अंदर 104 सेंटीमीटर टेलीस्कोप है।)

3.6 मीटर देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप

यह भारत का सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप है, जिसे देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप (डॉट) कहा जाता है। एरीज, एक राष्ट्रीय सुविधा के रूप में भारत की सबसे बड़ी 3.6 मीटर व्यास की ऑप्टिकल



दूरबीन का संचालन करता है। भारत ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति की जांच करने, तारों के जीवन चक्र को समझने और ब्लैक होल की रहस्यमयी घटनाओं का अध्ययन करने के उद्देश्य से उत्तराखंड में देवस्थल (ऊँचाई 2450 मीटर) पर एक विश्व स्तरीय 3.6 मीटर ऑप्टिकल टेलीस्कोप स्थापित किया है। इस दूरबीन में एक्टिव ऑप्टिक्स प्रौद्योगिकी के साथ 3.6 मीटर व्यास वाला हाइपरबोलॉइड प्राथमिक दर्पण, कई सारे जटिल उपकरण, दर्पण कोटिंग संयंत्र और एक कंट्रोल रूम शामिल है। दूरबीन पर लगे उपकरण ऑप्टिकल और निकट-अवरक्त तरंग दैर्घ्य पर खगोलीय अवलोकन प्रदान कर सकते हैं, जो सौर मंडल की वस्तुओं, एक्सो-ग्रहों, सितारों, तारा-समूहों, आकाशगंगाओं और एक्स्ट्रा-गैलेक्टिक स्रोतों से संबंधित खगोलीय विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को पूरा करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय तरल दर्पण टेलिस्कोप (आई एल एम टी)

भारतीय हिमालय में एरीज, देवस्थल में स्थित अनोखे अंतर्राष्ट्रीय तरल दर्पण टेलिस्कोप (आई एल एम टी) के शुरु होने के साथ भारत, बेल्जियम और कनाडा में खगोलविदों के पास अब एक नया उपकरण है, जिससे ब्रह्मांड का प्रेक्षण किया जा सकता है। यह नवीन उपकरण तरल पारे की पतली परत से बने 4-मीटर-व्यास वाले एक घूमते हुए दर्पण का इस्तेमाल करके प्रकाश को इकट्ठा और केंद्रित करता है। टेलिस्कोप को हर रात इसके ऊपर से गुजरने वाले आकाश की पट्टी का सर्वेक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे यह क्षणिक या परिवर्तनशील स्रोतों जैसे सुपरनोवा, गुरुत्वाकर्षण लेंस, अंतरिक्षी मलबे, क्षुद्रग्रह आदि की पहचान कर सकता है।

तरल-दर्पण टेलिस्कोप इस तथ्य का लाभ उठाते हैं कि घूमते तरल की सतह, स्वाभाविक रूप से एक परवलयिक (Parabolic) आकार लेती है, जो प्रकाश को केंद्रित करने के लिए आदर्श है।

समतापमंडल क्षोभमंडल रडार (Stratosphere Troposphere Radar] ST Radar)

एरीज, नैनीताल में एसटी रडार सिस्टम (206.5 मेगाहर्ट्ज) को अत्याधुनिक सॉलिड स्टेट टीआर मॉड्यूल और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग तकनीकों का उपयोग करके एक सक्रिय एपर्चर वितरित चरणबद्ध ऐरे के रूप में कॉन्फिगर किया गया है। इस प्रणाली में एक समबाहु त्रिकोणीय ग्रिड व्यवस्था पर एक गोलाकार छिद्र में 3 तत्वों की 588 यागियों की एक श्रृंखला है। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि संपूर्ण प्रणाली भारत के भीतर विकसित की गई है और पहली बार किसी छत पर एंटीना ऐरे स्थापित किया गया है। हाल ही में, एरीज ने 12 क्लस्टरों को सफलतापूर्वक संचालित किया है और 20 किमी की ऊँचाई तक अवलोकन प्राप्त किए गए हैं। रडार को 72 घंटे से अधिक समय तक लगातार संचालित किया गया है और संचालन की इस अवधि के दौरान, पवन उत्पादों की तुलना करने के लिए जीपीएस रेडियोसॉन्डे भी लॉन्च किए गए थे। एसटी रडार और जीपीएस रेडियोसॉन्डे के बीच हवाओं पर यथोचित सुसंगत परिणाम प्राप्त होते हैं।

आदित्य एल 1 विज्ञान सहायता केंद्र –

इसरो की सहायता से नैनीताल स्थित एरीज में आदित्य-एल1 सपोर्ट सेल (AL1SC) स्थापित की गई है, यह सपोर्ट सेल भारत भर में कई स्थानों पर कार्यशालाएँ आयोजित करता है। इनमें स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों का सौर भौतिकी की विभिन्न अवधारणाओं से परिचय कराया जाता है और आदित्य-एल 1 से मिलने वाले डाटा के इस्तेमाल और विश्लेषण का प्रशिक्षण दिया जाता है।

(घ) अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

1— **पब्लिक आउटरीच** : खगोल विज्ञान (एस्ट्रोनॉमी) एक बहुत छोटे समुदाय तक ही सीमित है, जो खगोल विज्ञान को अपने करियर के रूप में अपनाते हैं। एरीज ने खगोल विज्ञान समुदाय (भारत और दुनिया भर के) द्वारा उपलब्ध ज्ञान को आम जनता तक फैलाने के लिए मनोरा पीक परिसर में एक विज्ञान केंद्र स्थापित किया है। स्कूल एवं कालेज के विद्यार्थियों के कई समूह साल भर एरीज का शैक्षणिक भ्रमण करते हैं | दूरबीनों से स्टार गेजिंग के

अतिरिक्त, एरीज में एक छोटा तारामंडल भी है, जिसके माध्यम से आगंतुकों को ब्रह्माण्ड के बारे में फिल्म के माध्यम से जानकारी दी जाती है | एरीज के देवस्थल परिसर में भी विज्ञान केंद्र की स्थापना कर दी गई है | एरीज के वेबसाइट www.aries.res.in पर जाकर आप एरीज भ्रमण के लिए अपना स्लॉट आरक्षित कर सकते हैं | हर साल विख्यात गणमान्य व्यक्ति, शिक्षाविद, शिक्षक, छात्र और आम जनता दूरबीन और दूरबीन के माध्यम से ब्रह्माण्ड देखने आते हैं। यह सुविधाएं सभी के लिए निशुल्क हैं। एरीज भ्रमण से पूर्व आप दूरभाष सं०— 05942270700 पर सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एरीज की दूरबीनों ने इस भौगोलिक क्षेत्र में खगोल पर्यटन को भी बढ़ावा दिया है। एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एरीज और कुमाऊँ मंडल विकास निगम द्वारा एक पहल की गई है, जिसके माध्यम से कुमाऊँ मंडल विकास निगम अपने पर्यटकों को एरीज के भ्रमण कराएगा |

2—डॉक्टरेट (पी एच डी) कार्यक्रम : एरीज खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी और वायुमंडलीय विज्ञान में पीएचडी और एकीकृत एमटेक—पीएचडी करने के लिए फेलोशिप प्रदान करता है। छात्रों को गेट, जेस्ट या नेट परीक्षाओं या इंस्पायर फेलोशिप के बाद साक्षात्कार के माध्यम से शोधार्थी के रूप में चुना जाता है।

3—पोस्टडॉक्टोरल कार्यक्रम : एरीज खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी और वायुमंडलीय विज्ञान की किसी भी शाखा में पोस्टडॉक्टोरल फेलोशिप प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग और उपकरणों, या सॉफ्टवेयर के विकास में काम करने के लिए विजिटिंग पदों को भी प्रदान करता है।

4—विजिटिंग स्टूडेंट्स कार्यक्रम : एरीज के वैज्ञानिकों और अभियंताओं के मार्गदर्शन में स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए विभिन्न अल्पकालिक परियोजनाओं पर निशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम भी उपलब्ध हैं।

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (ICFRE-FRI)
(वन अनुसंधान संस्थान (डीमड विश्वविद्यालय) देहरादून)



(अल्पावधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम-2024)

क्र.सं.	योजना / सेवा का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	भ.वा.अ.शि.प.-वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में लघु अवधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम- 2024	वन संसाधन मूल्यांकन में रिमोट सेंसिंग, जी.आई.एस और जी.पी.एस का अनुप्रयोग (पाठ्यक्रम निदेशक: डॉ. नीलेश यादव, वैज्ञानिक-ई एवं प्रभारी: जी.आई.एस केंद्र, आई.टी. शाखा, फोन नंबर: 0135-2224233 मोबाइल: 9411385495 ई-मेल: neeleashy@gmail.com)	वन विभाग के अग्रिम	पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन पत्र संबंधित प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम निदेशक को प्रेषित किया जा सकता है तथा एक प्रति प्रमुख, विस्तार प्रभाग, भ.वा.अ. शि.प.-वन अनुसंधान संस्थान को भेजी जाएगी। पी.ओ. न्यू फॉरेस्ट, देहरादून-248006 (उत्तराखंड) फोन- 0135-2758606, फैक्स: 01352756865
		काष्ठ का वर्गीकरण एवं ग्रेडिंग (पाठ्यक्रम निदेशक: श्री राजेश भंडारी,		

	वैज्ञानिक-एफ, टिंबर मैकेनिक्स एंड इंजीनियरिंग शाखा, वनोपज प्रभाग फोन नंबर: 01352224395 ई-मेल: bhandarir@icfre.org) आजीविका के स्रोत के रूप में तितली अनुश्रवण और तितली समावेशी पर्यटन (पाठ्यक्रम निदेशक: डॉ. अरुण प्रताप सिंह वैज्ञानिक-जी एवं प्रमुख, वन संरक्षण प्रभाग, फोन नंबर: 9068049888 ई-मेल: singhap@icfre.org पैरा टैक्सोनॉमी में कौशल विकास (पाठ्यक्रम निदेशक: डॉ. रंजना नेगी, वैज्ञानिक-ई एवं प्रमुख, वन वनस्पति प्रभाग फोन नंबर: 01352224385 ईमेल: negirk@icfre.org काष्ठ संरचना एवं डिजाइन (पाठ्यक्रम निदेशक: श्री अश्वथ हेगड़े, वैज्ञानिक-बी, टिम्बर मैकेनिक्स एंड इंजीनियरिंग शाखा, वनोपज प्रभाग फोन नंबर: 6362850398 ई-मेल: ashwathh@icfre.org छिद्र विधि द्वारा फॉर्मेलिडहाइड उत्सर्जन (आई.एस.:13745) पाठ्यक्रम निदेशक: डॉ. रंजना यादव, वैज्ञानिक-ई, वनोपज प्रभाग फोन नंबर: 0135-2224445 ई-मेल: ryadav@icfre.org	पंक्ति के कर्मचारी राज्य वन विभाग, निजी एजेंसियां, छात्र, उद्यमियों एवं अन्य हितधारक	ऑफ़लाइन मोड पाठ्यक्रम शुल्क (भोजन और आवास शुल्क सहित) भारतीय नागरिकों हेतु प्रति प्रतिभागी रु. 11000/- ऑनलाइन मोड भारतीय नागरिकों के लिए पाठ्यक्रम शुल्क प्रति प्रतिभागी रु. 6000/- न्यूनतम प्रतिभागी: 20 संस्थागत शुल्क प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए 20 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। अपेक्षित पाठ्यक्रम शुल्क (निदेशक, वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून के पक्ष में और "देहरादून" में देय डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से) संबंधित पाठ्यक्रम शुरू होने से कम से कम 30 दिन पूर्व उपरोक्त पते पर पहुंच जाना चाहिए।
--	---	---	---

		बांस एवं काष्ठ संशोधन एवं संरक्षण (पाठ्यक्रम निदेशक: शैलेन्द कुमार, वैज्ञानिक-डी, काष्ठ संशोधन विभाग, वन उत्पाद प्रभाग, भ.वा.अ.शि.प.- एफ.आर. आई फोन नंबर: 0135-2224423, 9837086111 ईमेल: kumarsro@icfre.org प्लाईवुड निर्माण (पाठ्यक्रम निदेशक: डॉ. डी.पी. खली, वैज्ञानिक-जी, वनोपज प्रभाग फोन नंबर: 0135-2224451 ई-मेल: kalidp@icffe.org		
कम लागत वाले अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम				
2	कम लागत वाले अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	नगरीय वृक्ष जोखिम प्रबंधन/ संकट ग्रस्त एवं नव वृक्ष (पाठ्यक्रम निदेशक: डॉ. शैलेश पांडे, वैज्ञानिक-ई, वन रोग विज्ञान विभाग, वन सुरक्षा प्रभाग, फोन नंबर: 0135-2224226 वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा (वी.ए. एम.) का व्यापक उत्पादन (पाठ्यक्रम निदेशक: डॉ. विपिन प्रकाश, वैज्ञानिक-एफ, वनव्याधि शाखा फोन नंबर: 0135-2224313 खाद्य/औषधीय मशरूम की खेती (पाठ्यक्रम निदेशक: डॉ. शैलेश पांडे, वैज्ञानिक-ई, वन संरक्षण प्रभाग फोन नंबर: 0135-2224313 बायो कंट्रोल एजेंट ट्राइकोडर्मा का बृहद् पैमाने पर बहुगुणन (पाठ्यक्रम निदेशक: डॉ.	फील्ड स्टाफ, किसानों और कारीगरों हेतु	पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन पत्र संबंधित प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम निदेशक को प्रेषित करना होगा और एक प्रति प्रमुख, विस्तार प्रभाग, भ.वा.अ.शि.प.-वन अनुसंधान संस्थान को भेजनी होगी। पी.ओ. न्यू फॉरेस्ट, देहरादून-248006 (उत्तराखंड) फोन 0135-2758606 फैक्स: 0135-2756865 ऑफलाइन मोड पाठ्यक्रम शुल्क (भोजन और आवास शुल्क सहित) प्रति प्रतिभागी रु. 5500/- न्यूनतम प्रतिभागी: 20 ऑनलाइन मोड पाठ्यक्रम शुल्क प्रति प्रतिभागी रु. 5000/-प्रति कोर्स संस्थागत शुल्क प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए 20 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा।

		शैलेश पांडे, वैज्ञानिक-ई, भा.वा.अ.शि.प. —वन अनुसंधान संस्थान, वन व्याधि शाखा, वन संरक्षण प्रभाग, संपर्क: : 0135-2224313 आजीविका सृजन हेतु प्रकृति का सतत दोहन, सगंध तेलों और प्राकृतिक रंगों का उपयोग (पाठ्यक्रम निदेशक: डॉ. वी.के. वाष्णीय प्रमुख, रसायन विज्ञान एवं जैव-पूर्वक्षण प्रभाग, भा.वा.अ.शि.प-वन अनुसंधान संस्थान, फोन नंबर: 0135-2224313 कृषि वानिकी एवं बाजारीकरण व्यवस्था (पाठ्यक्रम निदेशक: डॉ. चरण सिंह, वैज्ञानिक-ई, विस्तार प्रभाग, भा.वा.अ.शि.प. वन अनुसंधान संस्थान फोन नंबर: 0135-2224355		अपेक्षित पाठ्यक्रम शुल्क (निदेशक, वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून के पक्ष में और "देहरादून" में देय डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से) संबंधित पाठ्यक्रम शुरू होने से कम से कम 30 दिन पूर्व उपरोक्त पते पर पहुंच जाना चाहिए।
वन अनुसंधान संस्थान सम विश्वविद्यालय द्वारा संचालित स्नाकोत्तर पाठ्यक्रम (एम.एस.सी.)				
3	वन अनुसंधान संस्थान सम विश्वविद्यालय एम. एस.सी. प्रवेश परीक्षा	एम.एस.सी. (वानिकी) एम.एस.सी. (काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)	वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूविज्ञान, गणित, भौतिकी और प्राणी शास्त्र में से किसी एक विषय के साथ विज्ञान में स्नातक डिग्री या कृषि या वानिकी में स्नातक डिग्री भौतिकी, गणित और रसायन विज्ञान में स्नातक डिग्री या वानिकी में बी. एस. सी. डिग्री	अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे विश्वविद्यालय की वेबसाइट देखते रहें। आवेदन पत्र www.fridu.edu.in में दिए गए लिंक के माध्यम से भरना होगा और विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा तथा 1500/- रुपये के डिमांड ड्राफ्ट (कुल सचिव, वन अनुसंधान संस्थान सम विश्वविद्यालय को देय) के साथ कुलसचिव, वन अनुसंधान संस्थान सम विश्वविद्यालय, पी.ओ. कौलागढ़ रोड, देहरादून को भेजना होगा। चयन प्रक्रिया: अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से।

		एम.एस.सी. (पर्यावरण प्रबंधन)	बुनियादी या व्यावहारिक विज्ञान की किसी भी शाखा में तीन वर्षीय स्नातक डिग्री या वानिकी या कृषि में स्नातक या पर्यावरण विज्ञान में बी.ई.।	
		एम.एस.सी. (सेलूलोज़ एवं कागज़ प्रौद्योगिकी)	एक विषय के रूप में रसायन विज्ञान सहित विज्ञान में तीन वर्षीय स्नातक डिग्री, बी.ई./बी.टेक (केमिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग)।	
काष्ठ सेवाओं का वाणिज्यिक संशोधन				
4	परीक्षण सेवाएँ	काष्ठ सेवाओं का वाणिज्यिक संशोधन, साल, आसना, जामुन, सिल्वर ओक, अखरोट, कुसुम, ओक, यूकेलिप्टस, सिस्सू, सागौन, हल्दू, देवदार, बर्च, तून, कीकर, सिरिस, चंपक, बोटलब्रश, होलॉक, आम कांजू, कुड़हान, चीड़, पापलर, सेमुल, फर, स्पूस	दरें: नमी की मात्रा और लकड़ी मोटाई पर आधारित हैं	परीक्षण शुल्क "निदेशक, वन अनुसंधान संस्थान" के पक्ष देहरादून में देय डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भेजा जाएगा। परीक्षण के लिए नमूने (उपर्युक्त पहचान संख्या के साथ) और डी.डी. प्रमुख वनोपज प्रभाग, पी.ओ. न्यूफॉरेस्ट, वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून 248006, उत्तराखंड राज्य को भेजना होगा। सभी सामान्य जानकारी के लिए head_fp@icfre.org पर पत्राचार किया जा सकता है। संशोधन सेवाओं पर अतिरिक्त जानकारी हेतु, कृपया संपर्क करें: upretink@icfre.org ; kumarsro@icfre.org

भौतिक एवं यांत्रिक परीक्षण सेवाएँ				
5	भौतिक एवं यांत्रिक परीक्षण	काष्ठ एवं काष्ठ उत्पादों का भौतिक परीक्षण जैसे आद्रता सामग्री, विशिष्ट घनत्व, भार, जल अवशोषण, शोध आदि।	रु. 2,200 /—प्रति नमूना / परीक्षण	परीक्षण शुल्क "निदेशक, वन अनुसंधान संस्थान" के पक्ष देहरादून में देय डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भेजा जा सकता है। परीक्षण के लिए नमूने (उपर्युक्त पहचान संख्या के साथ) और डी.डी. प्रमुख वनोत्पाद प्रभाग, पी.ओ. न्यूफॉरेस्ट, वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून 248006, उत्तराखंड राज्य को भेजना होगा। उपर्युक्त शुल्क पर 18 प्रतिशत जी.एस.टी अतिरिक्त लगेगा सभी सामान्य जानकारी के लिए head_fp@icfre.org पर पत्राचार किया जा सकता है। मैकेनिकल एवं भौतिक परीक्षण पर किसी भी अतिरिक्त जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें: dubeyym@icfre.org
		यांत्रिक परीक्षण जैसे बंकन संपीडन, तनाव, कठोरता, कतरनी, कील प्रतिरोधक क्षमता, काष्ठ एवं काष्ठ उत्पादों का पेंच निकासी प्रतिरोधकता आदि।	रु. 2,750 /— प्रति नमूना / परीक्षण	
		IS: 1003 और TADS के अनुसार: (पहचान, रासायनिक उपचार, नमी की मात्रा आदि की जांच को छोड़कर) पैनल दरवाजा शटर / खिड़की और वेंटिलेटर शटर	रु. 22000 /—प्रति दरवाजा शटर	
		पलशडोर शटर IS: 2202 और IS:2191 के अनुसार	रु. 22000 /—प्रति दरवाजा शटर	
		IS: 4020 (Pt-1से 16) के अनुसार: दरवाजा शटर परीक्षण के तरीके	रु. 22000 /—प्रति दरवाजा शटर	
		TADS: 15 के अनुसार LVL दरवाजा शटर का परीक्षण (पहचान /नमी सामग्री को छोड़कर)	रु. 33000 /—प्रति दरवाजा शटर	
		काष्ठ के भौतिक और यांत्रिक गुणों, उपयुक्तता सूचकांकों, सुरक्षित कार्य तनाव या शक्ति गुणांक पर डेटा की आपूर्ति	रु.10000 /—प्रति काष्ठ प्रजाति	
		एकल भौतिक या यांत्रिक गुणधर्म डेटा की आपूर्ति यानी विशिष्ट घनत्व, टूटने का मापांक आदि	रु.1000 /—प्रतिगुण धर्म प्रति प्रजाति	
संरक्षण परीक्षण एवं परिरक्षक उपचार सेवाएँ				
6	संरक्षण परीक्षण	उपचारित काष्ठ में परिरक्षक का अंतर्वेधन	रु.11,000 /—प्रति नमूना	परीक्षण शुल्क "निदेशक, वन अनुसंधान संस्थान"

एवं परिरक्षक उपचार सेवाएँ	एवं प्रतिधारण का निर्धारण		के पक्ष में "देहरादून" में देय डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भेजा जा सकता है परीक्षण के लिए नमूने (उपर्युक्त पहचान संख्या के साथ) और डी.डी. प्रमुख वनोपज प्रभाग, पी.ओ. न्यू फॉरेस्ट, वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून 248006, उत्तराखण्ड राज्य को भेजे जा सकते हैं। उपर्युक्त शुल्क पर 18 प्रतिशत जी.एस.टी अतिरिक्त लगेगा। सभी सामान्य जानकारी के लिए head_fp@icfre.org पर पत्राचार किया जा सकता है। मैकेनिकल एवं भौतिक परीक्षण पर किसी भी अतिरिक्त जानकारी के लिए, कृपया संपर्क करें :dubeyym@icfre.org
	प्लाईवुड/अग्नि रोधी में परिरक्षक का परीक्षण	रु.13200/-प्रति नमूना/ परीक्षण	
	आग र विधि द्वारा विषाक्तता / प्रदर्शन स्क्रीनिंग परीक्षण	रु. 11,000 /काष्ठ /कवक	
	फंगस ओतल ब्लॉक बायोएसेज के विरुद्ध प्रयोगशाला परीक्षण	रु. 22,000 /काष्ठ /कवक	
	परिरक्षक उपचार	रु.70/-प्रति सी.एफ.टी + रासायनिक द्रव्यों का शुल्क	

उक्त कार्यों के अतिरिक्त भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद-वन अनुसंधान संस्थान, उत्तराखण्ड में वनाग्नि की समस्या के समाधान हेतु संस्थान द्वारा वन अग्नि पर ICFRE-FRI, Dehradun द्वारा FSI देहरादून, WII देहरादून, NIH रुड़की और GBPNIHE, अल्मोड़ा के सहयोग से उत्तराखण्ड और मध्य प्रदेश में वन अग्नि के कारण प्रति हेक्टेयर वास्तविक तौर पर आर्थिक नुकसान का आंकलन किया गया है। परियोजना पूर्ण हो गई है। वन अग्नि पर चल रही परियोजनाएँ : ICFRE-FRI ने अग्निशमन उपकरण, सुरक्षा गियर आदि के डिजाइन और विकास के लिए UPES देहरादून, IIT रुड़की और CFEES, DRDO, नई दिल्ली जैसे विशेषज्ञ संस्थानों के साथ सहयोग किया है।

FSI देहरादून और DFE, देहरादून के सहयोग से ICFRE-FRI National Collaborative Scheme on Forest Fire Management भी निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ कार्यान्वित की जा रही है :- डेटाबेस प्रबंधन और ज्ञान प्रसार के लिए राष्ट्रीय वेब पोर्टल का विकास। राष्ट्रीय वन अग्नि ज्ञान नेटवर्क का विकास। मानक संचालन प्रक्रियाओं (एस.ओ.पी.) का विकास। भविष्य में जलवायु परिवर्तन परिदृश्य का वन अग्नि की संवेदनशीलता पर प्रभाव पर अध्ययन। अग्नि शमन उपकरणों और तकनीकों द्वारा एस.एफ.डी को मजबूत करना। वन अग्नि के कारण होने वाले नुकसान और आर्थिक नुकसान का आंकलन। अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में अग्नि के बाद बहाली और पुनर्वास रणनीति। समुदाय आधारित वन अग्नि प्रबंधन।

भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) देहरादून



संक्षिप्त परिचय — भारतीय वन्यजीव संस्थान का उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण प्रबंधन और वैज्ञानिक अध्ययन करना और स्थानीय समुदायों के हितों को ध्यान में रखते हुए समग्र दृष्टिकोण अपनाना है। संस्थान की स्थापना सन् 1982 में देहरादून में की गई थी। भारतीय वन्यजीव संस्थान को अप्रैल 1986 में स्वायत्तता मिली, जिसने इसकी विकास गति को बढ़ावा दिया। भारतीय वन्यजीव संस्थान पहले से ही वन्यजीव प्रबंधन और संरक्षण में प्रशिक्षण और शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय केंद्र माना जाता है। दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के कई देश नियमित रूप से अपने विभिन्न स्तरों के वन अधिकारियों को इसके प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भेजते हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वन्यजीव संरक्षण के लिए उत्कृष्टता का केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है।

हमारा उद्देश्य

- वन्यजीव संसाधनों पर वैज्ञानिक ज्ञान का निर्माण करना।
- वन्यजीवों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए विभिन्न स्तरों पर वन कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना।
- प्रबंधन से संबंधित अनुसंधान परियोजनाएं चलाना, अनुसंधान करना, जिसमें भारतीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त तकनीकों का विकास शामिल है।
- विशिष्ट वन्यजीव प्रबंधन समस्याओं पर जानकारी और सलाह प्रदान करना।
- वन्यजीव अनुसंधान, प्रबंधन और प्रशिक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना, ताकि वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों और दृष्टिकोणों को अपनाया जा सके।
- वन्यजीव प्रबंधन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित होना।

वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता निर्माण

- उन्नत वन्यजीव प्रबंधन में 10—महीने का स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम
- वन्यजीव प्रबंधन में 3—महीने का प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम
- अनुकूलित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की एक श्रृंखला : कस्टम, वन्यजीव संरक्षण, चिड़ियाघर प्रबंधन, वनीकरण और सैन्य संवेदनशीलता के क्षेत्र में विभिन्न पेशेवरों, जिसमें भारतीय वन सेवा के अधिकारी और अंतराष्ट्रीय संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधक शामिल हैं, के ज्ञान को बढ़ाने के लिए
- वन्यजीव विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (Post-graduation in Wildlife Science)
- ताजे पानी की पारिस्थितिकी और संरक्षण में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (Post-graduation in Fresh water Ecology and Conservation)

अनुसंधान कार्य

भारतीय वन्यजीव संस्थान की शोध कार्यसूची, अनुसंधान सलाहकार समिति (TRAC) द्वारा निर्धारित और मार्गदर्शित किया जाता है, जिसमें प्रमुख संरक्षणकर्ता, अकादमिक और वैज्ञानिक संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। जो सुनिश्चित करते हैं कि अनुसंधान राष्ट्रीय संरक्षण प्राथमिकताओं के अनुरूप हो, और भविष्य की कार्यक्रमों के लिए दिशा तय की जा सके। भारतीय वन्यजीव संस्थान की अनुसंधान परियोजनाएँ जो देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में चल रही हैं, संरक्षण में सहायता के लिए वैज्ञानिक जानकारी के मुख्य स्रोत हैं।

उत्तराखंड राज्य में भारतीय वन्यजीव संस्थान की मौजूदगी

भारतीय वन्यजीव संस्थान इस समय उत्तराखंड राज्य में मुख्य रूप से चार परियोजनाओं में शोध कार्य कर रहा है, जो निम्नलिखित हैं:

1. नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत की जा रही गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण

भारत सरकार द्वारा गंगा नदी की स्वच्छता एवं संरक्षण हेतु चलाये जा रहे नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत जलीय जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भारतीय वन्यजीव संस्थान के साथ मिलकर कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि गंगा नदी की विभिन्न प्रजातियाँ जो वर्तमान में संकटग्रस्त हैं या निकट भविष्य में जिनके लुप्त होने की संभावना है, इन प्रजातियों की विविधता के लिये उत्पन्न होने वाले खतरे में कमी आये। परियोजना के प्रथम चरण में गंगा नदी की मुख्यधारा में कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया। परियोजना के द्वितीय चरण में कार्यक्रम का क्रियान्वयन गंगा की सहायक नदियों में किया जा रहा है।

कार्यक्रम के अन्तर्गत गंगा जलीय जीव संरक्षण एवं अनुश्रवण केन्द्र की स्थापना, गंगा नदी के जलीय जीवों के पुनरुद्धार हेतु योजना का निर्माण, वन विभाग एवं अन्य हितधारकों का क्षमता विकास, जलीय प्रजातियों हेतु बचाव एवं पुनर्वास केन्द्र की स्थापना, गंगा नदी की प्रजातियों के पुनर्वास हेतु समुदाय आधारित संरक्षण कार्यक्रम एवं गंगा नदी की जैवविविधता के संरक्षण हेतु व्याख्या केन्द्रों का निर्माण आदि कार्यक्रम प्रमुख हैं। साथ ही एक प्रशिक्षित और प्रेरित गंगा प्रहरी संवर्ग की स्थापना की गई है। जिसमें कोई भी स्वप्रेरित व संरक्षण में रुचि रखने वाला व्यक्ति अपना नामांकन करा

सकता है। अभी तक कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 5569 गंगा प्रहरियों का नामांकन किया गया है। बच्चों को संवेदित करने के लिये विद्यालयों में बाल गंगा प्रहरी कार्नर और जलमाला संवाद की स्थापना की जा रही है।

उत्तराखंड राज्य में कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा व उसकी सहायक नदियों भागीरथी, अलकनंदा, यमुना, रामगंगा, सुसवा, चंद्रभागा में जैवविविधता और जल गुणवत्ता का सर्वेक्षण कराया गया है। इसके साथ ही आसन, झिलमिल तथा बानगंगा आदि आर्द्रभूमियों में पक्षियों का सर्वेक्षण हुआ है। इसके साथ ही समुदाय को जैवविविधता के महत्व के प्रति जागरूक करने और संरक्षण में उनकी प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के लिये 8 जनपदों उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, चम्पावत तथा ऊधमसिंहनगर के विभिन्न गांवों में गतिविधियां की जा रही हैं जिनमें मुख्य रूप से जागरूकता बैठकें, कार्यशालायें, रैली, स्वच्छता गतिविधियां, वृक्षारोपण, आजीविका संवर्धन कार्यक्रम, सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण, जैविक कृषि के संबंध में जागरूकता आदि गतिविधियां की जा रही हैं। समुदाय की आजीविका के संवर्धन के लिये कौशल विकास गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। अभी तक कुल 25 कौशल विकास प्रशिक्षणों का आयोजन किया जा चुका है। गंगा प्रहरियों द्वारा निर्मित उत्पादों को बाजार प्रदान करने के लिये जलज केंद्रों की स्थापना की गई है। राज्य में 10 जलज केंद्रों की स्थापना की गई है जिसमें मुख्य रूप से होम स्टे और बिक्री केन्द्र शामिल हैं। प्रशिक्षित लोगों/समूहों द्वारा बनाये गये उत्पादों को विपणन विभिन्न जलज केंद्रों के माध्यम से किया जा रहा है। इसके साथ ही भारत सरकार के मिलेट मिशन के अनुरूप व प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के उत्तराखंड में विभिन्न गांवों में कृषि संबंधी और उत्पाद मूल्य संवर्धन (Value addition through product making) प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया है। इस तरह प्रशिक्षित गंगा प्रहरियों के माध्यम से समुदाय व राज्य के विभिन्न भागों में जैवविविधता एवं नदी संरक्षण के प्रति जागरूकता का प्रसार किया जा रहा है।

2. नंदा देवी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र (NDBR), संक्रमण क्षेत्र Transition Zone को ध्यान में रखकर एक व्यापक जैव विविधता संरक्षण प्रबंधन योजना विकसित करना

नंदा देवी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र (NDBR) उत्तराखंड में स्थित है, जिसमें दो मुख्य क्षेत्र शामिल हैं —1. नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान (625 वर्ग किलोमीटर) और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान (87.5 वर्ग किलोमीटर)। इसे 1992 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई और 2004 में इसे जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया। नंदा देवी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र की निगरानी और पारिस्थितिकी पर्यटन और शिक्षा को बढ़ाना है। यह आरक्षित क्षेत्र में मुख्यतः भोटिया और इंडो-आर्यन समुदायों, जो गर्मी और सर्दी के गांवों के बीच प्रवास करते हैं ताकि चरागाह और कृषि का अधिकतम उपयोग कर सकें, निवास करते हैं। अब तक वैज्ञानिक अध्ययन मुख्यतः नंदा देवी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के पश्चिमी भाग में ही हुए हैं, जबकि संक्रमण क्षेत्र (Transition Zone, दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों) में जानकारी का अभाव है। इसलिए पारंपरिक चरवाहों के प्रवासी मार्गों का अध्ययन, जैव विविधता के संरक्षण के लिए नियंत्रित चराई प्रथाओं का विकास, आक्रामक प्रजातियों (Invasive species) और हानिकारक भूमि उपयोग प्रथाओं का समाधान, उच्च संरक्षण मूल्य वाले औषधीय पौधों के क्षेत्रों की पहचान, कटाई और कृषि सुनिश्चित करना, लोक ज्ञान और अधिकारों का दस्तावेजीकरण करना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की निगरानी इत्यादि इसके मुख्य उद्देश्य हैं। आवासों का बेहतर प्रबंधन और वन्य जीवों का संरक्षण, स्थानीय समुदायों के लिए विविधीकरण और बेहतर जीविका विकल्प, वन्यजीव अपराध को कम

करने के लिए निगरानी और स्थायी प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए सूचना प्रणाली स्थापित करना, जिससे दीर्घकालिक पारिस्थिकी स्थिरता और समुदाय की भलाई सुनिश्चित हो सके, जो एक व्यापक जैव विविधता संरक्षण प्रबंधन योजना का विकसित करने में मदद करेगा।

3. केदारनाथ, हेमकुंड साहिब, गंगोत्री और यमुनोत्री क्षेत्रों में पर्यटकों/तीर्थयात्रियों के लिए उपलब्ध बुनियादी ढांचे का मूल्यांकन

अभी हाल में केदारनाथ, हेमकुंड साहिब, गंगोत्री और यमुनोत्री पैदल मार्ग, जो क्रमशः 19, 23, 22 और 5 किमी लंबाई वाले हैं, जिसके परिदृश्य में सुंदर हिमालय, गांव, जंगल, झरने, नदियां और हेमकुंड झील स्थित हैं। संस्थान द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ यह परियोजना शुरू की है जिसमें बुनियादी ढांचे की उपलब्धता और पारिस्थितिकी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए संबंधित क्षेत्रों में पर्यटकों/तीर्थयात्रियों के लिए उपलब्ध बुनियादी ढांचे का मूल्यांकन, उपलब्ध प्रस्तावित बुनियादी ढांचे के संदर्भ में वाहनों की संख्या और प्रकार को सीमित करना, विशेष रूप से पीक सीजन के दौरान पर्यटकों, तीर्थयात्रियों की संख्या को सीमित करना, घोड़ों की संख्या जो अनुमति दी जा सकती है और उनकी निगरानी तंत्र, घोड़ों के संचालन का तंत्र और गोबर तथा मृत खच्चरों के निपटान की प्रक्रिया, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, संबंधित क्षेत्रों की वनस्पति और जीव-जंतु के संरक्षण के लिए उपाय, उन निषिद्ध नियंत्रित गतिविधियों की पहचान करना जो संबंधित क्षेत्रों के लिए पर्यावरण के साथ असंगत हैं, सुरक्षा उपाय और रोकथाम के उपाय, पर्यावरणीय अधिनियमों नियमों का अनुपालन, पर्यावरणीय जागरूकता एवं निगरानी तंत्र का अध्ययन शामिल है। यह अध्ययन पर्यावरण के सतत प्रबंधन और जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक योजनात्मक ढांचे को बनाने में मददगार होगा।

4. हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन (National Mission on Sustaining Himalayan Ecosystem)

अप्रैल 2022 में NMSHE का दूसरा चरण शुरू किया गया, इसका उद्देश्य हिमालय के वन्यजीवों पर जलवायु के प्रभावों की जानकारी को मजबूत करने के लिए क्रियान्वयन-उन्मुख अनुसंधान करना है। इस परियोजना का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझना और संबंधित प्रजातियों के संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाना है। जो इन निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित होगा:

- चयनित उच्च ऊँचाई वाले नदी बेसिनों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर दीर्घकालिक निगरानी।
- जलीय और स्थलीय प्रजातियों के लिए प्राथमिक और माध्यमिक डेटा पर आधारित पूर्वानुमानात्मक मॉडल विकसित करना।
- तीन नदी बेसिनों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का आधार डेटा और पद्धति स्थापित की गई।
- कुछ प्रमुख प्रजातियों के लिए विकसित मॉडल की जांच और मान्यता आवश्यक है।
- वन्यजीवों और जलवायु अनुकूलन पर जागरूकता बढ़ाने के लिए बुकलेट्स और नागरिक विज्ञान पहलों का उपयोग।
- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सहयोगों के माध्यम से शोध क्षमताओं में सुधार।

भाकृअनुप-विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा



संक्षिप्त परिचय— भाकृअनुप-विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा एक प्रमुख संस्थान है जो मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्र के उत्तर-पश्चिमी हिमालयी राज्यों (हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) और केंद्रशासित प्रदेश (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) के लिए कृषि अनुसंधान कार्य का संचालन करता है। यह देश के अन्य पर्वतीय क्षेत्रों (उत्तर पूर्वी राज्यों) में अपने तकनीकी समर्थन को बढ़ाता है। एक बहु-फसल एवं बहु-विधा वाला अनुसंधान संस्थान होने के कारण, शोधकार्य चार प्रभागों / अनुभागों नामतः फसल सुधार, फसल उत्पादन, फसल सुरक्षा और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। संस्थान द्वारा उत्तराखण्ड में निम्न कार्य किये हैं :-

मक्का

बागेश्वर जिले के 3 गांवों (शामा, लीती और बस्ती) के 32 किसानों के खेतों के 10.0 हेक्टेयर क्षेत्रफल में वीएलक्यूपीएमएच 45, वीएलक्यूपीएमएच 59 और सीएमवीएल स्वीट कॉर्न हाइब्रिड का अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन किया गया। उन्नत वीएल हाइब्रिड (41.3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर) की औसत उपज स्थानीय किस्मों (28.4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर) की तुलना में 46.31 प्रतिशत अधिक गयी।

सोयाबीन

अल्मोड़ा जिले के भटगांव और कोट्युरा गांवों में एवं बागेश्वर जिले के तुपेड़, पातल, खुलदौरी और भटनीकोट गांवों में 43 लाभार्थियों (13 पुरुषों और 30 महिलायें) के खेतों अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन सह किसान सहभागिता बीज उत्पादन के लिए कुल 2.36 क्विंटल बीज (लगभग 4.0 हेक्टेयर) वितरित किया गया। उन्नत किस्मों जैसे वीएल भट 201, वीएल भट 202, वीएल सोया 99 और वीएल सोया 89 ने किसानों की पद्धति की तुलना में क्रमशः 29.23 प्रतिशत, 30.64 प्रतिशत, 16.55 प्रतिशत एवं 21.99 प्रतिशत उपज पायी गयी। इसके अतिरिक्त संस्थान द्वारा कृषकों को विभिन्न कृषि यन्त्र, विकसित प्रजातियों के बीज, तकनीकी सहायता, इत्यादि प्रदान की जाती हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत संस्थान ने वर्ष 2023 में निम्न कार्य किए—

जनजातीय उप योजना

- आय वृद्धि के लिए पॉलीहाउस का निर्माण
- चमोली जिले के जोशीमठ ब्लॉक के परसारी और मेरग गांवों में किसानों के खेत में 100 वर्ग मीटर क्षेत्र के कुल 16 प्राकृतिक रूप से हवादार पॉलीहाउस बनाए गए।

कृषक गोष्ठी और कृषक – वैज्ञानिक संवाद

चमोली जिले की नीती घाटी के गमशाली, कैलाशपुर, मलारी, जेलम और परसारी गांवों में कृषक-वैज्ञानिक संवाद आयोजित किया गया और खरीफ 2023 के दौरान दिए गए विभिन्न हस्तक्षेपों पर किसानों की प्रतिक्रिया एकत्र की गई। किसानों को पोषक तत्व प्रबंधन, नर्सरी उत्पादन, शीतोष्ण फलों के बारे में जागरूक किया गया और टपक सिंचाई विधि के माध्यम से पानी का प्रभावी उपयोग और पहाड़ी क्षेत्र में वसंत/वर्षा जल संचयन आदि की जानकारी दी गई।

अनुसूचित जाति उपयोजना परियोजना

- पॉलीहाउस सौंपना
- उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में अनुसूचित जाति (एससी) के किसानों के लिए 20 वीएल पोर्टेबल पॉलीहाउस का निर्माण पूरा हुआ। यह एक छोटे आकार (62.4 वर्ग मीटर सतह क्षेत्र, 12.0 मीटर लंबाई x 5.2 मीटर चौड़ाई x 2.6 मीटर ऊंचाई) की कम लागत वाली पोर्टेबल पॉलीहाउस संरचना है, जिसे आवश्यकता के अनुसार आसानी से एक खेत से दूसरे खेत, पर स्थानांतरित किया जा सकता है।
- कृषि निवेश वितरण
- एससी किसानों को उन्नत किस्मों के बीज (अनाज के 1,274.00 किलोग्राम और सब्जियों के 599.60 किलोग्राम), वीएल लघु यंत्र (60), वीएल पॉलीटनल (77), बैटरी से चलने वाला नैपसेक स्प्रेयर (14), वीएल मंडुआ थ्रेशर (10) और पावर टिलर (02) जैसे कई इनपुट वितरित किए गए।
- पॉलीटनल वितरण और व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम
- उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के उडेरखानी और लोब गांवों के गरीबी रेखा से नीचे के एससी किसानों के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अठारह एससी किसानों को पॉलीटनल किट दी गई। साथ ही, किसानों को पॉली-टनल तकनीक से परिचित कराने के लिए कई व्यावहारिक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए।

अन्य प्रशिक्षण :- संस्थान द्वारा नव अनुसन्धान के प्रचार प्रसार के लिए समय-समय पर विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत संस्थान अथवा संस्थान से बाहर प्रशिक्षण कराया जाता है जिसमें किसानों का चयन अंगीकृत गाँवों से उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसके अतिरिक्त संस्थान राज्य सरकार, केंद्र सरकार, गैर सरकारी संगठन आदि द्वारा वित्त पोषित/ प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाता है जिसके लिए चयन प्रायोजक द्वारा किया जाता है। खरीफ तथा रबी की फसलों की उन्नत खेती विषय पर भी संस्थान वर्चुअल प्रशिक्षण आयोजित करता है जो निःशुल्क है। इसके अतिरिक्त संस्थान द्वारा समय समय पर मिलेट्स और सोयाबीन के विभिन्न उत्पादों के बनावे जाने हेतु प्रशिक्षण दिया जाता रहा है।

गोविन्द बल्लभ पन्त राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान (GBPIHED)
कोसी-कटारमल, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।



क्र. सं.	योजना/सेवा का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन (एन.एम.एच.एस.)	- हिमालयी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और सतत् प्रबंधन - हिमालयी क्षेत्र में पूरक और या वैकल्पिक आजीविका और क्षेत्र का समग्र आर्थिक संवर्धन - हिमालयी क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण - हिमालयी क्षेत्र में मानव और संस्थागत क्षमताओं का संवर्धन और ज्ञान व नीति निर्धारण - जलवायु-समरूप मूल बुनियादी ढांचे और बुनियादी सेवाओं का विकास व सशक्तिकरण	हिमालयी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में, निम्नलिखित सात विषयगत क्षेत्रों में से किसी एक या अधिक में कार्य का अनुभव तथा कार्यकुशलता रखने वाले संस्थान, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संस्थान इत्यादि: - जल संसाधन प्रबंधन - आजीविका विकल्प और रोजगार सृजन - जैव विविधता संरक्षण और प्रबंधन	- परियोजना अनुदान - प्रकृति अध्ययन केंद्र अनुदान - राज्य सरकार स्तरीय परियोजना अनुदान • विज्ञापन के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। वैज्ञानिक एवं तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा मूल्यांकन एवं संस्तुति तथा स्टीयरिंग समिति द्वारा अनुमोदन। - हिमालयी फेलोशिप अनुदान • पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा निर्देशित एवं प्रकाशित फेलोशिप द्वारा चयन

			4. कौशल विकास और क्षमता निर्माण 5. बुनियादी ढांचा विकास 6. भौतिक संपर्क और संचार 7. अपशिष्ट प्रबंधन	
2.	समन्वित पारिस्थितिकीय विकास अनुसंधान कार्यक्रम (आई.ई.आर.पी.)	हिमालय क्षेत्र में समन्वित पारिस्थितिकीय विकास अनुसंधान कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य पर्यावरणीय अवक्रमण को रोकने तथा तदन्तर पर्यावरणीय स्वरूप के पुनर्विकास पर आधारित है। प्रयासों का उद्देश्य बाह्य निवेश या सहायता पर न्यूनीकृत निर्भरता के साथ पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव का परिहार करते हुए, विद्यमान संसाधनों को सुदृढ़ या स्थानीय उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए आय उत्पादन के नये उपाय प्रारम्भ कर एक सतत, आत्म निर्भर सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है। भारतीय हिमालयी राज्यों के हित में विभिन्न समस्याओं का वैज्ञानिक शोध के माध्यम से निदान हेतु आई.ई.आर.पी. प्रौद्योगिकी विकास एवम अनुसंधान व प्रौद्योगिकी प्रदर्शन एवम प्रसार हेतु वर्ष भर परियोजना प्रस्ताव आमंत्रित करता है जिसमें अधिकतम 3 वर्ष के लिए 25 लाख रुपये अनुदान दिया जाता है।	पर्यावरणीय हित के अनुरूप सरकारी/ पंजीकृत गैर सरकारी संगठन/ महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों/ शोध संस्थानों/ तकनीकी संस्थानों के शैक्षणिक वैज्ञानिक संवर्ग लाभ प्राप्त कर सकते हैं।	परियोजना प्रस्ताव, समन्वित पारिस्थितिकीय विकास अनुसंधान कार्यक्रम (आई.ई.आर.पी.) के निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों के साथ संस्थाध्यक्ष से अग्रसारित कर 6 प्रतियों में प्रेषित किया जा सकता है। प्राप्त प्रस्तावों को सम्बन्धित विषय विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, तत्पश्चात् पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एवं संस्थान द्वारा गठित परियोजना मूल्यांकन समिति के समक्ष प्रस्तुतिकरण हेतु रखा जाता है एवं चयनित परियोजनाओं को अनुशंसा के आधार पर स्वीकृति व वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। परियोजना प्रस्ताव प्रारूप संस्थान की वेबसाइट— https://gbpihed.gov.in/IERP.php पर जाकर डाउनलोड किया जा सकता है।
3.	ग्रामीण तकनीकी परिसर https://gbpihed.gov.in/RTC_hi.php	1- संस्थान के परिसर में ग्रामीण तकनीकी परिसर (आरटीसी) स्थापित किया गया है जिसका मुख्य लक्ष्य आजीविका सुधार के लिए एक स्थाई दृष्टिकोण लागू करना है जिसके अंतर्गत संसाधनों के कुशल प्रबंधन के माध्यम से हिमालयी क्षेत्र के निवासियों की आजीविका वृद्धि के लिए स्थान विशिष्ट तकनीकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते	1- केंद्र एवं राज्य सरकारों के अधिकारी/कर्मचारी 2- गैर सरकारी संस्थानों के प्रतिनिधि 3- विश्वविद्यालय संकाय तथा छात्र 4- समस्त शिक्षण संस्थानों के शिक्षक एवं छात्र	1- भ्रमण अथवा प्रशिक्षण हेतु संस्थान के निदेशक को प्रार्थना पत्र प्रेषित कर 2- एक दिन से सात दिनों के प्रशिक्षण हेतु संस्थान द्वारा निर्धारित पैकेज के अनुसार अग्रिम भुगतान के आधार पर 3- जागरूकता भ्रमण – ग्रामीण तकनीकी परिसर में भ्रमण हेतु कोई निर्धारित धनराशि का शुल्क देय नहीं है। यह

		हुए सरल एवं कम लागत वाली पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों का उपयोग करके अधिकतम लाभ प्राप्त करने हेतु कौशल विकास करना है 2- उपज वृद्धि व आय सृजन के आधार पर विभिन्न प्रौद्योगिकियों पर प्रशिक्षण के माध्यम से ज्ञान का प्रसार	5- ग्रामीण महिलाएं तथा पुरुष 6- स्वयं सहायता समूह के सदस्य इत्यादि	निःशुल्क है
4.	हरित कौशल विकास कार्यक्रम ।	हिमालयी पारिस्थितिकी आधारित इआईएसीपी केंद्र, राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान, कोसी-कटारमल, में हरित कौशल विकास कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। यह प्रशिक्षण निःशुल्क होता है। यह स्वरोजगार हेतु लाभदायक तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं में अनुदान/ सब्सिडी एवं प्रशिक्षण हेतु मास्टरट्रेनर के योग्य बना देता है।	किसान, विद्यार्थी (न्यूनतम 10 वीं कक्षा), स्वरोजगार हेतु उन्मुख युवा/युवतियां या 55 वर्ष से कम उम्र के कोई भी इच्छुक अभ्यर्थी	हरित कौशल विकास कार्यक्रम:- पक्षी पहचान एवं पक्षी विज्ञान, वन्य मौनपालन एवं प्रसंस्करण, लोक जैव विविधता पंजिका, प्राकृतिक व्याख्या हरित कौशल विकास पोर्टल से ऑनलाईन या संस्थान में स्वयं आकर आवेदन करने के उपरान्त गठित समिति के मापदण्डों के अनुसार। अधिक जानकारी हेतु http://gsdp-envis.gov.in/index.aspx
5	संस्थान द्वारा प्रदूषण नियंत्रण संबंधी किये गये अध्ययन	भारतीय हिमालयी क्षेत्र में वायु और प्लास्टिक प्रदूषण से संबंधित अध्ययनों का विवरण भारतीय हिमालयी क्षेत्र में वायु प्रदूषण: उत्तराखंड के कोसी-कटारमल, अल्मोड़ा (29.38°N, 79.37°E, 1225 मीटर AMSL) में GBPNHE द्वारा वायु गुणवत्ता की जमीनी स्तर पर निगरानी की जा रही है, जो बढ़ती वायु गुणवत्ता चिंता को रेखांकित करती है, जिसका हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण प्रभाव देखा गया है। भारतीय हिमालयी क्षेत्र में प्लास्टिक प्रदूषण: प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ अभियान में जनभागीदारी के स्तर को समझने के लिए, जी.बी. पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान, अल्मोड़ा ने हिमालय के विभिन्न कोनों से तीस से अधिक अच्छे अभ्यासों का दस्तावेजीकरण किया है, जिन्होंने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण जमीनी बदलाव किए हैं और इस प्रकार हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों और सरकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। हम सरकारों, संगठनों और व्यक्तियों से आह्वान करते हैं कि वे मिलकर ऐसे समाधान खोजें जो क्षेत्र के पर्यावरण और समुदायों की रक्षा करें और इस प्रतिष्ठित पर्वत श्रृंखला के लिए एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करें। इस मुद्दे का विस्तृत विवरण नीचे दिए गए लिंक से भी प्राप्त की जा सकती है: https://gbpihed.gov.in/PDF/Publication/Plastic waste in himalaya man ki-baat role 2023-pdf		

वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान, देहरादून (WIHG)



क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन एवं चयन प्रक्रिया
1.	एस.पी. नौटियाल संग्रहालय	संग्रहालय वृहद हिमालय की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। संग्रहालय में भूवैज्ञानिक मानचित्र, चार्ट, नमूने, मॉडल और इनके साथ-साथ विभिन्न शिक्षाप्रद जागरूकता प्रदर्ष प्रदर्शित किए गए हैं। संपूर्ण हिमालय में उपस्थित चट्टान, खनिज और जीवाश्मों के नमूने भी यहां प्रदर्शित किए गए हैं।	•समस्त राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आगंतुक।	•यदि कोई आगन्तुक अकेले या परिवार सहित वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान का संग्रहालय भ्रमण करना चाहता है तो वह किसी भी कार्यदिवस (सोमवार से शुक्रवार प्रातः 9:30 से सांय 5:30 तक) पर आ सकता है। यह अपेक्षित है आने से पूर्व वह निम्न ईमेल पर अनुमति प्राप्त कर सकता है। rksehgal@wihg.res.in तथा दूरभाष संख्या 0135-2525263/118 पर कॉल करके भी अनुमति प्राप्त कर सकता है। बड़े समूहों या संस्थानिक दौरों के मार्गदर्शित भ्रमण करवाने हेतु निदेशक, वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है।

				- पूर्वानुमति director@wihg.res.in पर ईमेल द्वारा प्राप्त की जा सकती है। - संग्रहालय में प्रवेश सभी के लिए निःशुल्क है।
2.	परामर्शी सेवाएं	- संस्थान भू-तकनीकी, भू-जलविज्ञान, अवसादिकी, आर्थिक भूविज्ञान, भूकंप विज्ञान, सूक्ष्म जीवाष्म की और पर्यावरणीय पहलुओं से संबंधित परामर्श सेवायें प्रदान करता है। - संस्थान भुगतान आधार पर चट्टानों और खनिजों के विभिन्न प्रकार के विश्लेषणों के लिए विश्लेषणात्मक सेवायें भी प्रदान करता है।	- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, उद्योग एवं अन्य सरकारी अभिकरण। - देशभर के विभिन्न अनुसंधान एवं विकास संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों से छात्र व शोधार्थी।	- परामर्शी सेवाओं हेतु संस्थान के निदेशक से अनुरोध किया जा सकता है। - विश्लेषणात्मक सेवाओं के लिए आवेदक को वेब पोर्टल waics.wihg.res.in पर पंजीकृत करना होगा।
3.	AcSIR के अंतर्गत छात्र कार्यक्रम	इस कार्यक्रम का उद्देश्य अंतर-आयामीज्ञान धारित उच्च गुणवत्ता कार्मिकों को सृजित करना है, जिसका लक्ष्य पी.एच.डी. कार्यक्रम के तौर पर हिमालयी भूविज्ञान के क्षेत्रों में नेतृत्वकर्ता तैयार करना है।	- भूविज्ञान के किसी भी क्षेत्र में स्नातकोत्तर डिग्री। - वैध नेट-जेआरएफ (यूजीसी/ सीएसआईआर) या इंस्पायर फेलोशिप या कोई भी राष्ट्रीय स्तर की फेलोशिप।	- सीएसआईआर-एसीएसआईआर पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश वर्ष में दो बार आयोजित किए जाते हैं। सीएसआईआर-एसीएसआईआर राष्ट्रीय समाचारपत्रों और वेबपोर्टल के माध्यम से प्रवेश मापदंड और प्रवेश प्रक्रिया की घोषणा करता है। - शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए ऑनलाइन आवेदन एसीएसआईआर ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल (http://acsir-emli.in/ACSIR Admission Portal) के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
4.	कौशल विकास	पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्रों, मुख्यतः शैल विज्ञान व भू रसायन विज्ञान, संरचना व विवर्तनिकी, अवसादिकी, भूआकृति विज्ञान, हिमनद विज्ञान, मैग्नेटोस्ट्रेटीग्राफी, अभियांत्रिकी भूविज्ञान, जैवस्तरिकी, चतुश्क महाकल्पीय भूविज्ञान, पुरापर्यावरण, आर्थिक भूविज्ञान, पर्यावरण भूविज्ञान, भूकंप विज्ञान और भूभौतिकी के क्षेत्र में स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों को स्व-प्रायोजित शोध कार्य/ ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।	- भूविज्ञान के किसी भी क्षेत्र में स्नातकोत्तर डिग्री। - भूविज्ञान/भूभौतिकी/पृथ्वी विज्ञान और अन्य संबद्ध क्षेत्रों में एकीकृत स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम के स्नातकोत्तर और चौथे व पांचवें वर्ष के छात्र।	कौशल विकास कार्यक्रम के संबंध में सूचना संस्थान की वेबसाइट www.wihg.res.in के माध्यम से प्रसारित की जाती है।

5.	आउटरीच कार्यक्रम	•आउटरीच कार्यक्रम 'भूकंप तत्परता और जोखिमों के न्यूनीकरण के लिए शिक्षा और जागरूकता' के अंतर्गत भूकंप संबंधित आपदा और इसके न्यूनीकरण के लिए विभिन्न संबंधित ग्रामों के छात्रों व आम जनमानस के लिए अनेकों जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।	•समस्त छात्र एवं सामान्य जन।	•आउटरीच कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए, सूचना संबंधित आयोजक स्थल या वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान द्वारा प्रसारित की जाती है तथा ऑफलाइन माध्यम से आयोजित कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने के लिए आयोजक क्षेत्र के निकटवर्ती विद्यालयों के छात्र-छात्राएं एवं आमजनता इसमें प्रतिभाग कर सकती है। किसी ग्राम पंचायत में आउटरीच कार्यक्रम आयोजित कराये जाने हेतु निदेशक महोदय की अनुमति जरूरी है, जिसके लिए director@wihg.res.in पर प्रार्थना कर सकते हैं।
6.	राष्ट्रीय संगोष्ठियां	•विशिष्ट विषयों तथा हिमालय के भूविज्ञान से संबंधित विषयों पर कार्यशालाएं, सेमिनार, संगोष्ठियां और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। •राष्ट्रीय भू-अनुसंधान अध्येता सम्मेलन (एनजीआरएसएम) वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान का एक नियमित रूप से आयोजित होने वाला वार्षिक सम्मेलन है, जिसका उद्देश्य युवा शोधार्थियों व अध्येताओं को उनकी शोध रुचियों में उत्कृष्ट बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, उन्हें अपने शोध कार्य को साझा करने, सह अध्येताओं से विमर्श प्राप्त करने और अपने विचारों को परिष्कृत करने के लिए एक मंच प्रदान करना है।	•राष्ट्रीय भू-अनुसंधान अध्येता सम्मेलन (एनजीआरएसएम) के लिए अनुसंधान अध्येता, पीएच.डी. छात्र तथा पोस्ट-डॉक्टरल अध्येता पात्र हैं।	•कार्यक्रम के संबंध में सूचना विभिन्न सोशल मीडिया साइटों और संस्थान की वेबसाइट www.wihg.res.in के माध्यम से प्रसारित की जाती है।

राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, (NIH) रुडकी हरिद्वार।



संक्षिप्त परिचय — राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, भारत में जलविज्ञान और जल संसाधन के क्षेत्र में काम करने वाला एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान है। संस्थान की स्थापना 16 दिसंबर, 1978 को जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के तहत सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई।

वर्तमान में संस्थान जलविज्ञान संबंधित शोधकार्यों के लिए प्रभावी तकनीकों, प्रक्रियाओं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पैकेज, फील्ड इंस्ट्रुमेंटेशन आदि विकसित करने; मॉडलिंग तकनीकों के माध्यम से विभिन्न हाइड्रोजियोलॉजिकल परिस्थितियों में जल संसाधन उपलब्धता के परिदृश्यों का अध्ययन करने, जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का आकलन करने और जलवायु अनुकूलन के

उपाय सुझाने; जल संसाधन विकास और प्रबंधन के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग का प्रचार करने; आवश्यकता-आधारित जल संबंधी समस्याओं के लिए किफायती अनुसंधान एवं विकास समाधान प्रदान करने; तथा विभिन्न हितधारकों एवं नीति निर्माताओं को विश्वसनीय सलाह प्रदान कर, जल संसाधन विकास और संरक्षण पर क्षमता विकास और जागरूकता के माध्यम से समुदाय को सशक्त बनाने का कार्य कर रहा है।

संस्थान द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य और केन्द्र सरकारों के जल संसाधन संबंधी कार्मिकों/अभियंताओं/अधिकारियों को दिया जाता है। विभिन्न कार्यक्रम अधिकतर तकनीकी प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए गैर-तकनीकी जनसामान्य के लिए अपेक्षाकृत उपयोगी नहीं होते हैं।

भा.कृ.अनु.प. शीतजल मात्स्यिकी अनुसंधान निदेशालय
(भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्) (ICAR-DCFR)
अनुसंधान भवन, औद्योगिक परिसर, भीमताल 263136, उत्तराखंड

भारत में शीतजल मात्स्यिकी का विकास एवं अनुसंधान एक परिचय:-

भारतीय उपमहाद्वीप में शीतजल मात्स्यिकी की शुरुआत ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा उन्नीसवीं सदी के आरम्भ में दो मुख्य प्रकार की विदेशी ट्राउट प्रजातियों की स्थापना के साथ की गई थी। ट्राउट मछली की दो मुख्य प्रजातियों ब्राउन ट्राउट (सल्मो टूटा फारिधी) और रेनबो ट्राउट (ओकोरिकस मायकिस) है, जिन्हें कश्मीर घाटी में निरंतर किये गये प्रयासों के बाद सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। कश्मीर घाटी की नदियों एवं पहाड़ी नालों में इन ट्राउट प्रजातियों को स्थापित करने का मुख्य लक्ष्य मत्स्य आखेट था, जिसे ब्रिटिश प्रशासकों एवं प्रकृतिवादी लोगों के मनोरंजन के लिये विकसित किया गया था। भारत में ट्राउट की सफलतापूर्वक, नदियों में स्थापना एवं प्राकृतिक प्रजनन को देश में शीतजल मात्स्यिकी विकास की औपचारिक शुरुआत कहा जा सकता है। बाद में, इन प्रजातियों को भोजन के रूप में उपयोग में लाने हेतु बीज उत्पादन के लिए हैचरियां स्थापित की गईं ताकि इन प्रजातियों को मत्स्य पालन में लाया जा सके। इसके पश्चात तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1963 में हरवान, जम्मू और कश्मीर में शीतजल मत्स्य पालन अनुसंधान केंद्र की स्थापना के साथ ठंडे पानी में मत्स्य पालन पर अनुसंधान शुरू हुआ। इसने देश के शीतजल मत्स्य संसाधनों पर महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित की। तत्पश्चात यह देखा गया कि शीतजल मत्स्य पालन के द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली आर्थिक रूप

से वंचित आबादी को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने एवं ग्रामीण आय उत्पन्न करने की समता है। इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर 24 सितंबर 1987 को राष्ट्रीय शीतजल मात्स्यिकी अनुसंधान केंद्र (NRCCWF) को एक स्वतंत्र अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित किया गया। यह उल्लेखनीय है कि विदेशी एवं स्वदेशी मछली प्रजातियों के संवर्धन के साथ शीतजलीय प्राकृतिक संसाधन जैसे कि नदियों एवं पहाड़ी नालों में पाई जाने वाली मत्स्य प्रजातियों के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान करने वाली यह देश की एकमात्र राष्ट्रीय सुविधा है। बाद में, विभिन्न हिमालयी राज्यों में शीतजल में मछली पालन की अधिक संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, इसे शीतजल मात्स्यिकी अनुसंधान निदेशालय (डीसीएफआर) में अपग्रेड कर दिया गया। इसका मूल उद्देश्य जम्मू और कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सभी हिमालयी राज्यों में संसाधनों का उपयोग और वृद्धि करके स्थान, स्थिति और सिस्टम विशिष्ट प्रौद्योगिकियों को विकसित करना था। आज निदेशालय देश के हिमालयी और प्रायद्वीपीय भागों में शीतजल मात्स्यिकी के क्षेत्र में मत्स्य पालन अनुसंधान



को मजबूत करने के लिए एक राष्ट्रीय सुविधा के रूप में कार्यरत है। निदेशालय द्वारा प्राकृतिक संसाधनों में मत्स्य प्रजातियों के संरक्षण और प्रबंधन और पहाड़ी जलीय कृषि के विकास पर प्रमुख जोर देने के साथ अनुसंधान कार्यक्रम चलाए जाते हैं। निदेशालय के पास जलीय संसाधन प्रबंधन, जलीय कृषि, मत्स्य स्वास्थ्य प्रबंधन और रोग निदान, मत्स्य पोषण और चारा विकास, साथ ही आणविक आनुवंशिकी और जैव प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए अत्याधुनिक प्रयोगशाला सुविधाएं हैं। पिछले तीन दशकों के दौरान, विभिन्न हितधारकों के लिए आवश्यकता-आधारित प्रौद्योगिकियों का प्रसार किया है। इसने मछली उत्पादन, प्रजातियों और प्रणाली विविधीकरण, मछली के स्वास्थ्य प्रबंधन, महत्वपूर्ण प्रजातियों के आनुवंशिक लक्षण वर्णन, लुप्तप्राय मछली प्रजातियों के संरक्षण और प्रशिक्षण और कौशल विकास के माध्यम से मानव संसाधन विकास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह निदेशालय देश एवं विदेश के कई विश्वविद्यालयों, गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर शीतजल मात्स्यिकी अनुसंधान के नये आयामों पर महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।

हाल के वर्षों में, निदेशालय ने टेबल साइज रेनबो ट्राउट की गहन खेती के लिए देश का पहला री-सर्क्युलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (आरएएस) स्थापित किया है। निदेशालय के पास कृषि गतिविधियों को संचालित करने के लिए चंपावत जिले (उत्तराखंड) में एक फील्ड सेंटर और प्रायोगिक मत्स्य फार्म है। फार्म में ट्राउट हैचरी, नर्सरी और रेनबो ट्राउट के ब्लड स्टॉक पालन के लिए रेसवे और देशी और विदेशी मछली प्रजातियों के विभिन्न पहलुओं पर फील्ड परीक्षण करने के लिए टैंक उपलब्ध हैं।

निदेशालय ने जलीय कृषि उपयुक्तता और मत्स्य विकास के लिए हिमालयी राज्यों के जलीय संसाधनों के जीआईएस आधारित मानचित्र विकसित किए हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में जलीय कृषि के विकास की काफी सम्भावनाएँ हैं। निदेशालय द्वारा विकसित मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में पॉलीटेक आधारित बहु-स्तरीय एकीकृत मछली पालन मॉडल काफी लोकप्रिय है एवं कई मत्स्य पालकों द्वारा अपनाया भी गया है। इस नए जलीय कृषि मॉडल से मध्य उंचाई वाले क्षेत्रों में प्रति इकाई क्षेत्र मछली उत्पादकता 03 किलो ग्राम/मी³ से 05 किलो ग्राम/मी³ तक बढ़ी है। शीतजलीय कृषि में प्रजातियों का विविधीकरण एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। हाल ही में, निदेशालय ने भोजन और सजावटी मूल्यों वाली छह नई प्रजातियों के लिए प्रजनन और बीज उत्पादन प्रोटोकॉल विकसित किया है। गोल्डन महाशीर (टोर पुटिटोरा) भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय मीठे पानी की मछली है और इसे हिमालय का गौरव कहा जाता है। आईसीएआर-डीसीएफआर के वैज्ञानिकों ने तापमान और फोटोपीरियड में खास बदलाव के माध्यम से बीज उत्पादन के लिए गोल्डन महाशीर का सफलतापूर्वक कैप्टिव प्रजनन विकसित किया है। रेनबो ट्राउट ठंडे पानी की जलीय कृषि के लिए मुख्य व्यावसायिक उच्च मूल्य वाली प्रजाति है और इसका अधिकांश उत्पादन उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों (जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश) से होता है। हालांकि, ट्राउट खेती में नए उद्यमों के जुड़ने के कारण, उत्तरपूर्वी हिमालय क्षेत्र (जैसे सिक्किम) के उत्पादन में हाल ही में काफी वृद्धि देखी गई है। निदेशालय ने रेनबो ट्राउट फार्म की प्रारंभिक खुराक के लिए कुशल और लागत प्रभावी प्रोटीन आधारित स्टार्टर फीड विकसित किया है, जो उच्च अस्तित्व और बेहतर एफसीआर मूल्य प्रदान करता है। विकसित फीड व्यावसायिक रूप से उपलब्ध है और अब प्रारंभिक चरण में मृत्यु दर को कम करने में योगदान देता है, जिससे ग्रो आउट कल्चर के लिए अधिक स्टॉकिंग सामग्री उपलब्ध हो जाती है। इसके अलावा, निदेशालय शीतजलीय मत्स्य प्रजातियों के रोग निदान और स्वास्थ्य प्रबंधन में गहनता से कार्य कर रहा है। शीतजल मात्स्यिकी अनुसंधान निदेशालय, चुनौतीपूर्ण और जटिल समस्याओं के नवीन और सरल समाधान के लिए एक वैश्विक ज्ञान केंद्र बनने के उद्देश्य से शीतजल मात्स्यिकी अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने लक्ष्यों को साकार करने के लिए उत्साह के साथ अग्रसर है। निदेशालय द्वारा निम्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है:-

क्र०सं०	योजना/सेवा का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	भारत सरकार की अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन की विधाओं में प्रशिक्षण	पर्वतीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन द्वारा आजीविका	मत्स्य पालन कर रहे अनुसूचित जाति के मत्स्य पालक	जल कृषि तथा मत्स्य पालकों की आवश्यकतानुसार दो-तीन गाँवों का चयन किया जाता है तथा तालाब निरीक्षण उपरान्त चयनित गाँव के अनुसूचित जाति के मत्स्य पालकों का प्रशिक्षण हेतु चयन होता है। प्रत्येक गाँव का चयन एक या दो फसल के लिये किया जाता है।
2	भारत सरकार की अनुसूचित जनजाति उपयोजना (TSP) के अन्तर्गत मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन की विधाओं में प्रशिक्षण	पर्वतीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन द्वारा आजीविका बढ़ाने हेतु कौशल विकास	मत्स्य पालन कर रहे अनुसूचित जाति के मत्स्य पालक	जल कृषि तथा मत्स्य पालकों की आवश्यकतानुसार दो-तीन गाँवों का चयन किया जाता है तथा तालाब निरीक्षण उपरान्त चयनित गाँव के अनुसूचित जनजाति के मत्स्य पालकों का प्रशिक्षण हेतु चयन होता है। प्रत्येक गाँव का चयन एक या दो फसल के लिये किया जाता है।

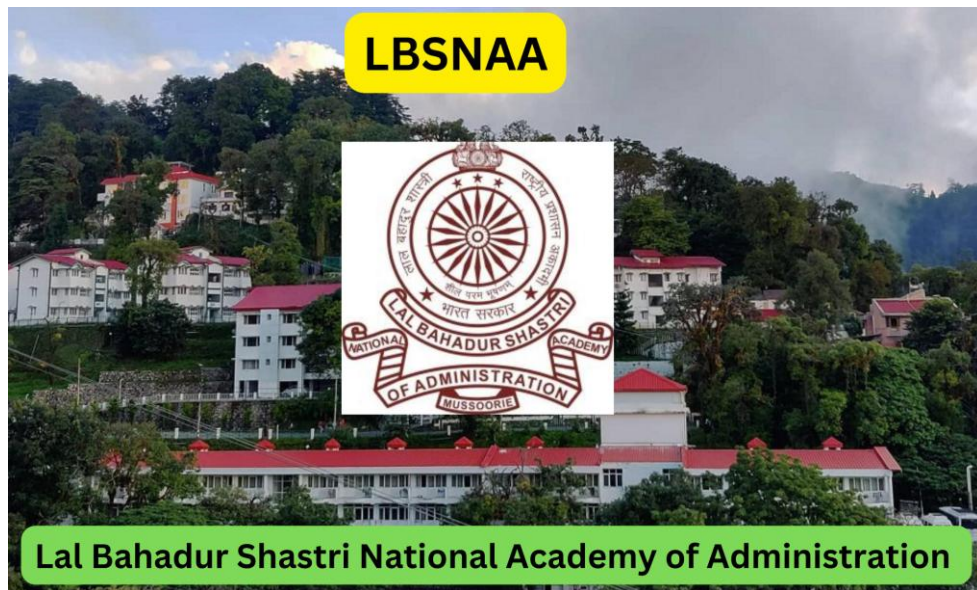
सहकारी प्रबन्ध संस्थान, देहरादून (ICM)



क्र०स०	योजना/सेवा का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (रेगुलर) MBA (R)	उन्नत व्यवसाय के क्षेत्र में प्रबंधन एवम् कौशल	ग्रेजुएट पास छात्र, 50 प्रतिशत अंको के साथ/अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु 45 प्रतिशत अंक	विश्व विद्यालय के नियमानुसार प्रवेश
2	बैचलर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (रेगुलर) BBA (R)	व्यवसाय और प्रबंधन के क्षेत्र में प्रारम्भिक शिक्षा	हायर सैकण्डरी पास छात्र, 45 प्रतिशत अंको के साथ/अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए केवल उर्तीण	विश्व विद्यालय के नियमानुसार प्रवेश
3	हायर डिप्लोमाईन कॉर्पोरेटिव मैनेजमेंट (रेगुलर) HDCM (R)	व्यापक सहकारी प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षण	ग्रेजुएटपासछात्र/सहकारीविभाग के कर्मचारी	संस्थान के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन/ सीधे प्रवेश/साक्षात्कार द्वारा
4	हायर डिप्लोमाईन कॉर्पोरेटिव	व्यापक सहकारी प्रबंधन	ग्रेजुएट पास छात्र/सहकारी	संस्थान के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन/सीधेप्रवेश/ साक्षात्कार द्वारा

	मैनेजमेंट (पत्राचार) HDCM (C)	के क्षेत्र में प्रशिक्षण	विभाग के कर्मचारी	
5	डी0जी0आर (DGR) 1. सेल्समैनेजमेंट में सर्टिफिकेट कोर्स 2. रिटेलमैनेजमेंट में सर्टिफिकेट कोर्स 3. इन्डिस्ट्रियल मैनेजमेंट में सर्टिफिकेट कोर्स 4. उद्यमिता विकास में सर्टिफिकेट कोर्स	पूर्वसैनिकों के पुर्नवास एवम् स्वरोजगार हेतु प्रबंधन/व्यवहारिक प्रशिक्षण	रक्षाकर्मी	पुनर्वास निदेशालय के नियमानुसार
6	अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम (Short Term Courses)	कौशल संवर्धन, विशिष्ट प्रशिक्षण	सहकारी विभाग के कर्मचारी एवं कृषि क्षेत्र के किसान, स्वयं सहायता समूह के सदस्य	संस्था द्वारा समस्त कार्यक्रम उत्तराखण्ड राज्य की विभिन्न सहकारी संस्थाओं की प्रशिक्षण मांग के अनुसार संस्थान का वार्षिक प्रशिक्षण विवरणी/कैलेंडर का अनुमोदन प्रशिक्षण कार्यक्रम सलाहकार समिति के अध्यक्ष/निबंधक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में राज्य की संबंधित विभागों/संस्थानों के विभागाध्यक्षों की उपस्थिति में अनुमानित कर प्रतिवर्ष क्रियान्वयन किया जाता है। आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभागिता शुल्क प्रति प्रतिभागी रु. 1000/- से रु. 1200/- निर्धारित है। इस प्रशिक्षण में प्रशिक्षक, संस्थान के आन्तरिक एवं प्रायोजित विभागों/संस्थाओं के विषय विशेषज्ञ होते हैं।
7	नाबार्ड द्वारा कृषि एवम् सहकारिता क्षेत्र के समग्र विकास हेतु प्रायोजित कार्यक्रम	शिक्षण एवम् प्रशिक्षण के क्षेत्र में क्षमता निर्माण/विकास	कृषि एवम् सहकारिता क्षेत्र के अधिकारी/कर्मचारी एवम् कृषकगण	सहकारिता विभाग/सम्बद्ध विभाग एवम् संस्थाओं द्वारा नामांकन

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, (LBSNAA) देहरादून ।



संक्षिप्त परिचय —तत्कालीन गृह मंत्री ने 15 अप्रैल 1958 को लोकसभा में एक ऐसी राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव रखा था जहां वरिष्ठ सिविल सेवाओं में भर्ती सभी सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाए। गृह मंत्रालय ने आई.ए.एस. ट्रेनिंग स्कूल, दिल्ली और आईएएस स्टॉफ कॉलेज, शिमला को मिलाकर, मसूरी में राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया। 1959 में अकादमी की स्थापना की गयी तथा इसका नाम राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी रखा गया। कुछ वर्षों के लिए इस अकादमी ने गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य किया। अक्टूबर 1972 में इसका नाम बदलकर लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी कर दिया गया। जुलाई 1973 में इसके नाम में राष्ट्रीय शब्द भी जोड़ा गया और अब यह अकादमी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के नाम से जानी जाती है।

लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी भारत में सर्वोच्च सिविल सेवाओं के सदस्यों के लिए शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान है। इसका नेतृत्व निदेशक द्वारा किया जाता है जो भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी हैं। अकादमी विभिन्न रैंकों पर नियुक्त सिविल सेवकों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करती है। यहां अखिल भारतीय सेवाओं और अन्य केन्द्रीय सेवाओं के समूह 'क' के नव-नियुक्त युवा अधिकारियों के लिए संयुक्त आधारित पाठ्यक्रम संचालित किया जाता है। यह अकादमी आधारित पाठ्यक्रम के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्यों तथा रॉयल भूटान प्रशासनिक सेवा के सदस्यों के लिए मिड करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम और राज्य सिविल सेवाओं से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नत अधिकारियों के लिए इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करती है। इसके साथ-साथ नीतिगत मामलों पर कार्यशालाओं तथा संगोष्ठियों का भी नियमित अंतराल पर आयोजन किया जाता है।

यदि कोई विभाग/राजकीय संगठन इस अकादमी में कार्यशाला का आयोजन करवाना चाहता है तो उसके संबंध में संगठन अकादमी निदेशक को संबोधित करते हुए अनुरोध करते हैं, तत्पश्चात उस अनुरोध पर निदेशक महोदय कार्यशाला के आयोजन करने या न करने के संबंध में निर्देश जारी करते हैं।

भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान 218 कौलागढ़ रोड़ देहरादून-248195 उत्तराखण्ड



संक्षिप्त परिचय :- भारत उन देशों में से एक है, जिसने मृदा क्षरण समस्या का समय पर संज्ञान लिया। इस संस्थान को 7 अप्रैल 2014 से भाकृअनुप- भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान के नाम से भाकृअनुप के अंतर्गत एक केन्द्रीय संस्थान के रूप में मान्यता मिली। वर्तमान में संस्थान के अधीनस्थ आगरा, बेल्लारी, चंडीगढ़, दतिया, कोरापुट, कोटा, उदगमण्डलम् एवं वासद स्थित आठ क्षेत्रीय केन्द्र हैं, जो कि देहरादून मुख्यालय के साथ मिलकर विभिन्न क्षेत्रों की स्थान विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। संस्थान में चार प्रभाग हैं— मृदा एवं सस्य विज्ञान, जल विज्ञान एवं अभियांत्रिकी, पादप विज्ञान तथा मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक विज्ञान।

संस्थान का मुख्य उद्देश्य कृष्य एवं अकृष्य भूमियों से उत्पादन के साथ प्राकृतिक संसाधनों, विशेष कर मृदा एवं जल का संरक्षण करना है। नौ स्थानों पर स्थित मुख्यालय एवं क्षेत्रीय केन्द्रों में 510 मिमी० (बेल्लारी) से 1625 मिमी० (देहरादून) के बीच होने वाली वार्षिक वर्षा तथा जलोढ़ मध्यम एवं गहरी काली, लाल, कंकड़ युक्त,

एवं वन तथा पर्वतीय मृदाओं सहित विभिन्न मृदा प्रकारों के साथ अपने नेटवर्क के माध्यम से संस्थान, देश के सात कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में बहु-अनुशासनात्मक ढंग से विभिन्न समस्याओं का निदान करते हुए अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं विस्तार गतिविधियों का संचालन करता है। यह संस्थान, मृदा एवं जल संरक्षण तथा जलागम प्रबंध के क्षेत्र में विभिन्न संगठनों की आवश्यकताओं के अनुरूप दीर्घ अवधि विशिष्टता प्राप्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यम से केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के अधिकारियों तथा स्नातक सहायकों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु एक मान्यता प्राप्त केन्द्रीय अभिकरण (नोडल एजेन्सी) के रूप में कार्यरत है इस संस्थान को उत्तर पश्चिम हिमालय में जिला आकस्मिक योजना और आपदा प्रबंधन के लिए नोडल एजेन्सी के रूप में भी नामित किया गया है।

उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, संस्थान के पास वैज्ञानिकों, सुप्रशिक्षित तकनीकी कार्मिकों एवं प्रशासनिक कार्मिकों की व्यवस्था है। संस्थान मुख्यालय एवं इसके प्रत्येक क्षेत्रीय केन्द्र पर एक केन्द्रीय पुस्तकालय उपलब्ध है जिनमें एक ही छत के नीचे प्राकृतिक संसाधन संरक्षण एवं प्रबंध से संबंधित सभी प्रकार की पुस्तकें, साहित्य एवं आधुनिक उपकरण मौजूद हैं।

प्रमुख उपलब्धियां – अनुसंधान– कृष्य एवं अकृष्य भूमियों में भूमिगत जल स्तर बढ़ाने हेतु एक सस्ती प्रौद्योगिकी, खनन प्रभावित क्षेत्र के पुनर्स्थापन, बरसाती नाला नियंत्रण हेतु जैव अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी विकसित की गई। ढलान पुनर्स्थापन एवं क्षय नियंत्रण हेतु जियो-टेक्सटाईल आधारित प्रौद्योगिकी का विकास किया गया। शिवालिक क्षेत्र में चो (खालों) के उपचार हेतु सस्ती प्रौद्योगिकी का विकास किया गया।

मानव संसाधन विकास/प्रशिक्षण कार्य

संस्थान द्वारा मृदा एवं जल संरक्षण तथा जलागम प्रबंध के क्षेत्र में नीति निर्धारकों, गैर सरकारी संगठनों, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, किसानों के लिए नियमित रूप से विभिन्न अवधियों के क्षमता निर्माण पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

परामर्श क्षेत्र

संस्थान प्राकृतिक संसाधन प्रबंध के विभिन्न पहलुओं जैसे जलागम प्रबंध योजना कार्यान्वयन एवं मूल्यांकन, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का पुनर्स्थापन, खनन का पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जलग्रहण क्षेत्र में अपवाह एवं अवसाद उत्पत्ति माप, नदी पट्टी अवसाद अनुमान एवं नदी/बरसाती नाला नियंत्रण संरचनाओं के आकार पर राष्ट्रीय स्तर के परामर्श प्रदान करता रहा है।

नवीनतम् अनुसंधान एवं विकास गतिविधियाँ

जलवायु परिवर्तन पर बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, वित्त पोषित राष्ट्रीय मिशन, हिमालयी परिस्थितिकी तंत्र (भा.कृ.अनु. प. द्वारा वित्त पोषित जलवायु अनुकूल कृषि पर राष्ट्रीय नवाचार (तथा भा.कृ.अनु.प द्वारा वित्त पोषित भारत के विभिन्न कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में एकीकृत जल संसाधनों के विकास और प्रबन्धन पर भागीदारी अनुसंधान हेतु एकल प्लेटफार्म।

जनजातीय उपयोजना (के अंतर्गत उदपत्य और हटाल गांव (देहरादून उत्तराखण्ड) के आदिवासी किसानों के सतत विकास के लिए कार्यक्रम। संस्थान को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत जिला सिंचाई योजना तैयार करने हेतु क्षमता विकास में भागीदारी, का कार्य किया जा रहा है।

बी0एस0एफ0 इन्सटीट्यूट ऑफ एडवेन्चर एण्ड एडवान्स ट्रेनिंग (BIAAT) देहरादून

संक्षिप्त परिचय :- बी0एस0एफ0 एडवेन्चर एण्ड एडवान्स ट्रेनिंग इन्सटीट्यूट (BIAAT) सभी प्रकार के साहसिक प्रशिक्षण एवं खेलों व इससे सम्बंधित विभिन्न प्रकार की गतिविधियों की एक पृथक इकाई के रूप में कमाण्डेन्ट (BIAAT) के नेतृत्व में कार्य करता है। यह बी0एस0एफ0 के समस्त कार्मिकों/अधिकारियों, के लिए तीन विंग क्रमशः हाई एल्टिट्यूड ऑप्स ट्रेनिंग विंग, एक्वाटिक ऑप्स ट्रेनिंग एवं एयर सर्विलांस एवं एयरो स्पोर्ट्स के द्वारा जल थल एवं नभ में साहसिक प्रशिक्षण की योजना संचालन एवं आयोजन करता है।

इस संस्थान में सीमा सुरक्षा बल, अन्य केन्द्रीय पुलिस बलों एवं राज्य पुलिस बलों के कार्मिकों को बीपीआरएण्डडी के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाता है। उक्त के अतिरिक्त पर्वतारोहण, एम. टी. बी, व्हाइट वाटर सर्फिंग एवं अन्य जलीय साहसिक खेलों के अभिनय के साथ ही राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय पैरा ग्लाइडिंग प्रतियोगिताओं में भाग लेने के साथ उपरोक्त सभी गतिविधियों के लिए नयी प्रतिभाओं की खोज, उनका पोषण, अवलोकन, छटाई और साहसिक खेलों की टीमों का गठन भी करता है।



स्कूल के बच्चों को बचपन से बीएसएफ एवं साहसिक खेलों के प्रति रुचि शुरू करने हेतु इस संस्थान में भ्रमण हेतु भेजा जा सकता है। संस्था विभिन्न अवसरों पर जैसे कि आजादी के अमृत महोत्सव, 15 अगस्त, 26 जनवरी एवं राष्ट्रीय पर्वों एवं उपलब्धि के अवसरों पर सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों के छात्र-छात्राओं को राष्ट्र के प्रति कृतज्ञता एवं देश प्रेम की भावना को जागृत करने के लिए समय-समय पर कराये जाने वाले साहसिक खेलों में सम्मिलित करते हैं। यह कार्य संस्था को आवेदन देकर, उपलब्धता अनुसार कराया जा सकता है।

राष्ट्रीय कैडेट कोर, निदेशालय उत्तराखण्ड (NCC)



क्र० सं०	योजना/सेवा का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना	ग्रुप लेबल— नगद धनराशि रु० 2,400/- वरिष्ठ प्रभाग/वरिष्ठ स्कंध संख्या – 03 नगद धनराशि रु० 1,200/- कनिष्ठ प्रभाग/कनिष्ठ स्कंध संख्या— 03 यूनिट लेबल नगद धनराशि रु० 1,200/- वरिष्ठ प्रभाग/वरिष्ठ स्कंध संख्या – 18 नगद धनराशि रु० 6,00/- कनिष्ठ प्रभाग/ कनिष्ठ स्कंध संख्या— 16	- कनिष्ठ प्रभाग/कनिष्ठ स्कंध के कैडेट जिन्होंने 10वीं कक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा तथा वरिष्ठ प्रभाग /वरिष्ठ स्कंध के कैडेट जिन्होंने 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा पिछले शिक्षा— सत्र में उत्तीर्ण की हो, इन छात्रवृत्तियों के पात्र होंगे। - कैडेट ने दो वर्ष तक एन०सी०सी० की ट्रेनिंग की हो और उसकी परेड में उपस्थिति प्रत्येक वर्ष 80 प्रतिशत से कम न रही हो। - कैडेट उच्च शिक्षा जारी रखे हुए हो। - इन कैडेटों को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सामान्य छात्रवृत्ति या अन्य कोई विशेष छात्रवृत्ति न मिल रही हो।	मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना से संबंधित आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाईन नहीं है। छात्रवृत्ति योजना को ग्रुप मुख्यालय/यूनिटों द्वारा उन सभी विद्यालयों/कालेजों में भेजी जाती है जहाँ एन०सी०सी० चल रही है, पात्र कैडेटों से ग्रुप मुख्यालय/यूनिटों द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन मांगे जाते हैं। ग्रुप मुख्यालय अपने स्तर पर आवेदन—पत्रों की जांच के लिए बोर्ड आफ आफिसर्स का गठन करते हैं तथा बोर्ड प्रोसीडिंग्स और इससे सम्बन्धित समस्त कागजात/कैडेटों के प्रार्थना—पत्र (पूर्ण रूप से भरे हुए) व जाति प्रमाण—पत्र अधिकारी द्वारा प्रमाणित कराकर इस निदेशालय को निर्धारित तिथियों के अन्दर प्रेषित किया जाता है। निदेशालय स्तर से जाँच करने के उपरान्त धनराशि आवंटन किया जाता है।

2	राज्य/ मुख्यमंत्री स्वर्ण/ रजत पदक प्रोत्साहन पुरस्कार	नगद धनराशि रु03000/- स्वर्णपदक प्राप्त करने वाले एन0सी0सी0 कैडेटों को संख्या-06 नगद धनराशि रु02000/- रजत पदक प्राप्त एन0सी0सी0 कैडेटों को संख्या-06	जिन कैडेटों द्वारा वर्तमान ट्रेनिंग वर्ष में आर0 डीसी और टी0एस0सी0 वी0एस0सी0 एव एन0एस0सी0 कैम्प के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट इन छात्रवृत्तियों के पात्र होते हैं।	सभी यूनिटों द्वारा आवेदन भरकर ग्रुप मुख्यालय को प्रेषित किये जाते हैं। ग्रुप मुख्यालय अपने स्तर पर आवश्यक जाँच करने के उपरान्त निदेशालय को आवेदनपत्र प्रेषित किये जाते हैं। निदेशालय में आवेदन- पत्रों की जांच के लिए बोर्ड आफ आफीसर्स का गठन किया जाता है तथा बोर्ड प्रोसीडिंग और इससे सम्बन्धित समस्त कागजात की जाँच के उपरान्त ही सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले कैडेट को स्वर्णपदक के रूप में रुपया 3,000/- एवं द्वितीय स्थान पर आने वाले कैडेटों को रजतपदक के रूप में रुपया 2,000/-की धनराशि का आवंटन किया जाता है।
3	एन०सी० सी० कैडेट बनने से लाभ	एन०सी०सी० कैडेटों को उत्तराखण्ड राजकीय सेवा में किसी भी प्रकार का अधिमानी अर्हता नहीं दिया जाता है। सेना में या अन्य इसी तरह की सेवाओं में भर्ती होने के लिये अधिमानी अर्हता दिया जाता है। एन०सी०सी० में कैडेटों के प्रशिक्षण का उद्देश्य इस प्रकार है— (क) एन०सी०सी० युवाओं को सशस्त्र बलों में करियर बनाने के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है। (ख) देश में प्रशिक्षित और प्रेरित युवा मानव संसाधन तैयार करना जो राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे। (ग) एन०सी०सी० देश के युवाओं में चरित्र, भाईचारा, अनुशासन, नेतृत्व, धर्मनिरपेक्ष, साहस की भावना और निस्वार्थ सेवा की भावना जागृत कराता है।		

भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, (ITBP)
क्षेत्रीय मुख्यालय, सीमाद्वार, देहरादून



क्रम संख्या	योजना/सेवा का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1-	प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना	केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों एवं असम राईफल्स के युद्ध/सक्रिय सेवा में वीरगति प्राप्त कार्मिकों के बच्चे/पत्नी/सक्रिय सेवा में दिव्यांग/मेडिकल बोर्ड आउट/वीरता पदक से अंलकृत/सेवारत अराजपत्रित कार्मिकों के पुत्र को व्यावसायिक कोर्स की अवधि में रु 2500/- प्रतिमाह एवं पुत्री को रु 3000/- प्रतिमाह (वर्ष में एकमुश्त राशि क्रमश रु. 36000/- पुत्री को एवं रु 30,000/- पुत्र को प्रदान की जाती है)	बी.ई., बी टेक, एमबीबीएस, बीएड, बीबीए, बीसीए, बी फार्मा, बीएससी (नर्सिंग, कृषि आदि (विस्तृत कोर्स सूची कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड (वाबी), केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, गृह मंत्रालय/भारत सरकार की वैबसाईट warb.mha.gov.in में उपलब्ध) ग्रहण कर रहे अराजपत्रित कार्मिकों के आश्रित पुत्र/पुत्री द्वारा 12वीं/ डिप्लोमा/ स्नातक (जैसा व्यावसायिक कोर्स हेतु अनुमत्य हो), में कम से कम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों)	नेशनल स्कालरशिप पोर्टल की वेबसाइट www.scholarships.gov.in पर आवेदक द्वारा प्रत्येक वर्ष माह सितंबर/अक्टूबर में पंजीकरण के उपरान्त अपनी लागइन आईडी के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया जाता है। आवेदक का आधार कार्ड, बैंक पास बुक आवश्यक है। आवेदन को संबंधित संस्था व सशस्त्र पुलिस बल द्वारा सही पाए जाने पर गृह मंत्रालय द्वारा आवेदकों को स्वीकृत धनराशि का भुगतान एकमुश्त डी.बी.टी. के माध्यम से किया जाता है।

2.	भा.ति.सी. पुलिस बल स्पेशल वैल्फेयर फण्ड से सहायता	(i) कैंसर, HIV AIDS, हृदय रोग जैसी प्राणघातक बीमारी के ईलाज के लिए प्रत्येक मामले में रु 50,000/- की आर्थिक सहायता (ii) अविवाहित पुत्री के विवाह हेतु रु 25000/- की आर्थिक सहायता (iii) प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकान के निर्माण हेतु रु 50000/- की आर्थिक सहायता (iv) मृतक अराजपत्रित कार्मिक के अत्यन्त गरीब माता पिता को रु 25000/- की आर्थिक सहायता (v) सेवारत अराजपत्रित कार्मिकों के दिव्यांग बच्चों की शिक्षा हेतु	भा.ति.सी.पुलिस बल से सेवानिवृत्त / मेडिकल बोर्ड आउट अराजपत्रित कर्मचारी तथा उनके आश्रित / मृतक कार्मिक के आश्रित (जो केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं) इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं। अस्पताल सरकार से मान्यता प्राप्त हो, आवेदन के साथ सभी चिकित्सा दस्तावेज तथा इलाज कर रहे चिकित्सक द्वारा अपने लेटर पैड पर ईलाज पर अनुमानित खर्च का विवरण संलग्न हो। भा.ति.सी.पुलिस बल से सेवानिवृत्त / मेडिकल बोर्ड आउट अराजपत्रित कर्मचारी तथा उनके आश्रित / मृतक कार्मिक के आश्रित -18 वर्ष से अधिक आयु की दो अविवाहित पुत्रियों के विवाह हेतु भा.ति.सी.पुलिस बल से सेवानिवृत्त / मेडिकल बोर्ड आउट अराजपत्रित कर्मचारी तथा उनके आश्रित / मृतक कार्मिक के आश्रित मृतक अराजपत्रित कार्मिक के अत्यन्त गरीब माता पिता जिनके पुत्र / पत्नी ने अनुकम्पा आधार पर भर्ती का लाभ न लिया हो। उम्र/कक्षा पर ध्यान न देते हुए यदि दिव्यांग बच्चा किसी संस्थान में अध्ययनरत	आवेदक द्वारा चिकित्सा दस्तावेज व इलाज कर रहे चिकित्सक द्वारा इलाज पर अनुमानित व्यय का विवरण जो उनके लेटर हेड में हो, सहित अपना आवेदन कल्याण प्रकोष्ठ, महानिदेशालय, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, खंड-2, केंद्रीय कार्यालय परिसर, लोदी रोड, नई दिल्ली -110003 को भेजा जाएगा। विवाह से दो माह पूर्व पुत्री के जन्म प्रमाणपत्र, विवाह की तिथि के संबंध में आवेदक द्वारा उदघोषणा तथा संबंधित कार्यालय अध्यक्ष की संस्तुति के साथ, कार्मिक की अंतिम यूनिट के माध्यम से आवेदन महानिदेशालय, भा.ति.सी.पुलिस बल, नई दिल्ली को भेजा जाए। क्षतिग्रस्त मकान, आवेदक / उसके पति-पत्नी का एकमात्र मकान हो। इस संबंध में एफिडेविट, क्षति के प्रमाण सहित आवेदन आवेदक की अंतिम यूनिट के माध्यम से कल्याण प्रकोष्ठ, महानिदेशालय को भेजा जाएगा। आय प्रमाणपत्र, आश्रितों के विवरण उनकी शैक्षिक स्थिति व उम्र के विवरण सहित आवेदन, कार्मिक की अंतिम यूनिट के माध्यम से कल्याण प्रकोष्ठ, महानिदेशालय को भेजा जाएगा। दिव्यांगता प्रमाणपत्र व शैक्षणिक संस्थान के
----	---	---	--	--

		रु 50000/- की सहायता	है तो रु 50000/- की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी।	प्रवेश प्रमाणपत्र सहित आवेदन, आवेदक की अंतिम यूनिट के माध्यम से कल्याण प्रकोष्ठ, महानिदेशालय को भेजा जाएगा।
3	भारत तिब्बत सीमा पुलिस में भर्ती की प्रक्रिया	सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सहायक कमांडेंट (जीडी) के पद पर भर्ती संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा की जाती है तथा सिपाही (जीडी) की भर्ती कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली द्वारा की जाती है। इसके लिए रोजगार समाचार पत्र व उक्त संस्थानों की वेबसाइट पर विज्ञापन प्रकाशित होते हैं। महानिदेशालय, भा०ति०सी०पुलिस द्वारा रिक्त पद उपलब्ध होने पर कुछ पदों जैसे उप कमांडेंट (जैग), सहायक कमांडेंट (इंजीनियर), सहायक कमांडेंट (वेटनरी), सहायक कमांडेंट (परिवहन), सहायक कमांडेंट (दूरसंचार) आदि तथा निरीक्षक (हिंदी अनुवादक)/उप निरीक्षक (हिंदी अनुवादक), उ०नि० (ओवरसियर), उ०नि० (स्टाफ नर्स), स०उ०नि० (स्टैनो), स०उ०नि० (फार्मासिस्ट), सहायक उप निरीक्षक (लैब तकनीशियन), है०का० (कंबाटेंट मिनिस्ट्रियल), है. का. (मोटर मैकेनिक), है.का. (मिडवाईफ/ए०एन०एम०), है० का० (एजुकेशन एण्ड स्ट्रैस काउंसलर), है०का० (रेडियो ऑपरेटर/रेडियो तकनीशियन), सिपाही (मोटर मैकेनिक/चालक/पशु/परिवहन/मोची/किचन सर्विसेज/धोबी/नाई / पाईनियर आदि) की भर्ती हेतु विज्ञापन रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशित करके व भा०ति०सी० पुलिस बल की भर्ती वेबसाइट recruitment-itbpolice-nic-in में ऑनलाईन आवेदन के माध्यम से की जाती है। उक्त भर्तियों के विज्ञापन जारी करने हेतु कोई निश्चित समय अवधि/माह निर्धारित नहीं है व रिक्त पद उपलब्ध होने पर भर्ती महानिदेशालय, भा०ति०सी०पुलिस बल, नई दिल्ली द्वारा की जाती है।		
4	भारत तिब्बत सीमा पुलिस की कैटीन में उत्तराखण्ड के स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किये गये सामान की बिक्री कैसे की जाती है, की प्रक्रिया।	केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार की सुविधा सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत कुछ अन्य सुरक्षा एजेंसियों तथा राज्य पुलिस बलों में सेवारत/सेवानिवृत्त पदाधिकारियों एवं उनके परिजनों के लिए उपलब्ध है। देश भर में लगभग 119 मास्टर कैटीन/भंडार उपलब्ध है जो वितरक केंद्र के रूप में कार्य करते हैं तथा लगभग 1778 सब्सिडियरी कैटीन/केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार हैं जो पदाधिकारियों एवं उनके परिवारों को वस्तुओं का विक्रय करते हैं। इन मास्टर कैटीन/सब्सिडियरी कैटीन का प्रबंधन केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार मुख्यालय, ईस्ट ब्लॉक-7, (लेवल-2) सैक्टर-1, आर०के० पुरम, नई दिल्ली-110066 (वेबसाइट kpkb@mha.gov.in ई मेल- hqkpkb@mha.go.-in) के दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जाता है। जो फर्म केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार के माध्यम से अपनी वस्तुओं की बिक्री करना चाहती है, उन्हें उक्त बैबसाइट में पंजीकरण कराना होता है। केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार मुख्यालय द्वारा जिन फर्मों का पंजीकरण स्वीकार किया जाता है उनसे खरीद की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य निर्धारण हेतु खरीद समिति का गठन केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार मुख्यालय द्वारा किया जाता है। सब्सिडियरी कैटीन की मांग के अनुसार मास्टर कैटीन द्वारा केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार मुख्यालय द्वारा पंजीकृत फर्मों को सामान की आपूर्ति हेतु इंडेंट दिया जाता है व फर्म मास्टर कैटीन को सामान भेजती हैं जो आगे सब्सिडियरी कैटीन को बिक्री हेतु निर्गम करती हैं। उत्तराखंड राज्य में स्थित मास्टर कैटीन/सब्सिडियरी कैटीन द्वारा उत्तराखंड के स्वयं सहायता समूहों का सामान अपने स्तर पर स्वयं खरीद/बेचा नहीं जा सकता है। अधिक जानकारी/अन्य प्रक्रियाएं आदि के संबंध में केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार मुख्यालय से उक्त पते पर संपर्क किया जा सकता है।		

भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून (IMA)



अधिकारियों का चयन : भारतीय सेना में एक अधिकारी, गौरवशाली विरासत और कालातीत परम्पराओं, इंजीनियरिंग और चिकित्सा विज्ञान, प्रबंधन के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी के साथ पूरी तरह घुल-मिल जाता है। यह, दुनिया की सबसे बेहतरीन सेना का हिस्सा बनने का सुनहरा अवसर प्रदान करता है और न सिर्फ अधिकारी बनाने के लिए प्रशिक्षित करता है बल्कि जीवन में एक अच्छा इंसान बनाने के लिए भी प्रेरित करता है। यहाँ तक की नागरिक योग्यता के विकास हेतु भी व्यक्ति को दो वर्षीय सवेतन अवकाश का अवसर भी दिया जाता है। युद्ध-इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रशासन, मानव संसाधन व प्रबंधन आदि कार्यों में भी प्रवीण किया जाता है। स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद या स्नातक करने के बाद, सेना में शामिल होना संभव है।

स्थायी कमीशन का अर्थ : सेना में सेवानिवृत्ति तक सेवारत बने रहना। स्थायी कमीशन के लिए, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, पुणे या भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून या अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, गया में शामिल होना होगा। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, पुणे बारहवी कक्षा में शिक्षारत होने या उसके उपरान्त आप एनडीए की प्रवेश परीक्षा दे सकते हैं। इस परीक्षा को देकर उत्तीर्ण होने पर सेना, नौसेना, वायु सेना और नौसेना अकादमी में शामिल होने का विकल्प मिलता है, इसके लिए शैक्षिक योग्यता के सभी मापदंड पूरे होने चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् भी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, पुणे में प्रवेश मिल सकता है। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर 5 दिन का सेवा चयन बोर्ड व चिकित्सकीय जांच में उत्तीर्ण होने के बाद एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं, जो सभी योग्यता शर्तों व रिक्त पदों की संख्या पर निर्भर करेगा। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में तीन वर्ष के बाद एक सक्षम व्यक्ति बन जाएंगे, जो देश की गरिमा, सम्मान और सुरक्षा को लेकर पूर्णतः समर्पित होगा। तीन सेवाओं, सेना, नौसेना और वायु सेना के लिए चयनित अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, जो कि एक अंतर-सेवा संस्थान है, में 3 वर्ष की अवधि वाला शैक्षणिक और शारीरिक दोनों प्रकार का प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया जाता है। शुरुआती ढाई साल के दौरान प्रशिक्षण, तीन विंग्स के कैडेट्स के लिए सामान्य है। पासिंग आउट पर कैडेट्स को जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली की बी.एससी, बी.एससी (कंप्यूटर) व बीए की स्नातक उपाधि प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से पास होने के उपरांत, सेना के कैडेट्स को भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून, नौ सेना के कैडेट्स को भारतीय नौसेना अकादमी, एडिमाला और वायु सेना के कैडेट्स को वायु सेना अकादमी, हैदराबाद में भेज दिया जाता है। उन्हें एक वर्ष तक कठिन सैन्य प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक समाप्त होने पर, लेफ्टिनेंट के पद पर स्थायी कमीशन स्वीकृत कर दिया जाता है। नौसेना कैडेट्स को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से पास होने के बाद, नौ सेना की कार्यकारी शाखा के लिए चयनित कर लिया जाता है और एक वर्ष की अवधि के लिए भारतीय नौसेना अकादमी, एडिमाला में प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसके सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद, उप-लेफ्टिनेंट के पद पर उन्नति हो जाती है। वायु सेना के कैडेट्स, डेढ़ वर्ष तक उड़ान प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। यद्यपि, एक वर्ष के प्रशिक्षण की समाप्ति पर, उन्हें फ्लाईंग ऑफिसर के पद पर अंतिम कमीशन कर दिया जाता है। इसके उपरान्त छः माह के प्रशिक्षण की समाप्ति पर उन्हें एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर स्थायी कमीशन अधिकारी के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। कैडेट्स को सेवा अकादमिक में प्रशिक्षण की पूरी अवधि के दौरान यानि आईएमए के प्रशिक्षण काल के दौरान, 21000/- रूपए प्रतिमाह का वजीफा प्रदान किया जाएगा। स्नातक उपाधि प्रदान करने के साथ ही एनडीए के पास व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु उत्तम बुनियादी सुविधाएं हैं। यहाँ अपने व्यक्तित्व के विकास व नयी रुचियाँ विकसित करने हेतु अभूतपूर्व अवसर प्राप्त होंगे।

भारतीय सैन्य अकादमी में प्रवेश के मुख्य तरीके निम्न हैं : संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा (सीडीएसई) स्नातक करने के दौरान अंतिम वर्ष में या स्नातक करने के बाद, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा (सीडीएसई) की परीक्षा में बैठ सकते हैं। एसएसबी साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने के बाद, चिकित्सा परीक्षण में सफल होने के पश्चात भारतीय सैन्य अकादमी में प्रत्यक्ष प्रवेश मिल जाता है, बशर्ते सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हों और रिक्त पदों की उपलब्धता हों। परीक्षा की तिथि / अधिसूचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट <https://upsc.gov.in/> पर क्लिक करें। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को भारतीय सैन्य अकादमी में 18 माह का सैन्य प्रशिक्षण लेना होगा। प्रशिक्षण की सफल समाप्ति पर, इन कैडेट्स को 'शेप-आई' में शारीरिक रूप से फिट होने पर लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया जाएगा।

विश्वविद्यालय प्रवेश योजना (सिर्फ अंतिम वर्ष से पूर्व के छात्रों के लिए) यह प्रविष्टि उन लोगों के लिए है जो इंजीनियरिंग अंतिम वर्ष के छात्र हैं और सेना में आवेदन करना चाहते हैं। प्रत्येक वर्ष मई के महीने में प्रमुख समाचार पत्रों/रोजगार समाचार पत्र में विज्ञापन को प्रकाशित किया जाता है, जिसे ध्यान देना होगा। यूईएस कोर्स के लिए चयनित अभ्यर्थियों को उस समय उपलब्ध रिक्त पदों की संख्या के मुताबिक अनुशासित, मेरिट के अंतिम अनुक्रम में उनकी स्थितियों के अनुसार भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून पर प्रशिक्षण के लिए विवरण दिया जाएगा। प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष की होगी। इंजीनियरिंग छात्रों को शॉर्ट सर्विस कमीशन (प्रोबेशन पर) अनुमोदित किया जाएगा और प्रशिक्षण अवधि के दौरान, लेफ्टिनेंट के लिए स्वीकार करने योग्य पूर्ण वेतन और भत्ते को आकर्षित करने हेतु हकदार होंगे। तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम/कोर्स जो छात्र अधिसूचित विषयों में बीई/बी.टेक कर चुके हों या शिक्षारत हों, वे तकनीकी स्नातक कोर्स के माध्यम से भारतीय सैन्य अकादमी में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए, प्रत्येक वर्ष मई/जून या नवंबर/दिसम्बर महीने में प्रमुख समाचार पत्रों / रोजगार समाचार में विज्ञापन को प्रकाशित किया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि, एक वर्ष की होती है। कैडेट्स के सफलतापूर्वक प्रशिक्षण होने के बाद, उन्हें लेफ्टिनेंट की रैंक में सेना में स्थाई कमीशन अनुमोदित किया जाएगा।

ईसी (पुरुष) जो अभ्यर्थी, अधिसूचित विषयों में प्रथम या द्वितीय श्रेणी में एम.कॉम / एमसीए / एमबीए / एमए / एमएससी यानि परास्नातक हैं, वह इसके लिए पात्र हैं। जो अभ्यर्थी शिक्षारत हैं या जिनका परिणामफल नहीं आया है, वे इसके लिए पात्र नहीं हैं। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए विभाग की वेबसाइट <https://joinindianarmy.nic.in/> पर क्लिक करें। चयनित अभ्यर्थियों को भारतीय सैन्य अकादमी की रिपोर्टिंग की तिथि, जो कि बढ़ सकती है या कोर्स के प्रारंभ की तिथि से लेफ्टिनेंट पद की परीक्षा पर शॉर्ट सर्विस कमीशन अनुमोदित किया जाएगा। प्रशिक्षण की अवधि, एक वर्ष की होती है।

अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, गया—12वीं कक्षा में पीसीएम विषयों में अनिवार्य रूप से न्यूनतम कुल 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी, इस प्रविष्टि सकते हैं। भर्ती निदेशालय द्वारा निर्णय लिए गए रूप में कट ऑफ के आधार पर एसएसबी साक्षात्कार के लिए विस्तृत किये जाएंगे। प्रत्येक वर्ष मई/अक्टूबर महीने में प्रमुख समाचार पत्रों / रोजगार समाचार पत्रों में विज्ञापन को प्रकाशित किया जाता है, आवेदन करने हेतु 10+2 (टीईएस) प्रविष्टि टीईएस प्रविष्टि के लिए प्रशिक्षण की अवधि, 5 वर्ष होती है।

शॉर्ट सर्विस कमीशन या लघु सेवा आयोग— 10/14 साल के लिए एक कमीशन अधिकारी के रूप में सेवा करने और सेना में शामिल होने का विकल्प भी है। 10 वर्ष के बाद, 3 विकल्प होते हैं। या तो स्थाई कमीशन के लिए चयनित हो जाएं या नौकरी छोड़ दें या 4 वर्षों तक और सेवारत रहें। चार वर्षों की नौकरी बढ़ोत्तरी के दौरान, कर्मी अपनी मर्जी के अनुसार कभी भी सेवानिवृत्ति ले सकता है। 1992 में, भारतीय सेना के इतिहास में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था, जिसके अंतर्गत महिलाओं को अधिकारी संवर्ग में शामिल होने की अनुमति दे दी गई थी। आवेदन करने के लिए स्नातक / परास्नातक होना आवश्यक है। लिखित परीक्षा होने के बाद, एसएसबी साक्षात्कार के बाद चिकित्सा परीक्षा की जाती है।

पुरुष और महिला, दोनों के लिए मुख्य प्रविष्टि निम्नानुसार हैं : शॉर्ट सर्विस कमीशन (गैर तकनीकी) पुरुष और महिला इस प्रविष्टि के माध्यम से अधिकारियों की भर्ती के बारे में जुलाई और नवंबर महीने में सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचारपत्रों/दैनिक पत्रों और रोजगार समाचार के माध्यम से विज्ञापन देकर बताया जाता है। आवेदन सिर्फ संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन ही किया जा सकता है। शॉर्ट

सर्विस कमीशन के लिए चयन, सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी) के द्वारा एक साक्षात्कार के द्वारा अनुकरण करते हुए, सितम्बर और फरवरी महीने में हर साल, दो बार संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित एक लिखित परीक्षा के माध्यम से होगा। कोर्स, ओटीए, चेन्नई में अप्रैल और अक्टूबर महीने में साल में दो बार आयोजित होंगे।

शॉर्ट सर्विस कमीशन (जे ए जी) पुरुष और महिला जीएजी प्रविष्टि के लिए आवेदन करने हेतु, आपको एलएलबी डिग्री (12वीं की परीक्षा के बाद पांच वर्ष या स्नातक के बाद तीन वर्ष के पेशेवर) में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अभ्यर्थी को बार काउंसिल ऑफ इंडिया/बार काउंसिल ऑफ स्टेट के साथ पंजीकृत होना आवश्यक है। अभ्यर्थी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा मान्यता प्राप्त एक कॉलेज / विश्वविद्यालय से होना चाहिए। इस प्रविष्टि के माध्यम से अधिकारियों की भर्ती के बारे में जून और दिसम्बर महीने में सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचारपत्रों/दैनिक पत्रों और रोजगार समाचार के माध्यम से विज्ञापन देकर बताया जाता है।

सशस्त्र सीमा बल, सीमान्त मुख्यालय, रानीखेत, अल्मोड़ा (SSB)



क्र.सं	योजना/सेवा का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन
01.	निःशुल्क मानव चिकित्सा शिविर	दूरस्थ सीमावर्ती क्षेत्रों में निःशुल्क चिकित्सा सेवा और दवाईयों की प्राप्ति	सभी सीमावर्ती नागरिकों के लिए।	सभी के लिए खुली है।
02.	निःशुल्क पशु चिकित्सा शिविर	दूरस्थ सीमावर्ती क्षेत्रों में निःशुल्क चिकित्सा सेवा और दवाईयों की प्राप्ति	सभी सीमावर्ती नागरिकों के पशुओं के लिए।	सभी के लिए खुली है।
03.	सीमावर्ती विद्यालय के विद्यार्थियों हेतु भारत भ्रमण कार्यक्रम	छात्रों को निःशुल्क भ्रमण तथा आवासीय सुविधाएँ देते हुए 05 से 07 दिनों का भारत भ्रमण कार्यक्रम।	सशस्त्र सीमा बल की स्थानीय इकाईयों तथा क्षेत्र प्रधिनिधियों द्वारा संस्तुत, सीमावर्ती विद्यालय के छात्र/छात्राएं	सशस्त्र सीमा बल के अधिकारियों तथा क्षेत्र प्रधिनिधियों द्वारा संस्तुति के आधार पर
04.	केंद्रीय सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को सीमावर्ती ग्रामीणों को बताना तथा उसे प्राप्त	आम नागरिकों को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी	सभी सीमावर्ती नागरिकों के लिए।	सभी के लिए खुली है।

	करवाने में आवश्यक सहयोग देना ।	तथा उसे प्राप्त कराने हेतु यथा संभव सहायता ।		
05.	मानव संसाधन कार्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न रोजगार परक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन	लघु उद्योग शुरू करने हेतु जानकारी तथा संबंधित सामुदायिक केन्द्रों को न्यूनतम आवश्यकतानुसार उपकरण उपलब्ध कराये जाएंगे ।	सीमावर्ती क्षेत्र के बेरोजगार युवक/युवतियां जो 18 वर्ष से अधिक आयु के हों ।	सशस्त्र सीमा बल के अधिकारियों तथा क्षेत्र प्रतिनिधियों द्वारा संस्तुति के आधार पर
(i)	सिलाई प्रशिक्षण			
(ii)	ब्यूटीशियन प्रशिक्षण			
(iii)	आधुनिक कृषि तकनीकों के बारे में जानकारी			
(iv)	आधुनिक कृषि प्रयोगों के बारे में जानकारी			
(v)	उन्नत बीजों का वितरण			
(vi)	बकरी के बच्चे/ मुर्गी के चूजे का वितरण	निःशुल्क बकरी के बच्चे तथा मुर्गी के चूजों की उपलब्धता		
06	सामुदायिक केन्द्रों की मरम्मत, सोलर लाइट का वितरण, पानी के टैंक का वितरण इत्यादि	सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित सामुदायिक केन्द्रों के संसाधन में वृद्धि	सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित सामुदायिक केंद्र	राक्षस्त्र सीमा बल के अधिकारियों तथा क्षेत्र प्रधिनिधियों द्वारा संस्तुति के आधार पर
07	खेल संसाधनों का विकास	निःशुल्क खेल संसाधनों की उपलब्धता तथा खेल मैदानों का निर्माण	सीमावर्ती क्षेत्रों के विद्यालय /सामुदायिक केंद्र गाँव के सार्वजनिक स्थल	सशस्त्र सीमा बल के अधिकारियों तथा क्षेत्र प्रतिनिधियों द्वारा संस्तुति के आधार पर
08	छात्र/छात्राओं हेतु कंप्यूटर प्रशिक्षण	सीमावर्ती क्षेत्रों में छात्र/छात्राओं को मुफ्त कंप्यूटर प्रशिक्षण	सीमावर्ती विद्यालय के छात्र और छात्राएं	सशस्त्र सीमा बल के अधिकारियों तथा क्षेत्र प्रतिनिधियों द्वारा संस्तुति के आधार पर ।
09	विद्यालयी छात्र/छात्राओं को सेना केन्द्रीय पुलिस बलों में भर्ती हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम	सेना/केंद्रीय पुलिस बलों में मुफ्त भर्ती पूर्व प्रशिक्षण	सीमावर्ती विद्यालय के छात्र और छात्राएं	सशस्त्र सीमा बल के अधिकारियों तथा क्षेत्र प्रतिनिधियों द्वारा संस्तुति के आधार पर

प्रादेशिक सेना (Territorial Army)

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

1. भारत में प्रादेशिक सेना का इतिहास वर्ष 1897 से शुरू होता है, जब इसे स्वयंसेवकों के रूप में स्थापित किया गया था, जिसमें यूरोपीय और एंग्लो-इंडियन्स भर्ती किये जाते थे। भारतीय प्रादेशिक सेना अधिनियम 1920 के पारित होने के साथ, टीए को दो अलग-अलग विंगों में पुनर्गठित किया गया, अर्थात् सहायक बल (Auxiliary Force) और भारतीय प्रादेशिक बल (Indian Territorial Force)। जबकि सहायक बल में केवल यूरोपीय और एंग्लो-इंडियन को भर्ती किया जाता था और भारतीय प्रादेशिक बल में भारतीयों को भर्ती किया जाता था। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति पर, 1920 के प्रादेशिक सेना अधिनियम को प्रादेशिक सेना अधिनियम 1948 से बदल दिया गया, जिससे प्रादेशिक सेना की उत्पत्ति हुई जो आज मौजूद है।
2. 1949 में 11 भारतीय प्रादेशिक सेना पैदल सेना इकाइयों के साथ प्रादेशिक सेना ने काम करना शुरू किया। इसके बाद इसमें आर्मेड, आर्टिलरी, इंजीनियर, सिग्नल, इन्फैंट्री, मेडिकल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर (ईएमई) और सप्लाय सहित विविध लड़ाकू और सेवाओं की इकाइयाँ शामिल हो गईं। हालाँकि, एयर डिफेंस इकाइयों को छोड़कर अधिकांश इकाइयाँ 1950 के दशक के अंत तक भंग कर दी गईं। एयर डिफेंस आर्टिलरी और इनलैंडवाटर ट्रांसपोर्ट (इंजीनियर) इकाइयों को बाद में भारत-पाक युद्ध 1971 के बाद नियमित सेना में शामिल कर लिया गया।

भूमिका

3. प्रादेशिक सेना की भूमिका:-

- (क) नियमित सेना को स्थैतिक कर्तव्यों से मुक्त करना और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने और ऐसी स्थितियों में आवश्यक सेवाओं के रख रखाव में नागरिक प्रशासन की सहायता करना जहाँ समुदाय का जीवन प्रभावित होता है या देश की सुरक्षा को खतरा होता है।
- (ख) आवश्यकता पड़ने पर नियमित सेना के लिए इकाइयाँ प्रदान करना।

संरचना

4. प्रादेशिक सेना गैर-विभागीय (Non Departmental) और विभागीय (Departmental) इकाइयों से बनी होती है। गैर विभागीय इकाइयों का भुगतान रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है तथा वे सेना मुख्यालय/रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करती हैं।
5. दूसरी ओर, विभागीय इकाइयाँ, जिनका भुगतान संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है, रक्षा मंत्रालय के माध्यम से संबंधित मंत्रालय/विभाग के अधीन कार्य करती हैं।

गैर विभागीय इकाइयाँ

6. ये नियमित सेना के समान रक्षा मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित इकाइयाँ हैं। ये मुख्य रूप से पैदल सेना और इंजीनियर रेजिमेंट हैं।

विभागीय इकाइयाँ

7. ये नागरिक विभागों द्वारा वित्त पोषित इकाइयाँ हैं तथा इनके कार्य संबंधित विभागों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये ईको टास्क फोर्स, तेल क्षेत्र इकाइयाँ और रेलवे इंजीनियर रेजिमेंट हैं।

प्रादेशिक सेना की उपलब्धियाँ

8. प्रादेशिक सेना ने उन सभी प्रमुख युद्धों में भाग लिया है जिनमें भारतीय सेना ने आज तक भाग लिया है।
 (क) चीन-भारत संघर्ष 1962
 (ख) भारत-पाक युद्ध 1965
 (ग) भारत-पाक युद्ध 1971
 (घ) ऑपरेशन पवन-कारगिल
 (ङ.) ऑपरेशन विजय –श्रीलंका
 (च) ऑपरेशन पराक्रम
9. **आवश्यक सेवाओं का रख रखाव:** 1971 से, प्रादेशिक सेना ने आवश्यक संचार के रख रखाव और प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं में राहत प्रदान करने में नागरिकों को सहायता प्रदान करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। विभागीय प्रादेशिक सेना इकाइयों द्वारा प्रदान की गई सहायता निम्नानुसार है।
 (क) बीपीसीएल (BPCL) के श्रमिकों द्वारा अखिल भारतीय हड़ताल का आह्वान: 801 इंजीनियर रेजिमेंट आरएंडपी (टीए) और 414 एससी सीमार्केटिंग (टीए) 19 सितंबर से 20 सितंबर 2006 तक कार्यरत थे।
 (ख) आईओसीएल (IOCL) और बीपीसीएल (BPCL) के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल: 801 इंजीनियर रेजिमेंट आरएंडपी (टीए) और 414 एससी मार्केटिंग (टीए) 19 दिसंबर से 21 दिसंबर 2006 तक कार्यरत थे।
10. **आतंकवाद विरोधी अभियान:**
 (क) इन्फैंट्री बटालियन (टीए) ने पंजाब में ऑपरेशन रक्षक में भाग लिया है।
 (ख) इन्फैंट्री बटालियन (टीए) जम्मू और कश्मीर और उत्तर पूर्व राज्यों में चल रहे छद्म युद्ध (Proxy War) ऑपरेशन में नियमित सेना की सहायता में तैनात है।
 (ग) प्रादेशिक सेना की होम एंड हर्थ बटालियन उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी कमांड में सेना के ऑपरेशन के सहायता में पूरी तरह से तैनात हैं।
11. **इको टास्क फोर्स बटालियन:** प्रादेशिक सेना की कुल 09 इको टास्क फोर्स बटालियनों ने मिशन ग्रीन इंडिया में योगदान देने के लिए विभिन्न राज्यों में तैनात हैं। इन बटालियनों को आज तक 93000 हैक्टेयर क्षेत्र में लगभग 9.3 करोड़ पौधे लगाने का गौरव प्राप्त है। उपरोक्त इको टास्क फोर्स के अलावा एक गंगा टास्क फोर्स जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत गंगा नदी की कायाकल्प (Rejuvenation) के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रही है।

127 प्रादेशिक सेना पर्यावरण बल, देहरादून

1. **स्थापना:**— 80 के दशक में पहाड़ों की रानी मसूरी, वनों के कटान तथा अनाधिकृत चूने की खदानों के अन्धाधुन्ध दोहन से अपनी सुन्दरता पूर्णतया खो चुकी थी, परिणाम स्वरूप दून घाटी का तापमान 40 डिग्री तक पहुँच गया, साथ ही वर्ष — प्रतिवर्ष बारिश और हिमपात में कमी आने लगी। शिवालिक पर्वत श्रेणियों में भविष्य में होने वाले खतरे के अहसास को दृष्टिगत रखते हुये नोबल पुरस्कार से सम्मानिते स्वर्गीय डा० नौरमन बरलांग, ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री, भारत सरकार, स्व० इन्दिरा गॉंधी को मसूरी में हो रहे इस बढ़ते हुये खतरे को रोकने के लिये युद्ध स्तर पर कार्यवाही करने की सलाह दी। इस सलाह के परिणाम स्वरूप **127 इन्फैन्ट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) पर्यावरण (गढवाल राइफल्स) की स्थापना 01 दिसम्बर 1982 को गढवाल रायफल्स रेजिमेण्टल सेन्टर में हुई थी।** इस के साथ 127 इन्फैन्ट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) पर्यावरण (गढवाल राइफल्स) विश्व की प्रथम पर्यावरण सेना बल के रूप में कार्यरत हुई।



2. वर्तमान में इस यूनिट की दो कम्पनियों वन एवं पर्यावरण मंत्रालय तथा जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार द्वारा और दो कम्पनियों राज्य वित्त पोषित उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कार्यरत हैं।

-
1. **यूनिट का कार्य क्षेत्र और उपलब्धियाँ** पिछले 42 वर्षों के सुनहरे इतिहास में यूनिट ने लगभग 23101 (तेईस हजार एक सौ एक) हैक्टेयर बंजर भूमि में 198.92 (एक करोड अठानवे लाख बयानवे हजार) पौधों का रोपण कर चुकी है।
-

परियोजना कार्य

क्र०सं०	परियोजना	वर्ष	विवरण
1.	शाहजहांपुर पायलट प्रोजेक्ट (मोहण्ड)	1982—1985	यूनिट ने 700 हेक्टेअर जमीन में झाड़ियों को काट कर 3.18 लाख विभिन्न प्रजाति के पौधों का रोपण कार्य सम्पन्न किया।

2.	क्यारकुली माइक्रो कैचमेंट ईको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (मसूरी)	1985–1994	उच्चतम न्यायालय के आदेश पर मसूरी क्षेत्र की पहाड़ियों पर चूने की 26 खानों को बन्द करने और 3400 हेक्टेअर भूमि पर वृक्षारोपण का कार्य किया गया।
3.	अगलार वाटरसेड ईको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मुख्य क्षेत्र थत्यूड़ टिहरी गढवाल	1994–2014	यूनिट ने इस परियोजना क्षेत्र में 8000 हेक्टेयर बंजर भूमि पर 78 लाख 71 हजार पौधों का रोपण किया गया।
4.	बद्रीवन / <u>माणा / मलारी</u> परियोजना	2008–2013	माणा व मलारी परियोजना में सन् 2008 से सन् 2013 तक इन दो अतिरिक्त कम्पनियों द्वारा 2200 हेक्टेयर बंजर भूमि पर 17 लाख 20 हजार पौधों का रोपण किया गया। इस तहत बद्रीवन का पुर्ननिर्माण एवं 10 हजार फीट ऊंचाई के उपर सेब और अखरोट इत्यादि फलदार पौधों का प्रायोगिक रोपण किया गया।
5.	जौनसार / भाबर इको डेवलपमेंट परियोजना	2014–2017	यूनिट द्वारा 1200 हेक्टेयर बंजर भूमि पर 13 लाख 84 हजार पौधों का रोपण किया गया।
6.	देवर खडोरा परियोजना	2014–2017	वर्ष 2014 से वर्ष 2017 तक इस परियोजना क्षेत्र में 1203 हेक्टेयर बंजर भूमि पर 12 लाख 21 हजार पौधों का रोपण किया गया।
7.	लखवाड परियोजना	2017–2023	यूनिट द्वारा 2457 हेक्टेयर बंजर भूमि पर 24 लाख 59 हजार पौधों का रोपण किया गया।
8.	कुरुड परियोजना	2017–2023	वर्ष 2017 से 2023 तक इन दो कम्पनियों द्वारा गंगा नदी के तट पर 2301 हेक्टेयर भूमि पर 21 लाख 40 हजार पौधों का सफलतापूर्वक रोपण किया गया। वर्तमान वर्ष में वृक्षारोपण के साथ साथ अन्य अग्रिम मृदा कार्य प्रगति पर हैं।
9.	सहिया परियोजना	2023 से अब तक	यूनिट द्वारा 800 हेक्टेयर बंजर भूमि पर 8 लाख पौधों का रोपण किया जा चुका है व वर्तमान में वृक्षारोपण व अग्रिम मृदा कार्य प्रगति पर हैं।
10.	कुरुड परियोजना	2023 से अब तक	वर्ष 2023 से अब तक इस परियोजना क्षेत्र में 800 हेक्टेयर बंजर भूमि पर 8 लाख पौधों का रोपण किया गया है।

पर्यावरण जागरुकता एवं प्रचार-प्रसार और परिणाम

127 इन्फैन्ट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) (गढवाल राइफल्स) समय समय पर विभिन्न जागरुकता कार्यक्रमों को आयोजित करती है। ये जागरुकता कार्यक्रम स्थानीय नागरिकों में पर्यावरण के प्रति चिंता का भाव निर्माण करती है। 127 इन्फैन्ट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) (गढवाल राइफल्स) स्थानीय

नागरिकों, स्कूल/कालेज के बच्चों के साथ विश्व पर्यावरण दिवस, अर्थ दिवस और महत्त्वपूर्ण आयोजनों में वृक्षारोपण व पर्यावरण जागरूकता का कार्य करती है।

127 इन्फैंट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) (गढवाल राइफल्स) द्वारा वृक्षारोपण की प्रक्रिया.

- (क) राज्य सरकार द्वारा निर्देश पर 127 इन्फैंट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) (गढवाल राइफल्स) हर साल बंजर जमीन पर 08 लाख पौधों का रोपण करती है।
 - (ख) आम नागरिक के लिए समय समय पर 127 इन्फैंट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) (गढवाल राइफल्स) पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित करती है।
-

पुरस्कार एवं सम्मान. 127 इन्फैंट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) (गढवाल राइफल्स) के सराहनीय कार्य को देखते हुये भारत सरकार तथा विभिन्न संस्थाओं द्वारा निम्न पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया है:-

इन्दिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, वीर केसरी चन्द पर्यावरण पुरस्कार, वसुधा मित्र सम्मान, कॉन्फिडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्री ग्रीन पुरस्कार, बॉम्बे नैचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ग्रीन गर्वनेंस पुरस्कार, अर्थ केयर पुरस्कार, ग्रीन लीफ पुरस्कार, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रशंसा पत्र और सर्वश्रेष्ठ ईटीएफ ट्रॉफी।

छावनी परिषद देहरादून (CANTONMENT BOARD)



संक्षिप्त विवरण :- छावनी परिषद् देहरादून सन् 1913 में ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित वर्तमान में रक्षा मंत्रालय, रक्षा संपदा, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय है, जो देश की सभी छावनियों के वर्गीकरण के अनुसार वर्ग "ए" में आता है। जनगणना 2011 के अनुसार यहां की नगरीय जनसंख्या 52,716 है। देहरादून छावनी का क्षेत्रफल 5203.35 एकड़ है, जिसमें 939.41 एकड़ निजी भूमि है जिसमें आम नागरिक की आबादी है। यह परिषद् छावनी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में उचित स्वच्छता, स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता हेतु नगर निकाय की भांति कार्य करता है।

कर्तव्य—नागरिकों के लिए स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना, बोर्ड और उसके नागरिकों के हित में संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना। सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। सस्ती कीमतों पर बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना, नियमानुसार भूमि का रिकॉर्ड रखना, उच्च गुणवत्ता और लागत प्रभावी सेवाएं प्रदान करना, सड़कों, नालियों जल आपूर्ति, औषधालय, स्कूलों, पार्कों और स्ट्रीटलाइटिंग जैसी आदि बुनियादी सेवाओं को बनाए रखना और विकसित करना।

छावनी परिषद देहरादून द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली सेवा/सुविधा का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	सेवा/सुविधा का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन एवं चयन प्रक्रिया
1	पॉलिथीन कचरा बैंक	छावनी परिषद देहरादून द्वारा पॉलिथीन कचरे के निस्तारण हेतु कैंट क्षेत्र में देश के पहले 03 पॉलिथीन कचरा बैंक खोले गये हैं, इन बैंकों में हर माह न्यूनतम 70 टन और अधिकतम 100 टन तक पॉलिथीन कचरा खरीदने का लक्ष्य है। संग्रहित कचरे से टाइल्स, बोर्ड, गमले तथा अन्य सजावट के सामान बनाए जायेंगे।	कूड़ा बीननेवाला तथा आम नागरिक	पॉलिथीन कचरा जैसे चिप्स के पैकेट, पॉलिथीन बैग, घरों में एकत्रित पॉलिथीन, दूध इत्यादि की थैलियां को 05 रु0 प्रति किलोग्राम की दर से इन कचरा बैंकों पर कूड़े बीनने वाले व अन्य इच्छुक नागरिक बेच सकते हैं।
2	सामान्य खाद/वर्मी कम्पोस्ट खाद	छावनी परिषद देहरादून द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन द्वारा सामान्य खाद व वर्मी कम्पोस्ट खाद का उत्पादन किया जा रहा है।	सभी नागरिक	सभी नागरिक उत्पादित खाद को 05 रु0 प्रति किलोग्राम की दर से पॉलिथीन कचरा बैंकों पर आकर खरीद सकता है।
3	जन्म व मृत्यु पंजीकरण व प्रमाणपत्र सेवा	छावनी परिषद देहरादून क्षेत्र में जन्में व्यक्ति का जन्म पंजीकरण व जन्म प्रमाणपत्र की सुविधा तथा कैंट क्षेत्र में हुई व्यक्तियों के मृत्यु के पंजीकरण व मृत्यु प्रमाणपत्र की सुविधा उपलब्ध है।	छावनी परिषद देहरादून में जन्में व्यक्ति व छावनी क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति के परिजन।	जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्र, जन्म व मृत्यु के 21 दिवस के भीतर ऑफलाइन पंजीकरण करवाकर निशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। 21 दिन के पश्चात रु0 50 प्रति कॉपी प्राप्त की जा सकती है। पुराने जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रति ई-छावनी पोर्टल dehradun.cantt.gov.in पर जाकर निम्न चरणों को पूरा करके डाउनलोड किया जा सकता है :-पोर्टल पर जाकर वेबसाइट खुलने के पश्चात लॉगइन पर क्लिक करें फिर सिटीजन पर क्लिक करें यदि पंजीकरण पूर्व में नहीं किया गया है तो अपने मोबाइल नं से पंजीकरण करें अपना नाम दर्ज करें व प्राप्त ओटीपी को दर्ज करें। खुलने के पश्चात सभी सेवाओं का विवरण दिखने के पश्चात जन्म या मृत्यु जो भी प्रमाणपत्र डाउनलोड करना हो, पर क्लिक करें। तत्पश्चात् प्रमाणपत्र डाउनलोड होने का विकल्प प्रदर्शित होगा, जिसपर क्लिककर जन्मतिथि, लिंग व छावनी परिषद का चयन करना होगा। एडवांस सर्च के कॉलम में दिये गये विकल्पों का चयन करके भी प्रमाणपत्र डाउनलोड किया जा सकता है, यदि